राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का अट्ठावनवां दिवस [संख्या : 14

शुक्रवार

1 अप्रैल, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या : 229

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनिया।

(अनुपस्थित:, कृपया आगे देखें)

श्री बृजकिशोर शर्मा।

जयपुर शहर हेतु पार्किंग व्यवस्था

230. **श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर शहर की पार्किंग समस्या हेतु कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है यह प्रश्न यू.डी.एच. से सम्बन्धित था इसलिए उसको ट्रान्सफर किया गया है। अब नैक्स्ट टर्न जब मिनिस्टर की आएगी तब लगा दिया जाएगा।

श्री बृजकिशोर शर्मा : धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है कि इसको स्थगित किया जाए। आप पढ़ लीजिये प्रश्न...

श्री अध्यक्ष : पार्किंग का सुनिये...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं खडी हूं ना, कल ही तो फैसला हुआ है, आपको आज ही याद नहीं आ रहा।

मैं निवेदन कर रही थी यह यू.डी.एच. से सम्बन्धित है। पार्किंग की व्यवस्था वह करते हैं इसलिये मंत्री जवाब नहीं दे सकते थे। नैक्स्ट टर्न 11 तारीख को आयेगा उस दिन लग जायेगा यह प्रश्न...

श्री बृजकिशोर शर्मा : यह यातायात से भी सम्बन्धित है, अध्यक्ष महोदय....

मोहम्मद माहिर आजाद : लगाते वक्त क्यों नहीं देखा गया इस बात को...

श्री अध्यक्ष : ऐसा था कि लिखकर इन्होंने दिया है यातायात को। कसूर विधान सभा का नहीं है। लिखकर ही यातायात दिया, पता लगा कि यातायात से सम्बन्धित नहीं है तब ट्रान्सफर की बात आयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले देखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब इसके बारे में कोई बहस नहीं होगी। गलत है। कोई बहस नहीं होगी। श्री तगाराम चौधरी।

श्री संयम लोढ़ा : कल फैसला हुआ है तो बोलूं भी नहीं क्या।

बाड़मेर जिले के सूखा प्रभावित ग्रामों में अकाल राहत कार्यान्तर्गत पक्के निर्माण कार्य

231. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) . क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के 1916 गांव अभावग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों के प्रभावित परिवार के कम से कम एक

(श्री तगाराम चौधरी)

सदस्य को एक सप्ताह के लिये रोजगार देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अकाल राहत कार्यों के तहत पक्के कार्य यथा सड़क ग्रेवल सड़क आवासीय भवन, पेयजल टांके व कृषि कुएं बनवाने क. विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहायता मंत्री (डा. किरोड़ी लाल मीणा) : (1) जी हां। जिला बाड़मेर के 1916 ग्राम अभावग्रस्त हैं। इन अभावग्रस्त गांवों के प्रभावित व्यक्तियों को 10 दिन का पखवाड़ा मानते हुए एक परिवार के एक सदस्य को राहत कार्यों पर नियोजित किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। फिलहाल जिन विभागों या प्लान योजना मदों से मैटेरियल कम्पोनेन्ट की राशि उपलब्ध है उन्हीं मदों के पक्के कार्यों को लिया जा रहा है, क्योंकि (सी.आर.एफ) आपदा राहत कोष के निर्देशों के अनुसार अब मैटेरियल कम्पोनेन्ट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले की स्थिति अन्य जिलों से भिन्न है। भिन्न इसलिए है कि वहां वर्षा बहुत ही कम होती है बार-बार अकाल पड़ता है। इस बार एक साथ एक जिले के 1916 गांव अभावग्रस्त है। ऐसे जिले को अधिक से अधिक श्रमिक संख्या दिलावें। क्या मंत्री महोदय, श्रमिक संख्या बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

पक्के कामों के बारे में मैं निवेदन करूं कि वहां भी पेयजल समस्या की...

श्री अध्यक्ष : आप तो प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछो इनसे।

श्री तगाराम चौधरी : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे पक्के कार्य जो किसानों के खेतों में टांके, आवासीय घरों में एक-एक ओरा है या पडवा, ऐसी सड़कें हैं जो पूर्व के अकालों में बनी हुई थीं और फिर वह टूट फूट गयी हैं, उनकी मरम्मत के लिये ग्रेवल डालने का काम और कृषि कुएं अधूरे या नये देने का विचार आप रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि श्रमिक संख्या बढायी जाये, तो श्रमिक संख्या मार्च के महीने में 72,000 थी बाड़मेर में और आज से अध्यक्ष महोदय, यह श्रमिक संख्या 1,10,000 कर दी। 1 अप्रैल से बढ़ गयी...

डा. सी.पी. जोशी : फूल अप्रैल तो नहीं है ना ? माननीय मंत्री महोदय, इस समय आप जो घोषणा कर रहे हैं वह फूल अप्रैल के अन्तर्गत तो नहीं है ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : हम फूल वाले हैं, आप पंजवा लो। ऐसी बात नहीं है।

दूसरा, इन्होंने कहा कि पक्के नेचर के कार्य जैसे टांके, ओरा, सड़कों के अधूरे काम, इनका सी.आर.एफ. के नार्म्स में कहीं प्रावधान नहीं है कि हम मैटेरियल कम्पोनेन्ट के लिये पैसा दे दें। लेकिन अभी हमने सभी जिला कलक्टर्स से इस ढंग के निर्माण कार्य कराये जाने के प्रस्ताव मांगे। कहां-कहां किस जिले में मैटेरियल कम्पोनेन्ट के लिये कितने पैसे की आवश्यकता है। हम भारत सरकार को उक्त प्रस्ताव को एग्जामिन करके भेज रहे हैं और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको यह राशि दी जाए, जिससे स्थायी स्वभाव के कार्य कराये जा सके।

श्री हेमाराम चौधरी : बाड़मेर का प्रश्न है इसलिए...

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री तगाराम चौधरी : मेरा अधूरा है अभी।

श्री अध्यक्ष : यह पूछ लें, फिर आपको दे दूंगी। मौका दे दूंगी।

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने अभी 1 अप्रैल से....

श्री तगाराम चौधरी : मेरी बात अधूरी रह गयी...

श्री अध्यक्ष : आपको फिर मौका दे दूंगी। इनको पूछ लेने दीजिये। आपकी बात तो एक ही है दोनों की, इनको पूछ लेने दें।

श्री हेमाराम चौधरी : अब नाम. तो मेरा पुकारा है...

श्री तगाराम चौधरी : मेरा जवाब तो आने दें। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 1,10,000 श्रमिक संख्या है वह पर्याप्त नहीं है, तो आप बढ़ाने के लिये कुछ घोषणा करने का इरादा रखते हैं ? रखते हैं तो कितनी ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : जस्ट ए मिनट, हेमारामजी। अध्यक्ष महोदय, मैं उस जिले की बैठक में था, हेमारामजी भी थे, सारे माननीय सदस्य वहां पर थे। मैंने खुद ने मीटिंग ली थी रिलीफ की। इन सभी ने यह कहा था कि 72 को बढ़ाकर एक लाख से ऊपर कर दी जाए। हमने एक लाख से ऊपर 1,10,000 कर दी। फिर भी माननीय सदस्यों की और कोई जरूरत है तो हम बढ़ा देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : मंत्रीजी, एक लाख की तो मार्च महीने की वह बात थी। अब अप्रैल में कर रहे हो। यह आप 3 मार्च को बाड़मेर में थे और आपने उस समय कहा था एक लाख कर दूंगा। पूरा मार्च महीना निकल गया आज। अप्रैल की आप बात कर रहे हो, आज की तारीख में। अप्रैल में तो 1,10,000 मजदूर आपके नहीं लगे हैं अब स्वीकृतियां जारी होंगी और इसके बाद में लगेंगे। खैर अब कभी भी लगेंगे, लग जायेंगे.....

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं जवाब दूंगा। आपने जो मुझे टोका है, उसका जवाब...

श्री हेमाराम चौधरी : मुझे पूछना है...

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, गत महीने में हमने इनको सीलिंग दी थी 72,000 और वह 72,000 सीलिंग अभी तक पार नहीं हुई है, एंगेज नहीं हुए हैं पूरे श्रमिक...

श्री अध्यक्ष : तो अभी तो आप....

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 72,000 आपने दी है वह भी पार नहीं हुई तो यह 1,10,000 भी होगी इसका मतलब आप सीमा तय कर देते हैं, आपके अलग से डायरेक्शन होंगे कि इस सीमा तक आप काम स्वीकृत करके मजदूरों को नहीं लगाएं। यह तो आपकी कथनी और करनी में भी अन्तर हो गया।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के ऐसे कितने परिवार हैं, कितने राशनकार्ड हैं, जिनको कि अकाल राहत कार्यों पर लगाया जाना आवश्यक है। उस हिसाब से आप श्रमिक सीमा तय करेंगे तब उनको महीने में एक बार मौका मिलेगा। नहीं तो परिवारों की संख्या तो डेढ़ लाख से भी ऊपर है। आपने 1,10,000 तय किया है तो सबको फिर महीनें में, एक पखवाड़े में कैसे मौका मिलेगा ? यह आप समझाने की कोशिश करें। मैं यह चाहता हूं कि जितने परिवार हैं उतने श्रमिक...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछिये, भाषण नहीं है। पूछ लीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने यह प्रश्न ही पूछा है। अध्यक्ष महोदय, आप 3 मार्च को कह कर आए, आज 1 अप्रैल है। एक महीना हो गया है और आप कह रहे हो कि 72 थी वह भी नहीं लगी। तो आखिर यह लगाने का काम किसका है ? यह काम हमारा तो नहीं है। यह आपकी सरकार का है। आप कैसे व्यवस्था करें, यह आप करें।

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा मैटीरियल कम्पोनेन्ट आपके पास नहीं है, लेकिन जो व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं हैं, काश्तकारों के स्वयं के टाके हैं, कुएं हैं, आवास हैं, जो पूर्व में भी अकाल राहत के तहत जिसमें लेबर कम्पोनेन्ट सरकार ने वेजेज के रूप में दिया है और मेटेरियल कम्पोनेन्ट काश्तकार स्वयं ने अब लगाया है। ऐसे कार्य आप इस बार लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ?

आपने अकाल राहत के काम खोले हैं । दिसम्बर से। 1 दिसम्बर को आपके मजदूरों की संख्या क्या थी, जनवरी में क्या थी फरवरी में क्या थी, मार्च में और अब आप अप्रैल की बात कर रहे हैं। पूर्व में जब यहां अकाल पर चर्चा

(श्री हेमाराम चौधरी)

हुई थी जुलाई को तब आपने अपने जवाब में कहा था कि केन्द्र सरकार एक लाख मैट्रिक टन गेहूं देने पर राजी हो गयी है। केन्द्र सरकार एक लाख मैट्रिक टन गेहूं देने के लिए राजी हो गयी है और उसके अलावा एस.जी.आर.वाई. केन्द्र की योजनाएं हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप भाषण देने लगे, आप प्रश्न तो पूछ नहीं रहे।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं यही तो पूछ रहा हूं कि जब एक लाख टन गेहूं मिलने का आपको आश्वासन मिल गया तो आपने एक दिसम्बर से इतनी देरी से अकाल राहत के काम क्यों शुरू किये और उसमें भी मजदूरों की संख्या बहुत कम है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि मजदूरी कितनी आ रही हैं लोगों को, वास्तव में 73 रुपया मिनिमम आपका वेज है और वहां पर मजदूरी 40-45 रुपये है। यह तो आपने मीटिंग में स्वयं ने स्वीकार किया था कि 40-45 रुपये आ रही है। यह मजदूरी बहुत कम है और इसके कारण है, मंत्रीजी को स्वयं को मालूम है कि आपने टास्क बढ़ा दिया है। पहले 2.19 क्युबिक मीटर एक दिन में मजदूर को मिट्टी निकालनी पड़ती थी।

श्री अध्यक्ष : मैंने भाषण की अनुमति नहीं दी है।

श्री हेमाराम चौधरी : वह अब आपने चार क्यूबिक मीटर कर दी है। लीड पहले 30 मीटर थी, नाडी के बाहर मिट्टी डालने का, अब आपने 50 मीटर कर दी है। भाषण नहीं है, यह प्रश्न है क्या यह सही है, यदि यह सही है तो इसमें आप सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी अब गर्मी का मौसम आ गया है। आप टाइम कम करेंगे कि नहीं करेंगे। पूर्व में भी दो घंटे अकाल के कम किये गये थे। उस हिसाब से टास्क भी कम करके और समय भी कम करने का आपका विचार है या नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बस, ठीक है।

श्री हेमाराम चौधरी : आपका दस दिन का पखवाड़ा है। इसके बाद में बढ़ा कर पन्द्रह दिन का किया था। क्या आप इसको पन्द्रह दिनों का करने का विचार रखते हैं। मजदूरी ठीक से मिले इसको टास्क में सुधार करने का विचार रखते हैं, समय कम करने का विचार रखते हैं, समय के हिसाब से आप टास्क भी कम करेंगे कि नहीं करेंगे। इस बात का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी एक बात और स्पष्ट कर दीजिये कि यदि मैटेरियल कम्पोनेन्ट का पैसा विधायक अपने कोष से दे तो क्या उस पक्के कामों को करने की इजाजत मिलेगी। यह भी जरा स्पष्ट कर दें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सहायता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को इंगित किया है इसमें हम एस.एफ.सी., ई.एफ.सी., सर्व शिक्षा अभियान, डी.पी.ई.पी., एम.एल.ए., एम.पी. जो भी मैटेरियल कम्पोनेन्ट का पैसा देंगे हम उसके अनुसार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बढ़िया।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह अकाल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे जैसलमेर जिले का...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं इसका जवाब दे दूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सांगसिंह भाटी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं इसका जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष : हां, इनका जवाब दे दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : हेमारामजी ने जो सवाल किया है कि राशनकार्ड की कितनी संख्या है, यह तो मेरे को एग्जेक्टली ध्यान...।

श्री अध्यक्ष : आप नाम से ना पुकारें। इनके निर्वाचन क्षेत्र के नाम से पुकारिये। गुढ़ामालानी कहिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने राशन कार्डों की संख्या पूछी है। यह तो एग्जेक्टली मेरे पास अभी है नहीं और इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के काम चालू कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, गंगानगर और हनुमानगढ़ में अभी ओलावृष्टि से तबाही हुई और भारी बरसात हुई, उसके कारण से फसल नष्ट हो गयी है तो वहां से कलक्टर के प्रस्ताव आये हैं कि यह फसलें सड़ने लग गयी इसलिए यहां पर कोई व्यक्तिगत लाभ की योजना लागू की जानी चाहिए। हमने वहां पर एक किसान को एक बीघा पर 600 रुपये दिया है ताकि वे एक बीघा पर 600 रुपये लगाये, मजदूर चाहे वे अपने लगाये और हमने उसको पैसे देकर के उसके खेतों की सफाई की व्यक्तिगत लाभ की योजना चालू की है। उसी ढंग से व्यक्तिगत लाभ की योजना के प्रस्ताव अगर आपके यहां से आयेंगे तो हम भी आपको दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा आपने पूछा कि काम लेट चालू क्यों हुये थे ? और एक दिसम्बर से आज तक लेबर क्या-क्या एंगेज हुई। दिसम्बर माह में श्रमिक संख्या थी 25700 और जनवरी, 2005 में थी 45000, फरवरी, 2005 में थी 63000 मार्च में 72000 और एक अप्रैल में 1 लाख 10 हजार, फिर आपने पूछा है कि मजदूरी टास्क बेसिस पर कितनी आ रही है। अभी आपके जिले में 49 आ रही है। फिर आपने पूछा है कि समय कब घटायेंगे वह दोपहर में काम करने वाला, यह समय उचित समय आने पर जब आपने किया था, मई-जून में तब ही हम कर देंगे। आपने कहा है कि 15 दिन का पखवाड़ा यह सम्भव नहीं है और कोई सवाल हो तो बताओ।

श्री अध्यक्ष : श्री सांगसिंह भाटी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर आरोप लगा है कि मैं लेट हो गया, मेरा प्रश्न था, मेरे ऊपर फिक्सिंग का आरोप लगाया है। इसको एक्सपंज किया जाये। मैं लेट हो गया खाना खाने के चक्कर में।

श्री अध्यक्ष : जब आपको मालूम था कि आपका पहला प्रश्न है तो आपको ध्यान रखना चाहिए था।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : खाने का भुगतान तो उधर से किया गया है।

श्री रामप्रताप कासनिया : गलती तो हो गयी।

श्री बाबूलाल नागर : खाने का भुगतान तो उधर से किया गया है।

श्री सांगसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अकाल से जुड़ा हुआ जैसलमेर जिले का मुद्दा है। मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पक्के कार्यों के लिए जैसलमेर जिले में विभिन्न जिलों के काश्तकार वहां बसे हुए हैं और उन काश्तकारों के, वाटर कोर्स, जो खाले हैं वह धोरों के अन्दर निकले हुए हैं कम से कम 10 जिले ऐसे हैं, 10 जिलों के काश्तकार वहां पर हैं और उन खालों पर पट्टियां लगाने की क्या मंशा रखते हैं। अगर रखते हैं तो कब तक और कैसे ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह मामला जैसलमेर का है लेकिन जनरलाइज्ड है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में यह जो वाटर कोर्स का मामला है इन्होंने बताया है इनको ढंकने के लिए बीकानेर कलक्टर ने बी.ए.डी.पी. में उनको मैटेरियल कम्पोनेन्ट देकर के ढकवाया है और दूसरे सोर्सेज से आप पैसे देंगे मैटेरियल कम्पोनेन्ट के तो उनको ढकवा दिया जायेगा, बाकी इसमें एक ही है कि स्थायी परिसम्पत्तियां बनें। वाटर कोर्स का जो हाथ में लिया है वह बहुत अच्छा है। जो मजदूरी आयेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसमें भारत सरकार से स्पेशियली पैसा मांग रहे हैं, भारत सरकार से अगर मेहरबानी हो जायेगी सी.पी. जोशीजी या कल्ला साहब की तो हम स्थायी काम करवा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : हेमारामजी, एक मिनट।

श्री हेमाराम चौधरी : लेबर कंपोनेंट देंगे कि नहीं देंगे। फेमिन में आप लेबर कंपोनेंट दें तो ज्यादा काम हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने पुकारा है बाबूलाल नागर का, मैंने नाम पुकारा है श्री बाबूलाल नागर, आप क्यों खड़े हो जाते हैं।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वर्षा के अभाव में या देरी से वर्षा आने के कारण किसान ने बाट-जोत नहीं की और जमीन खाली पड़ी रह गयी। एक तरफ हम खराबा के आधार पर अकाल राहत घोषित करते हैं जबकि खाली पड़त की स्थिति तो खराबा से भी बहुत ही ज्यादा खराब होती है। मैं आपसे यह चाहूंगा कि इस तरह से सर्वे करके जहां-जहां खाली पड़त रही है उनको आप अभावग्रस्त या खराबा की स्थिति में लाने का इरादा रखते हैं क्या ? एक मिनट, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, इसी से रिलेटेड प्रश्न है। यह राजस्थान का है, मैं निवेदन करूं यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो, नो, महत्वपूर्ण कितना ही हो सकता है लेकिन मंत्रीजी इस समय इसका जवाब देने में...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, वह देना चाह रहे हैं। आप देखिये उठ रहे हैं। दे रहे हैं, दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आ जाये, एक मिनट, आ जाये। मंत्रीजी, एक मिनट। एक छोटा सा और है।

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह से अगर इर्रिलेटेड प्रश्नों का जवाब देने लग जायेंगे तो (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है...(व्यवधान) मंत्री महोदय, किसान ने बाट-जोत कर दी खेत में ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : वास्तव में उनमें अकाल है...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : वर्षा के अभाव में वह जल गयी और किसान ने अगली फसल का ध्यान रखते हुए उस जली हुई फसल को उथेल दिया और अगली फसल का ध्यान रखते हुए उसको जोत दिया...(व्यवधान)

प्रश्न संख्या-232

श्री अध्यक्ष : श्री एमादुद्दीन अहमद खान।

(अनुपस्थिति : कृपया आगे देखें)

श्री बाबूलाल नागर : क्या आप उसको खराबा में मानेंगे ? मैं यह दे निवेदन करना चाहूंगा। हां, मंत्री महोदय।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : बोलूं।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण मामला है। खराबा तो वहां है जहां थोड़ी-बहुत बरसात हुई है, फसल उगी है और जह उसकी कमी की वजह से फसल उगी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बाड़मेर का था।

श्री बाबूलाल नागर : यह बाड़मेर का ही पूछ रहा हूं।

श्री अशोक बैरवा : आप बाड़मेर का मान लें इसे... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं बाड़मेर का ही पूछ रहा हूं, बाड़मेर में ही ऐसा है। मैं बाड़मेर, जैसलमेर की ही पूछ रहा हूं...(व्यवधान) ऐसी जो खाली पड़त जमीन है। उसके बारे में बता दीजिये आप तो ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय भी चिंता दिखा रहे हैं इस विषय पर...(व्यवधान) आपसे निवेदन है इतनी गहरी...(व्यवधान) सरकार कोई निर्णय करना चाहती है तो मंत्री महादेय को जवाब तो देने दें...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि खाली पड़त तो खराबा से भी ज्यादा दयनीय स्थिति है। खराबा में तो कुछ तो कहीं 10 प्रतिशत बचा हुआ है, कहीं 15 प्रतिशत बचा हुआ है...(व्यवधान) इसमें तो बाट-जोत ही नहीं कि किसानों ने....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं, मंत्री महोदय चिंतित हैं। इनके मर्म को जानते हैं। खाली-पड़त राजस्थान में बहुत जगह हो गयी।

श्री अशोक बैरवा : राहत मंत्री की चिंता जायज है। वह कुछ कहना चाहते हैं।

श्री बाबूलाल नागर : उनको खराबा में नहीं माना, उनको अभावग्रस्त में नहीं माना।

श्री अध्यक्ष : यह बाडमेर का प्रश्न नहीं है। यह केवल बाड़मेर का था...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : आप जवाब दे दें। बाड़मेर का पूछा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बाड़मेर के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं। मंत्री महोदय, बाड़मेर में अगर कहीं खाली-पड़त रह गयी जिसको खराबा में नहीं माना है तो उसको आप सर्वे कराकर मानने के लिए तैयार हैं...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की चिंता जायज है। वह भी कुछ कहना चाहते हैं। आप इनको परमिट करें, प्लीज।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, इसको परमिट करें। मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को पढ़ें ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : हमारा निवेदन है...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आप खुद किसान हैं वह जवाब देना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, क्या कुछ कहने की स्थिति में हैं आप...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : हां, हां तैयार हैं। मंत्रीजी, वह कह रहे हैं अध्यक्षजी, तैयार हैं आप, हां, बोलें साहब।

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत मंत्रीजी, कोई जवाब देने की स्थिति में हैं क्या ?

श्री बाबूलाल नागर : हां तैयार हैं।

श्री अशोक बैरवा . हमारी चिंता में शामिल है बैठे-बैठे।

श्री अध्यक्ष : देखिये भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी, मैं आपको बता रहीं हूं। आप सीधे कोई प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रश्न से सम्बन्धित ही बात नहीं है। अकाल राहत से सम्बन्धित ही नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न वैसे सिर्फ बाड़मेर से सम्बन्धित है, लेकिन इनकी चिंता गहरी है और आपका आदेश है। इसमें जो खरीफ की फसल है उसमें 50 प्रतिशत के ऊपर खराबा होता है उसका हम सर्वे करते हैं। उसकी 50 प्रतिशत से ऊपर की खराबा रिपोर्ट पर भारत सरकार देती है।

श्री अध्यक्ष : यह तो यह पूछ रहे हैं कि जहां बोई नहीं गई हो उसे अकाल ग्रस्त मानेंगे ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : भारत सरकार की सी.आर.एफ. की गाइड लांइन के हिसाब से हमें स्वीकृति मिलती है और पैसा मिलता है। पड़त के नाम से भारत सरकार हमको पैसा नहीं देती है। जहां बुआई नहीं हुई हो लेकिन हमने पूरे राजस्थान की पड़त भूमि का भी स्टेटमैंट मंगवा लिया है और हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि सी.आर.एफ. में वह रिलेक्सेशन दे और हम पड़त भूमि पर भी अकाल राहत काम करवा सकें, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर भारत सरकार अनुमति देती है तो।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : अकाल राहत में मेरा प्रश्न है कि जहां भी अकाल राहत के कार्य चल रहे हैं वहां पर सरपंच घर बैठकर ही मजदूरों के नाम लिखता है, मनमानी करता है। गरीब लोगों को इसका बिलकुल लाभ नहीं मिलता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि हर घर से एक आदमी को काम मिले।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमने यह तय किया है कि बी.पी.एल., एस.सी., एस.टी., इनके बाद कोई रह जाए तो उसको आप चयनित करें और काम दें। अगर किसी घर में 10 से ज्यादा सदस्य हैं तो आप दो को नियोजित करें, इसमें किसी प्रकार की अनियमितता कहीं हो रही है इसकी हमें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, यदि हो रही है तो हम उसकी जांच करवाएंगे और सख्त कार्यवाही करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर जिले के छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाएं

233. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जोधपुर में समाज कल्याण विभाग के कितने छात्रावास हैं एवं कितन विद्यार्थी इसमें निवास करते हैं। छात्रावासों का नाम व छात्रों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक छात्रावास को सरकार द्वारा कितनी खाद्य सामग्री प्रति माह आबंटित की जाती है तथा कितनी सामग्री का वितरण किया जाता है ? गत पांच वर्षों का माह वार वितरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या छात्रावास में भर्ती हेतु कोई नियम निर्धारित हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में सरकार द्वारा खाद्य सामग्री के अलावा विद्यार्थियों को अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या भोजन या अन्य सुविधाओं के बारे में कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई व नहीं तो क्यों ?

(6) क्या छात्रावासों का समय-समय पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है ? यदि हां, तो किस-किस छात्रावास का कब-कब निरीक्षण किया गया व नहीं तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री मदन दिलावर) : (1) जिला जोधपुर में समाज कल्याण विभाग के 25 राजकीय एवं 3 अनुदानित छात्रावास संचालित हैं, जिनकी कुल स्वीकृत छात्र संख्या 1190 है। वर्ष 2004-05 में इसमें 1044 छात्र/छात्राएं प्रवेशित हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) प्रत्येक छात्रावास को खाद्य सामग्री एवं अन्य सुविधा हेतु रुपये 675/- प्रति छात्र प्रति माह साढ़े नौ माह के लिए आबंटित किए जाते हैं इसमें

(श्री मदन दिलावर)

से रुपये 150/- प्रति छात्र प्रतिमाह स्कूल यूनिफार्म, तेल, साबुन, कपड़े धोने, बिजली-पानी के लिए दिए जाते हैं तथा रुपये 525/- प्रति छात्र प्रतिमाह भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन व ईंधन आदि पर व्यय हेतु दिए जाते हैं। गत पांच वर्षों में इस मद पर हुए व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	मासिक खर्च	पूरे शैक्षणिक सत्र का खर्चा
2000-2001	9,25,474	87.92 लाख
2001-2002	9,51,684	90.41 लाख
2002-2003	10,75,368	102.16 लाख
2003-2004	11,59,158	110.12 लाख
2004-2005	11,80,000	112.10 लाख

(3) जी हां। छात्रावासों में भर्ती हेतु राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2004 हैं। नियम की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी हां। छात्रावास में सरकार द्वारा खाद्य सामग्री के अलावा नि:शुल्क आवास, स्कूल की ड्रेस, जूते, मोजे, तौलिया, स्वेटर, बाल कटिंग, सिर पर लगाने का तेल, नहाने और कपड़े धोने का साबुन तथा खाना बनाने व खाने के बर्तन, स्टेशनरी की राशि, कठिन विषयों की कोचिंग, ज्ञानवर्धक पुस्तकें, तख्ते, बिस्तर, बक्से आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं।

(5) जी नहीं। भोजन या अन्य सुविधाओं के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(6) जी हां। समय-समय पर अधिकारियों द्वारा छात्रावासों का निरीक्षण किया गया है, विवरण निम्नानुसार है :-

(श्री मदन दिलावर)

राजकीय छात्रावास	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता
झंवर	20-7-2004	उप निदेशक, जोधपुर
फलौदी	28-7-2004	उप निदेशक, जोधपुर
बाप	31-7-2004	उप निदेशक, जोधपुर
लोहावट	5-8-2004	उप निदेशक, जोधपुर
नागौरी गेट (बी के एम)	12-8-2004	उप निदेशक, जोधपुर
पीपाड़ (कन्यया)	19-8-2004	उप निदेशक, जोधपुर
भदवासिया	24-8-2004	उप निदेशक, जोधपुर
नागौरी गेट (कन्या)	25-8-2004	उप निदेशक, जोधपुर
बालेसर	27-8-2004	उप निदेशक, जोधपुर
सेतरावा	27-8-2004	उप निदेशक, जोधपुर
बिलाड़ा	4-9-2004	उप निदेशक, जोधपुर
ओसियां	9-9-2004	उप निदेशक, जोधपुर
भदवासिया (कन्या)	10-9-2004	उप निदेशक, जोधपुर
लूणी	12-9-2004	उप निदेशक, जोधपुर
कैरू	14-9-2004	उप निदेशक, जोधपुर
पीपाड़ (कन्या)	16-9-2004	उप निदेशक, जोधपुर

(श्री मदन दिलावर)

1	2	3
भदवासिया	20-9-2004	उप निदेशक, जोधपुर
नागौरी गेट (बी के एम)	21-9-2004	उप निदेशक, जोधपुर
बाप	26-9-2004	उप निदेशक, जोधपुर
बालेसर	28-9-2004	अध्यक्ष, राज. राज्य मानवाधिकार आयोग
कैरू	28-9-2004	अध्यक्ष, राज. राज्य मानवाधिकार आयोग
बालेसर	16-10-2004	उप निदेशक, जोधपुर
भदवासिया (कन्या)	11-11-2004	उप निदेशक, जोधपुर
नागौरी गेट (बी के एम)	7-12-2004	उप निदेशक, जोधपुर
नागौरी गेट (कन्या)	16-12-2004	परि. अधिकारी. मुख्यावास
नागौरी गेट	16-12-2004	परि. अधिकारी, मुख्यावास
मंगरा पूंजला	16-12-2004	परि. अधिकारी, मुख्यावास
करवड़	2-1-2005	उप निदेशक, जोधपुर
भदवासिया	7-1-2005	उप निदेशक, जोधपुर
भदवासिया (कन्या)	24-1-2005	उप निदेशक, जोधपुर
सेतरावा	4-2-2005	उप निदेशक, जोधपुर
बेलवा	6-2-2005	उप निदेशक, जोधपुर

(श्री मदन दिलावर)

1	2	3
कैरू	17-2-2005	उप निदेशक, जोधपुर
सालवां कलां	20-2-2005	उप निदेशक, जोधपुर
भोपालगढ़	21-2-2005	उप निदेशक, जोधपुर
भदवासिया	24-2-2005	उप निदेशक, जोधपुर
बिलाड़ा	7-3-2005	उप निदेशक, जोधपुर
बिलाड़ा	21-3-2005	उप निदेशक, जोधपुर
बिसलपुर	22-3-2005	उप निदेशक, जोधपुर

(सूची आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहती हूं कि आपने यह जो सारा विवरण दिया है, मैं जहां-जहां भी देखकर आई हूं वहां कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। मैं दूसरा प्रश्न यह करना चाहती हूं कि आपने खण्ड 5 में लिखा है, जी नहीं। भोजन या अन्य सुविधाओं के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लिखा है। आपको शिकायत कैसे प्राप्त नहीं हुई ? आपको कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंहजी गोदारा की ओर से क्या कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुइ ?

श्री मदन दिलावर : उनकी तरफ से शिकायत नहीं रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि वे कौन-कौन से छात्रावासों में गयी और उन्हें क्या-क्या कमियां लगीं, यदि वे बताएं तो इसकी जांच करवा के जो भी दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ह्यूमन राइट कमीशन की जांच रिपोर्ट पर आपने क्या किया ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गोदाराजी की जो जांच रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर हमने कार्यवाही की है। उनकी रिपोर्ट में मुख्य भाग यह था कि होस्टलों में तख्ते नहीं हैं, बिस्तर ठीक प्रकार के नहीं हैं, बैडशीट्स फटी हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने पांच करोड़ से ऊपर की लागत का सामान खरीदा है जिसमें बैड शीट्स, कम्बल, गद्दे, तकिए वगैरह हैं। यह हमने 1 करोड़ 90 लाख रुपए का सामान खरीदा है। खेल की सामग्री के बारे में उन्होंने कहा कि उसकी काफी न्यूनता है। इसके लिए हमने बैडमिण्टन, कैरम आदि सामान और मैडिकल फेसेलिटी के लिए मेडिकल किट वगैरह हमने छात्रावासों में भेजने प्रारम्भ कर दिए हैं। आपको यह जानकर काफी खुशी होगी कि उनकी जो शिकायत थी कि दरवाजे टूटे हुए हैं, बिजली के तार लटके हुए हैं, इसके लिए हमने ढाई करोड़ रुपए इनकी मरम्मत और नल-बिजली, चार दीवारी के लिए स्वीकृत कर दिए हैं। पलंग जो टूटे हुए थे उनके लिए हमने 3500 पलंग खरीदने के आर्डर दे दिए हैं और ये शीघ्र ही छात्रावासों में पहुंचने वाले हैं। सामान रखने के बक्से और सन्दूक जो अनुपयोगी हो गए थे उनको बदलने के आर्डर भी मैंने जारी कर दिये हैं। इसके लिए हम 70 लाख रुपए की खरीद कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बच्चों के मनोरंजन के लिए हमने रंगीन टी.वी. लगभग सभी छात्रावासों में उपलब्ध करवा दिए हैं ताकि बच्चों को मनोरंजन के लिए इधर-उधर जाने की आवश्यकता न पड़े।

मैं आपसे निवेदन करना बहुत आवश्यक समझता हूं कि पिछले पांच सालों में अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रावासों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देने के कारण सारे छात्रावास के अन्दर अव्यवस्था थी और बहुत सारी पढ़ाई का लोस हो रहा था और कांग्रेस ने जो पाप किए हैं, उनको हम निश्चित रूप से धो रहे हैं और छात्रावासों को ठीक करेंगे और एक भी छात्रावास को इस प्रकार का नहीं रहने देंगे...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : यह जवाब है क्या कि कांग्रेस ने जो पाप किए हैं, +++ ? बात करने की +++ ?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : और आप लोग जो पाप कर रहे हैं उनको कौन धोएगा ?

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्हें बात करने की +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांत रहें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : इन्होंने यह कहा कि +++ और आप कैसे-कैसे पाप कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, आप ध्यान नहीं रखते, आसन पांवों पर है, मंत्रीजी, आप तो इतना बता दो कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की। (व्यवधान) आसन पांवों पर है और आप खड़े हैं, मैं पूछ रही हूं और आप बीच में खड़े हो गए ? दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की, यह बता दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पाप किए हैं, यह क्या कहा है इन्होंने ?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : कांग्रेस ने पाप किए हैं, क्या पाप किए हैं कांग्रेस ने ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद ने यह सारा विवरण दिया है। इतनी घपलेबाजी चल रही है, हर बात में है, एक बात में थोड़े है, एक-एक का विवरण दे दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको थोड़ी बहुत सभ्यता और +++ तो होनी चाहिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : कोई निरीक्षण करने जाता नहीं, कोई देखने जाता नहीं और इन्होंने खुद ने यह दिया है कि कोई शिकायत नहीं, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता खड़ी हैं, पहला अधिकार उनका है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुने तो सही, प्रश्न की बात नहीं, मैं कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछ रहा हूं। मंत्रीजी ने अपने उत्तर में जो बात कही है, पूरी कांग्रेस पार्टी के बारे में जो टिप्पणी की है वह आपत्तिजनक है, यह कोई बात करने की होती है ?

श्री बंशीलाल खटीक : आपने क्या कहा ? +++ के लिए, +++ से बोलने का आपका क्या हुआ ? असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, हम असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होने देंगे। +++ का उल्लेख किया है आपने।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आसन से बात कर रहा हूं, +++

श्री बंशीलाल खटीक : +++ से बोलिए, इस प्रकार से कहा है इन्होंने। संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है।

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक : आप असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं सदन में।

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको संबोधित कर रही हूं, आप क्यों उत्तेजित हो गये। प्रश्न का जवाब दे रहे थे मंत्रीजी, मैंने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा। मैं कार्यवाही देखूंगी, यदि कोई ऐसी टिप्पणी की होगी तो मैं उसे देखकर निकाल दूंगी। (व्यवधान) अब आप बीच में बोल रहे हैं। अभी जब बात हुई है कि इस तरीके से बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे, आसन जब पावों पर होगा तब आप खड़े नहीं होंगे। उसके बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने जब कह दिया कि मैं कार्यवाही देखूंगी यदि मुझे उसमें ऐसा लगेगा कि सचमुच में आपत्तिजनक है और मंत्रीजी आप भी प्रश्न का जवाब दिया करें, एलिगेशन लगाना, पूर्व सरकार पर लगाना, आगे पीछे लगाना, यह कोई उचित बात थोड़े ही है। आप प्रश्न का जवाब दिया करें।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले भी कहा आपकी छाती पर मूंग दलेंगे और दूसरा +++ शब्द कह दिया है। इन्होंने खुले सदन में कहा आपकी छाती पर मूंग दलेंगे इस प्रकार की इनकी दूसरी +++ है यह।

श्री अध्यक्ष : इसको एक्सपंज कर देंगे। यह एक्सपंज हो जाएगा, विराजें अब आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोसिडिंग देख लें, यह शब्द जो ये बोल रहे हैं अगर यह प्रोसिडिंग में आये तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। बिना बात की बात कर रहे हैं, आप प्रोसिडिंग देख लीजिए। अभी कह दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं देखूंगी मैं देख लूंगी।

श्री बंशीलाल खटीक : इस्तीफा देना पड़ेगा, +++ शब्द आया है. (व्यवधान) प्रोसिडिंग देख लीजिए, +++ शब्द आया है यदि अपनी बात पर सही हैं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रोसिडिंग देख लीजिए, +++ शब्द है पूर्व की प्रोसिडिंग भी देख लीजिए आपकी छाती पर मूंग दलेंगे ऐसा इन्होंने कहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह नहीं कहा मैंने

श्री अध्यक्ष : आपत्तिजनक, अपमानजनक कोई भी शब्द यदि कहा गया होगा तो निश्चित तौर से उसको कार्यवाही से निकालूंगी।

श्री बंशीलाल खटीक : और इनको इस्तीफा देना पड़ेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो स्वयं विद्वान हैं, तहजीब और तमीज को आप समझती हैं, ये क्या समझेंगे, इनके तो पास से ही नहीं गुजरा यह। आपके नजदीक से यह नहीं गुजरा. (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाह रहा था जो समाज कल्याण का प्रश्न चल रहा था, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पूरे राजस्थान के बारे में आई है, जोधपुर भी

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

उसमें शामिल है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर समाज कल्याण छात्रावासों में आज तक सरकार ने क्या सुविधाएं और सुधार किये ? मंत्रीजी आप बताएं क्या कार्यवाही की आपने ?

श्री अध्यक्ष : सुधार तो बता दिया, आपने सुना नहीं। सुधार तो इन्होंने बता दिया कि क्या-क्या किए हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की बात नहीं हुई।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : उस पर कार्यवाही क्या हुई वह नहीं बताया अभी तक।

श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : अध्यक्ष महोदय, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : समाज कल्याण छात्रावासों की हालत नहीं सुधरी है, वहीं मैं माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं। आप इस बात का जवाब दें कि कार्यवाही क्या की और उसमें क्या सुधार किये ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की पीड़ा वाजिब है क्योंकि इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं और ये कह रहे हैं क्या कार्यवाही की। मैंने 16 सीसीए में 44 छात्रावास अधीक्षकों के खिलाफ तथा 17 सीसीए में 46 छात्रावास अधीक्षकों के खिलाफ कार्यवाही की है और भीलवाड़ा के एक जिलाधिकारी को भी निलम्बित किया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इन्होंने बोलने ही नहीं दिया है। इनका कोई उत्तर ही नहीं है। इन्होंने खुद ने सारे उत्तर में इसका हवाला दिया हो तो बता दें आप। कहीं भी एक भी जगह उत्तर में यह

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

नहीं दिया कि मैंने यह किया है। अब हमारे पूछने पर आप यह कहते हो। आपने तो यह लिख दिया मुझे कोई शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई है। मैं क्या बोलूं आपके कागज बोल रहे हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों के लिए लाखों, अरबों रुपये खर्च होते हैं। वहां पर जाओ तो बिस्तर नहीं मिलेंगे, अगर बिस्तर मिल भी गया, एक बिस्तर 100 रुपये का है तो चार्ज किया है 400 रुपये, इसका भी मैं हवाला आपको दे दूंगी। आप यह देखिए कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहूंगी भोजन की भी अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं है। इसमें इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। क्या जवाब दें और क्या आपको बताएं, इन्होंने जी हां, जी हां, नहीं है, यह लिख दिया सारा। मंत्रीजी का कोई उत्तर ही नहीं है इसके अन्दर।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या उत्तेजित हो रही हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, अभी विधायक महोदया ने मंत्रीजी से जो प्रश्न किया यह रोज की बात है।

श्री अध्यक्ष : जवाब आ जाने दीजिए।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : मैं इसी सम्बन्ध में कह रहा हूं। इसी बारे में प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप इनका जवाब आने दीजिए पहले। कृपय बैठिये आप। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा इन्होंने पांचवें खण्ड के बारे में जोर दिया है कि क्या भोजन या अन्य सुविधाओं के बारे में कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं। मैंने कहा कि भोजन और सुविधाओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। मुझे 18 शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन 18 शिकायतों की सूची में कहीं भी भोजन और सुविधाओं के बारे में नहीं आया है। विशेषकर यह है कि कहीं

(श्री मदन दिलावर)

चारदीवारी नहीं है, यूनिफार्म नहीं है, वगैरह-वगैरह शिकायतें हैं और सबका एक-एक का जांच प्रतिवेदन यदि सुनना चाहें तो मैं एक-एक का जांच प्रतिवेदन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। माननीय सदस्य कह रही हैं सामान बड़ा महंगा खरीदा गया है। तो हमने सामान अभी खरीदा है जो अभी हास्टल तक पहुंच रहा है वह माननीय सदस्य ने देखा नहीं है। यदि कुछ गड़बड़ हुई होगी तो इन्होंने खरीदा होगा उसकी जांच करा लेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहीं है सामान मिलता नहीं है। पता नहीं कौन ले गया सामान।

श्री मदन दिलावर : इन्होंने वह भ्रष्टाचार क्यों किया इसकी जांच करा लूंगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री होकर इस तरीके से कैसे जवाब देते हैं ? जवाब तो अच्छी तरह से देते, यह क्या बात हो गई। यह कोई जवाब है। क्या बात करते हो ?

मोहम्मद माहिर आजाद : समाज कल्याण मंत्रीजी, भोजन मंत्र तो सुना दो।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रशेखर बैद।

श्री बंशीलाल खटीक : अध्यक्ष महोदय, अच्छी तरह से होगा भोजन मंत्र। आपके कहने से भोजन मंत्र नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इस तरह से जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या को जबर्दस्ती बैठाया जा रहा है। यह बिलकुल गलत है, परम्पराओं के खिलाफ है, माननीय सदस्य के अधिकारों के खिलाफ है।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय मंत्रीजी, एस.सी., एस.टी. का जो भी मामला आता है उसको दबा देते हो, बिलकुल असत्य बोलते हो।

श्री अध्यक्ष : मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया।

श्री मदन दिलावर : मेरा सौभाग्य है कि मैं खुद अनुसूचित जाति के परिवार में पैदा हुआ हूं। (व्यवधान) इस प्रकार के आरोप लगाकर आप क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : आपने कब अनुसूचित जाति का देखा। (व्यवधान) सारे अनुसूचित जाति के पट्टे खा गये। लूट लिया अनुसूचित जाति को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रशेखर बैद।

जाली नोट प्रकरणों की रोकथाम हेतु कार्य-योजना

234. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2003 से अब तक कितने जाली नोट के प्रकरण कहां-कहां दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जाली नोट प्रकरण में कहां-कहां से कितने-कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया व सरकार द्वारा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अभियुक्तों द्वारा बाजार में चलाये गये जाली नोटों को पकड़ने एवं भविष्य में ऐसी वारदातें रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ?

गृह मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : (1) राजस्थान प्रदेश में वर्ष 2003 से 15 मार्च, 2005 तक जाली नोटों के 139 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) उक्त जाली नोट प्रकरणों में 173 व्यक्तियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं थानों में गिरफ्तार किया गया है जिनमें से 162 अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं। शेष गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान पैण्डिंग चल रहा है जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) जाली नोट अभियुक्तों द्वारा बाजार में चलाने, कब्जे में रखने फर्जी नोट बनाने आदि के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 489 क,ख,ग,घ के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रावधान है। ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने व पकड़ने के लिए जिला पुलिस के द्वारा मुखबिरी कराकर गश्त व निगरानी के द्वारा पता लगाकर गिरफ्तार किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय पर एक विशे. सैल का गठन किया गया है जिसमें एक महानिरीक्षक पुलिस, दो उप महानिरीक्षक पुलिस एवं स्टाफ तैनात किर. हुआ है।

(सूची आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी .र)

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं आज तक जितने भी केस रिपोर्ट किये .वे उसमें से 60 से 80 प्रतिशत के अन्दर समय के अनुसार एफ.आर. ल दी गई। बहुत कम केसेज में चालान पेश किये गये।

दूसरा सप्लीमेंट्री सवाल यह है कि आज से तीन साल पहले राज्य सरकार ने यह निर्णय किया था नकली नोट पकड़ने के लिए जो अल्ट्रा व यलेट लैम्प होते हैं या फेक करेंसी डिटेक्ट करने के लिए जो मशीन होती है वह थानों के अन्दर लगाएंगे, उसके बारे मे सरकार क्या विचार रखती है ? क्योंकि राजस्थान ही पूरे देश में ऐसा प्रदेश है जिसके 1800 किलोमीटर की स.ज पाकिस्तान से जुड़ती है और जितने भी फर्जी नोट पकड़े जाते हैं उनका किर न किसी इंटरनेशनल रैकेट से सम्बन्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में बार्डर एरिए के अन्दर फाल्स नोट्स डिटेक्ट करने की आप मशीन लगाने का विचार रखते हैं र. नहीं रखते हैं ? तीसरा, अभी लोक सभा के अन्दर एक अन- स्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया था जिसके आंसर में यह बताया गया केन्द्र सरकार द्वारा कि :-

RBI has been a lvised to go in publicity campaign abou. security features incorporated in genuine notes sc that the Member of p. blic may distinguish between the genuine and fake notes.

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

अपने इतने बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं दूध कैसे पीना चाहिए और दही कैसे खाना चाहिए, क्या आप यह होर्डिंग्स भी लगाओगे कि नकली नोट को कैसे पहचान कर पकड़कर के पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए ? आखिरी सवाल मेरा यह है कि आज के कानून के अन्दर अगर कोई व्यक्ति बाजार में जाकर सामान खरीदता है और उसको कोई नकली नोट दे देता है और उसको पहचानने की क्षमता नहीं है तो कानून की नजर में नकली नोट रखने के कारण वह उसका अपराधी है। इसके बारे में कोई कानून में संशोधन करने क अपना विचार है या नहीं है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, नकली नोट के प्रचलन के काफी केसेज दर्ज हुए हैं लेकिन जो अन्तरराष्ट्रीय हमारी सीमा है उसके तहत पहले बहुत ज्यादा होते थे, उस सीमा पर तो इस प्रकार के वाकये कम से कम हुए हैं, तारबन्दी करने से। लेकिन यह बात सच है कि राजस्थान के अधिकांश जिलों में 2003 में भी, 2004 में भी और अभी यह 2005 में भी इस प्रकार के मुकदमे समय-समय पर दर्ज हुए हैं। जहां तक लोगों को इसके लिए जागरूक करने की दृष्टि से मैं सोचता हूं कि बराबर इसके बारे में केन्द्र सरकार के द्वारा भी, मीडिया के द्वारा भी और समय-समय पर इस प्रकार की प्रक्रिया अपना कर लोगों को जानकारी देने का प्रयास लगातार पिछले काफी समय से हो रहा है। जहां तक कि रिजर्व बैंक के द्वारा भी बराबर सारे बैंकों को, बाकी सारे लोगों को समय-समय पर इसके डाइरेक्शंस जारी हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यह बात सच है कि इसको पूर्णतः काबू नहीं किया जा सका अभी तक। आये दिन किसी न किसी महीने में, कोई न कोई, किसी न किसी प्रकार की घटना निश्चित रूप से लगातार घट रही है, उसके लिए जो कुछ हम अपने डिपार्टमेन्ट के माध्यम से जो सम्भव है वह मुखबिर के द्वारा या और किसी तरीके से, अभी-अभी आज ही आपने देखा होगा कि रात की गश्त में ही यह जो छबड़ा में हैं, कल रात को ही परवर नदी के किनारे हमारी जो चौकी लगी हुई थी वहां से दो मोटरसाईकिल वाले निकले और वह उनको देखकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भागे तो उनको पकड़कर के अभी कल ही 28 हजार, एक-एक हजार के 28 नोट उनसे बरामद किये हैं। अभी सिन्धी कैम्प पर ही कुछ दिन पूर्व, अभी इसी महीने की एक तारीख को इस प्रकार की वारदात में एक पूरी की पूरी गैंग उसमें पकड़ में आई है।

मैं सोचता हूं जो सूची मैंने आपको दी है उस सूची में सारे के सारे प्रकरण और उसमें जिन मुलजिमों के खिलाफ हमने कार्यवाही की उसको बिलकुल डेटवाइज और उसमें कितना अमाउंट था, कितने नोट थे, हमने दी है और उनमें से अधिकांश में हमने चालान कर दिया. केवल 1 प्रकरण ऐसे रहे हैं जिनमें चालान अभी नहीं हुआ, इंवेस्टीगेशन में चल रहा है, बाकी सारे के सारे प्रकरणों में हमने जो भी कानून के तहत हमको अधिकार प्राप्त हैं 479 में ए, बी, सी, डी, ई में उसके तहत, बाकी अधिकांश में तो नान बेलेबल आर्फेंस है, केवल एक जिसमें कोई छोटे मोटे यह जो चेंज करते समय इधर से उधर पैसा देते समय किसी का एक सौ रुपये का नोट ऐसा नकली मिल गया तो उसमें जरूर बेलेबल आर्फेंस के रूप में है। बाकी तो इस कानून के तहत आजीवन कारावास से लेकर 10 साल, 7 साल की सजा है और उसके तहत से सारे के सारे केसेज में हमने चालान पेश किये हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : फर्जी नोट पकड़ने के लिए अल्ट्रा वायलेट लैम्प्स या आप थाने में देने का विचार रखते हो ? क्योंकि राज्य सरकार इस बारे में पहले निर्णय कर चुकी है कि थाने में एक नकली नोट पकड़ने की मशीन जो लैम्प आता है जिसकी ज्यादा कीमत नहीं है, वह थाने में देने का विचार आप रखते हो कि नहीं रखते हो ? क्योंकि यह निर्णय राज्य सरकार का ही किया हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि थाने में तो कोई नकली नोट कहीं न कहीं साइड पर पकड़कर लाएंगे और उसके आधार पर ही कार्यवाही होगी। आजकल तो बहुत आसानी से नकली नोट के बारे में सामान्यतया काफी लोगों की जानकारी है। क्योंकि जो कम्प्यूटराइज हुआ और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिस तरह से प्रिन्टर उठने लगा है सबसे ज्यादा परेशानी इसके कारण से हुई है। वह बिलकुल सारे का सारा हूबहू नोट तैयार करने का काम करते हैं, ऐसी भी कई गैंग वर्क आउट हुई हैं, पकड़ी हैं जिसके कारण से सामान्यतया मैं सोचता हूं जितने भी ऐसे नकली नोट पकड़े गये एकदम तो पता नहीं लगता बैंक वालों को, जब भी आप देने जाएंगे तो वहां जरूर वर्क आउट हो जाएगा। कई बार तो क्या होता है कि एक हजार की गड्डी में एक उसमें केवल एक नोट नकली होता है बाकी सारे के सारे सही नोट लगाकर देते हैं तो उसमें से भी कभी-कभी बैंक वाले निकालते हैं और कभी-कभी बाजार में प्रचलन करते समय आते हैं। इस प्रकार से अब लोगों में यह जानकारी तो सामान्य व्यक्ति को नहीं है लेकिन कम से कम पुलिस और उनकी जानकारी है कि फर्जी नोट की क्या स्थिति होती है। इस बारे में यह जो हमारा एक सैल है वह निरन्तर लोगों को जानकारी और हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी जानकारी देते रहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि अभी चार महीने पहले चाकसू और कोटखावदा का फर्जी नोट का एक पूरा प्रकरण आपके सामने आया हुआ है। उसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या होता था कि दो लोग उत्तर प्रदेश से फर्जी नोट लाते थे और लाकर बैंक में जमा कराते थे, बैंक मैनेजर उनको जमा कर लेता था फर्जी नोटों को और दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने वहां खाता खोल रखा था उनको असली नोट दे देता था, आपके एक केस पकड़ में आ गया और एक लाख 63 हजार की कुछ राशि का उन्होंने इस तरीके से किया था, वह जो दोषी लोग थे जो उत्तर प्रदेश से नोट लाते थे उनको पकड़ लिया और उत्तर प्रदेश वालों को और यहां वालों को भी। लेकिन उस बैंक मैनेजर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जो 25 परसेंट पैसा मनी एक्सचेंज करता था, फर्जी नोट बैंक में जमा कर लेता था और फिर असली दे देता था और उन फर्जी नोटों को जो जमा करता था दूसरे बेचारे विदड्रा कराने आते थे उनको दे देता था इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय गृह मंत्रीजी से मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे बैंक के कर्मचारी जो मिलीभगत करते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करनी चाहिए और एक कानून कोई प्रभावी इस तरीके का बनाना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि पिछले 8-10-2004 को चाकसू थाने में इस प्रकार का एक प्रकरण दर्ज हुआ और उसमें 6 अभियुक्त नामजद हुए, यह केस अभी तो क्योंकि इसमें चालान नहीं हुआ, यह केस अभी भी सी.आई.डी. (सी.बी.) में है, इंवेस्टीगेशन में चल रहा है लेकिन जो 6 अभियुक्त हमने नामजद किये थे वह भी कोर्ट में जमानत हो गई और उसके कारण से लेकिन केस अभी इंवेस्टीगेशन में है। आपने जिस बात की ओर इंगित किया मैं इस बात के लिए प्रयास करूंगा कि उसमें उनका किस प्रकार का किस-किस व्यक्ति का इन्वाल्वमेंट था, वह इसमें अभियुक्त बने हैं कि नहीं बने, अगर नहीं बने हैं तो और उनका अगर दोष है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री खुशवीर सिंह।

श्री सांगसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, आपकी इजाजत हो तो मैं पूछूं ?

श्री अध्यक्ष : नो, मैंने नाम पुकार लिया। श्री खुशवीर सिंह।

राज्य में बाघों की घटती संख्या के कारण की समीक्षा हेतु गठित कूमट समिति

235. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रणथम्भौर एवं सरिस्का वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क में अनुसंधान अधिकारी की नियुक्ति की गई ? यदि हां, तो कब एवं आज तक उक्त अनुसंधान अधिकारी ने क्या अनुसंधान किया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2003 में सरिस्का में बाघों की गणना में 25 बाघ एवं वर्ष 2004 में 15 बाघ पाये गये ? यदि हां, तो बाघों की कमी के क्या कारण रहे ? सरकार द्वारा इस बाबत क्या समीक्षा की गई व इस सन्दर्भ में सरकार को क्या रिपोर्ट व सुझाव प्रस्तुत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कूमट कमेटी का गठन किया गया था ? यदि हां, तो उसके उद्देश्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की है ? यादे हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) रिपोर्ट के सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे) : (1) जी हां। रणथम्भौर में दो अनुसंधान अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। यहां एक पद वर्ष 1977 से एवं दूसरा पद वर्ष 1990 से स्वीकृत है। सरिस्का में अनुसंधान अधिकारी का एक पद वर्ष 1979 से स्वीकृत है। रणथम्भौर एवं सरिस्का में अनुसंधान अधिकारी के पद पर अलग से विशेषज्ञों की नियुक्ति न होकर सहायक वन संरक्षकों को ही पदस्थापित किये जाने के कारण इनके द्वारा सहायक वन संरक्षकों के दायित्व के निर्वहन के अतिरिक्त अनुसंधान कार्य भी किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) वन्य जीव गणना, 2003 के अनुसार बाघ परियोजना सरिस्का में बाघों की संख्या 25-28 आंकी गई थी। बाघ परियोजना सरिस्का में वन्य जीव गण्ना, 2004 के अनुसार बाघों की अनुमानित संख्या 16 से 18 आंकी गई है। अक्टूबर, नवम्बर, 2004 तक बाघों की साईटिंग तथा पदचिन्ह प्राप्त नहीं होने के कारण 1 से 15 फरवरी, 2005 के दौरान सघन टैकिंग का कार्य करवाया गया तथा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। तत्पश्चात् यह पाया गया कि वर्ष, 2004 की गणना में

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

बाघों की संख्या में कमी के निम्न कारण हो सकते हैं-

1- वर्ष 2002 से 2004 तक कुछ बाघों के शिकार होने के संकेत मिले हैं।

2- वर्ष 2002, 2003 एवं 2004 की गणना रिपोर्टस में पग मार्क द्वारा गिनती, प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा गिनती व अब तक पकड़े गये शिकारियों के बयान से विरोधाभासी स्थिति सामने आने के कारण गत गणनाओं के आंकड़ों के विश्लेषण में त्रुटि की सम्भावना भी एक कारण हो सकता है।

बाघों की संख्या की वस्तुस्थिति राज्य सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट तथा एम्पावर्ड कमेटी की देखरेख में दिनांक 16 से 31 मई, 2005 की अवधि में कराई जाने वाली विशेष गणना की रिपोर्ट आने पर स्पष्ट होगी।

(3) जी हां। कूमट कमेटी के उद्देश्यों का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(4) जी हां। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(5) रिपोर्ट के सुझावों पर क्रियान्विति का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ड" अनुसार है।

(प्रति/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि अनुसंधान अधिकारी के स्थान पर सहायक वन संरक्षक को लगाया गया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अनुसंधान अधिकारी की क्या योग्यता निर्धारित की गई है ? क्या उक्त अधिकारी योग्यता रखता है ? अनुसंधान का कार्य गणना करना है तो गणना का क्या आधार है ? किस आधार पर वो गणना कर रहा है और क्या पूरे वर्ष गणना ही कर रहा है ? आपने इसमें बताया कि प्रोटोकाल कार्य, कोर्ट कैसेज, सीमांकन, सर्वे, तो ये भी क्या अनुसंधान का हिस्सा है ? रणथम्भौर में अनुसंधान विशेषज्ञ के पद के

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

विरुद्ध सहायक वन संरक्षक का पदस्थापन क्यों किया गया ? ऐसे गलत आदेश करने वाले अधिकारी के विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरिस्का में पदस्थापित अनुसंधान अधिकारी द्वारा विगत पांच वर्षों में निम्नानुसार कार्य किया गया है....

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : क्या योग्यता रखता है ? उसकी योग्यता का आधार क्या माना है ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : बाघ-बघेरा मूवमेंट की जानकारी रखने हेतु प्रतिदिन की जाने वाली ट्रेकिंग के कार्य की समीक्षा करना, बाघों के व्यवहार के तरीकों की जानकारी प्राप्त करना....

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, उसकी योग्यता क्या है ? उस अनुसंधान अधिकारी की क्वालिफिकेशन क्या है ? यह तो आपने कार्यसूची दी है। इसके ऊपर उसने क्या अमल किया, उसने अनुसंधान क्या किया है ? यह तो बिन्दु बताये हैं कि ये-ये कार्य हैं लेकिन किया क्या है उसकी रिपोर्ट आपने नहीं दी है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, इसमें अनुसंधान अधिकारी के स्थान पर ए.सी.एफ. की नियुक्ति इनके कार्यकाल में हुई थी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : कार्यकाल किसी का भी हो, गलत तो गलत ही है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : ए.सी.एफ. हैं और देहरादून के अन्दर से ट्रेनिंग प्राप्त करके आये हैं और ट्रेनिंगशुदा है। अनुसंधान के बारे में उन्होंने ट्रेनिंग ली है और उस ट्रेनिंग के आधार पर बाघ के बारे में जानकारी, बाघ के चाल-चलन के बारे में, बाघ के भ्रमण के बारे में....

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, आप गलत जवाब दे रहे हैं। उन्होंने क्या अनुसंधान किया है उसकी रिपोर्ट आपने नहीं दी है। आपने तो बिन्दु बताये हैं कि इन-इन बिन्दु पर कार्य होगा लेकिन उन्होंने किया क्या है उसकी रिपोर्ट आपने नहीं दी है। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। मात्र एक आई.एफ.एस. को एडजस्ट करने के लिए यह पद सृजित किया है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आप बतायें। विशेषज्ञ का मतलब क्या है ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : वन्य जीव-जन्तुओं के बारे में ट्रेकिंग की जाती है, समीक्षा की जाती है और उसकी हर गतिविधि पर जानकारी रखी जाती है और ये ट्रेनिंग देहरादून के द्वारा जिनको भी नियुक्ति दी गई हैं, ए.सी.एफ. हैं...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय देहरादून की बात कर रहे हैं, देहरादून तो हर फोरेस्टर जाकर आता है और उसके आगे लिख दिया जाता है डी.डी.आर., देहरादून रिटर्न। यह क्वालिफिकेशन है ? इसी को आप क्वालिफिकेशन मानेंगे तो फिर कैसे आपके बाघ और वन्य जीव बचेंगे। आज तो बाघ बचाने की बात है, कल खरगोश और तीतर बचाने की बात आयेगी। मंत्री महोदय, इसमें आप सुधार करें और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? ऐसे पद सृजित करके मात्र पद भरने की बात कर रहे हैं और उनको एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं वो आप बतायें। आप गलत जवाब नहीं दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, बोटनी और इकोलोजी के बारे में ये ट्रेनिंग देहरादून से प्राप्त करके आये हुए हैं। इनको राज्य सरकार के द्वारा ट्रेनिंग पर भेजा गया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : विशेषज्ञ से क्या तात्पर्य है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब है कि विशषज्ञ से आपका क्या तात्पर्य है। एक फोरेस्टर और गार्ड भी देहरादून जाकर के आता है, वो भी ट्रेनिंग लेकर आता है तो फिर अनुसंधान का क्या मतलब निकला ?

श्री हरिमोहन शर्मा : अनुसंधान अधिकारी की क्या योग्यता निर्धारित की है ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : जो एक्सपर्ट, अनुसंधान अधिकारी को जो जानकारी होती है उसी जानकारी के तहत ए.सी.एफ. को वहां ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्रीजी, यह जवाब सही नहीं है। अनुसंधान का तात्पर्य है और अनुसंधान अधिकारी की क्या क्वालिफिकेशन होती है ? आप देहरादून की बात कर रहे हैं, जाकर आता है तो फिर यह अनुसंधान शब्द क्यों लगवाया। हटवा दो आप अनुसंधान शब्द ही

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : जो अनुसंधान अधिकारी जो पात्रता रखते हैं, जो योग्यता रखते हैं उसी योग्यता के आधार पर ए.सी.एफ. को ट्रेनिंग में भेजा गया। वहां उन्होंने ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग के आधार पर....

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने ट्रेनिंग दी लेकिन आपने अनुसंधान क्या किया उसकी तो रिपार्ट दी ही नहीं, सिर्फ बिन्दु बताये हैं। आपने बाघ का शिकार माना है तो आपने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? इन अधिकारियों ने खुद ने माना है कि शिकार हुआ है तो कभी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई या क्या कार्यवाही की ? यह बताने की कृपा करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मंत्रीजी, आप तो मल्होत्राजी की जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दें ताकि सारी पोल खुल जाएगी आपके डिपार्टमेंट की। उसमें सब बताया है कि किस अधिकारी को क्या करना चाहिए, कैसे वन विभाग के अन्दर मचान बनाकर के शेरों का शिकार किया गया, यह भी उसमें बताया गया है तो आप उसकी रिपोर्ट कृपा करके सदन के पटल पर रख दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। वो बोल रहे हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : जिससे कि राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय लेवल पर जो राजस्थान का नाम बदनाम हुआ है उसको आगे तो बदनामी से रोका जा सके।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कुम्भट कमेटी का गठन हुआ उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार " : अब पुकार लो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। आपका नाम नहीं पुकारा मैंनें। प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं। मंत्री जी जवाब दें।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर से सम्बन्धित मामला है, रणथम्भौर बाघ परियोजना से सम्बन्धित मामला है। मंत्रीजी जवाब नहीं दें पायेंगे, आप मेरा सवाल जुड़वा दो तो दोनों साथ हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : आप तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ? (व्यंवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं दोनों का जवाब दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय बैदजी साहब ने जो प्रश्न रेज किया है, 19.3 को मैंने एडिश्नल पी.सी.सी.एफ. मल्होत्रा को सरिस्का और नेशनल पार्क में जो बाघों की कमी है, जो कमियां वहां अधिकारियों की, कर्मचारियों की हैं उनके बारे में उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया। उनकी रिपोर्ट कल मुझे प्राप्त हुई है और मैं आश्वासन देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बाघों का शिकार आज से नहीं हो रहा है, बाघों का शिकार मात्र राजस्थान में ही नहीं हो रहा है। बाघों का शिकार पूरे भारत वर्ष में चिन्ता का विषय है। भारतवर्ष में 27 अभयारण्य है और 27 अभयारण्यों में 534 बाघों के मारने की घटना है और जो माननीय सदस्य राजस्थान के बारे में चिन्ता कर रहें हैं, यह 1988 से लगातार यह

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

कार्यवाही हो रही है और माननीय सदस्य, अभी जब मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा तो आप उछल जाओगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : बिलकुल कराइये। मंत्री महोदय शौक से कराइये। मंत्री महोदय, आप जानकारी बताइये। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जानकारी कराइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब खडे होकर बोलेंगे तो किसका जवाब देंगे ? (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : से मंत्रीजी तो केवल मंत्र पढ़ रहे हैं, जवाब तो दे ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : एक-एक का जवाब दे देंगे। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : सरिस्का में बाघ नहीं बचे, रणथम्भौर में 2-5 हैं वो भी चले जाएंगे। (व्यवधान) करोड़ों रुपये की सहायता मिलती है उसको खा जाते हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, आपने अनुसंधान का जवाब नहीं दिया कि अनुसंधान क्या किया ? सिर्फ बिन्दु रख दिये आपने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो मेरी बिना इजाजत के बोलते हैं उनका जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, बाघों के शिकार के बारे में जो आज पूरा राजस्थान चिंतित है, पूरा प्रदेश चिंतित है, अध्यक्ष महोदय, विश्व का माना हुआ तस्कर संसारचन्द और संसारचन्द जिस पर 40 हजार बाघों को, बघेरों को मारने का आरोप है और उसकी धर्मपत्नी रानी निहारा है वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अनुसूचित जाति की महामंत्री है।

श्री हरिमोहन शर्मा : जवाब दूसरी जगह ले जा रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : वो इस प्रकरण में अरेस्टेड हैं। दिल्ली प्रदेश कमेटी, महामंत्री कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग, कार्यालय 1155, गली न. 11 सदर बाजार दिल्ली है, यह है। उसने अपने स्वयं के बयानों में...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : गलत है। मंत्री महोदय, आप भ्रमित कर रहे हैं।

श्री सांगसिंह भाटी : .....बाघों के हत्यारे तो आप हैं। (व्यवधान) बाघों को मारने वाले तो आप हैं। आपकी हकीकत सामने आ गई। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, आप भ्रमित कर रहे हैं, आप गलत जवाब दे रहे हैं, गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यह क्या प्रश्न का जवाब दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : आप तो उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह बताइये। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : सब बराबर के दोषी हैं। अगर वो अपराधी है तो आप उसको सजा दीजिए यह अलग बात है परन्तु यह बात कह कर इस बात को डायल्यूट नहीं किया जाए। आप तो यह बता दो कि कौन-कौन अधिकारी मिले हुए हैं। (व्यवधान) उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हो ? सवाई माधोपुर में बाघ नहीं रहे हैं, सरिस्का खाली हो गया, इतनी सहायता मिलने के बावजूद रणथम्भौर में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने जिनको अनुमति नहीं दी है उनके प्रश्न का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : आपके बस की बात नहीं है, बैठ जाइये आप। किशनपोलजी महाराज, आप बैठ जाओ। किशनपोलजी महाराज, आप बैठ जाओ।

श्री अध्यक्ष : हर प्रश्न का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मंत्रीजी, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : ये टाइगरों का मामला है, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरा निवेदन है आपसे अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों के कार्यकाल में यह....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रामप्रताप कासनिया : प्रश्न संख्या 229.

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री बाबूलाल नागर एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग पूरा नहीं करने के सम्बन्ध में।

(2) डा. चन्द्रशेखर बैद एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से वन भूमि पर अवैधानिक तरीके से बढ़ते निर्माण से वन्य जीव एवं पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव शिक्षा, वन एवं पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित हैं। शिक्षा, वन एवं पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर सदन में विस्तृत चर्चा होगी। माननीय सदस्यों को भी विस्तृत चर्चा में भाग लेने का पर्याप्त अवसर मिलेगा, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं. (व्यवधान) कोई आवश्यक नहीं है कि जब सामने मांग आ रही है। तब आपको विस्तृत रूप से मौका मिलेगा। कोई आवश्यक नहीं है कि मौका दिया जाये इस समय।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री हरिमोहन शर्मा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में सरसों की खरीद में हुई कथित अनियमितता एवं क्रय सैण्टरों का अभाव होने के स्म्बन्ध में।

प्रस्ताव का विषय ऐसा तो नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। लेकिन चूंकि इस मांग पर चर्चा नहीं होगी, को-आपरेटिव पर चर्चा नहीं होगी इसलिए माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा को तीन मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : हां लेकिन मुझे बोलना तो पड़ेगा ना, पढ़ा हुआ तो मान लूं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री नन्दलाल पुनिया सदस्य की ओर से जिला चूरू की तहसील राजगढ़ में ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(2) श्री पुष्पेन्द्र सिंह सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के टाडा/माडा चयनित क्षेत्र खेतरली में जनजाति बालिका छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री नाथूराम अहारी सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर में अकाल राहत कार्यों में पर्याप्त मजदूर लगाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामचन्द्र जारोड़ा, सदस्य की ओर से बछड़ों को राज्य से बाहर ले जाने पर लगी रोक से किसानों को हो रही आर्थिक हानि के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर-सीकर नेशनल हाईवे को फोर-वे रोड़ बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य की ओर से जिला दौसा की ग्राम पंचायत भाण्डारेज में पेयजल का भयंकर संकट होने के सम्बन्ध में।

(7) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से तहसील चिड़ाव के ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(8) श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से कृषि उपज मण्डियों से आय व उसे खर्च करने का अधिकार सम्बन्धित जिला परिषद के अधीनस्थ करने के सम्बन्ध में।

(9) डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से अजमेर जिले में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को समय के अभाव के कारण पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आज चार पर्चियां प्राप्त हुई हैं। मैं नाम पुकार रही हूं पहले। राव राजेन्द्र सिंह। यद्यपि कल वे बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं कल और बजट पर बोलने का पूरा मौका था। आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सुविधा केन्द्रों के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं। कल आप बोल सकते थे। कृपया दो-तीन मिनट में ही अपनी बात कोई यदि हो, कुछ और कहना चाहते हों तो दो-तीन मिनट में अपनी बात कहेंगे।

स्थगन-प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति/जनजाति के सम्बन्ध में आपने समय नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हरिमोहनजी, हां, पहले हरिमोहन जी को बुलाया जाएगा। श्री हरिमोहनजी बोलेंगे। (व्यवधान)

शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा नहीं भरा जाना

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों की भर्ती के बारे में समय ही नहीं दिया है। आप इनके बारे में थोड़ा अवसर दो, बोलने तो दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत बड़ा मुद्दा है। 38,000 की वेकेंसीज में अनुसूचित जाति-जनजाति का बैकलाग पूरा ही नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण मीणा : राजस्थान में अनुसूचित जाति-जनजाति के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, न सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, इसी हाउस में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि अनुसूचित जाति-जनजाति के सम्पूर्ण बैंकलाग को शामिल करते हुए....

श्री हरिमोहन शर्मा : कैसे बोलूंगा मैं।

श्री सुरेश मीणा : यह बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है हमारे साथ।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, 33936 अध्यापकों की भर्ती की गई है। अनुसूचित जाति-जनजाति का 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत आरक्षण बनता है, वह भी अध्यक्ष महोदय, इसी शिक्षा विभाग और आर.पी.एस.सी. द्वारा जो भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसमें उसकी पूर्ति नहीं की गई है...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो, अंकित नहीं किया जाये।

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। शिक्षा की जब मांग आएगी....अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री अध्यक्ष : आप सदन का समय यूं ही खराब कर रहे हो।

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : x x x

श्री अध्यक्ष : शिक्षा की मांग के समय जब मांग आएगी, उसमें अनुसूचित जाति-जनजाति के बारे में बोलने का आपको पूरा समय है। आप अपनी बात बोलिएगा।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : x x x

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष। (व्यवधान) आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। (व्यवधान) मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कल आपको कहा गया कि आसन जब पांवों पर हो, बिना अनुमति के आप नहीं बोलें। आसन पांव पर हो तो बैठ जायें। आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप लोगों पर कोई असर ही नहीं होता है इस बात का। जब मैंने कह दिया कि शिक्षा की मांग के ऊपर आपको पूरा अवसर मिलेगा। बैकलाग के बारे में बात करने का और मंत्रीजी जवाब देंगे उसका, उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जाएगा कि इस बात का जवाब दें... बीच में नहीं, बीच में नहीं, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : x x x

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण कर लें। कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, क्या मैं नाम से पुकारूं आपको ? क्या मैं नाम से पुकारूं आपको ? (व्यवधान)

अब मैं नाम से पुकराना शुरू करूंगी। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष। (व्यवधान) मैं नाम से पुकारूंगी। आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा : xxx

श्री सुरेश मीणा : xxx

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : मैंने माइक बन्द नहीं किया। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए एस.सी, एस.टी. का बैकलाग काफी मतलब रह गया है, पहले शुरू-शुरू में इनको नियुक्तियां नहीं दी गई थीं, पूरा सदन यह जानना चाहता है, मुझे कल अनेक पक्ष और विपक्ष के लोग मिले थे और कहा था कि हम कुछ कारणों से अपनी बात उठा नहीं सकते। इसलिए इसके ऊपर आप चर्चा का समय निश्चित कर दें या मंत्रीजी वक्तव्य दे दें कि बैकलाग की क्या स्थिति है एस.सी., एस.टी. की। हजारों नियुक्तियां हो जाय और एस.सी., एस.टी. के लोगों को नियुक्ति नहीं मिले तो इससे निश्चित रूप से लोग परेशान होते हैं। तो आप मेहरबानी करके सत्ता पक्ष को यह कहें कि इसके बारे में एक स्टेटमेंट दें, आपकी क्या पालिसी है बैकलाग को दूर करने के लिए और समय निश्चित करके इस पर चर्चा करवा दें।

श्री अध्यक्ष : आसन की व्यवस्था...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन की व्यवस्था हो चुकी थी इसलिए नेता प्रतिपक्ष, अब आठ तारीख को शिक्षा के सम्बन्ध में मांग रखी जायेगी....

श्री मुरारी लाल मीणा : xxx

श्री अध्यक्ष : सात दिन में ही। (व्यवधान) सात दिन में ही हो जायेगी।

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री मुरारी लाल मीणा : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : xxx

श्री मुरारी लाल मीणा : xxx

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री अध्यक्ष : आप बात तो नहीं सुनना चाहते। आप आसन की बात सुनना नहीं चाहते।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री मुरारी लाल मीणा : xxx

श्री अशोक (खण्डार) : x x x (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री रघुवीर सिंह मीणा : x x x

श्री रामनारायण मीणा : x x x

श्री अशोक (खण्डार) : x x x

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें। पहले स्थान ग्रहण करें आप। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री अध्यक्ष : खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, तीखे तेवर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। मैंने कहा स्थान ग्रहण करें। मैं कह रही हूं स्थान ग्रहण करें।

श्री अशोक (खण्डार) : x x x

श्री अध्यक्ष : मैं कह रही हूं स्थान ग्रहण करिये आप पहले। आप पहले स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी, सात दिन का इंतजार नहीं करना चाहते, आप उस बारे में कुछ कह दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो मैं अभी पूरी बात कह दूं और आप (व्यवधान) सुन तो लो भाई।

श्री अध्यक्ष : आप इतना उत्तेजित होकर बीच में क्यों बोलते हो, उन्हें कहने दीजिये बात अपनी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप चाहें तो आज तो माननीय मुख्य मंत्रीजी का जवाब है, चार तारीख को मैं पूरा स्टेटमेंट दे दूंगा जिसके अन्तर्गत कितनी संख्या है....(व्यवधान)

श्री निर्भय लाल : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बात तो सुनिये, मेरी पूरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : क्या बात करते हो आप। ऊट-पटांग बात करते हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और वैसे आज कहना चाहे तो मैं आज पूरा स्टेटमेंट दे देता हूं। सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, अभी दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है बजट के सामान्य वाद-विवाद पर लोग बोलना भी चाहेंगे....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसमें कम से कम आधा-पौन घंटा लगेगा, चार तारीख को मैं यह भी बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : और मुख्य मंत्रीजी का उत्तर भी है, संक्षिप्त में दे दें आप, संक्षिप्त में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी बता देता हूं। (व्यवधान) मोटे तौर पर.....

श्री अध्यक्ष : अब यह नहीं मान रहे तो क्या करें। (व्यवधान) बीच-बीच में खड़े होने की....(व्यवधान)

श्री निर्भय लाल : x x x

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक बार जो मैं कह चुका...

श्री अध्यक्ष : जब मंत्रीजी खड़े हैं, जब मंत्रीजी खड़े हैं तो आप बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं। वह जवाब दे रहे हैं, आप खड़े हो जाते हैं। कृपया उप नेता महोदय, उप नेता महोदय, कृपया विराजें, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण मीणा : x x x

श्री अध्यक्ष : आप उप नेता हो, आप उपनेता हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री अध्यक्ष : आप प्रतिपक्ष के उप नेता हो।

श्री रामनारायण मीणा : x x x

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लक्ष्मीनारायणजी, विराजो न। बैठिये। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक लाख तरेसठ हजार में शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब, सारे का सारा बैकलाग पूरा कर दिया, एक भी बाकी नहीं है और मैं अब भी वार्ता के लिए तैयार हूं, नियुक्ति हो रही है, जब भी कोई भी सदस्य मुझे बता दे कि बाकी है तो मैं पूरा कर दूंगा, इसी आठ तारीख के पहले-पहले पूरा बैकलाग, एक बात।

श्री निर्भय लाल : x x x

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बता रहा हूं। हां, मीणाजी, सुनो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में खड़े नहीं हों आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सुनिये, वह भी बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जब यह हुआ कि आज तक राजस्थान में नियुक्ति नहीं हुई, बैकलाग रखा गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दिस इज द वे, इट शुड बी, इतना बड़ा काम राजस्थान सरकार ने किया है और मैं यहां दावे से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि राजस्थान में एस.टी. का, एस.सी. का आज के दिन में तृतीय श्रेणी अध्यापकों में कोई भी बैकलाग नहीं है, पूरा करने वाला पहला स्टेट राजस्थान है। एक। सवाल एक है सिर्फ कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया चालू है, वह प्रक्रिया मेरिट के हिसाब से है लेकिन कल रात को जो छह हजार की संख्या निकली है उनमें अधिकांशतः ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी., के लोग हैं, एक, यह भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जनरल जो.....(व्यवधान) सुनें, पूरी बात सुन लें, ऐसे क्या है। (व्यवधान) यह नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा फिर।

श्री मुरारी लाल मीणा : x x x

श्री अध्यक्ष : फिर आप लोग बीच में खड़े हो गये।

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पूरा बता रहा हूं। (व्यवधान) बता रहा हूं, आप बैठें। हर जिले में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, यह नहीं सुनना चाहते, आप बैठें। आप सुनना नहीं चाहते, बीच में खड़े हो जाते हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसा नहीं है। हर एक जिले की एस.सी. की, एस.टी. की, ओ.बी.सी. की, महिला की, विकलांग की, हर जिले का अलग-अलग कोटा निकाला गया है इसलिए किसी भी जिले में पूरा कोटा एक लिस्ट से नहीं भरा जायेगा, वह सभी लिस्टों से भरा जायेगा क्योंकि जिलों की वेकेंसियां अलग-अलग हैं। इसलिए मैं एक आपको संख्या बता दूं, 1 लाख 62 हजार 295 कुल तृतीय श्रेणी के अध्यापक राजस्थान में थे, इनमें से एस.सी. के 16 प्रतिशत के हिसाब से होने चाहिए 25 हजार 967 और इसमें 25 हजार 967 से थोड़े ज्यादा थे, इसका कारण यह है कि जो जनजाति उप क्षेत्र है उसमें शिड्यूल कास्ट के 16 प्रतिशत नहीं है, वहां पांच प्रतिशत ही है, इस कारण से वह संख्या में थोड़ी कमी आती है। दो। एस.टी. के कुल 1 लाख 62 हजार 295 में 19 हजार 475 थे, इस प्रकार से होने चाहिए थे 19 हजार 475, थे 14 हजार 127 । कुल 5348 का बैकलाग होता है और 5348 का बैकलाग एस.टी. में भर दिया गया है। इसलिए एस.टी. का 20 प्रतिशत तक आ गया है और इस प्रकार राजस्थान में अब एक भी बैकलाग नहीं है, फर्स्ट स्टेट इन इण्डिया, जिसने तृतीय श्रेणी में पूरे का पूरा बैकलाग एस.सी., एस.टी. का पूरा कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, और मैं आपको यह भी कहूंगा कि आप चिंता मत करें, जब तक 33 हजार 937 की पूरी नियुक्ति नहीं हो जायेगी, तक तक नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं रुकेगी और राजस्थान में एक ऐतिहासिक क्षण होगा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जब हम 38 हजार लोगों को एक साथ एक शिक्षा सत्र में नौकरी देकर उनका काम पूरा कर पायेंगे। यह ऐतिहासिक काम है, मैं चाहूंगा कि आप मुझे धन्यवाद दें। अगर आपकी कमी है तो मेरे से बात कर लें, मुझे समझा दें, मैं उस बैकलाग को इसी सदन में पूरा करूंगा, हम प्रतिबद्ध हैं बैकलाग पूरा करने के लिए, और यह हमने किया है और हम करेंगे अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद।

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री अध्यक्ष : कुछ नहीं। नो-नो, आई वुड नोट अलाउ। नो सिट डाउन प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : नहीं। नो-नो। मेरी कोई इजाजत नहीं है। आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें पहले।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : अब बैठिये आप। मिस्टर जारोड़ा। मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य कृपया मुझे सुनिये पहले।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है। सब बैठ जाएं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : xxx

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मेडता से आने वाले माननीय सदस्य आप भी स्थान ग्रहण करें। देखिये व्यवस्था दी जा चुकी थी, आपकी उत्तेजना को देखते हुए मैंने शिक्षा मंत्रीजी को कहा। यद्यपि वो 8 तारीख को देते 4 के लिए भी तैयार थे। अब इसके ऊपर

(श्री अध्यक्ष)

कोई बहस नहीं होगी और कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। उन्होंने कह दी सारी बातें।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : नो सारी बात उन्होंने कह दी। आप उनसे चैम्बर में मिलिये और आपको कोई शिकायत हो तो उनसे कहें।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जब सब कह दिया।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री अध्यक्ष : ....(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपके उपनेता क्या कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता मैं आपको कह रही हूं। मैं आपसे निवदेन कर रही हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : आप किसकी अनुमति से बोल रहे हो, दूदू से आने वाले माननीय सदस्य किसकी अनुमति से, मैंने कोई अनुमति नहीं दी है और अंकित भी नहीं हो रहा है। आप यों ही बोल रहे हो। अंकित भी नहीं हो रहा है। आप यों ही बोल रहे हो अंकित तो हो नहीं रहा है।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री अध्यक्ष : मैंने अनुमति नहीं दी है, खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री अध्यक्ष : यह चैप्टर बन्द हो गया है, वो कोई जवाब नहीं देंगे अब। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : मेरी कोई अनुमति नहीं है। मेरी कोई अनुमति नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : मैंने श्री हरिमोहन शर्मा का नाम पुकारा है संयम लोढ़ा का नहीं। मैंने श्री हरिमोहन शर्मा का नाम पुकारा है, संयम लोढ़ा का नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : देखिये आप अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप मर्यादा और सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, कैसे बोलने दीजियेगा ? सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य आपको किसी के खिलाफ कुछ कहना है तो आप नियमों में आइये। मैं आपको अनुमति दूंगी लेकिन यह

(श्री अध्यक्ष)

तरीका गलत है और जब चाहे खड़े हो जाएं, चाहे जो कुछ कहने लग जाएं यह बात ठीक नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है लेकिन। आसन पांवों पर है।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रामनारायणजी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी माननीय सदस्य के बारे में यदि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के बारे में इस प्रकार की शिकायत है तो वो नोटिस दे दें।

श्री अध्यक्ष : हां दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक नोटिस दे दें। नोटिस के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा करा दें लेकिन किसी का चरित्र हनन बिना नाम के भी सब का होता है।

श्री अध्यक्ष : बिना नाम के बहुत गलत बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिना नाम के और भी गलत है।

श्री अध्यक्ष : बिना नाम के कोई मतलब नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, वो भी अंकित नहीं होगा।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, अखबार के आधार के ऊपर किसी मुद्दे को यहां नहीं उठाया जा सकता। जब तक कि स्पष्ट कोई जानकारी नहीं हो स्पष्ट जानकारी के आधार पर आप उठा सकते हो।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री ओम बिरला : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री कैलाश त्रिवेदी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री कैलाश त्रिवेदी : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण आप खड़े-खड़े क्या कर रहे हैं। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य जब आपको बता दिया कि नियमों में प्रिविलेज मोशन लाकर आप आइए फिर क्या दिक्कत आ रही है।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : आप कहां से कहां चले गये। आप क्या कहते-कहते क्या कहने लग जाते हो।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : आपने चर्चा का नोटिस दिया....

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : आपको जवाब देती हूं आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आपने जो मुझे 127 का नोटिस दिया था उसके बारे में आपने मुझसे आकर बात की कि उस नोटिस का क्या हुआ। आप मुझे पूछते, उसके लिये ताकीद करते कि उसे रखो। मैं मंत्रीजी का जवाब लेती कि क्या बात है ? उन्होंने कब कहा, कैसे कहा, किस रेफरेंस में कहा, वह तो आपने कभी कहा नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर। आपने मुद्दा उठाया और उसे ले गये मंत्रीजी पर। पहले उठाया और उठाकर बीच में कुछ कहने लग जाते हो आप, समझ में नहीं आती आपकी बात। आप 127 पर अपनी बात कहिए। उसके बारे में देखूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने बीच में और बात उठा दी। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपने 4 तारीख को व्यवस्था दी थी। ओलावृष्टि पर आपने स्वयं ने आसन से कहा था कि महत्वपूर्ण मुद्दा है सरकार इस पर वक्तव्य दें। हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर समय तय कर दीजिए कि ओलावृष्टि के ऊपर सरकार कब वक्तव्य देगी। आसन से आपने स्वयं ने 4 तारीख को यह व्यवस्था दी कि आप स्वयं चाहेंगे कि सरकार इस पर वक्तव्य दे तो समय निर्धारित करवा दीजिए।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, चिड़ावा में घड़साना की तरह आपको मालूम है कि भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं और मैं बताना चाहूंगा कि

(श्री श्रवण कुमार)

अगर आपने ओलावृष्टि पर ध्यान नहीं दिया तो चिडावा में घडसाना का रूप धारण होगा। 5 तारीख को बहुत बड़ी मीटिंग है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर लोगों की 5-5 सौ मण अनाज की जो खतियां थी वह एकदम बरबाद हो गई। माननीय मंत्रीजी जाकर भी आये हैं, देखकर भी आये हैं स्थिति क्या है। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो मैं बताना चाहता हूं कि स्थिति खराब होने वाली है क्योंकि समय रहते तो आप ध्यान देते नहीं हो और उसके बाद कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद पूरी सरकार दौड़ती है। घड़साना में भी यही हुआ। आप खुद जाकर आये हो, देखकर आये हो।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सुन ली। ओलावृष्टि के समबन्ध में माननीय मंत्रीजी आप कितने बजे जवाब देना चाहेंगे। ऐसा सामान्य वाद विवाद पर भी लोग बोलना चाहते हैं। आप तैयार हैं क्या जवाब देने के लिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : मैं अभी तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : सोमवार को दीजिए। सोमवार को कितने बजे देंगे, बिलकुल जीरो ओवर के बाद।

राज्य में सरसों की खरीद में हुई कथित अनियमितता

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस वर्ष 26 लाख 14 हजार हैक्टेयर सरसों की फसल बोई थी और कृषि विभाग के अनुमानों के अनुसार करीब 35 लाख टन सरसों का उत्पादन होने की कल्पना कृषि विभाग ने की थी। आज तक पूरे राजस्थान में केवल 2 लाख टन सरसों की खरीद हुई। 35 लाख का उत्पादन की कल्पना करके केवल मात्र 2 लाख टन सरसों की खरीद करना, राजस्थान के सहकारिता विभाग या कृषि विभाग या तिलम संघ द्वारा खरीदना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। कुल 258 इनके केन्द्र हैं और इन केन्द्रों की यह हालत है कि *7-7* दिन तक किसानों को

(श्री हरिमोहन शर्मा)

पड़ाव डालना पड़ता है, पुलिस के पहरे लगाये जाते हैं, किसानों को कृषि मण्डी में जाने नहीं दिया जाता और देई, बून्दी यहां की मण्डियों को तो 7-7 दिन तक बन्द कर रखा है कि कोई भी किसान अपनी सरसों लेकर उस मण्डी यार्ड में नहीं घुस सकता। 10-10 दिनों तक किसान मण्डियों में पड़े रहते हैं और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग के द्वारा जो क्रय करने का तरीका निर्धारित किया गया है, वह तरीका इतना दूषित है कि वह भ्रष्टाचार से मुक्त हो ही नहीं सकता। 8 प्रतिशत मोइश्चर नापने का इन्होंने तय किया है। जो वहां पर कृषि उपज खरीदने वाले हैं वह लोग, वह सरकारी कर्मचारी वह ऐसे मिले हुए हैं, उन व्यापारियों से, कि वह वहां पर जिस किसान की सरसों नहीं लेना चाहते अपनी जबान पर अपने मुंह में दो दाने खाये और वह वहीं बोल देता है तेरे इसमें 8 प्रतिशत से ज्यादा माइश्चर है। न नापने का उनके पास यन्त्र है और न कोई उनके पास ऐसे साधन हैं कि जिससे तत्काल यह फैसला किया जा सके कि 8 प्रतिशत का माइश्चर इसमें है। मनमाने ढंग से जो किसान उनको 200-500 रूपये दे दे, ट्रोली के हिसाब से दे दें उसकी तो वह पास करते हैं और उसके बाद किसान को मजबूर होकर उन व्यापारियों को बेचना पड़ता है और कुछ व्यापारियों की सैटिंग कुछ ऐसे लोगों से है, कुछ ऐसे सरकारी अधिकारियों से है और कुछ ऐसे जनप्रतिनिधियों से भी हे जिनका उनको संरक्षण प्राप्त है। वह व्यापारी उसी मण्डी के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं और 1200-1300 रूपये क्विंटल के हिसाब से वह सरसों खरीद कर उसी पूरी सरसों को योजनाबद्ध ढंग से खरीदने वाले जो अधिकारी हैं उनसे मिलीभगत कर के उनको हजारों रूपये ऊपर के ऊपर देकर जितनी भी किसान की फसल है उसको व्यापारी खरीद कर चुपचाप और मनमाने ढंग से क्रय करने वाले अधिकारियों से मिलकर उस सारी की सारी सरसों को राजफैड और तिलम संघ के माध्यम से बेच देते हैं। लाखों रूपये का नुकसान, जो इन्होंने वादा किया था कि 1700 रूपये क्विंटल के हिसाब से जो इनकी मिनिमम पर्चेज प्राइज है, वह किसान को आज की तारीख में नहीं मिल रही है। आप किसी भी मण्डी में चले जाइए और मेरी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

बात की पुष्टि भ्रष्टाचार विभाग ने की है। भ्रष्टाचार विभाग ने जहां पर भी छापे मारे वहां पर अधिकारियों को पकड़ा गया है, वहां रिश्वत ली गई है। उनके जो भी रिकार्ड थे उनको जब्त किया गया है लेकिन आज भी किसान उस फसल के लिये तरस रहा है। जगह-जगह आन्दोलन हो रहे हैं। बून्दी बन्द, देई बन्द, हिण्डौली बन्द। पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक-एक क्रय केन्द्र हैं। 60, 70 और 100 किलोमीटर की जिसकी दूरी है उसको उस क्रय केन्द्र पर आना पड़ता है और उस क्रय केन्द्र की हालत यह है कि न तो यह क्रय केन्द्र बढ़ा रहे हैं, न यह भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, बल्कि व्यापारियों से मिलकर किसानों के साथ उनको नुकसान पहुंचाने की साजिश करके व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से न क्रय केन्द्र बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन सरकारी कर्मचारियों ने मनमाने ढंग से अपने-अपने तरीके से किसानों को परेशान करके बरबाद कर दिया है। 34 लाख टन में से 2 लाख टन की खरीद होना अभी तो इनके आंकड़ों के हिसाब से भी 32 लाख टन उपज बाहर है। जब 2 लाख टन यह एक महीने में खरीद पाये हैं तो किस प्रकार से यह 34 लाख टन और 32 लाख टन को यह खरीद पायेंगे। किसान बरबादी के कगार पर है, किसान लुट रहा है, किसान परेशान है। 7-7 दिन तक वह ट्रोलियां मंडी में पडी रहती हैं, व्यापारियों की तुल जाती है और उन किसानों को रात दिन इस समय भी वहां पडे रहना पड़ता है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप सरकार से कहें कि वह क्रय केन्द्र बढ़ायें, भ्रष्टाचार को रोकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी, आप बात नहीं सुन रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हो।

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन के पटल पर राज्य सरकार पर जो गम्भीर आरोप लग रहे हैं उसमें केन्द्र

(श्री ओम बिरला)

सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। बारदाने की व्यवस्था करना केन्द्र सरकार का काम है। क्रय केन्द्र खोलने की परमिशन ...(व्यवधान) गलत तरीके का आरोप लगा रहे हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप कैसे बोल रहे है, यह नहीं बोल सकते।

श्री ओम बिरला : गलत तरीके का आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप कैसे बोल रहे हैं मैं तो नहीं बोला था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं तो उस बात को नहीं बोल रहा था लेकिन मैं अब डंके की चोट कहता हूं, कोटा में जो व्यापारी ख़रीदकर बेच रहा है उनको इन लोगों का संरक्षण प्राप्त है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सदन के पटल पर यह साबित कर दें हमने व्यापारियों को संरक्षण दिया है तो हम इस्तीफा....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : इनसे मिली हुई है, यह मिलकर व्यापारियों को .....(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : हम सदन की पटल पर इस्तीफा....(व्यवधान) माननीय सदस्य गलत तरीके से आरोप लगाते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : इनके जो दलाल हैं, इनके जो व्यापारी हैं वह मिले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : मैं खुद मण्डी के अन्दर दौरा करने गया था मैंने खुद......(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : सारा का सारा पैसा....(व्यवधान) राजफैड के माध्यम से तिलम संघ के माध्यम से, यह लोग उन व्यापारियों को प्रोत्साहित करते हैं और उन व्यापारियों को इन लोगों का पूरा का पूरा संरक्षण प्राप्त है। उनसे यह मिले हुए हैं और इसी कारण इनके कहने से उन व्यापारियों का माल यह राजफैड और तिलम संघ खरीद रहा है। इन लोगों की मिली भगत है। किसानों के हित की बात नहीं करते। न बोरियां है, न वहां पर खरीदने के लिए बोरियां हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला : बोरियां चाहिए तो दिल्ली की सरकार को.... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : वहां कोई बोरियां नहीं है। (व्यवधान) मैंने जो कहा है वह गम्भीरता से कहा है और एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से कहा है। उन व्यापारियों को आप लोगों का संरक्षण प्राप्त है और राजफैड, तिलम संघ से...

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप और यहां के मंत्री मिले हुए है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। बात हो गई अब आपकी, ठीक है।

श्री भरत सिंह (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, पाइंट आफ आर्डर नहीं होता जब यह शून्य काल होता है। शून्यकाल में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री भरत सिंह : आप मेरी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में बात होती है क्या आप बताइये ?

श्री भरत सिंह : नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर यदि एक सिस्टम हो जाएगा कि एक के बाद एक बोलते चले जाएंगे तो फिर पर्ची का महत्व ही नहीं रहेगा।

श्री भरत सिंह : एक मिनट मेरा निवेदन तो सुनिए, नहीं बोलूंगा, मैं बोलने का शौकिन नहीं हूं। मैंने एक हफ्ते पहले इसी विषय के ऊपर नियम के अनुसार 131 के अन्दर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था, आसन की व्यवस्था नहीं होने की वजह से हमारे जैसे लोग-बाग जो नियम का पालन करना चाहते हैं, हमें सोचना पड़ता है कि हम यह बात कहने के लिए अव्यवस्थित रूप से आवाज उठाने की आवश्यकता है क्या ? यह तो हमारा खुद का नियन्त्रण है कि हम नहीं बोल रहे। मैं नहीं बोलना चाहता आप अनुमति देंगी तो मैं बोलूंगा। एक हफ्ते पहले, एक बार नहीं 127 में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री भरत सिंह : नियम की पालना की तो धज्जियां उड़ा देते हैं। जो आदमी व्यवस्थित रूप से बोलना चाहता है उसको बोलने की आसन व्यवस्था नहीं करता। मैं नहीं बोलना चाहता, मैं बैठ रहा हूं। आप अनुमति देंगी तो अपनी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य, ऐसा है आपने 131 में सूचना दी थी, उसका फायदा यह होता है कि वह सरकार को भेजा जाता है और उसके बाद में सरकार उस बारे में वक्तव्य देती है। 28 तारीख को जैसे ही मैंने प्राप्त किया सरकार को भेज दिया था। आज उनको दुबारा अनुस्मरण करा देंगे उसका। उनका जवाब आने के बाद वक्तव्य दिलाया जाएगा उससे पहले नहीं।

श्री भरत सिंह : वह चर्चा हो गई है, बोल ही लिये बिना उसके,

श्री अध्यक्ष : देखिए, जो मुद्दे की बात है...

श्री भरत सिंह : मुद्दे के अलावा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरसों की खरीद के ऊपर....

श्री भरत सिंह : मैं दो शब्द के अलावा ज्यादा नहीं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कह दीजिए आप दो शब्द। दो सेन्टेन्स में आप भी कह दीजिए।

श्री भरत सिंह : मैं आपसे निवेदन यह-वह कर रहा हूं के कोटा की जो भामाशाह मण्डी है वह प्रदेश की सबसे बड़ी मण्डी है। सबसे ज्यादा सरसों वहीं आ रही है और आधे से अधिक मण्डी व्यापारियों के माध्यम से बिकी है क्योंकि व्यवस्था नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध के ऊपर हर स्तर पर प्रयास किया। कृषि मंत्रीजी से भी मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि आप सहकारिता मंत्रीजी से बात करो। सांगोद के अन्दर सप्ताह भर से 40 ट्रक माल आज की तारीख में, मैं परसों मण्डी में गया 40 ट्रक माल उठा नहीं है। काश्तकार. 50 ट्रेक्टर ट्राली बाहर खड़े हुए हैं अन्दर आने की इजाजत नहीं है। किराये के ट्रेक्टर हैं। किसान भूखे प्यासे पड़े हुए हैं।

मैं कृषि मंत्रीजी से मिला इन्होंने कहा कि आप सहकारिता मंत्रीजी से बात करें। मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं सांगोद जो सहकारिता मंत्रीजी का खुद का घर का क्षेत्र है। उनके 12 पंचायत वहां पर है उसकी व्यवस्था नहीं कर सकें। मैं तो इतना ही अनुरोध करता हूं कि प्रदेश की सबसे बड़ी मण्डी, कम से कम कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री वहां जाकर उस भामाशाह मण्डी का अवलोकन कर लें। इनके एक संसदीय सदस्य ने उस मण्डी का अवलोकन किया। उन्होंने जो बात कही, अखबारों में छपी या तो उसका खण्डन करें। इन्होंने कहा कि यहां तो सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। राजस्थान पत्रिका में प्रथम पृष्ठ पर, मैं तो आपसे यह अनुरोध करता हूं कि दोनों मंत्री मण्डी में जाकर हालात का अवलोकन करें। काश्तकारों का माल 24 घंटे में नहीं कम से कम 2 दिन में तो तुले। आठ दिन में तुला हुआ है यह काश्तकार... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : यह बयान हरिमोहनजी ने शायद नहीं पढ़ा। यह बयान हरिमोहनजी ने नहीं पढ़ा जैसा कह रहे थे हम व्यापारियों के हित की बात कर रहे हैं, यह बयान इन्होंने नहीं पढ़ा। माननीय सदस्य, आपकी आंखों में परिवर्तन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संसदीय सचिव जी आप बीच-बीच में क्यों खड़े होते हैं ?

श्री हरिमोहन शर्मा : बयान देने में आप माहिर हो।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों खड़े होते हो ?

श्री हरिमोहन शर्मा : आप बयान देने में माहिर हो लेकिन वास्तविकता वही है जो मैं कह रहा हूं कि व्यापारियों से मिले हुए हो, वास्तविकता यही है कि आप मिले हुए हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं तो उनको, गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य आप क्यों खड़े हो गए ? आपको संसदीय सचिव महोदय बीच में कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : गलत बात है, गलत बात है आपकी। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया और 12 तारीख को जब कृषि से सम्बन्धित मांग है उस समय....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह बोल रहे हैं ना।

श्री अध्यक्ष : बोल दिया ना और क्या, सारी बात तो कह दी अब क्या बोलेंगे ? राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : उप नेता महोदय यदि यह सिस्टम हो जाएगा कि पर्ची पर.....(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : मैं अनुरोध करूंगा कि आज शुक्रवार है शाम को मण्डी में जाना है और गांव में जाना है। हालात यह है कि देई में निकल नहीं सकते, खड़खड़ में जा नहीं सकते, बूंदी में रह नहीं सकते, इतने खराब हालात है। माननीय कृषि मंत्रीजी ने भी स्टेटमैंट दिया है कि बहुत गड़बड़ घोटाला है। ऐसा मसला....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। दस-दस दिन तक ट्रोलियां खड़ी हैं। यह इतना गम्भीर मामला है। किसानों का मामला, आप तो किसानों के लिए लड़ती रही हैं, वैल में जाती रही है। सरकार इस पर जवाब दें। मैं मिला हूं, मैं इनके अधिकारियों से मिला हूं। (व्यवधान) करवर तिलम् संघ ने प्रस्ताव पास किया है कि हम सरसों खरीदने को तैयार है। कहते हैं, साहब खरीदने वाले नहीं है। जो सोसायटी सक्षम है, खरीदने को तैयार है। कोटा से आने वाले संसदीय सचिव ने कहा है कि भारत सरकार बोरियां नहीं दे रही है। आज की तारीख में आपके पास बोरियां हैं। सहकारी समिति जो सक्षम है उससे आप खरीदवाने की बात नहीं करते। उठाने का सवाल है ट्रकों का। आप ट्रकों की यूनीयन से बात करें, ट्रान्सपोर्ट विभाग से बात करें। सरकार यदि उठा नहीं पा रही है, यह मसला किसी पार्टी का नहीं है। किसान 300 रुपये क्विण्टल, 2500-2700 में हमने सरसों बेची है आज 1300-1400 में व्यापारी खरीद रहा है। 1700 में सरकार खरीदे। मेरा आपसे एक लाइन में विनम्र निवेदन है इस पर सरकार का स्टेटमैंट दिलाएंगे तो अधिकारी कुछ चेतेंगे। किसान बरबाद हो रहा है। एक रुपये के लिए आज भी पैदल चलता है, दो-दो बीघा जमीन है। मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है किसानों की तरफ से, सदन की तरफ से मैं आपको अनुरोध करता हूं हम सब सदस्यों की भावना है, पार्टीबाजी का सवाल नहीं है। हम कल क्या जवाब देंगे किसान को। कृपया करके मंत्रीजी का जवाब दिलाएं। दोनों मंत्री यहां मौजूद हैं। मुख्य मंत्रीजी के बात करने का मामला है लेकिन दोनों मंत्री जवाब दें। कितना सुधार कर सकते हैं ? हालात खराब है, यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है और यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर कभी जवाब नहीं दिलाया जाता। क्षमा करेंगे मुझे आप। राव राजेन्द्र सिंहजी। आप तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। आपको समय मिल चुका है.....(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली) : मोहन मेघवाल की हत्या हुई है, मोहन मेघवाल की हत्या हुई है (व्यवधान) उसके घर वाले 23 दिन से एस.डी.एम. कार्यालय पर पड़े हुए हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री सुरेश मीणा : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री रमेश खींची : xxx

श्री सुरेश मीणा : xxx

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री सुरेश मीणा : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री अध्यक्ष : आप गृह मंत्रीजी से मिलियेगा। इस सम्बन्ध में उन्हें बताइये। वे कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) आप मिलिये इस सम्बन्ध में, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, गृह मंत्रीजी से मिलिये। (व्यवधान) आप नियमों में आते नहीं हैं, खड़े होकर के तस्वीर दिखाने लग जाते हैं। इससे थोड़े काम चलता है। नियमों में तो आते नहीं हो। राव राजेन्द्र सिंह।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री सुरेश मीणा : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, चूंकि दिन-दहाड़े हत्या हुई है एस.सी. के आदमी की और उसको, जिस तरीके से हत्या हुई है उसके बारे में गृह मंत्रीजी को तत्काल स्टेटमैंट देना चाहिए। कई दिनों से एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया हुआ है, अन्य तरीकों से मामला.....

श्री अध्यक्ष : कब दिया एडजोर्नमेन्ट मोशन ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : एडजोर्नमेन्ट मोशन नागर साहब ने दिया है। दिया हुआ है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : कानून व्यवस्था पर मैंने दिया हुआ है, कल।

श्री अध्यक्ष : कानून व्यवस्था पर दिया है ना।

डा. बुलाकीदास कल्ला : 4 दिन पहले दिया है, दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने 4 दिन पहले दिया है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : कल दिया है, यह कानून व्यवस्था से सम्बन्धित है ना। अध्यक्ष महोदय, यह कानून व्यवस्था से सम्बन्धित है।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : बाबूलाल नागर, सदस्य, दूदू ने दिया है, दिया है। स्थगन प्रस्ताव दिया है, सदस्य, दूदू ने।

श्री बृजकिशोर शर्मा : और मैंने कल दिया है इसका एडजोर्नमेन्ट मोशन।

श्री सुरेश मीणा : खुला छोड़ दिया उनको, डराया-धमकाया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है और पहले दिन ही दे दिया था तो मैं चाहता हूं उसके ऊपर गृह मंत्रीजी स्टेटमैंट दें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, जिस दिन इन्होंने नोटिस दिया था, शायद पर्ची के माध्यम से था, नहीं स्थगन प्रस्ताव था। उस समय मैंने कहा था गृह मंत्रीजी को कि मैं चाहूंगी कि आप इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें। लेकिन उसके बाद वैल में आ गया प्रतिपक्ष, हो-हल्ला करने लग गया और वह बात खतम हो गयी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो आज उठा दिया ना।

श्री अध्यक्ष : अब ऐसे कोई मतलब थोड़े होता है कि 3 दिन बाद आज उठा दिया। उस दिन तो हो-हल्ला कर दो, जब मैंने उन्हें कहा कि आप

(श्री अध्यक्ष)

वक्तव्य दें तब तो आपने वक्तव्य सुना नहीं, अब ठीक है व्यवस्था करेंगे कि कब देंगे, कब नहीं देंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा : लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैंने कल स्थगन प्रस्ताव कानून-व्यवस्था पर दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, गृह विभाग की डिमाण्ड, वह किस तारीख को है, वह मैं आपको बता देती हूं, आपको पूरा मौका मिलेगा।

श्री बृजकिशोर शर्मा : वह मुझे जानकारी है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह जो आप कानून व्यवस्था की बात कह रही हैं कि आप कानून से नहीं आये, आप व्यवस्थाओं के तरीके से नहीं आये, मैं कल व्यवस्थाओं के तरीके से आ चुका हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 15 अप्रैल को आप कहियेगा। अभी आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब दलित समाज के किसी आदमी की हत्या होती है तो गृह मंत्रीजी बहुत हल्के तरीके से लेते हैं। और यदि कोई उच्च जाति के लोगों की हत्या होती है तो उसको उच्च लेवल पर लेते हैं। यह सरासर अन्याय हमारे साथ क्यों हो, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी वक्तव्य देने को तैयार थे। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी उसी दिन वक्तव्य देने को तैयार थे। (व्यवधान) बीच में आप क्यों बोल रहे हैं। गृह मंत्रीजी तैयार थे। आप ही आकर वैल के अन्दर नारे लगाने लग गये, हो-हल्ला करने लग गये और वक्तव्य वे नहीं दे पाये। (व्यवधान) फिर आप दोष किसको दे रहे हैं, दोषी तो आप हैं। आपने वक्तव्य सुना नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उस दिन वक्तव्य तय नहीं था, तय नहीं था।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : सारा दोष अध्यक्ष महोदय, हमें दे दीजिए पर हमारी बात का, हमारे ऊपर न्याय दिलाने की कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य की बात थी। मैं कह रही हूं, आपको। नहीं, नहीं, प्रतिपक्ष के नेता, यह आप गलत बात कह रहे हैं। (व्यवधान) मैंने कहा था कि आप इस बारे में वक्तव्य दें और उन्होंने कहा था दूंगा। और तब आपने पूरा दिन ही हल्ले में खो दिया। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : एक दलित महिला से बलात्कार हो जाए रंजिश में, जोधपुर में, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। पूरा दलित समाज प्रदेश में भयभीत हो चुका है। आप कह रहे हैं समय नहीं दिया। (व्यवधान) या आप कह दें कि दलित यहां से, राजस्थान से बाहर चले जाएं।

श्री अध्यक्ष : अब बात खतम हुई, खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य। हर बात पर खड़े हो जाते हैं, आप। कभी किसी को इशारा करते हैं, कभी किसी को इशारा करते हैं। मैं टोलरेट नहीं करूंगी, बता रही हूं, मैं ज्यादा टोलरेट नहीं करूंगी।

राव राजेन्द्र सिंह, तीन मिनट का समय दूंगी, केवल, आपको।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने सुविधा केन्द्रों का उपयोग न होने से उत्पन्न स्थिति

श्री राव राजेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जनसंख्या के लिये रोजगार उत्पन्न करना सुगम करने के लक्ष्य से और गांवों की नियोजित वृद्धि को और ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि करने के लिये 15 जिलों को कुछ समय पहले आज से कम से कम 5 या 7 साल पहले निश्चित किया था जिसमें 27 ऐसे सुविधा केन्द्रों को खोलने का निश्चय किया गया था कि इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर 27 सुविधा केन्द्र खोले जाएंगे। इन 27 सुविधा केन्द्रों में से प्रथम चरण में 7 सुविधा केन्द्र खुले जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

8, 11 और 12 पर थे। इसमें राजस्थान सड़क विकास और निर्माण निगम ने तकनीकी सहायता दी और 3 करोड़ 19 लाख के व्यय से ये सुविधा केन्द्र स्थापित किये गये। इनकी स्थापना करने के बाद में 1997-98 में ये तैयार हो गये। उसके बाद जब इनको देखा गया कि इन सुविधा केन्द्रों का किस तरीके से उपयोग किया जाए, क्योंकि पहले कोई निश्चित योजना नहीं थी, उनका उपयोग नहीं हो रहा था इसलिये इनको बेचने के लिये ग्राम पंचायतों को कहा गया। क्योंकि ये केन्द्र ऐसी जगह खुले थे कि जहां गांव से दूर थे और उनका उपयोग नहीं हो सकता था। जो निविदाएं आयीं वह भी केवल 1.19 की आयीं जो कि 3 करोड़ 19 लाख से बहुत कम थीं। तब यह निर्णय लिया गया कि इनको डिपार्टमैन्ट आफ ट्यूरिज्म या आर.टी.डी.सी. को दिया जाए। आर.टी.डी.सी. को देने के बाद 1997 से अब तक ये केन्द्र आर.टी.डी.सी. के पास पड़े रहे। 4 करोड़ 19 लाख का आज तक व्यय हुआ। इनके रख रखाव पर 36 लाख का और व्यय हो गया। और अब 2005 के अन्दर, जनवरी में अब आर.टी.डी.सी. को यह कहा गया और वहां से यह पत्र वापस पंचायत को मिला कि बी.डी.ओ. पुनः यह सुविधा केन्द्र पंचायतों को निहित कर लिये जाएं। सवा चार करोड़ रुपये इन पर लग चुके हैं। 36 लाख का इनके रखरखाव पर व्यय हो चुका है और फाइंडिंग्स यह है कि न तो यह कोई योजना ढंग से लागू की गयी जो पैसा था जो भी इसके अन्दर पैसा लगा उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। और आप इन सुविधा केन्द्रों को देखें। एक शाहपुरा के निकट बना हुआ है। बड़ी-बड़ी घास उगी हुई है और इन सुविधा केन्द्रों पर जो योजना थी उसमें यह था कि वहां चिकित्सालय बनेगा, पेट्रोल पम्प लगेगा, पुलिस चौकी रखी जाएगी, वहां होटल बनेंगे और पेट्रोल पम्प के अलावा और सारी सुविधाएं होंगी। आप यह भी महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस तरह वाहनों का दबाव है, आज की तारीख में जो विश्लेषण अगर हम करते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर सिर्फ, पूरे अगर संसार को देखा जाए तो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास एक प्रतिशत वाहन हैं। लेकिन एक प्रतिशत वाहन की तुलना के अन्दर 6 प्रतिशत हमारे एक्सीडेन्ट होते हैं। 6 प्रतिशत एक्सीडेंट का

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मतलब, जहां औसत एक हजार गाडियों के ऊपर दूसरे विदेशों में सिर्फ 10 एक्सीडेन्ट होते हैं, हिन्दुस्तान के अन्दर राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्दर 35 एक्सीडेन्ट हो रहे हैं। 35 एक्सीडेन्ट वे हो रहे हैं जिनमें या तो जान-माल की हानि हो रही है या व्यक्ति मर रहे हैं। इन सुविधा केन्द्रों को सही तरीके से नियोजित नहीं किया गया। साढ़े चार करोड़ रुपये आपने लगा दिये। 36 लाख रुपये बार-बार इन पर व्यय हो रहे हैं। इसके बाद में आज 10 साल बाद में हम पुनः यह कह रहे हैं कि इनको पंचायतों को दे दिया जाए। पंचायत इनका क्या करेंगी। इनकी हालत आज यह हो गयी है कि 4 करोड़ की लगी हुई इस सम्पत्ति की आज हालत यह है कि रखरखाव करके उसको वापस बेचने की शक्ल में लाने के लिये, पंचायत कहां से करेगी। मैं आपके माध्यम से यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी इसमें विभाग और कर्मचारी दोषी हैं उन पर कार्यवाही की जाए, धन्यवाद।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो, मैंने नोटिस नहीं दिया। आपकी परमीशन हो तो, यह जो माननीय सदस्य ने मामला उठाया है, यह जब मैं मंत्री था उस समय हमने लागू किया था। एक-दो मिनट के लिये आप समय दें तो मैं इस पर, आप की इजाजत हो तो बोल सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : अगर आप दो मिनट में अपनी बात कहना चाहें तो कह दीजिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका आभार, व्यक्त करता हूं, आपने इजाजत दी।

अध्यक्ष महोदय, विदेशों में जो हाइ-वेज हैं, एक्सीडेन्टस को रोकने के लिये, ट्रांसपोर्ट जितना भी चलता है सड़कों के ऊपर उनको फैसेलिटीज देने के लिये इण्टरनेशनल स्तर की जो सुविधाएं हैं वहां पर एक ही स्थान पर है। जो कार वाले आते हैं, रात को देर से आये तो उनको स्टे करने का, ट्रक चलते हैं उनके रात को सो जाएं, तब तक उनके ट्रक की सर्विस हो जाए, बस की सर्विस हो जाए। रात को लोग वहां पर रूकें और अलग-अलग कैटेगिरी के

(डा. एन.एस. गुर्जर)

हमने उसमें किये थे, वह ठीक हो जाएं। रात को उनकी नींद पूरी हो जाए। वहां खाना, रेस्टोरेन्ट अलग-अलग तरह का, जिस कैटेगिरी के लोग आयें उनके लिये फैसेलिटीज सेन्टर्स इण्टरनेशनल स्तर के, हमने सड़क से दूर, स्टेट हाई-वे के पीछे जाकर के इस तरह की व्यवस्था की थी। जब हमने शुरू किया था इसको उस समय इसकी जबरदस्त डिमाण्ड थी। आप जायें तो आगरा रोड पर शिमला के पास और आगे मेहन्दीपुर बालाजी के पास, इधर बून्दी के पास, मेरे पास इतनी डिमाण्ड आयी कि सीकर रोड पर, आपके झुन्झुनूं और सीकर के पास है और इधर शाहपुरा के पास, अजमेर रोड बगरू के पास, यह जो डिमाण्ड आयी हमारे पास और उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम एक साथ इतने क्रियेट कर सकते। लेकिन उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए दुःख है कि इनकी सरकार आयी और इन्होंने उस योजना का ध्यान नहीं रखा जिसके कारण वह आज बहुत खराब स्थिति में हो चुके हैं। मैं चाहूंगा सरकार से कि वह एक असेट है उसमें पूरा खर्चा हुआ और उस समय जो हमने हिसाब लगाया था उसमें सरकार को उनसे इन्कम हो रही थी, बहुत सारी इन्कम, पंचायतें लेने के लिये तैयार भी थीं कि हमको दिया जाए। डिपार्टमैन्ट कहता था कि हम रखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कोई न कोई व्यवस्था सरकार इस सम्बन्ध में करें, करोड़ों की सम्पत्ति है, इससे इन्कम हो सकती है। इसको इन्टरनेशनल कंसेप्ट के आधार पर वापस, पुनः चालू किया जाए ताकि पैसे का भी सदुपयोग हो, जनता के लिये आप भी हो, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, धन्यवाद। श्री तगाराम चौधरी। वैसे चौधरी साहब, जो रिसेन्ट इवेन्टस कोई होता है न, अचानक कोई इमीजिएट घटना, उस पर दी जाती हैं पर्ची खासतौर से। अब आपने दिया है तो दो मिनट आप भी बोल लीजिए।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई घटना नहीं है पर एक समस्या है और समस्या वास्तव में बहुत ही ज्यादा है।

बायतू से लेकर कवास तक रेलवे समपार नहीं होने बाबत

श्री अध्यक्ष : आप्र अपनी समस्या कह दो थोड़े में, संक्षेप में।

श्री तगाराम चौधरी : समस्या मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। मैं निवदेन करना चाहूंगा सार्वजनिक मंत्री महोदय से कि लूनी-मुनाबाव रेल मार्ग पर जो बाड़मेर-जोधपुर भी कहलाता है, बायतू से लेकर कवास के बीच में बहुत लम्बी दूरी तक रेलवे समपार नहीं है। फाटक नहीं है। आने-जाने का रास्ता, रेलवे क्रासिंग नहीं है। 20-25 किलोमीटर तक आने जाने के लिए आम जनता, वाहन मालिकों और यहां तक कि पशुओं के लिए भी आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। यह एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है। मैं पर्ची के माध्यम से इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या का कोई न कोई हल निकाला जाए जिसमें मुख्य रूप से कम से कम दो समपार एक तो बायतू रेलवे स्टेशन बनियासंधा धोरा.....
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो रेलवे फाटक तो यह सरकार नहीं बनाती है, यह तो भारत सरकार बनाती है।

श्री तगाराम चौधरी : मैं निवेदन कर दूं। मैं आगे यही बात कहने जा रहा हूं। किस तरह से उत्तर मिल रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि बायतू से बनियासंधा धोरा के बीच बाड़ का तिलवाड़ा रोड़ गुजरती है। वह रोड पक्की तो नहीं हो पायी है परन्तु रोड है, उसके ऊपर किलोमीटर संख्या 800 और वह टेलीफोन के खम्भे हैं, उनको मानते हैं। यह खम्भा नम्बर 5-6 के मध्य में....
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लालूजी को चिट्टी लिख दो इस बारे में एक, वह ठीक रहेगा।

श्री मुरारी लाल मीणा : पैसा डिपोजिट होता है। ऐसी बात नहीं है, राजस्थान सरकार द्वारा पैसा डिपोजिट होता है और फाटक बन जाता है।

श्री श्रवण कुमार : उनका टाइम आया तब तो उनको हटा दिया।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोले आप। उनको बात कहने दें। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : आप मेरा निवेदन तो सुनिये। रेलवे से बार-बार पत्र व्यवहार किया गया और मांग की गयी परन्तु रेलवे सुनवाई नहीं कर रहा है और उत्तर में आता है कि राज्य सरकार इसके बदले राशि दे, वचन दे तो यह समस्या हल हो जाती, यह रेलवे वाले कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री तगाराम चौधरी : दूसरा, मेरा इसी सम्बन्ध में निवेदन है कि बनियासंधा धोरा रेलवे स्टेशन से कवास के बीच में खम्भा नम्बर 807 के मध्य, खम्भा नम्बर 6 और 7 जो रास्ता आम रास्ता है, वर्षों से शिव गुढ़ामालानी जाता है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पी.ए.डी. मिनिस्टर साहब, नोट करो आप। नोट करो आप।

श्री तगाराम चौधरी : और अनेकों कितने ही गांव उनके ऊपर आते हैं, आवागमन करते हैं और वाहन भी चलते हैं वह है, उन दोनों और इसके अतिरिक्त भी कई जगहों पर रेलवे का जब आमान परिवर्तन नहीं था और जब से रेल निकली थी, वहां पर मुझे पक्का याद है कि अनेकों जगह पर वहां आने -जाने के लिए यह समपार थे परन्तु शनैः शनैः रेलवे की मनमानी से वह सारे के सारे समपार बन्द कर दिये गये और अब हम पैदल भी चलते हैं तो खड्डे खोद देते हैं रेलवे वाले, नहीं निकलने दे रहे हैं और आमान परिवर्तन जो बालस डालते हैं, उस रेल की पटरी के नीचे वह इतनी ज्यादा डालनी पड़ती है इसलिए वह पटरी भी चौड़ी, उसका वह चेला भी ऊंचा और वह पटरी की बालस है, वह भी इतनी ऊंची है कि पैदल आदमी भी उसके ऊपर होकर लांघता है तो उनको भी कठिनाई होती है, गिर जाता है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। आप तो लालूजी को चिट्ठी लिख देना, सब हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। श्री रामनारायण मीणा।

श्री तगाराम चौधरी : मेरा निवेदन तो सुन लीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : चिट्ठी से चलेगा काम, यहां कहने से थोड़े ही चलेगा।

श्री तगाराम चौधरी : मेरी चिट्ठी लिखने से होता तो कभी का हो जाता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मैं बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो समस्या रखी है, वास्तव में समस्या गम्भीर है। बायतू और कवास यह दोनों गांव नेशनल हाई-वे नम्बर 112 में स्थित है और इनके पैरेलल में रेलवे लाइन निकल रही है। नेशनल हाइ-वे पर तो क्रास रोड बनी हुई है। परन्तु गांव के दूसरी पार जाने के लिए कोई साधन नहीं है। माननीय सदस्य ने भी कई बार पत्र लिखे भारत सरकार को, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं स्वयं उनको लेकर विधान सभा जब भी समाप्त होगी, लालू प्रसादजी के पास जाउंगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, जब तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लालू प्रसादजी से आपके भी बड़े अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। एक पत्र आप भी लिख दें तो सिफारिश हो जाएगी और हम दोनों जाकर कोशिश करेंगे कि इस रेलवे समपार के लिए कुछ राशि मिल जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में मैं निवदेन करूं, एक मिनट में। अध्यक्ष महोदय, इसका समाधान है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे एक मिनट में निवेदन करूं।

यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो ग्राम पंचायत वायत-भीमजी अभी तक सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी सड़क है, वह आप स्वीकृत यदि फरमा दें, उसमें बजट मांग रखा है साथ में आपकी स्टेट टेक्निकल एजेंसी एप्रूव कर देगी तो राशि मिल जाएगी। रेलवे को तो यह सड़क बन जाएगी। इसी प्रकार से पूर्व में भी भूटिया की जो सड़क बन गयी उसका भी

(श्री हेमाराम चौधरी)

पी.डब्ल्यू.डी. ने राशि जमा करवायी थी रेलवे को। इसी प्रकार से आपकी मांड...(व्यवधान) पंचायत की सड़क, यही उसमें भी पैसा जमा करवाया। इस प्रकार से बायतू भीमजी की जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है वह आप जल्दी से स्वीकृत करवा दें। बाड़मेर जिले में 17 पंचायत हैडक्वार्टर जो अभी तक सड़क से नहीं जुड़े हैं आप उसको जुड़वा दें, वह आपके प्रोग्राम में शामिल है तो वह उसमें यह आपके हल हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस गांव की आपने चर्चा की है उसकी आबादी 529 की है। ग्राम पंचायत मुख्यालय जरूर है और राजस्थान में जो ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़े नहीं हैं, भारत सरकार को हमने सब के प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं और निश्चित तौर पर जब यह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने की बात आएगी तो उसके अन्दर रेलवे समपार के पैसे को भी शामिल करके भारत सरकार से अनुमति लेने की कोशिश करेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक.....(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : माननीय सदस्य ने एक बात कही है। मैं दो समपारों की बात कर रहा हूं जो अतिआवश्यक है।

श्री हेमाराम चौधरी : वह दूसरा इनका है। आप कह रहे हैं, इनका तो हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : अब आपका क्या बाकी रह गया ? आपका स्पष्ट कर दिया न।

श्री तगाराम चौधरी : और आप कह रहे हैं अपने वाले का, मैं वह पहले बोला हूं। यह आपने सुना कि पहले मैंने उनकी बात की। मेरे वाले की इन्होंने नहीं बोली, आप इतने में ही कंजूसी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : भूल के लिए क्षमा। आप पहले इनका करना। पहले इनकी बता देना आप। तरीका यह बता दें। मेरे वाली का तो मैंने तरीका बता दिया आपको। आप वाली का तरीका आप बता दो।

श्री तगाराम चौधरी : मेरा वाला इन्होंने नहीं बोला। मैं आपसे जबरदस्ती कहलवा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक छोटा सा निवेदन है मंत्री महोदय से।

श्री अध्यक्ष : अब आपका कहां से आ गया बाड़मेर में ?

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : मंत्री महोदय लालूजी के पास जाएंगे तो इसी तरह से आर.ओ.बी. का प्रश्न आएगा, मेरा बाइपास के ऊपर। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : लालूजी की काफी डिमाण्ड हो गयी। राजेन्द्रजी, आपने लालूजी की काफी डिमाण्ड पैदा कर दी। बिहार से यहां आ गये क्या ?

बूंदी जिले में अपात्र की नसबन्दी के बाद भी कार्यवाही न होना

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो आपने अपना पर्ची पर बोलने का विषय दिया है इसका तो रिवटल आ गया, रिफ्यूट कर दिया उसने कि नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करवाया, फिर अब आप क्या बोलेंगे ? काहे पर बोलेंगे ?

श्री रामनारायण मीणा : काहे पर ?

श्री अध्यक्ष : यह आप बोल रहे हैं न कि बूंदी जिले में अपात्र की नसबन्दी के बाद भी कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण मीणा : इसी पर बोलना पड़ेगा, रिवटल नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : वह तो यही है, आप काहे पर बोलना चाहते हो ?

श्री रामनारायण मीणा : उसके पत्नी नहीं है। अमानी करता है। उसको यह लोभ देकर की तेरे को एक लाख रुपये मिलेंगे सरकार से, उसकी नसबन्दी कर दी गयी, उसका नाम कैलाश.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसके बयानों पर ही तो निर्भर करता है सारी बात। वह कहेगा कि मैंने मेरी मर्जी से करवाया तो आप क्या कर लेंगे ?

श्री रामनारायण मीणा : नहीं मर्जी है। डाक्टर की मर्जी नहीं है कि ऐसे अपात्र आदमी की नसबन्दी कर दें।

श्री अध्यक्ष : उसकी तो मर्जी है न ?

श्री रामनारायण मीणा : सरकार की क्या जिम्मेदारी है ? सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि अपात्र आदमी की नसबन्दी कर दें ? पत्नी नहीं है, अमानी करता है, आज यह स्थिति हो गयी राजस्थान में कि आदमियों को अपनी नसबन्दी करवानी पड़ती है जीवनयापन के लिए और फिर सरकार कहती है कि हमने 100 डेज वह कर दिया, हमने 200 दिन रोजगार दे दिया, हम अकाल में काम कर रहे हैं, आज हालत यह है कि कोई आदमी सुरक्षित नहीं है राजस्थान में। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, माननीय अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसका खुद का बयान आया है अखबार में।

श्री रामनारायण मीणा : एक लाइन में अर्ज करूंगा। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जिस व्यक्ति कैलाश राव, जेठोदा का रहने वाला है, देई में अमानी करता है। यह गलत काम हुआ है। यह साफ है। डाक्टर को पता है और उसको इनसिस्ट करके जो नर्स ले गयी उसको भी पता है, उन आदमियों के खिलाफ कार्यवाही करें। आप करें या नहीं करें यह आपका अपना आउटलुक है लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर को थोड़े ही मालूम होता है कि विवाहित कौन है और अविवाहित कौन है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : ऐसे आदमी को क्षतिपूर्ति देने का फर्ज सरकार का बनता है और मैं इस सरकार से आशा करता हूं ऐसे संवेदनशील मसले पर विचार करें। कल को वह आदमी न शादी कर सकता, न ढंग से गृहस्थी जीवन व्यतीत कर सकता। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है सरकार इस मसले की गम्भीरता को समझे और उस आदमी को जितना सम्भव हो सके, सहायता करे, मदद करें।

मेरा आपसे यही अनुरोध करना है। इसलिये कृपा करके इस मामले पर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रामप्रताप कासनिया। वैसे तो ओलावृष्टि के बारे में वह देंगे वक्तव्य।

श्री रामप्रताप कासनिया : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : हां, दो मिनट बोल लें। एक मिनट नहीं, दो मिनट बोल लें।

ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर हर वर्ष अकाल पड़ते रहते हैं। पिछले चार-पांच वर्ष से इस वर्ष नहरी और बारानी फसल काफी अच्छी थी। परन्तु ईश्वर ने ऐसा प्रकोप ढहाया और ओलावृष्टि हुई जिससे फसल चौपट हो गयी। काश्तकारों की हालत बहुत ही दयनीय हो गयी। अध्यक्ष महोदय, जिस जगह ओलावृष्टि हुई है वहां न तो पशुओं के लिये चारा है, न खाने के लिये अनाज बचा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के बजाय इस ओलावृष्टि पर चाहे फसल किसी भी प्राकृतिक प्रकोप से फसल नष्ट होती हो, इसका कोई न कोई इन्तजाम हमें मिलकर करना चाहिये। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को मिलकर काश्तकारों की जो फसल नष्ट होती है, उसकी भरपाई चाहे बीमे के माध्यम से हो, चाहे राज्य सरकारों के माध्यम से हो। अध्यक्ष महोदय, हर चीज का बीमा

(श्री रामप्रताप कासनिया)

है। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करोंगे कि भट्टे जो चलते हैं उनके पास यह सरसों का जो घाणा रखते हैं इसका भी बीमा होता है। अगर आग लग जाये तो इसकी भरपाई की जाती है। फिर काश्तकारों की फसल की भरपाई क्यों नहीं की जा सकती ? क्या कारण हैं अध्यक्ष महोदय ? उदाहरण के तौर पर कोई भी खरीददार व्यापारी दो घंटे के लिये कोई महंगी चीज है, जैसे व्हिकल ही है, वह उदयपुर से जयपुर ला रहा है तो उसका चार घंटे का ही बीमा हो जायेगा तो काश्तकार की फसल का बीमा क्यों नहीं होता ? अध्यक्ष महोदय, इस बात पर जरूर विचार करना पड़ेगा। अगर काश्तकारों को पनपाना है तो काश्तकारों की फसल का बीमा करना पड़ेगा अन्यथा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर काश्तकार के नुकसान की भरपाई जब तक नहीं करेंगे तब तक काश्तकार पनप नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, पड़ता शब्द से काम करते हैं राजस्थान के समस्त व्यापारी और जो भी कार्य करते हैं सब अपने पड़ते के अनुसार काम करते हैं। व्यापारी और काश्तकार ही एक ऐसा है जो बिना पड़ते का काम करता है। काश्तकार यह नहीं सोच सकता कि मैं अब की बार सरसों बो रहा हूं, इसके भाव अच्छे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। चना बो रहा हूं, इसका भाव अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चाहे पड़ता हो या नहीं हो, उसको तो फसल काश्त करनी ही पड़ती है। यही हालत पशुओं की है। पशुओं के बारे में तो मुझे नहीं बोलना चाहिये। ओलावृष्टि पर ही बोलूंगा। मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि इस सदन के अन्दर 56-58 वर्ष के लगभग आरोप-प्रत्यारोप में समय निकाल दिया। मैं यह मांग करना चाहता हूं कि काश्तकारों की जो फसल नष्ट होती है, उसका कोई न कोई इन्तजाम होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, पांच वर्ष से एक खेत में अनाज हुआ और वह नष्ट हो गया। अब काश्तकार की क्या हालत है, आप भी स्वयं सोच लें। मेरा आपके माध्यम से सरकार और प्रतिपक्ष से विशेषकर कि यह आरोप लगाने के बजाय केन्द्र सरकार पर दबाव बनाओ कि 50 प्रतिशत फसल की भरपाई केन्द्र सरकार करेगी और शेष 50 प्रतिशत राजस्थान सरकार करेगी। (व्यवधान) क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। करेगी तो बहुत धन्यवाद देंगे। (व्यवधान) काहे

(श्री रामप्रताप कासनिया)

का 80 प्रतिशत दे रही है ? क्या खैरात दे रही है ? हक है। सब राज्यों को दिया जा रहा है। यह कोई खैरात नहीं मिल रही है। अलग से खैरात मिलेगी तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो बीमा पालिसी है उसमें भी तहसील को इकाई माना गया है। अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि में एक खेत यहां एक पड़ोस में है, एक जमीन काश्तकार की है आधे हिस्से में ओलावृष्टि हो जाती है और आधा हिस्सा वैसे ही रह जाता है। तहसील को इकाई

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मानकर राजस्थान के काश्तकारों को खेत की इकाई मानकर उसकी भरपाई की जाये, यह मेरा राज्य सरकार से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री नरपत सिंह जी राजवी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2003-04

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2003-04 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : इससे पहले कि बजट पर सामान्य वाद-विवाद की चर्चा शुरू करें, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगी, सूचना देना चाहती हूं कि 18 बोलने वाले सदस्य हैं। 6 बजे शाम को मुख्य मंत्रीजी का जवाब होगा। हमारे पास केवल साढ़े पांच घंटे का समय है और 17 बोलने वाले हैं और प्रतिपक्ष के नेता भी कम से कम एक घण्टा बोलेंगे तो कुल मिलाकर चार घंटे हमारे पास हैं। मैं माननीय सदस्यों को 10-10 मिनट का ही समय दे पाऊंगी।

(श्री अध्यक्ष)

इसलिये मैं क्षमा चाहती हूं कि 10 मिनट में अपनी बात कहने का प्रयत्न करें। मैं नाम पुकार रही हूं। श्री शांतिलालजी चपलोत।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005-06 का माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो वित्त मंत्री भी हैं, न बजट पेश किया। लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। गत वर्ष में क्या किया, इसका भी लेखा-जोखा पूरा पेश किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से यह बजट लाया गया है वह राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा। लोग इसको याद करते रहेंगे। सभी वर्गों और सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। क्योंकि आपने समय की मर्यादा बांध दी है इसलिये ज्यादा आंकड़े प्रस्तुत करना भी शायद सम्भव नहीं होगा, पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवदेन करना चाहूंगा कि किस तरीके से सन् 2003 में जो बजट था, 2003-04 का 4,258 करोड़ का उसके मुकाबले में योजना बनाकर हमने 5500 करोड़ किया और वास्तविक व्यय इस वर्ष केवल तीन महीने में 6044 करोड़ का किया और 6797 करोड़ निश्चित किया गया। अब की बार 2005-06 में 8,350 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई और 8,600 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। यानि 15 महीने में बजट का आकार हमारे वित्त प्रबन्ध में, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, उनके सलाहकारों ने, उनके साथ काम करने वाले लोगों ने, मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने और कर्मचारियों ने जिस तरीके से काम किया, उसकी वजह से बजट का आकार दुगुना हो गया। इससे बढ़िया बात कि 15 महीने में किस तरीके से घाटे को कम किया।

जो रेट ब्याज बहुत ज्यादा थे, 15 परसेन्ट पर लिये हुए थे, 18 परसेन्ट पर लोन लिये हुए थे उसको 12 परसेन्ट को घटा कर 8 परसेन्ट पर या 6.5 परसेन्ट पर लेकर के उसको स्वैप किया। इसमें हमारी कुशलता का ही मार्गदर्शन होता है, कुशलता ही ज्यादा नजर आती है कि किस प्रकार से हमारा वितीय प्रबन्धन है।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कल काफी लम्बा चौड़ा व्याख्यान दिया और मैं जानता हूं कि वह बहुत अच्छा बोलते हैं। आज मैं उनके भाषण की प्रतियां भी लाया हूं पर आपने इतना कम समय कर दिया कि इसकी वजह से ज्यादा बातों का जवाब भी देना बड़ा मुश्किल रहेगा।

2001-02-03 में जो सरकार थी वह 704 दिन ओवर ड्राफ्ट में रही और हमारी सरकार गत वर्ष में केवल फरवरी माह में 8 दिन के लिए ओवर ड्राफ्ट में रही यह किस प्रकार का कुशल प्रबन्धन है और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कभी यह नहीं कहा कि राजस्थान कर्जदार है, राजस्थान दरिद है, राजस्थान कमजोर है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम भिक्षा मांगने के काबिल हो गये हैं। एक भी दिन बजट में और सरकारी तंत्रों में या सरकारी भाषणों में, आम भाषणों में कभी यह नहीं कहा कि हमारी वित्तीय स्थिति खराब है। कम से कम आकर्षित करने के लिए, यदि आप आकर्षित करना चाहते हैं, विनियोजन कराना चाहते हैं, इन्वेस्टमेन्ट लाना चाहते हैं तो आपको हमेशा यह कहना पड़ेगा कि हमारी स्थिति अच्छी है, सुदृढ़ है, हमारे यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया हुआ है, आप आइये तो वो आयेंगे। वरना कोई इस प्रकार से कह देगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इन्तजाम करो आप तो दुनिया वाले करो, मेरी लड़की की शादी हो और यदि मैं किसी व्यक्ति से कहूं कि मेरी लड़की की शादी है और सामने वाला व्यक्ति मेरे को जान जाए कि यह शांति लाल ठीक, मालदार हैसियत वाला है तो कह देगा, आइये शांति लालजी, आप ले जाओ, पांच बोरी गेहूं ले जाओ, दो बोरी शक्कर ले जाओ, दस पीपे तेल के ले जाओ और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, जोशीजी हमारे अच्छे मित्र हैं और उनको यह पता लग जाए कि शांति लालजी की स्थिति कमजोर है तो कहेंगे, हां शांति लालजी, आप मेरे मित्र हो, बहुत अच्छी बात है पर मैं क्या करूं, अभी मेरी हालत भी ठीक नहीं है, ऐसा करो आप मैं पांच बोरी तो नहीं दे सकता एक बोरी गेहूं दे दूंगा। कोई इन्वेस्टमेन्ट नहीं करना चाहेगा, कोई उधार नहीं देना चाहेगा।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

हमारे माननीय शेखावत साहब 1990 में मुख्य मंत्री बने, उस समय राजस्थान पर 8000 करोड़ का कर्जा था और 1952 से लगा कर 1990 तक कुल मिला कर 8000 करोड़ का कर्जा और इतना ही कुल योजनाओं में विनियोजन हुआ होगा पर एक ही साल में, हमारे कुशल प्रबन्धन ने एक साल में 8600 करोड़ का यह बजट पेश किया है। इससे ज्यादा धन्यवाद के पात्र और क्या हो सकते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : कर्जा कितना हुआ डेढ़ साल में ? जो हम कर्जा छोड़ कर गये उससे आज कर्जा कितना हो गया, फिगर पता है कि नहीं कितना है ? वह तो बोल ही नहीं रहे हो।

श्री शांतिलाल चपलोत : आप कर्जा छोड़ गये 52,000 करोड़ का।

डा. सी.पी. जोशी : मैडम, आपको भी मालूम है कि आज 65,000 करोड़ का कर्जा हो गया और जब एक्चुअल्स निकालेंगे आज के जो जाकर पहुंचेगा 75,000 करोड़ रुपये।

श्री शांतिलाल चपलोत : 1998 तक 23500 करोड़ का कर्जा था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने कितना कर्जा लेकर कितनी परिसम्पत्तियां बनायीं ?

डा. सी.पी. जोशी : आप तो विकास कर रहे हो, डेढ़ साल में 55 हजार करोड़ का 75 हजार करोड़ कर रहे हो। डेढ़ साल हुआ केवल डेढ़ साल, माननीय जैन साहब, 55 हजार करोड़ से 75 हजार करोड़ होना है दो साल में, यह आपका दो साल का एचीवमेन्ट है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई 75 हजार करोड़ नहीं हुआ है, आगे आने वाले एक साल बाद भी नहीं होगा इतना जो आप कह रहे हैं। (व्यवधान).....कितनी परिसम्पत्तियां बनायीं।

डा. सी.पी. जोशी : 5421 करोड़ रुपये ब्याज के दे रहे हैं, 1000 करोड़ रुपया ज्यादा ब्याज का दे रहे हैं। यह अपना बजट बनाया आपने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : परिसम्पत्तियां कितनी खड़ी की, विकास के काम कितने किये, इसका देखा आपने ? ...... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, वो मुख्य सचेतक के उम्मीदवार ही नहीं है।

श्री शांतिलाल चपलोत : 1998 में 8 साल के शासन के बाद 23500 करोड़ का कुल मिलाकर अपने राजस्थान पर कर्जा था। 16,000 करोड़ के आसपास आठ सालों में कर्जा लिया गया और 1998 से 2003 तक जो सरकार रही, जिसमें नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य भी मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री थे, 32,000 करोड़ के आस-पास कर्जा लिया, परिसम्पत्तियां नाम मात्र की नहीं बनीं।

डा. सी.पी. जोशी : बिजली ऐसे ही पैदा हो गयी थी ? खाली अपन भाषण दिये जा रहे हैं तो यह बिजली कैसे पैदा हो गयी ? कनेक्शन दे रहे हैं, वाहवाही ले रहे हैं, ऐसे ही पैदा हो गयी थी बिजली ? अभी 25,000 करोड़ में एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की है। हमने जो कर्ज लिया उससे बिजली पैदा की है, उसका तो कोई ज्ञान नहीं है। (व्यवधान).....परिसम्पत्तियां डवलप की, फलाना नहीं की। भाषण ऐसा दो कि मंत्री बनने का स्कोप बने। ऐसा भाषण क्या दे रहे हो, मंत्री नहीं बन पाओगे, बोल कर अपने आप को क्यों एक्सपोज हो रहे हो ? साइलेंस इज सिल्वर, नहीं बोल कर अपना पोटेंशल बनाये रखोगे।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिजली पैदा कर के कनेक्शन नहीं दिये, न लोगों को बिजली दी और किसानों को बिजली नहीं मिली, फसलें जलती रहीं और मुख्य मंत्रीजी को भाग कर आना पड़ा।

डा. सी.पी. जोशी : 45 हजार पर ईयर कुएं पर कनेक्शन दे रहे हो, लाइन लोसेज 25 परसेन्ट से 50 परसेन्ट ले आये हो, यह विकास किया है ?

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, जब आप बोल रहे थे किसी ने नहीं टोका था, आप भी शांति से सुनिये उनको।

डा. सी.पी. जोशी : मैं बोल रहा था जब सब बोल रहे थे, सब विद्वान थे उस समय, मैं तो अकेला विद्वान हूं। पांच विद्वान थे वहां पर, नाथू सिंहजी थे, महावीरजी भी थे, राजेन्द्रजी भी थे।

श्री शांतिलाल चपलोत : मुख्य सचेतक महोदय, मैं आपके अमूल्य सुझावों का स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप उनका समय यों जाया करेंगे.....(व्यवधान)... अधिक समय लेंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 2500 साल पहले चार्वाक हुए, उन्होंने कहा-

"यावत् जिवेत् सुखम् जिवेत् ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत्,

भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत:।"

जब तक जीओ सुख से जीओ, कर्जा कर के घी पीओ, यह मनुष्य जन्म बार-बार आने वाला नहीं है, यह भस्मीभूत होने वाला है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : आप लोग यही कर रहे हो।

श्री शांतिलाल चपलोत : वो ही मैं कह रहा हूं, ठहरो आप, पांच साल में 32,000 करोड़ का कर्जा राजस्थान पर लिया और परिसम्पत्तियां नहीं बनायीं। हां वो सिसोदिया गोर्डन में सारे लोगों को आकर्षित करने के लिए, इन्वेस्टमेन्ट बुलाने के लिए एक शो जरूर किया पर मुझे नहीं लगता कि जैसा माननीय सी.पी. जोशीजी कह रहे थे कि आपने एक मेगावाट भी बिजली बनायी क्या, पांच साल में माननीय गहलोत साहब के शासन में एक रुपये का इन्वेस्टमेन्ट राजस्थान में नहीं हुआ, इससे ज्यादा दरिद्रता, इससे ज्यादा शासन की हीनता का भाव क्या हो सकता है, अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह जानना चाहता हूं।

मैं बहुत ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरीके से हमारे यहां माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने काम

(श्री शांतिलाल चपलोत)

किया है, उन्होंने 16, 17 हजार स्कूल पहले खोली, अभी 2000 प्राइमरी को बना रहे हैं, 1500 को अपर प्राइमरी बना रहे हैं, 500-550 के करीब सैकण्डरी बना रहे हैं, 2800 हायर सैकण्डरी बना रहे हैं, पांच पोलीटेक्निक, 20 आई.टी.आई., इस प्रकार का उन्होंने काम किया है। कालेज खोल रहे हैं और जिन-जिन जगहों पर, जैसे सिरोही में, उधर-इधर, जहां पर लड़कियों के लिए कालेज नहीं हैं वहां पर भी, बिल्डिंग नहीं है वहां पर भी इस प्रकार का काम किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि शासन का एक यह देखा जाता है कि वह शासन किस प्रकार का है, वहां की रोड की क्या हालत है, यह देखा जाता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से आज रोड बनायी जा रही हैं उसके लिए मैं रोड मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हजारों किलोमीटर रोड बन रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग तो बन ही रहे हैं, स्टेट हाई-वे भी बनाये जा रहे हैं। 1500-1500 किलोमीटर के, कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा रोड का जाल बिछेगा।

क्या एनीकट, क्या सिंचाई के साधन क्या पीने का पानी, हमारे सिंचाई मंत्रीजी पता नहीं कहीं इधर-उधर बाहर पधार गये हैं, उन्होंने माननीय मोहन लालजी सुखाड़िया ने राजस्थान को बहबूदी बढ़ाने में कोई कोर-कसर नहीं रखी।

मैं उस स्वर्गस्थ आत्मा को आज नमन करना चाहता हूं उन्होंने देवास की बहुत बड़ी योजना रखी और उसके साथ-साथ किस तरीके से इसको बनाया जाएगा, किस तरीके से इस योजना को काम में लिया जाएगा, इसका काम तो किया। पर हमारी दूसरी योजना जो आज बन्द पड़ी हुई हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसके लिए प्रोवीजन भी किए हैं और कहा भी है कि हम काफी तरीके से उस योजना को काम में लेंगे, काफी पैसा उसके लिए देंगे। पर उस योजना का काम मुझे इसमें अभी कहीं नजर नहीं आया है कि आपने उसमें कितना पैसा देने का किया है। जैसा कि हमें बताया गया है कि 135 से 140

(श्री शांतिलाल चपलोत)

करोड़ रुपया उसके लिए दिया जा रहा है। अभी यदि इसमें कहीं प्रोवीजन नहीं है तो इस योजना को मैं माननीय मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं कि इस योजना को पूरा कराएं और माही जो हमारी है उसके लिए हमारे आदिवासी इलाके में जो सिंचाई के साधन हैं, वह भी उपलब्ध कराएं। नर्मदा की योजना भी पूरी करवाकर के हमारे इधर भी और सिरोही की तरफ भी जालौर की तरफ भी पानी पहुंचाया जा सकता है। उसको भी आप करवाने की कृपा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, देवास जो हमारी योजना है उसके वितीय चरण के लिए जो उन्होंने अभी मेरे को समझ में नहीं आया, माननीय गृह मंत्रीजी भी यहां बिराजे हुए हैं, जोर-शोर से इन्होंने बात भी उठाई हुई है, वह ही यहां स्पष्ट कर सकेंगे कि उस योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है उदयपुर के लिए। उदयपुर झीलों के लिए जाना जाता है और आज सारी झीलें रीती पड़ी हुई हैं। पर्यटन उससे प्रभावित हो रहा है। किसी प्रकार का इन्वेस्टमैंट वहां करने में लोग कतरा रहे हैं। पीने के पानी की समस्या होने से, सिंचाई के पानी की समस्या होने से इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी फर्क पड़ रहा है, पर्यटन पर भी फर्क पड़ रहा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करें। क्योंकि आपने समय की सीमा बांध दी है। माननीय मंत्रीजी, वित्त मन्त्रीजी ने, मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय ला मिनिस्टर साहब यहां बिराजे हुए हैं। भीखा भाई, हमारे माननीय मंत्रीजी कह रहे है कि भीखा भाई नहर सागवाड़ा को भी पूर्ण कराएं। यह ऐसी मैं मांग करता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : मंत्रीजी एम.एल.ए. को कह रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : हां, मैं कह रहा हूं, सदन में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में मत टोको।

डा. सी.पी. जोशी : वह मंत्रीजी का नाम ले रहे हैं। मंत्रीजी एम.एल.ए. को कह रहे हैं पूरी करवाओ तो फिर सरकार क्या करेगी यह बताओ मेरे को आप।

श्री अध्यक्ष : टोको मत, आप बीच में।

(13.32 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री शांतिलाल चपलोत : विधि मंत्रीजी यहां बिराजे हुए हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय माथुर साहब भी बिराजे हुए हैं, माननीय सी.पी. साहब भी बिराजे हुए हैं, खांट साहब भी बिराजे हुए हैं, उदयपुर डिवीजन के अधिकांश माननीय विधायक यहां बिराजे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उदयपुर में जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ, राजस्थान बना तब बाइस देशी रियासतें और कुशलगढ़ को भी शामिल करते हैं तो तेइस हो जाती हैं। पूरा मैं नहीं कह सकता पर उस समय जब राजस्थान बना तब यह तय किया गया था कि राजस्थान में हाई-कोर्ट की बैंच जोधपुर में होगी। मेन मुख्यालय वहां होगा और जयपुर में बैंच होगी और उदयपुर में भी बैंच होगी।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं सन् 1940 में तत्कालीन महाराणा भूपाल सिंह ज़ी ने लैटर्स पेटेण्ट के तहत राजस्थान उदयपुर में हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना की थी और उसके पश्चात् वह हाई-कोर्ट निरन्तर चलती रही और यह राजस्थान का उस समय का सज्जन कीर्ति सुधाकर गजट जो मेवाड़ से निकला करता था उसमें उसका वर्णन पूरा किया गया है और कहा है-

"Letters Patent granted by His Highness Shree Man Maharajadhiraj Maharana Shree Sir Bhupal Singhji Bahadur G.C.S.I., R.C.I.E. Ruler of Mewar, establishing a High Court of Judicature of Udaipur State (Mewar) dated Monday the ninth day of September, 1940."

और माथुर साहब ने महाराणा भूपाल कालेज में शिक्षा दीक्षा ली है वह उदयपुर की परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ है। आज की तारीख में

(श्री शांतिलाल चपलोत)

कुशलगढ़ का व्यक्ति जोधपुर न्याय के लिए जाए, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं हमारी आत्मा हिल जाती है। मैंने भी बाइस साल तक निरन्तर वकालत की है। एक बार मैं जज साहब का नाम नहीं लूंगा वह बहुत सम्माननीय हैं, 446 की एक कार्यवाही थी, जमानत जब्त हो जाती है उपाध्यक्ष महोदय, तब उस क्लाइंट को कहा जाता है कि 446 का जवाब दो, उसमें जुर्माना दो, कोटड़ा के एक सज्जन की तरफ से मैं पैरवी कर रहा था, आदिवासी था, हमारे जज साहब ने जो मुंसिफ साहब थे उस समय उन्होंने कहा पचास रुपए जुर्माना कर दो, छोड़ो वैसे तो वह जीनियस थे उनको इस इलाके का ज्यादा ध्यान था तो उनको मैंने कहा पचास रुपया मैंने माननीय मुंसिफ मजिस्ट्रेट साहब से कहा कि कोटड़ा से यह पैदल आता है उदयपुर, माथे पर मूली लाता है और उस मूली को बेचकर के वापस ले जाता है दो तीन किलो मक्की, एक दो किलो चावल ले जाता है और अपने बच्चों का बड़ी मुश्किल से पेट पालन करता है। यह पचास रुपए कैसे जमा करा सकता है फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा अच्छा पांच तो जमा करवाओ 446 में, मैंने कहा यह पांच रुपए भी मैं मेरी तरफ से जमा करवाता हूं।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं उदयपुर का सुदूर में बसने वाला आदिवासी आज उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। टी.ए.डी. के सारे प्लान, अनुसूचित जाति और जनजाति के सारे प्लान वहां बेमानी साबित हो रहे हैं। यह मैं कहूं तो मुझे कोई ज्यादा अफसोस नहीं होगा। वहां का व्यक्ति चाहे वह शाहबाद का, सहरिया का व्यक्ति हो और चाहे वह बांसवाड़ा का डूंगरपुर का, उदयपुर का, कोटड़ा का आदिवासी हो, किस तरीके से दीन हीन हालत में जी रहा है, आज उसकी आत्मा को पूछो। उसके मकान के नाम पर दो डालें है ऊपर दो चार बांस है और उसके ऊपर खाकरे के पत्ते हैं और कोई किवाड़ नहीं मकान के। एक लकड़ी का पट्टा लगाकर के उसका उसमें, बर्तन के नाम पर दो गिलेट, एल्युमिनियम के दो बर्तन हैं, एक छोटा मोटा चूल्हा मिट्टी का एक पीपा, यह कुल उसकी प्रोपर्टी, हम किस जनतंत्र की बात

(श्री शांतिलाल चपलोत)

कर रहे हैं, किन लोगों की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में उदयपुर डिवीजन अर्स्टव्हाइल मेवाड़ उसमें जोड़ा जाए तो भीलवाड़ा भी उसमें शामिल हैं, उसमें वहां के लोग किस तरीके से दुखी हो रहे हैं। एक करोड़ से ज्यादा की आबादी उस क्षेत्र की है वह आज न्याय के लिए तरस रही है। आज न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। कुशलगढ का व्यक्ति जोधपुर नहीं जा सकता, 600-650 किलोमीटर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट तो जाने का सवाल ही नहीं। मर रहा है, जमानत नहीं करवा सकता और परेशान है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है उदयपुर में जो 1940 में हाई-कोर्ट की स्थापना की गयी..... उसके बाद राजस्थान मर्ज हुआ, स्टेट्स मर्ज हुए, अर्स्टव्हाइल स्टेट मर्ज हुए और उन अर्स्टव्हाइल स्टेट में मर्ज होने के बाद यह दूसरा गजट निकला महाराज प्रमुख का और उन्होंने यह कहा कि

An Ordianance to provide for the establishment of a High Court Judicature for Rajasthan.

Whereas of the peace and good government of the United States of Rajasthan, it is expedient to erect and establish a High Court of Judicature for the said State;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by paragraph (3) of Article X of the Covenant and all other powers enabling him in this behalf, His Highness the Raj Pramukh is please to make and promulgate the following Ordinance, and to erect and establish for Rajasthan a High Court of Judicature which shall be called the High Court of Judicature for Rajasthan' or shortly 'the Rajasthan High Court' and to constitute the said Court to be a Court of Record.

Section 10. Place of sitting : Where will be the place of sitting (1) the High Court shall sit at Jodhpur and such other place or places if any, as the Raj Pramukh may from time to time appoint, either permanently or for a specified period.

(श्री शांतिलाल चपलोत)

(2) One or more of such Judges of the High Court as the Chief Justice may nominate shall thereupon sit at such place or places accordingly.

और उसके बाद

"In pursuance of sub-sec (1) of Sec. 10 of the Rajasthan High Court Ordinance, 1949 (No. XV of 1949, His Highness the Raj Pramukh...."

जिनकी कि अभी मूर्ति का अनावरण किया गया है।

".......the Raj Pramukh is please to direct that until further orders the High Court of Judicature for Rajasthan shall also sit simultaneously:-

(1) at Jaipur to dispose of the work arising in the Jaipur and Kotah Division, and

(2) at Udaipur to dispose of the work arising in the Udaipur Division."

The High Court of Judicature for Rajasthan started functioning at Jodhpur and simultaneously at Jaipur and Udaipur in pursuance of Notifications dated 25Th August, 1949 under Section 10 of the Rajasthan High Court Ordinance, 1949 and existing High Court of Judicature for Mewar and Former Rajasthan at Udaipur under the Letters Patent dated 9th September, 1940 and covenanting States abolished and ceased to function by operation of section 49 (1) of the Ordinance. Thus Rajasthan High Court Udaipur Bench established and functioned under section 10 of the Ordinance.

मेरा यह निवेदन है कि आर्डिनेंस के तहत और आज भी वह आर्डिनेंस महाराज प्रमुख और राज प्रमुख का खतम नहीं किया गया। उस आर्डिनेंस के

(श्री शांतिलाल चपलोत)

तहत कई फैसले और हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि कई बैंचें और खोली जा सकती हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है राजस्थान में बाद में दोनों जगह ......

श्री जोगाराम पटेल : सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बैंच खोलने से जुडिशरी का मिसयूज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है। राजस्थान हाई-कोर्ट की जो सैकण्ड बैंच जयपुर में लाये हैं उसका अपोज कर रहे हैं हम 18 साल से अपोज कर रहे हैं, अपोज करते रहेंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : यह गलत है। आप अपने इंटरेस्ट से बोल रहे हैं माननीय सदस्य। आप अपना जवाब देना। आप अपने इंटरेस्ट से बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिये हैं.....

श्री जोगाराम पटेल : यह जो जोधपुर को यही दिया गया था जब राजस्थान कांस्टीट्यूट हुआ था।

श्री शांतिलाल चपलोत : AIR 1983 Supreme Court Page 46 स्टेट आफ महाराष्ट्र ने अपील की। नारायण श्यामराव पुनाय उसने कहा है

(A) States Reorganisation Act (37 of 1956), S.51 (3) - Power under - Can be exercised from time to time - Does not become obsolescent by lapse of Name - Direction by the Chief Justice of Bombay High Court that Judges and Division Courts of that High Court shall also sit at Aurangabad - Held valid."

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अहम् मसला है...(व्यवधान) आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बैठ जाइये आप।

श्री जोगाराम पटेल : मगरा से आता है। मगरा से बिदियाद एक हजार किलोमीटर आता है.....

श्री जीतमल खांट : चपलोत साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं.....

श्री जोगाराम पटेल : गलत बता रहे हैं यह। गलत बतलाया है आपने यह।

श्री शांतिलाल चपलोत : आपने मेवाड़ियों के तेवर नहीं देखे हैं। आप जब बोल रहे हैं तो मेवाड़ियों के तेवर सहन करने के लिये भी तैयार रहो। बैठ जाइये आप.....

श्री जोगाराम पटेल : मेवाड़ियों के तेवर सहन करने को तैयार हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री जीतमल खांट : बागड़ और मेवाड़ के स्वाभिमान को जिंदा रखने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं इनके साथ में हैं हम लोग।

श्री अशोक बैरवा : एक तो मंत्री मत बनाओ और फिर बोलने मत दो यह कौनसा न्याय हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्री मत बनाओ और फिर बोलने मत दो यह कौनसा न्याय हो गया। आप सुनिये।

श्री जीतमल खांट : यह चपलोत साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्षजी, आज की तारीख में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इस हिन्दुस्तान में एरिये की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। मध्य प्रदेश छोटा राज्य है। उसमें छत्तीसगढ़ अलग होने से छत्तीसगढ़ में अलग, इंदौर में अलग और जबलपुर में अलग और भोपाल में अलग। चार हो गयीं। इसी तरीके से यू.पी. में तीन। महाराष्ट्र में तीन औरंगाबाद, नागपुर और बाम्बे। अब यह उद्देश्य कि हाई-कोर्ट का बायफरकेशन नहीं हो सकता यह अब चलने वाली बात नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चपलोत साहब, पहले सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की एक और बैंच बनाने के लिये कहिये। आखिर हिन्दुस्तान के अन्दर सुप्रीम कोर्ट की एक और बैंच होनी चाहिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : मुझे पता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप किस गरज से कह रहे हैं। आपके लिये भी यह बोलना बहुत जरूरी है।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की गरीब जनता है। उससे भी गरीब से गरीबतर जनता यदि कहीं वास करती है तो वह उदयपुर डिवीजन में वास करती है। उस समय राजस्थान हाई कोर्ट की वापस तीन बैंच आजाद हिन्दुस्तान, आजाद राजस्थान में बनायी गयी थीं। उसके बाद फिर जोधपुर में रखा गया। फिर जयपुर ने लड़ाई लड़ी और सन् 1977 में जयपुर ने वापस हाई-कोर्ट की बैंच मंगवा ली....(व्यवधान) और उदयपुर के आदिवासी उदयपुर की सारी जनता सन् 1981-82 से बराबर आंदोलित है....

डा. श्रीगोपाल बाहेती : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य की ...... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से, माननीय ला मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं इस पर समय रहते गम्भीरतापूर्वक विचार करें। उदयपुर में सारे लोग, सारी की सारी संस्थाएं अब आंदोलित हो रही हैं न्याय के लिये। Delay defeats equity.

यदि आज न्याय प्राप्त करने में व्यक्ति को डिले हो जाती है, न्याय महंगा मिलता है तो न्याय प्राप्त करने के लिये लोग संघर्ष के रास्ते पर उतर आते हैं। संघर्ष के रास्ते पर कोई उतरे उसके पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप राजस्थान हाई-कोर्ट की बैंच की स्थापना उदयपुर में करवाने में माननीय कटारियाजी, आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। माननीय कनकजी, आप बोलिये। आपके आदिवासी किस हालत में रहते हैं। बोलिये जीतमलजी, बोलिये रघुवीरजी। आप कहां गये ? बोलिये। किस तरह की हालत आज हमारे उस एरिये की है।

श्री उपाध्यक्ष : चपलोत साहब, आपके साथ हैं सब लोग।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं यही बात कहना चाहता हूं क्योंकि आज समय कम दिया गया है इस हाई कोर्ट की बैंच की मांग को नजरंदाज नहीं करके हाई कोर्ट बैंच की मांग प्रमुख रहेगी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आज आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : आदरणीय उपाध्यक्षजी, सदन की नेता...

श्री उपाध्यक्ष : मीणा साहब, मैं थोड़ा निवेदन करूंगा। थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा कम समय लें क्योंकि आज काफी सदस्य बोलने वाले हैं और मुख्य मंत्रीजी का जवाब भी है इसलिये आप तो वैसे भी शार्ट ही बोलते हैं।

श्री रामनारायण मीणा : आपकी भावनाओं को मैं समझता हूं लेकिन आपसे एक अनुरोध करूंगा कि जितना समय माननीय चपलोत साहब को दिया है उतना तो देंगे नं। आप घड़ी मिला लीजिए। मैं, आपकी घंटी की जरूरत नहीं समझता। अब आप समय....(व्यवधान) उन्होंने जोधपुर का विरोध कर दिया तो आप शांत रहे, इसलिए कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन की नेता ने बजट रखा, भाषण दिया, बहुत अच्छा, लचीला सब कुछ ठीक है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कितना पैसा दिया, मैं वह कागजात रख रहा हूं जो मुख्य मंत्रीजी ने यहां रखे। आपने कहीं भी नहीं कहा, कहीं 30 प्रतिशत, कहीं 10 प्रतिशत, मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी से आशा करूंगा कि वह बीच में मुझे टोके नहीं। बहुत गम्भीर आदमी हैं, कम से कम सड़कों का पैसा तो बता देते।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नैनवां में एक सड़क है, नैनवां से उगैण होते हुए टौंक सीमा तक, 20-30 साल से उसकी मांग करते आ रहे हैं। हमने कोशिश की कि यह मिसिंग लिंक में आ जाये, दूसरे वर्क में आ जाये।

(श्री रामनारायण मीणा)

राजस्थान सरकार कहती है कि भारत सरकार का कोई इस तरह का प्रोवीजन नहीं है। भारत सरकार कहती है कि राजस्थान सरकार प्रस्तावित करे तो हम दे देंगे। खैर, यह दोनों के बीच में झगड़ा है और राजस्थान के विकास की हम बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी पढ़ रहा था, कमांड एरिया में आज दिन तक सबसे ज्यादा नहरों का पुनरोद्वार होगा, नये मोगे बनेंगे, स्थिति सुधरेगी और राजस्थान के लिए पैसा अभी 5 करोड़ रखा है। हमने एक दफा भारत सरकार के सामने संसद में यह मामला रखा था कि चम्बल की नहरों में टेल में पानी नहीं आता है। एक बूंदी ब्रांच का भी आप सुदृढ़ीकरण करें, उसका पुनरूद्वार करें, उसका खर्चा आता है साढ़े 700 करोड़, अगर पूरी नहर का और उसकी ब्राचेज का करेंगे। पांच करोड़ रुपये में आप क्या करेंगे और हम कहते हैं कि राजस्थान का विकास कर रहे हैं। खैर मैं इस बात में नहीं जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, समय को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बात आयी थी सरसों क्रय केन्द्रों की, सरसों का पैसा दे रहा है नैफेड, भारत सरकार, व्यवस्थाएं सारी कर रही है भारत सरकार। आप केन्द्र नहीं खोल पा रहे हैं। किसान आगे बढेंगे ?, खैर, किसान कैसे आगे बढ़ेगा। हमने आसन से कहा, आपसे अनुरोध किया कि सरकार जवाब दे। सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अभी चूंकि यहां विराजमान हैं। कोटा के माननीय सदस्य बहुत तकलीफ पाये, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सेठों से मिलकर किसानों की खरीद हो रही है, 300 रुपये क्विंटल का नुकसान हो रहा है। खैर, आप भी जानते हैं और कृषि मंत्रीजी भी जानते हैं, किसान का कोई रखवाला नहीं हो और सरकार को जितना किसानों का हित होगा ऐसे मसलों पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करूंगा बजट में अनुसूचित जाति के लिए कितना भी पैसा हो, लेकिन हमें प्रैक्टिकल में देखना पड़ेगा। उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। मैंने गृह मंत्रीजी से कल भी कहा

(श्री रामनारायण मीणा)

और मुझे दु:ख और आश्चर्य होता है कि गृह मंत्रीजी हमसे कहते है कि लिखकर के भिजवा दीजिये, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं इस सदन में ईमानदारी के नाते भी, व्यावहारिकता के नाते भी और संस्कारित दृष्टि से भी आप हैं। जब गरीब की बात आती है तो आप लिखकर के देने की बात करते हैं। यदि आपका सम्बन्धित व्यक्ति कोई टेलीफोन करे तो आप एक्ट कर देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बांध है, बांका का नया गांव जो मैंने पिछली दफा मंजूर करवाया था। अनुसूचित जाति, जनजाति के शत-प्रतिशत किसान, उन्हें मुआवजा दिया, वहां के चैक हैं और वह चैक किन लोगों को मिले। आप जांच करेंगे तो आपकी आंखे खुल जाएगी। माननीय गृह मंत्रीजी उन चैकों को पैसा बैंक के अधिकारियों ने फर्जी उनका आइडेंटिटीफिकेशन किया, तहसीलदार ने गलत आदमी को दिया। नैनवां थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, देई थाने में नहीं किया, आपका डीवाईएसपी. कुंडली मारकर के उन पर बैठा है और 6 महीने से मुकदमा दर्ज है और तहसीलदार जहां भ्रष्टाचारी हो, उनको गिरफ्तार नहीं करे और केवल इसलिए गिरफ्तार नहीं करे कि आपका सरपंच लेवल का अधिकारी कह दे कि इनकी गिरफ्तरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे केसेज गांवों मे हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भी स्थितियां बनी हैं उनके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं, मुख्य मंत्री ने बहुत पुरजोर से कहा, हम आंगनबाड़ी केन्द्र खोल रहे हैं। इतने खुल गये. नये खोल रहे हैं। यह तो आपकी सरकार नहीं भी रहेगी तो भी खुलेंगे। आंगनबाड़ी केन्द्रों का आपको पता है। 188168 आंगनबाड़ी केन्द्रों का पैसा भारत सरकार दे रही है। आपका क्या जा रहा है। आप भारत सरकार के सामने रिप्रजेंट ढंग से नहीं कर पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ट्यूरिज्म के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। हमें खुशी है कि जयपुर के प्रशासक की और राजस्थान जब बना, राजपूताना बना, उस समय के यहां के राजप्रमुख की मूर्ति लगायी गयी। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कोटा में कोट्या भील की मूर्ति क्यों नहीं

(श्री रामनारायण मीणा)

लगायी जा रही है, बूंदी में बूंदा मीणा की क्यों नहीं लगायी जा रही है। कही कोई सहरिया राजा था उनकी क्यों नहीं लगायी जा रही हैं। हमें एकरूपता से कुछ करना पड़ेगा। हमें खुशी है झालावाड़ में 300 शैय्याओं वाले हास्पिटल बन रहा है। लेकिन अन्य जिलों में यह योजना क्यों नहीं है। हम झालावाड़ के खिलाफ नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बात ओवरड्राफ्ट की, क्योंकि आपने समय के लिए पाबंदी लगा दी इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें कहूं जो शायद आपको अखरें, लिंक में नहीं जोड़ पाऊं। आपने गया बजट देखा। मैं आंकड़े देख रहा था। 2003-2004 का, बहुत ताज्जुब होता है देखकर कि पैसा क्यों खर्च नहीं किया। अब कहते हैं कि यह तो आचार संहिता लगी, पैसा खर्च नहीं हुआ, काम नहीं हुए और आपका क्या जाता है राजस्थान सरकार का, कुओं, बावड़ियों की मरम्मत तक के लिए भारत सरकार पैसा दे रही है और फिर आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ना मिड डे मील के बारे में कुछ कहा जाता है। इसलिए राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं। सोशल वैलफेयर में काम नहीं कर पा रहे हैं। आपके सारे छात्रावासों की हालत-खराब है। सहरियाओं के बारे में आप बात करते हो। यहां जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्रीजी बैठे हैं, माननीय मंत्रीजी हम आपको अपना मानते हैं, सारा सदन मानता है। सारा राजस्थान मानता है। आप अच्छे परिवार से आये हैं, गरीब परिवार से आये हैं और आप माड़ा को भूल गये। राजस्थान के पूर्वी हिस्से में माड़ा जनजाति निवास करती है। आपने कुछ करोड़ रुपये उसके विकास के लिए रखे हैं। हर आदमी कहता है हमारा गांव माड़ा में है। ना आप स्कूलों में पैसा दे पाये। पूरे जिले में पांच हैंड पम्प आप देंगे। फिर कहेंगे कि हम माड़ा क्षेत्र का विकास कर देते हैं। ऐसी स्थितियां जिस राजस्थान की बन रही हो तो हमें बैठकर चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि ना हम साक्षरता में सही बैठ पा रहे हैं, शिक्षा का पैसा आ रहा है, ना उसको खर्च कर पा रहे हैं, उसी प्रकार

(श्री रामनारायण मीणा)

मेरा खयाल है कि यहां कोई सोशल वैलफेयर कार्यक्रम नहीं है। उनके यहां कैम्प लगा, नेत्र रोगी लाचार, आंख फोड़ केन्द्र, एक डाक्टर को जेल के सीखचों के पीछे बन्द नहीं किया गया। चूंकि डाक्टर सम्पन्न व्यक्ति होता है। इलाज कराने वाला गरीब व्यक्ति होता है। खैर, यह सारी बातें क्यों हो रही है। आपने सोशल वैलफेयर के मामले में कहा, आज भी कंजर जाति में, मैं सहरियाओं का विरोध नहीं करता। ऐसी जातियां हैं, घुमक्कड़ जाति है। कंजर जाति है, बेटी से भी गलत काम करवाया जाता है। हमने उनके विकास के लिए क्या किया। रोजाना पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। बेजा उनको टेरेराइज किया जाता है। ऐसों के बारे में माननीय सोशल वैलफेयर मंत्रीजी और सरकार ध्यान दे तो हम राजस्थान वाले कृतज्ञ होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी मेरा जहां तक ख्याल है, इसके बारे में देखेंगे। मैंने एक पत्र लिखा। 27 अगस्त, 2004 को एक पत्र लिखा। मैं एक लैटर पढ़कर बताऊं महावीर पुत्र श्री कानाराम बैरवा ग्राम रामगंज थाना देई, इस आदमी को जान से मारा गया, 377 का केस किया गया। मारने के बाद उसके साथ बेजा हरकत की गयी। उसके साथ व्यभिचार किया गया और उसके बाद में उसकी लाश मिली। मुल्जिम गिरफ्तार हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी, आप लोगों की तरफ ध्यान देने के बजाय गरीबों का काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है। मान्यवर, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आपकी सरकार क्या कर रही है। एक बैरवा जाति का आदमी जिसने मुकदमा दर्ज हुआ, मैं आपको एफ.आई.आर. नम्बर भी बताना चाहता है एक लाइन में और यहां जयपुर में उसका मुकदमा दर्ज हुआ। 107/4 में एफ.आई.आर. है। उसका फैसला हुआ। मुल्जिम को मुरलीपुरा थाने मे सजा हुई और सजा होने के बाद में उसने कहा कि इस व्यक्ति के साथ गलत काम हुआ है, बेजा हरकत हुई है। आपने एस.सी., एस.टी. अधिनियम में और सोशल वैलफेयर में आपका 17/2004 का केस है। मुरलीपुरा थाने का 302, 377 शिड्युल्ड कास्ट का व्यक्ति, महावीर नाम का लड़का था।

(श्री रामनारायण मीणा)

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको दस हजार रुपए दिए जाते हैं, आपके सोशल वैलफेयर का एक सर्क्यूलर है, ऐसे व्यक्तियों को दो लाख रुपए मिलने चाहिए, यदि उस क्लाज को नहीं माने तो दूसरे क्लाज में एक लाख रुपए देने चाहिए। आप गरीब व्यक्तियों को पैसा देने से क्यों हिचकिचा रहे हो ? सोशल वैलफेयर का लगभग सारा पैसा भारत सरकार से आता है, ऐसी बात आप लोग नहीं करेंगे तो गरीब तबके में भावना जाएगी।

अभी शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे कि हमने बैकलाग भर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम है कि पहला व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट का होगा, चौथा व्यक्ति ट्राइब्स का होगा, इसी तरह से चूंकि जब से ओ.बी.सी. का आया है तब से आपने रेंज बदल दी, उस तरह से आप नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हो ? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ध्यान है कि भीलवाड़ा में सिपाहियों की भर्ती हुई, वहां शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों से कहा गया कि आपका कोटा तो पहले ही पूरा है, उनको नहीं लिया गया, आप क्यों नहीं कानून बदलना चाहते हो ? भारत सरकार ने कभी नहीं कहा, न आयोग ने कहा, कोटा तो आगे से पूरा किया जाएगा। पहले वाले लड़के जितने हैं उनको आप बैकलाग को हटाकर नियुक्ति नहीं देना चाहते। जहां ऐसी स्थिति हो रही हो, आपका कलक्टर आपको लिखे वहां आपको कुछ नहीं करना चाहिए ? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय गृह मंत्रीजी, भारत सरकार आपको पैसा दे रही है, प्रचार आप अपने पक्ष में कर रहे हैं।

हरित क्रांति के तहत आपको करोडों-अरबों रुपया एनीकटों का मिल रहा है, स्वीकृतियां जारी हो रही हैं। सवा साल आपकी सरकार को हो गया, एनीकटों का पैसा मंजूर हो गया, काम नहीं हुआ। मैं मेरे नैनवां की बात आपसे कहना चाहता हूं कि वहां नौ एनीकट आपने मंजूर किए, एक एनीकट का काम पूरा नहीं हुआ। जब इस तरह से काम पूरा नहीं होगा तो पैसा खर्च नहीं होगा और आपको ऋण लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए यह कहकर आप बच नहीं सकते कि हमने आपका पैसा नहीं लिया।

(श्री रामनारायण मीणा)

मैं अभी रोजगार सेवा निदेशालय का परिपत्र पढ रहा था। रोजगार सेवा निदेशालय के नाम से आपने कितनी नौकरियां दी ? आप गिनना चाहते हो अकाल राहत के काम, आपने इतने दिन श्रमिकों के सृजित कर दिए, काम दे दिया। आखिर आप अकाल राहत के काम गिनाएंगे तो कैसे काम चलेगा ? जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, यह राजस्थान का सवाल नहीं है, यह हिन्दुस्तान का सवाल है। गरीब लोगों को हम एक साइकिल देकर या चार बकरियां देकर और वह भी उन जिलों में जहां दस हजार आदमी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों उनमें पांच सौ आदमियों को चार-चार बकरियां देकर देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे ? हमें विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इस पर मनन करना पड़ेगा और मनन इसलिए करना पड़ेगा कि आप तो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं।

मैं जब पहली बार विधायक बना था और इस सदन में आया था तो पांच सौ रुपए में बिजली का कनेक्शन मिलता था, पोल कितने भी लगो। आज आपने यह जो किताब निकाली है "कृषि कनेक्शन नीति, 2004", मैं विरोध की बात नहीं करता, सारे हिन्दुस्तान में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, मैं विरोध की बात नहीं करता कि किसने यह किया। मैं तो यह कहता हूं कि हर राज आया तो पैसा बढा और हम फैक्ट्री वालों का तो सैल्स टैक्स माफ कर देते हैं करोड़ों रुपयों का और किसानों के लिए कहते हैं कि किसान सरसब्ज हो रहा है। किसान के पास तीन बीघा जमीन और वह भी झामर कोहड़ा में हो तो वह उस तीन बीघा जमीन में कैसे कुआं खोद पाएगा और कैसे बिजली का कनेक्शन ले पाएगा ? इस स्थिति पर हमें एकजुट होकर, एक राय से मनन करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, पानी सात-सात सौ फीट नीचे चला गया है आज की तारीख में तो वह पांच हार्स पावर के 12,500 रुपए कैसे दे सकता है, उसकी जमीन की कीमत ही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े सात हार्स पावर से नीचे है ही नहीं। मैं आपके इलाके की बात कह रहा हूं, गरीबों की बात कह रहा हूं। इस बारे में दो लाइन आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जहां यह स्थिति पैदा हो रही हो वहां हमको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।

(श्री रामनारायण मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में आपने टूरिज्म के नाम से पैसा दिया, गरीब के नाम से कितना दिया और कितना खर्च हुआ, ये सारी बातें हैं। हैरिटेज का पैसा दिया और किनको दिया ? मूर्ति लगे जयपुर के राजा की, हमें नाराजगी नहीं है क्योंकि हम तो उनके वह रहे हैं लेकिन कोटया भील की मूर्ति भी लगती तो अच्छा लगता और एकरूपता लगती। मैं आपकी भावना व्यक्त कर रहा हूं, आप नाराज मत होइए, आपकी भी वही भावना है जो मेरी भावना है।

ग़रीब कैसे आगे बढ़े, गरीब को कैसे गणेश मानकर चलने की बात कही, कितने गरीबों का भला हुआ ? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सदन में हम कुछ भी बात कहें, कांग्रेस के राज में यह हुआ, धन्नालाल बेईमान था तो नाम लो, बी.जे.पी. के राज में यह हुआ, किसने क्या किया, मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमें पार्टीबाजी से ऊपर उठकर राजस्थान का विकास कैसे हो, गरीब को बिजली का कनेक्शन कैसे मिले, पावर का उत्पादन कैसे हो इस पर विचार करना चाहिए। गत सत्र में हमने कहा था कि कैप्टिव पावर प्लांट पर सरचार्ज मत लगाओ, आपने जो सरचार्ज लगाया उसको आज विथड्रा कर रहे हो, आप तो ईमानदार हो न ?

बहुत कुछ कहने की बाते हैं लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बजट में राजस्थान की सरकार गरीब के प्रति जो भावना है उसको ठीक करे, सभी को साथ लेकर चले, जो कुछ हो रहा है, क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है और चूंकि बजट में कहने की बात नहीं है लेकिन मैं सरकार में बैठे नुमाइन्दों से कहना चाहता हूं कि किसान भूल जाएगा सरसों की खरीद को। मैं तो कहता हूं, मैंने कहा भी है और कहूंगा भी सही, सरसों की खरीद में किसानों के ऊपर जो मार पड रही है, किसान की आह हम सब लोगों को ले डूबेगी। गरीब आदमी के पास सरसों दिख रही है, मीडिया कहता है कि खूब सरसों पैदा हुई लेकिन 2500 रुपए की सरसों 1300

(श्री रामनारायण मीणा)

रुपए में बेच रहे हैं, चार-चार दिन तक ट्रोली का पैसा देकर, उस पर मनन कीजिए, मंथन कीजिए। उसके पास सरसों कम हुई है, जिसके पास चार क्विंटल सरसों होती थी उसके पास दो क्विंटल, डेढ क्विंटल, ढ़ाई क्विंटल ही पैदा हुई है। इसलिए किसान को कैसे बचाया जाए, ऐसी जो भी स्थिति है राजस्थान में उसको ठीक किया जाए। मुझे खुशी है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने घण्टी नहीं बजाई। हालांकि मैंने समय कम लिया है चपलोत साहब से और महावीरजी, चपलोत साहब का विरोध कर रहे हैं इसलिए कि उनको खतरा हो गया कि चपलोत साहब मुख्य सचेतक न बन जाए। वह तो उप मुख्य मंत्री बनेंगे महावीरजी, मुख्य सचेतक की आप चिन्ता छोडो, उनसे नाराज मत हो, वे बोले तो आप खडे मत होना।

इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी टाइम देंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया : लास्ट में नहीं उपाध्यक्ष महोदय, हम में से एक भी नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में टाइम देंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने वर्ष 2005-06 का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें सम्पूर्ण प्रदेश का विकास कैसे हो, हर वर्ग चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए 8350 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना इस प्रदेश की जनता को समर्पित की, उसके लिए मैं उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री रामलाल शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिन से इस बजट पर बहस हो रही है। प्रतिपक्ष के कुछ विरोधाभासों की वजह से दो दिन बहस नहीं हो सकी। केवल आलोचना करना है इसलिए बजट की आलोचना करें, यह प्रतिपक्ष की नीति रही है। प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह तो आंकड़ों का मायाजाल है, कुछ ने कहा कि योजना तो बहुत बढ़िया बनाई, सपने बहुत बढ़िया दिखाए, लेकिन क्या ये सपने साकार हो पाएंगे ? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिनकी नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं होता, भगवान भी उनका साथ देता है। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदय की नीति और नीयत साफ है क्योंकि वहं जो कहती हैं वही करती हैं। "गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वह क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं", जिनकी सोच और कल्पना ही नहीं है, जो कुछ करना ही नहीं चाहते। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि पिछले पांच साल आपकी सरकार रही, उसमें आपने एक ही काम किया कि युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। युवा लोग आपकी सरकार की ओर देखते रहे लेकिन एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम आपकी सरकार ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई, सभी वर्गों ने जो सपने देखें उन्हें पूरा करने, साकार करने के लिए पिछले बजट के अन्दर और इस बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने एक आह्वान किया है। मैं तो यह कहता हूं कि जो पंचायत चुनाव सम्पन्न हुए। यदि उन पंचायतों के चुनाव के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में जितने भाषण माननीय सदस्यों ने दिये, इसमें प्रतिपक्ष भी शामिल है, सभी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश के अब तक के इतिहास में सबसे अधिक कार्य हुए। राजीव गांधी के नाम से स्कूलें खोलकर चले गये। उनके अन्दर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, भवन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था हुई या नहीं हुई, पढ़ाने वाले शिक्षक का स्तर क्या है इसकी चिन्ता इन्होंने नहीं की, लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद राजीव गांधी पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित किया। प्रदेश के अन्दर नये प्राथमिक विद्यालय खोले, प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने का कार्य किया।

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी भी कार्य को करने के लिए कार्य के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। हल्ला मचता है कि ओलावृष्टि के ऊपर सरकार का स्टेटमैंट आना चाहिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमने सबसे पहले 25 जिलों में 50 परसेंट अधिक खराबा यदि था, लगभग 18315 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करके वहां कार्य करना शुरू किया। पहली बार लगभग 415 करोड़ रुपये का आपदा प्रबंधन का बजट का अलग से प्रावधान किया गया। यह इस बात को दर्शाता है कि यह सरकार प्रभावित लोगों की कितनी मदद करना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पहली बार जो सी.आर.एफ. के नोर्म्स के तहत नहीं आते थे ऐसे लोगों के लिए राजस्थान के अन्दर राजस्थान राहत कोष की स्थापना की, जिसके अन्दर 5 करोड़ का प्रावधान किया गया। यह पहली बार स्थापना हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं एक विषय सभी माननीय सदस्यों से जुड़ा हुआ है। किसी भी गरीब आदमी के घर में आग लगती है तो पहली बात तो गरीब आदमी है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है इसलिए उसका कच्चा घर है और उसके घर में आग लगती है, जिस घर में वह रहता है वो जलता है, जिस खाट पर सोता है वह जलती है, जिस गद्दे को बिछाकर वह सोता हे वो भी जलता है। जिस अनाज को वह खाता है वह भी जलता है, सब कुछ जलने के बाद आशा भरी निगाह से वह सरकार की ओर देखता हे, जन-प्रतिनिधि की ओर देखता है। इसलिए मेरा इतना निवेदन जरूर है कि इस बजट के अन्दर यह भी प्रावधान होना चाहिए कि जो भी इस तरह की प्राकृतिक आपदा है, एकमात्र उसको जन-प्रतिनिधि दिखायी देता है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन विधायक को इतना अधिकार नहीं है कि वो इस अग्नि पीडित व्यक्ति की आर्थिक मदद के लिए अपनी अनुशंषा करे। आपके माध्यम से इतना निवेदन जरूर है कि इस बजट के अन्दर ज्यादा भी नहीं तो पांच लाख का और प्रावधान निश्चित रूप से होना चाहिए कि जन-प्रतिनिधि को ऐसा अधिकार मिले कि वो ऐसे व्यक्तियों की मदद कर सके।

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा इस बजट के अन्दर चाहे कोई सा वर्ग हो, चाहे जनजाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे महिला हो, सभी का सम्मान करने की दृष्टि से, सभी का उत्थान करने की दृष्टि से इस बजट के अन्दर प्रावधान किया गया है। पहली बार जनजाति बजट को 30 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 75 करोड़ रुपये किया गया। यह प्रावधान इस बात को दर्शाता है कि यह सरकार जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए कितने कार्य करना चाहती है।

दूसरी, शिक्षा मित्र नाम से जो योजना लागू की गई उस योजना के तहत पहली बार बारहवीं कक्षा पास करने के बाद शिक्षा मित्र योजना के तहत 40 रुपये प्रतिदिना प्रति छात्र के हिसाब से प्रतिमाह का जो वेतनमान देय किया गया उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया धन्यवाद की पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक किसान होता है, किसान का सपना होता है मेरे खेत के अन्दर एक कुआं बने, उस कुएं के अन्दर बिजली का कनेक्शन हो और बिजली का कनेक्शन होने के बाद मैं भी अपने परिवार को इस मुख्य धारा में लाने का प्रयास करूं, मैं भी अपने परिवार का जीवन स्तर बढ़ाने का प्रयास करूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा पिछली सरकारों ने आवेदन जमा कराया 90 के आसपास, लेकिन इन सरकारों की कमी की वजह से जब उसका कनेक्शन का नम्बर आया तब तक वो व्यक्ति जिसके नाम से प्रार्थना-पत्र, आवेदन था वो व्यक्ति इस संसार से जा चुका होता है और जाने के बाद में उसका पुत्र पहले तो अपना नाम ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन करता है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, कृपया यह कनेक्शन मेरे नाम से किया जाए। इस सरकार ने पहली बार लगभग 40 हजार कनेक्शन देकर किसान की मदद करने का, किसान को आगे मुख्य धारा मे लाने का प्रयास किया है। इस बात के लिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री रामलाल शर्मा)

दूसरी बात महिलाओं के क्षेत्र के अन्दर आज इस बजट में प्रावधान किया, साक्षरता दर बढ़ाने के लिए 5 हजार महिला साक्षरता कैम्प लगाने का प्रावधान है। 500 आवासीय ब्रिज कोर्स चलाने का प्रावधान है। पहली बार ग्रामीण छात्राओं की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के अन्दर निःशुल्क यात्रा करने का प्रावधान इस बजट में दिया गया है। मैं समझता हूं कि महिलाओं और छात्राओं के लिए यह योजना एक बहुत ही मददगार साबित होगी ग्रामीण क्षेत्र में।

सैनिक कल्याण के क्षेत्र में इस बजट में प्रावधान किया, सैनिक कल्याण बोर्ड, भीलवाड़ा के अन्दर स्थापित होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो भी विधवाएं हैं उनको 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये की सहायता की गई। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 1500 रुपये से बढ़ाकर लगभग 2000 की गई। इन सब बातों से इतना जरूर प्रतीत होता है कि यह सरकार सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट में प्रावधान किया गया। लगभग 27 सामुदायिक भवन खोलने की योजना है, 34 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना और पहली बार 570 ए.एन.एम. जैसलमेर और बाड़मेर, तगारामजी चले गये, उनको कहना चाहता हूं, सांगसिंहजी भाटी और तगारामजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार उनकी भावनाओं की कद्र इस सदन के अन्दर हुई है, 570 ए.एन.एम. के पद स्वीकृत किये गये, निश्चित रूप से यह गरीब और असहाय व्यक्तियों की मदद के लिए कारगर साबित होगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पहली बार बोल रहा हूं और उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुत तेज घण्टी बजा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : करीब-करीब सारी बात आ गई, अब अपने क्षेत्र की कह दो।

श्री रामलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार इस बजट के अन्दर मुझे लगता है गरीब किसान जो दिन-रात मेहनत करता है, खुद के साथ अपने परिवार का परिश्रम भी उसमें लगता है, लेकिन किसान को आज दिन तक यह अधिकार नहीं कि उसकी छह महीने की फसल जब वह बेचने के लिए जाता है और बेचने के समय उस व्यक्ति को इतना अधिकार नहीं कि वह मनचाहें भावों से बेच सके। उस समय भी उसके मन का भाव नहीं होता, उस समय भी जो व्यापारी है उसी का भाव चलता है। वो कहता है आपको हजार रुपये में बेचना है या नहीं किसान देखता है हजार रुपये में अगर यह फसल मैंने नहीं बेची, रास्ते में वे लोग खड़े हैं जिनसे उधार लिया हुआ है। मजबूरी में अपने छह महीने की कठिन तपस्या से तैयार की हुई फसल को व्यापारी के मनचाहे भावों पर बेचना पड़ता है। इसलिए पहली बार इस सरकार ने सोचा किसानों का जीवन-स्तर भी ऊंचा उठे और 66 करोड़ की योजना जो पिछले वर्ष बजट में प्रावधान किया गया था कृषि क्षेत्र में खर्च करने का इस वर्ष के अन्दर 136 करोड़ रुपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है। जो किसानों के जीवन उत्थान के लिए कृषि कार्यों की सहायता के लिए खर्च किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में चाहे फव्वारा पद्धति हो, चाहे बूंद-बूंद पाइप लाइन की व्यवस्था हो, लगभग 20 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस बजट में जो प्रावधान किया मैं समझता हूं सभी को इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना तो बहुत चाहता हूं ऊर्जा के क्षेत्र में भी, लेकिन आपकी घण्टी मेरे कानों में दुबारा नहीं सुनाई दे इसके लिए दो या तीन सुझाव इस बजट के लिए और देना चाहता हूं। आज से 10 साल पहले किसी व्यक्ति ने यदि थ्री फेस के अन्दर कृषि कनेक्शन लिया उस समय उस व्यक्ति के पास 20 बीघा जमीन होती है। 20 बीघा जमीन में थ्री फेस का कनेक्शन लगाने के बाद भी वो किसान अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है, लेकिन धीरे-धीरे उसकी दूसरी या तीसरी पीढी में हम देखें, जमीन का बंटवारा होते-होते तीन या चार बीघा जमीन रह जाए और उस तीन बीघा जमीन के अन्दर हम कहें कि आप थ्री फेस का कनेक्शन लो, मैं समझता हूं

(श्री रामलाल शर्मा)

वो व्यक्ति परिवार का ही नहीं खुद का पालन नहीं कर सकता। इसलिए मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि कृषि नीति लागू की गई है उसके अन्दर संशोधन करके सिंगल फेस के कृषि कनेक्शन जारी किये जाएं। जिससे कि कम जमीन होने की वजह से खर्च भी उस व्यक्ति का कम आएगा और बिजली का बिल भी उसको कम देना पड़ेगा।

मेरा दूसरा सुझाव है कि नर्सरी योजना में जो कनेक्शन 2000 में तत्कालीन सरकार द्वारा प्रतिबंधित किये गये थे उन नर्सरी कनेक्शन के ऊपर सामान्य श्रेणी में प्रावधान करने का जो बैन लगा हुआ है वह खोला जाए। तीसरा, इस बजट प्रावधान में पुलिस में चार हजार व्यक्तियों की भर्ती का प्रावधान किया गया है, वर्तमान में पुलिस के अन्दर जो आपस में अनुशासन की जो गिरावट आ रही है, मैं समझता हूं कि यह गिरावट लम्बे समय तक जारी रही तो हो सकता है कि एक अनुशासन जो इनका प्रमुख कर्तव्य हुआ करता था पुलिस का, पुनर्गठन क्षेत्रवार दुबारा होना चाहिए और जहां आवश्यकता हो चौकी खोलने की या थाने खोलने की निश्चित रूप से थाने और चौकी स्थापित होने चाहिए।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जयपुर में पूरे प्रदेश से ही नहीं प्रदेश के बाहर के दूसरे राज्यों से भी मरीज दिखाने के लिए आते हैं। इस एस.एम.एस. चिकित्सालय के दबाव को कम करने के लिए मेरा सुझाव है, इस बजट में प्रावधान होना चाहिए कि जयपुर को 30 किलोमीटर की परिधि में मानकर आसपास के जितने भी कस्बे हैं चाहे वह चौमूं हो, चाहे बगरू हो, चाहे चाकसू हो, चाहे बस्सी हो, चाहे शाहपूरा हो, इस आसपास के 30 किलोमीटर की परिधि में पड़ने वाले कस्बों में सभी में सैटेलाइट चिकित्सालय की सुविधा मिलें तो इस एस.एम.एस. चिकित्सालय का दबाव भी कम होगा और आसपास के रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा।

(श्री रामलाल शर्मा)

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है, वर्तमान समय में हम सब के सामने बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि यह दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। यदि इन दोनों समस्याओं पर हमने काबू पाया तो निश्चित रूप से हर परिवार और हर समाज खुशी-खुशी रह सकता है और अपना खुशी से जीवन यापन कर सकता है। इस बजट में जनसंख्या वृद्धि में रोकथाम के उपाय भी होने चाहिए। राज्य सरकार ने पहली बार सरकारी नौकरियों में रोजगार दिया है। इसके अलावा भी रोजगार उपलब्ध करवाने वाले विकासात्मक कार्य और अधिक होने चाहिए। एक मांग मेरी जो प्रमुख है, सभी उस मांग से सहमत हैं। इस बजट के अन्दर घोषणा की गई कि 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जाएगा। यह 500 का आंकड़ा नहीं रखकर यदि हम यह तय करें कि राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सैकण्डरी विद्यालय खुलेगा तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। आपने बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री बंशीलाल खटीक।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी कोई नम्बर आएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपका है।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से अभी निर्दलियों में कोई नहीं बोला है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमंद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं रंगों के त्यौहार इस होली के पावन पर्व पर आप सब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया साहिबा को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने

सर्वदेवमयी गौ-माता की जो सुरक्षा, सम्मान और व्यवस्था आपने अपने बजट में रखी है, गौवंश और गौपालकों के लिए एक अच्छी शुरूआत साबित हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गौ सेवा आयोग को गौ चारे के लिए दो करोड़ रुपये का अनुदान देने का जो प्रावधान रखा इसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई और प्रत्येक जिले में एक गौशाला को आदर्श गौशाला के रूप में विकसित करने और गौशालाओं को राहत देने के लिए जो प्रावधान रखा है बहुत ही स्वागत और सराहनीय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया एक धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत और भारतीय संस्कृति को सदैव जीवित रखने वाली हमारी मुख्य मंत्री महोदय हैं। आपने अपने बजट में मूर्तिकला और मूर्तिकारों को बढावा देने के लिए बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में जो विशेष केन्द्र स्थापित करने का और पूरातन धरोहरों के संरक्षण व विकास के लिए योजना के प्रयासों का भी हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल, आज और 3-4 दिन से विपक्ष के लोगों ने सदन की गरिमा और परम्पराओं का खुला उल्लंघन किया है जो बहुत ही शर्मनाक और जानवरों की तरह सदन में आवाजें हू, हू ऐसी आवाजें निकाल रहे थे, शायद ईश्वर ने थोड़ी भूल कर दी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस विवाद में आप मत पड़ो, अपनी बात कहें।

श्री बंशीलाल खटीक : मेरी आत्मा की आवाज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहनी पड़ेगी। शायद ईश्वर ने थोड़ी भूल कर दी कि इनको मानव जीवन तो दे दिया, इनको जो ये आवाजें निकाल रहे थे जैसा ही जीवन देना चाहिए जो इनको पसंद है।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लघु उद्योग और खादी बहुत ही पसंद थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे कांग्रेसी बंधुओं को कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी खाली कांग्रेस की बपौती नहीं हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिन्दुस्तान की एक धरोहर हैं और हिन्दुस्तान को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, वह आदरणीय और सराहनीय हैं, दांडी यात्रा निकाल कर ये

(श्री बंशीलाल खटीक)

महात्मा गांधी को एक तरफा करना चाहते हैं और कांग्रेस का प्रतिनिधि बताना चाहते हैं। मैं इन कांग्रेसी बन्धुओं को कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी सर्व सामान्य के लिए सम्माननीय हैं इनको एक जगह एक कटघरे में खड़े मत करो। मेरे प्यारे बन्धुओं, ये तो हिन्दुस्तान की धरोहर हैं आपकी बपौती नहीं हैं। हम भी महात्मा गांधी को मानते हैं इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जो लघु उद्योग, खादी के ऊपर जो प्रावधान रखा है, उस अनुदान को दुगुना करके जो प्रावधान रखा है, मैं इसके लिए भी उनका बहुत बहुत सम्मान और स्वागत करता हूं। गांधी सब के लिए सम्माननीय हैं। यह तो आपको मैंने बात बताई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यह यशस्वी और तेजस्वी मुख्य मंत्री ने हमारे मार्बल क्षेत्र में प्रस्तावित बजट में मार्बल पर विक्रय कर की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत एवं कच्चे माल पर 3 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का जो उनका प्रावधान है इसके लिए वह बहुत-बहुत बधाई की पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए हमारे विपक्ष के बन्धु इस हिन्दुस्तान में व राजस्थान में, मैं मानता हूं सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस पवित्र सदन में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि यह चाहते, इनकी नीयत नहीं है, यदि इनकी सही नीयत होती तो आज एस.सी., एस.टी. का जो भला होना चाहिए उसमें कोई बाकी नहीं रहता पर कांग्रेस के प्यारे बन्धुओं ने खाली एस.सी., एस.टी. के वोट बटोरो उनको शिक्षित मत करो, उनको जहां का जहां रहने दो, यदि शिक्षित ये कर देवें तो इनकी सब पोल वह एस.सी., एस.टी. वाले जान लेते। थोड़े दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी का राज आया और एस.सी., एस.टी.का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान किया, स्वागत किया, वह शिक्षित हुए तो शिक्षित होने के बाद मेरे कांग्रेसी बन्धुओं की पोल जानने लगे तो पोल जानने के बाद में आज प्रमाणिक हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में कितने एस.सी., एस.टी. के सम्माननीय सदस्य हैं, यह प्रमाणित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के लिए जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो अनुसूचित जाति की

(श्री बंशीलाल खटीक)

लड़कियों की शादी के जो 5 हजार देने का प्रावधान रखा, मैं इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों के सर्वांगीण विकास और उत्थान के लिए जो उन्होंने योजना बनाई वास्तव में वे बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र राजसमंद जो कि एक जिला मुख्यालय है उसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने महिला महाविद्यालय खोलने और उसका भवन बनाने की जो घोषणा की हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी नाथद्वारा से पधारने वाले सी.पी. साहब बिराजे हुए हैं तो मैं माननीय सी.पी. साहब से निवेदन करता कि हमारे नाथद्वारा श्री नाथजी के मंदिर के लिए जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी धार्मिक प्रवृति और संस्कारों से जिस प्रकार का हमारे श्री नाथजी के मंदिर का जो विकास के लिए उन्होंने प्रावधान किया है। मैं समझता हूं माननीय सी.पी. साहब को भी माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए था पर कारण यह है कि उनके ऊपर भी प्रतिपक्ष का थोड़ा बहुत ध्यान रखना आवश्यक है, इसलिए शायद इन्होंने बधाई नहीं दी। इनकी आत्मा की तो आवाज है।

डा. सी.पी. जोशी : एक भी पैसा बजट में नहीं है।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सी.पी. साहब, हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया एक धार्मिक प्रवृति की और संस्कारों वाली हैं, हम जो कहते हैं, करते हैं। हमारी कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के विचारों में भी कभी फर्क नहीं रहा। यह कथनी और करनी में फर्क खाली कांग्रेस में हैं। ये कहते आये हैं, करते कुछ नहीं हैं। खम्बे डाल दिये, वोट ले लिये और फिर वापस खम्बे चले गये, यह आपकी रीति-नीति रही है।

(श्री बंशीलाल खटीक)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा पर आज मेरी भावनाओं को सदन में उदघाटित करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : रोज ही करते हो आज थोड़ा कम करो।

श्री बंशीलाल खटीक : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल का भारी संकट है जिसका समाधान करना नितान्त आवश्यक है। आज भी हम पेयजल के लिए बहुत ही संकट में हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कहना चाहूंगा कि मेरा राजसमन्द जिला जो जिला मुख्यालय है और वहां एक राजसमन्द झील थी जिसका कभी पैंदा नजर नहीं आया, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मेरे दिल को दर्द होता है कि आज उस झील का पैंदा नजर आने लग गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार उदयपुर झीलों की नगरी है और उसके पेयजल और सिंचाई के लिए जो प्रावधान रखा है, उसी प्रकार राजसमन्द जिले के लिए भी कोई ऐसा प्रावधान रखें ताकि मेरा राजसमन्द जिला और जो राजसमन्द झील के नाम जाना जाता है, पर्यटन के नाम से जाना जाता है उन दोनों को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा क्षेत्र पूर्व में तो कृषि का क्षेत्र था पर प्रभु श्री इन्द्र देव के रूठ जाने से आज हमारे क्षेत्र में पानी नहीं हैं। न पीने के लिए पानी है न सिंचाई के लिए पानी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी आजीविका का एक ही साधन मार्बल है। आये दिन हमारे क्षेत्र में मार्बल के ऊपर कोई न कोई कुठाराघात होता रहता है। किसी समय रायल्टी के बारे में होती है, कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से होता है। न जाने किसी भी समय हमारे मार्बल के ऊपर एक कच्चे धागे की लटकती हुई तलवार रहती है कि न जाने कब गिर जाए और मार्बल उद्योग के ऊपर संकट आ जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री बंशीलाल खटीक)

निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र मार्बल बहुल क्षेत्र है और मार्बल क्षेत्र को जितना बढावा दे सकते हैं, उतना बढ़ावा दें। ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को रोजी रोटी के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़े, ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया और समय देकर मेरी जो व्यथा इस सदन में आनी चाहिए थी वह मैंने कहीं। मैं आपके सबके, पूरे सदन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ईश्वर से यही कामना करता हूं और आप सब से निवेदन करता हूं कि मेरा क्षेत्र कांकरोली जो प्रभु श्री द्वारिकाधीश की नगरी है, उस नगरी को भी आप विशेष पैकेज दें ताकि प्रभु श्री द्वारिकाधीश की नगरी, उन सभी धार्मिक नगरों एवं पर्यटन को जिस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है उसी प्रकार राजसमन्द को भी बढ़ावा दें।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द, वन्दे मातरम्।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद । श्री जीतमल खांट। बहुत बढ़िया। देखो कितने संयम से बात हो रही है। आप बीच में टोका-टाकी नहीं करें तो ऐसे ही होता है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण 2005-06 पर बोलने की आपने अनुमति प्रदान की, मैं आपका आभारी हूं। सबसे पहले इस बजट भाषण में बिन्दु संख्या 13 पर जाने-माने अर्थशास्त्रियों ने जो अपना मत प्रकट किया है, मैं बताना चाहूंगा कि अर्थशास्त्रियों के मत में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व अशक्त वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। इसके साथ ही ऐसे वर्ग को उन सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाना है जिन्हें प्राप्त करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अशक्त वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने हेतु उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आज

(श्री जीतमल खांट)

के परिप्रेक्ष्य में सामान्यजन की शासन से अपेक्षा पहले से कहीं अधिक है। इस दृष्टि से शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के स्तर में सुधार तथा आम आदमी तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है।

माननीय उपाध्यक्षजी, जिन अर्थशास्त्रियों ने जो मत व्यक्त किया है, मैं आपके माध्यम से इस सर्वोच्च सदन में माननीय सदस्यों ने जो अपने बहुमूल्य सुझाव, समस्या समाधान के तौर तरीके, रीति-रिवाज पेश की है, मैं भी अपने सुझाव, अपनी बात को जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश विशाल भू-भाग में फैला हुआ प्रदेश है। हर इलाके की अपनी अलग-अलग परिस्थितियां हैं, समस्याएं है। हम सभी माननीय सदस्य इसी सदन में लोकतांत्रिक ढंग से सवाल-जवाब, शून्यकाल, स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जन समस्याओं को इस सदन में उठाने का काम करते हैं और राजस्थान के उस ढाणी, मजरों में रहने वाली गरीब जनता की तरफ इस सरकार का ध्यान दिलाना हमारा उत्तरदायित्व समझते हैं। मैं अर्थशास्त्र का विधार्थी नहीं होने के नाते आंकड़ों के इस जाल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आज़ हमने हमारा घाटा कम कर दिया, योजना का आकार बढ़ा दिया, यह तरह-तरह के सवाल इस सदन के सामने आते हैं, सभी माननीय सदस्य, अपने आरोप-प्रत्यारोप यहां खड़ा करते हैं। मुझे इन 15 महीनों के दरम्यान में इस सरकार की जो प्रमुख उपलब्धि रही है और यह हम सब की चिंता होनी चाहिए कि प्रदेश के अन्दर शिक्षा का प्रचार-प्रसार अच्छा हो, गांव, ढाणी और मजरों में रहने वाला हर व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझे, उसके लिए निश्चित रूप से हमारे शिक्षाविद् और विद्वान शिक्षा मंत्री तिवाड़ी साहब ने इन 15 महीनों के दरम्यान शिक्षा में जो क्रांन्तिकारी परिवर्तन किया है, निश्चित रूप से वह स्वागत के योग्य है। लेकिन सरकारें हमेशा बदलती रहती हैं, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहां पर हमारे राजस्थान का यह 56वां स्थापना दिवस भी मना लिया हमने, आजादी का 57वां यह हमारा वर्ष है, यह समाप्ति की ओर है। आज हम देखते हैं कि राजस्थान का दक्षिणी राजस्थान जहां पर हमारे पूरे राजस्थान की कुल 31

लाख जनजाति आबादी निवास करती है। इस क्षेत्र के अन्दर 40 साल तक इस कांग्रेस पार्टी का राज रहा, बीच में जनता पार्टी, जनता दल का भी सहयोग रहा, सरकार रही लेकिन इस सदन में आरोप-प्रत्यारोप लगाने से हमारा जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है, वह समाप्त नहीं हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उदयपुर सम्भाग के वरिष्ठ माननीय सदस्य माननीय चपलोत साहब ने उस गरीबी के ऊपर चित्रण किया है, आज भी हम उन परिस्थितियों के सामने जब हम उन ढ़ाणियों और मजरों के पिछड़े हुए क्षेत्र पर गम्भीरता से अगर हम चिन्तन-मनन करें तो आखिर में हमें जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए था, विकास और उस मुकाम के बीच में गैप बना हुआ है। उस दूरी को पाटने के लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर हमें आत्म चिंतन-मनन करना चाहिए कि आजादी मिलने से पहले चाहे मेवाड़ का क्षेत्र हो चाहे बागड़ क्षेत्र में रहने वाला वह गरीब-आदिवासी हो। किसी जमाने में जब स्टेट का जमाना था, राजा-महाराजाओं का जमाना था, उस दिन भी हम लोग दीया जलाकर हमारी दिनचर्या पूरी किया करते थे। आज मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 57 साल का यह हम वर्ष पूरा करने जा रहे हैं और उसके बावजूद भी उन ढ़ाणी-मजरों और गांवों के अन्दर उदयपुर सम्भाग के उन ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के 70 प्रतिशत ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी सूरज ढलने के बाद में ढ़ाणियों, पठारों और दर्रों के किनारे पर रहने वाले, उन नदी के किनारे पर रहने वाले, उन पहाड़ों पर रहने वाले गरीब आदिवासी के मकान में सूरज ढ़लने के बाद में तारों की तरह टिमटिमाते हुए दीपक आज भी जलते रहते हैं। इस सदन के अन्दर मैं कहना चाहता हूं कि आखिर उस गरीब और दलित और पिछड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसकी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने के लिए आज आजादी के पहले जिनके घर में दीपक जला करते थे, आज भी हम दीपक जलाकर हमारी दिनचर्या पूरी करते हैं। इस सदन में बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों को आखिर में सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोगों ने नहीं सोचा तो यह सम्पूर्ण उदयपुर क्षेत्र जो

(श्री जीतमल खांट)

ट्राइबल सब प्लान एरिया में आता है, यहां पर गरीब किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित सबके मन में एक राजनीति के प्रति कुंठित होती जा रही भावना है। पांच साल का इनका राज रहा, पांच साल के बाद में किसी और का राज आ जाएगा। आखिर में उस बागड़ और मेवाड़ क्षेत्र में रहने वाले सभी जनजाति लोंगों के दिल में राजनैतिक भावना को पुनर्जागरण करने लिए हम सबको मिलकर विद्युत के सम्बन्ध में एक पालिसी तैयार करनी चाहिए, एक नीति का निर्धारण करना चाहिए। बड़ी-बड़ी सिटीज के अन्दर दिन और रात बिजली जलती रहती है, 57 साल की आजादी के बाद एक बत्ती कनेक्शन हम नहीं दे पाये। कितना बड़ा इनके साथ में अपराध, कितना बडा इनके साथ में अन्याय किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस परिवर्तन रथयात्रा को लेकर के माननीय वसुन्धराजी ने मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र के अन्दर प्रवेश किया था, वहां की जनता ने बहुत उत्साह और जोरदार ढंग के साथ में स्वागत किया और स्वागत ही नहीं किया अपितु उस बागड़ क्षेत्र की और मेवाड़ क्षेत्र की जनता ने महत्वपूर्ण निर्णय देकर के राजस्थान की जनता के साथ में सहयोग मिला कर के उस मेवाड़ और बागड़ की धरती पर भारतीय जनता पार्टी को आशा के अनुरूप वहां की जनता ने वोट दिया और राजस्थान की पहली मुख्य मंत्री बनने का उन्होंने गौरव हासिल किया।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारा यह आदिवासी गरीब लोग जो कि अपने दो जून की रोटी के लिए पलायन करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र पैटर्न के माध्यम से हम लोगों के लिए इस बजट में जो प्रावधान रखा है 8350 करोड रुपये, इस महाराष्ट्र पैटर्न के माध्यम से हम लोंगो को उदयपुर डिवीजन में रहने वाले ट्राइबल सब प्लान में वह आठ प्रतिशत राशि हम लोगों को मिलनी चाहिए थी, जिनका आठ प्रतिशत के हिसाब से इस वार्षिक प्लान का 668 करोड रुपये बनता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में इस पैटर्न को लागू किया। मेरा आरोप नहीं है लेकिन मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस परम्परा को डाला लेकिन हमें जो बजट देना चाहिए था, तीन साल के दरम्यान में हम

लोगों को नहीं दिया। पिछली बार भरतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार आने के बाद में हम लोगों को मात्र तीस करोड रुपये दिये, हम बडी आस लगाकर बैठे थे, इस बार प्रयास किया है सत्तर करोड़ रुपये देने का, सत्तर करोड़ रुपये। पिचहत्तर करोड रुपये। यह प्रयास किया है और हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि उस उदयपुर सम्भाग के अन्दर अगर इस प्रावधान को, महाराष्ट्र पैटर्न को अगर लाये हैं तो संच्चाई यही है कि हम लोगों को इस महाराष्ट्र पैटर्न की मंशा के अनुसार अगर हमें बजट मिलता है तो निश्चित रूप से इस इलाके के अन्दर कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। मैं माननीय हमारे टी.ए.डी. मिनिस्टर कटारा साहब का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, चितौड़गढ़ में आज भी लोग रोजगार के अभाव में पलायन करके गुजरात के सूरत में, अहमदाबाद के अन्दर अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर के किन परिस्थितियों के अन्दर वहां पर अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माही ओर कडाणा के डेम दोनों ही भरे हुए हैं, इन दोनों डेमों के किनारे पर रहने वाले लोगों की छोटी-छोटी कमेटियां बना करके वहां पर लिफ्ट की स्कीमें तैयार करें अगर लिफ्ट स्कीम में तैयार करेंगे तो आपके सागवाड़ा का पानी तो माही डेम से मिल जायेगा लेकिन सिमलवाड़ा का पानी कहां से आयेगा। अगर आप स्कीम तैयार करते हैं तो कडाणा का जो बेक वाटर है वहां का लिफ्ट के द्वारा पानी सिमलवाड़ा तक और गुजरात के बोर्डर तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, उस ट्राइबल क्षेत्र के अन्दर हर जगह बांध नहीं बनाये जा सकते हैं, जमीन रही नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से हमारे टी.ए.डी. मिनिस्टर साहब को मैं आग्रह करना चाहूंगा, लघु, सीमांत काश्तकार और एस.टी., एस.सी. के किसान हों, जिनके निजी कुएं खुदवाये हुए हैं, योजनाबद्ध तरीके से उन्हें गहरा करवाया जाय और उन काश्तकारों को अकाल के माध्यम से जोडा जाय। आज जो लोग पलायन कर गये हैं, अपने कुएं फिर ठीक करेंगे, जलस्तर भी ऊंचा आयेगा। आने वाले समय में योजनाबद्ध तरीके से उनको विद्युतीकृत कराने का आप काम करेंगे। मैं

(श्री जीतमल खांट)

आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1997 के अन्दर जनता पार्टी का जब शासन आया था उस समय इस राजस्थान प्रांत के मुख्य मंत्री सम्माननीय भैरोसिंहजी शेखावत के कार्यकाल में हर गांव के अन्दर सरकारी भवन सड़क से जोड़ने का और छोटे किसानों का पन्द्रह बीघा धरती का लगान माफ करने की शुरूआत सम्माननीय भैरोसिंहजी शेखावत के हाथों से हुई थीं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इस उदयपुर सम्भाग के अन्दर काश्तकारों के पास चार-चार, पांच-पांच बीघा जमीन रही है, सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं, अकाल की परिस्थितियों से पलायन होता है। मैं इस सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि पन्द्रह बीघा धरती का जो लगान है वह माफ होना चाहिए। वर्तमान समय में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो गांव और ढ़ाणियां हैं, यह हमारे चुनाव के घोषणा पत्र में भी आपने लिखा है कि जहां पर 250 की आबादी की ढ़ाणियां ओर मजरे हैं इनको राजस्व गांव घोषित किया जायेगा। जो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, अगर उनको राजस्व गांव का दर्जा मिलेगा, निश्चत रूप से उनके गांव के विकास की और ढ़ाणियां और मजरे जो लम्बे समय तक वंचित रहे हैं, मूलभूत विकास से जुड़ेंगे।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पूरे राजस्थान के अन्दर बी.पी.एल. योजना की सर्वे हुई थी। सर्वे के दरम्यान जिन कर्मचारी साथियों को बी.पी.एल. योजना की जवाबदारी सौंप रखी थी, आज हम पंचायतों की ग्राम सभाओं में, पंचायतों की बैठकों में, पंचायत समितियों में, जिला परिषद की बैठकों में जाते हैं, हम लोगों को पता चलता है कि जिनका बेटा सर्विस में है, जिनके पक्का मकान बना हुआ है, उन लोगों का तो नाम उस बी.पी.एल. की सूची में है

श्री उपाध्यक्ष : वह बीपीएल में आने के बाद हो गये जी।

श्री जीतमल खांट : जिनके घर का टापरा नहीं है

श्री उपाध्यक्ष : खांट साहब, वह बीपीएल में आने के बाद तरक्की की है उन्होंने।

श्री जीतमल खांट : माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, आपका सुझाव ठीक हो सकता है लेकिन जीता-जागता उदाहरण है। जिस गांव, ढ़ाणी और मजरे में रहने वाले लोग हम, आप भी उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन एक बीपीएल परिवार में जिसके पास में झोंपडी नहीं थी, तीन साल के बाद में झोंपडी भी महल में बदल दें, कुएं पर लाइट भी लगा दे, इतना सारा परिवर्तन सम्भव नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि बीपीएल का जो सर्वे का काम था, यह राजस्थान सरकार, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, इसे पुनः पूरे प्रदेश में सर्वे करवाया जाय और आज ऐसे लोगों को उस बीपीएल की सूची से बाहर किया गया है जिनको दो जून की रोटी नसीब नहीं है। ऐसे लोगों को इस बीपीएल की सूची में डाल करके इनके साथ में जो अन्याय हुआ है, पुनः इस बीपीएल की सूची में डालकर के सरकार द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं उनसे इनको जोड़ा जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बजट के ऊपर चर्चा में मैं कहना चाहूंगा कि उदयपुर जोन के अन्दर मार्बल की सबसे ज्यादा रायल्टी की वसूली होती है। मुझे कोई समझ में नहीं आता कि उदयपुर क्षेत्र में वहां पर इतने अच्छे किस्म का पत्थर निकलता है, आज केसरियाजी का जो मार्बल है, जिसकी तुलना हम पूरे देश भर में करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वहां पर जितने भी बाहर के बडे उद्योगपति आये हैं, स्थानीय जनता को वहां पर रोजगार पर भी नहीं लगाया जाता, कहते हैं वहां पर यह टेक्नीकल बातें नहीं जानते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केसरियाजी का जो पूरे का पूरा क्षेत्र हैं। वहां पर इतना बढ़िया किस्म का मार्बल निकलता है क्यों नहीं हम इन उद्योगपतियों को इस तरीके से हम पाबन्द करें कि वहां पर इस तरीके से तकनीकी शिक्षा का केन्द्र खोला जाए और वहां पर जितनी भी ट्राइब्स हैं उनको शिक्षा-दीक्षा दी जाए और इस मार्बल के रोजगार से जिनको वंचित किया जा रहा है उनको जोड़ा जाए। मैं अपनी बात को बहुत ही कम शब्दों में समाप्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूं कि इस पूरे उदयपुर क्षेत्र के अन्दर जहां पूरा ट्राइबल बैल्ट है यह सरकार चाहे पक्ष की हो,

(श्री जीतमल खांट)

विपक्ष की हो तब भी लेकिन एक बात देखने को मिलती है कि अफसर से लगा कर चपरासी के मन में यह कुंठित भावना बन चुकी है कि कमजोर के सामने गर्मी दिखाने का काम करते हैं और ताकतवरों के सामने नरमी से पेश होते हैं और मैं बात इस बात के लिए कह रहा हूं कि इस उदयपुर जोन के अन्दर पूरे ट्राइबल बैल्ट के अन्दर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है और इतना ही नहीं इस पुलिस विभाग के माध्यम से पूरी गरीब आदिवासियों को जो कहीं चीथड़े पहने हुए थे उनको भी उतार लिया और नंगा करके खड़ा कर दिया इस पुलिस विभाग ने।

मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्रीजी यहां पर मौजूद नहीं है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो फरियाद लेकर जाता है चन्द घन्टों के अन्दर उसको भी मुल्जिमान बना दिया जाता है और पूरे बागड़ और मेवाड़ के अन्दर रहने वाली गरीब आदिवासी जनता को दिनदहाड़े लूटा जा रहा है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर इस तरीके की प्रवत्ति नहीं रोकी गयी पूरे उदयपूर संभाग के अन्दर तो जिस दिन युवाओं के अन्दर क्रांन्ति पैदा होगी उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे इस पूरे आदिवासी क्षेत्र में जिस तरीके से लूटने का, शोषण का, अत्याचार का बोलबाला है। जिसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सरकार सावचेत हो जाए। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे चाहे कांग्रेस की रहे चाहे दिल्ली में किसी और की रहे लेकिन इस आदिवासी बैल्ट के अन्दर इन ज्वलन्त मुददों पर सरकार ने अगर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में वहां की पीढ़ी माफ नहीं करेगी। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए, आपने मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री हेमाराम चौधरी।

श्री रामप्रताप कासनिया : साहब हमारा भी कोई नम्बर है क्या।

श्री उपाध्यक्ष : है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट पर चर्चा हो रही है इस पर मैं भी अपने सुझाव रखना चाहूंगा। यहां पर इस बजट की चर्चा में भाग लेने वाले सत्ता पक्ष के सदस्यों का एक ही काम रहा है कि इस बजट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और तारीफ में प्रथम स्थान प्राप्त किया जाए। यह उनमें एक होड़ है। उस होड़ को ये यहां पर सदन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। परन्तु मैं सत्ता पक्ष को आगाह करना चाहता हूं कि मारवाड़ी में एक कहावत है कि "मां के बखाशे बेटा कोनी बखाणी जे, जनता बखाणे जदां बखाणे जे।"

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बखान दिया न जनता ने, 120 भेजे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : जनता ने उखाड़ दिया 120 भेजे हैं। यह बात मैंने पिछले टाइम में भी जब हम सत्ता में थे तब भी यह बात मैंने कही थी कि हम वापस सत्ता में नहीं लोटेंगे और हमारे को डुबोने वाले कौन हैं वो भी आपको ध्यान है। उस टाइम पर ही मैंने कह दिया था इस प्रकार की कटु और सत्य बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चलो आज यह बता ही दो कि आपको डुबोने वाला कौन था। बता ही दो आज।

श्री हेमाराम चौधरी : आपके कहने से नहीं, उकसाने से नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ गये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने यह कह दिया कि हमारे को डुबाने वाले कौन थे तो इनके मुंह से निकले हुए शब्द सदन की सम्पत्ति हो गये। इनको बताना चाहिए कि किसने डुबोया। बताओ।

श्री हेमाराम चौधरी : आप मेहरबानी करके .....। आपको मालूम है वो।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं। इनकी बात आप समझ गये क्या ?

श्री हेमाराम चौधरी : आप उठ कर मेरे पास आये भी थे कि आपकी क्या पीड़ा है। मेरी पीड़ा यही थी कि जनता की बात सुननी चाहिए। जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए, जनता की समस्या का समाधान नहीं हो रहा था तो मुझे पीड़ा हुई थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चलो आप नहीं बताओ तो श्रवण कुमारजी बता देंगे। बताओ।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए मैंने अपनी पीड़ा का इजहार सदन में किया था लेकिन अभी आप जनता की पीड़ा का इजहार आपके सत्ता पक्ष के लोग तो करने की हिम्मत कर नहीं सकते। अगर कोई हिम्मत करेगा तो उसका भी हाल ठीक नहीं होगा। इसलिए कौन अपना हाल बुरा करना चाहेगा। खैर करें आप मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, भले ही बेटे का बखाण मां करती रहे लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। आप गलतफहमी में मत जीना। हम भी गलतफहमी में चल रहे थे। मैंने आगाह किया था कि गलतफहमी में मत चलो, गलतफहमी में चलोगे तो मात खाओगे। अब आप चलते रहें कोई हमें तकलीफ नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : (व्यवधान) ये तो दुकानदार हो गये थे। 4-5 महीने के लिए दुकानदार हो गये थे। मंत्री बन गये थे।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए मेरे कहने का मतलब कि प्रशंसा की भी कोई सीमा होनी चाहिए। इस तरह से ऐसी प्रशंसा की जा रही है कि जिसमें कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। पिछली बार प्रशंसा हो रही थी वसुन्धरा आयी वर्षा लायी। क्या हो गया इस बार इस बार तो वसुन्धरा की वर्षा की तो कोई बात ही नहीं हो रही है।

श्री तगाराम चौधरी : (व्यवधान) सदन की बात है....(व्यवधान) सही बात है...(व्यवधान) ....

श्री हीरालाल : चौधरीजी सरसों खूब पैदा हुई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कह रहे हैं कोई तुलाने वाला नहीं है वहां।

श्री हीरालाल : सरसों को तुलाने वाला नहीं हैं चौधरी जी इतनी बोरियां हुई हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वो ओले पड़े जिसका क्या होगा। ओले पड़ गये इतना ज्यादा मत बरसाओ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल : राहत कार्य शुरू कर दिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार। आप लोगो ने कुछ नहीं किया पहली बार राहत कार्य खुले (व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार : ये ओले कौंन लेकर आया हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : ओले तो इसलिए पड़े हैं कि शीशरामजी ओला को आपने केन्द्रीय मंत्री बना दिया तो ओला मंत्री बनेंगे तो फिर ओले ही पड़ेंगे।

श्री श्रवण कुमार : यह बात है क्या। ये सुनामी लहर कौन लेकर आया ?

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इनके मुख्य मंत्रीजी की कोई आलोचना नहीं की। मैंने कुछ कहा भी नहीं पता नहीं आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है ? अब आप जिस प्रकार से जिस ढंग से जैसी प्रशंसा कर रहे हैं उस ढंग से मेरी तो आदत नहीं है। हमारी सरकार थी उस समय भी मैं नहीं कर पाया तो अब आपकी प्रशंसा कैसे कर सकूंगा । मेरा काम जन समस्याओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना है, सरकार का ध्यान आकर्षित करना है, सरकार उस पर ध्यान दे या नहीं दें यह सरकार का काम है। कोई बात नहीं अगर आप ध्यान न दें। आप बिलकुल गलतफहमी में जीते रहें। मैं यही चाहता हूं लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आपका ध्यान जन समस्याओं की ओर आकर्षित करें। इसलिए हमें भी चुन कर भेजा है, सत्ता में नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारा कुछ न कुछ दायित्व है। आज आप आ गये एकदम वर्षा और वसुन्धरा का नाम लिया तो आपको ऐसा चड़का लगा।

श्री तगाराम चौधरी : नहीं यह सत्य है वसुन्धराजी और वर्षा एक ही शब्द है पर्यायवाची है इससे आप गलतफहमी में हो।

श्री हीरालाल : कांग्रेस और काल एक ही शब्द है। कांग्रेस और काल तो दोनों सगे भाई हैं। मां जाए भाई हैं कांग्रेस और काल...(व्यवधान) ....

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : मान्यवर, ये तो दोनों सगे हैं। ये दोनों का मैटर है दोनों सगे हैं आपस में।

श्री हरिमोहन शर्मा : राजसमन्द वाले जो माननीय विधायक हैं उनके यहां तो अभी सूखा है। कहां वसुन्धरा जी और वर्षा है अगर है तो उनकी झील भी भरती।

-**श्री हीरालाल** : ...(व्यवधान).... कितनी फसल हुई कितनी बरसात हुई है फिर भी कोई वसुन्धरा और वर्षा पर आपको शक रह गया क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री तगाराम चौधरी : ...(व्यवधान)....इस सदन में हम बोल रहे थे आप बोल रहे थे अकाल पर, हम कह रहे थे वर्षा ....(व्यवधान)....

श्री हेमाराम चौधरी : अब गलतफहमी में कौन जी रहा है कौन नहीं जी रहा है ये तो आने वाला समय ही बता देगा। आएगा उस समय पता लग जाएगा गलतफहमी में आप हो या मैं, यह आने वाले समय में पता लग जाएगा। मुझे भी लग जाएगा और आपको भी लग जाएगा ये तो लगना ही है। कोई न कोई तो गलतफहमी में है आप नहीं हैं तो हम गलतफहमी में हैं। कोई बात नहीं आपकी बात मान ली है।

श्री मदन राठौड : दोनों आपस में समधी हैं और यहां तकरार कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई तकरार नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी : अच्छा है कि आप गलतफहमी में नहीं हो हम गलतफहमी में है। लेकिन इसीलिए आपको अपनी गलतफहमी दूर करने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि आप तो गलतफहमी में हो ही नहीं।

श्री मदन राठौड : मैं यह कह रहा था कि ये दोनों समधी हैं और आपस में तकरार यहां सदन में कर रहे हैं इनको घर पर करनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : जनता न तो आपको चाहती न हमें चाहती लेकिन विकल्प नहीं है जनता के पास।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में आप दोनों के मत आइये।

श्री हेमाराम चौधरी : हां यह सही बात है अब करें भी क्या। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था अभी यह कह रहे थे वसुन्धरा और वर्षा की बात। बजट अभिभाषण के प्रथम पेज के जीन नम्बर पर ही आपने लिखा कि खरीफ की फसल के समय वर्षा का अभाव रहा जिसके परिणाम स्वरूप 25 जिलों के 50 प्रतिशत से अधिक खराब वाले 18613 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। फिर यह कैसे हो गया जब बरसात हो गई तो। (व्यवधान) यह क्या बात हुई बार-बार यह बीच में टोकते हैं, या तो आप ही बोलो। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है आप इनको रोकिए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्या कहना है, यह कहेंगे वह बोलूंगा क्या ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह कोई तरीका नहीं है आप हाउस को कंट्रोल कीजिए। यह आपका दायित्व है कि हाउस कंट्रोल में रहे। नहीं तो यह बोलेंगे तो फिर इधर से भी लोग बोलेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : मुझे नहीं बोलना है अगर इस तरह से बीच में बोलेंगे। मैं क्या किसी के बारे में कहता हूं, मेरे अपने विचार हैं। मुझे इनकी प्रशंसा करने के लिये खड़ा किया है क्या।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : इसी बात को लेकर पिछले सत्र में इसी पर सबका ज्यादा जोर था इनकी वजह से ही बरसात हो रही है।

डा. जालम सिंह रावलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई नई बात नहीं है। बाड़मेर की जिला परिषद की और समितियों की मीटिंग में ऐसी ही बहस

(डा. जालम सिंह रावलोत)

रहती है। बाड़मेर में ऐसा ही होता है और विधान सभा में भी यही हो रहा है।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप नहीं बोलने दें तो नहीं बोलेंगे अपने को बोलने का कोई ऐसा है नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप बोलिए, आसन को संबोधित कीजिए, बोलिए।

श्री उपाध्यक्ष : उनकी मंशा आपको टोकने की नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : आज राजस्थान में 18613 गांवों को आपने अकालग्रस्त घोषित किया है। 30 जुलाई, 2004 को यहां पर अकाल पर बहस हुई थी। अकाल राहत मंत्रीजी ने जवाब दिया था। अकाल राहत मंत्रीजी ने कहा था कि हमें केन्द्र सरकार से कृषि विभाग से एक लाख टन गेहूं की स्वीकृति मिल गई है। 30 जुलाई, 2004 की बात कर रहा हूं आपको एक लाख टन गेहूं और 53.73 करोड़ रुपये दूसरी योजनाओं के तहत और 37 हजार मैट्रिक टन गेहूं मिला, यह अकाल राहत मंत्रीजी किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब में कहा था। फिर आपने अकाल राहत कार्य इतनी देरी से 1 दिसम्बर से क्यों खोले। 30 जुलाई की बात है और 1 दिसम्बर से आप अकाल राहत के काम खोल रहे हो। उसमें भी मजदूरों की संख्या का यहां वर्णन किया गया। दिसम्बर में 25 हजार, मजदूरों की शुरूआत 25 हजार से। क्या यह जो अकाल का आप प्रबन्ध कर रहे हो, किया है इससे आप संतुष्ट हो। अगर आप संतुष्ट हो तो मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं जो अकाल का प्रबन्ध आपने इस साल किया है यह प्रबन्ध सही प्रबन्ध नहीं है। इस वजह से इस वर्ष अकाल से प्रभावित जो जनसंख्या है उसको कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है, कितनी पीड़ा है वह वही जान सकते हैं आप नहीं जान सकते। जिसके पीड़ा है न वही उस चीज को समझ सकता है कि पीड़ा का क्या असर है। किसी के पेट में दर्द होता है, वही जान सकता है कि पेट का दर्द ज्यादा तकलीफ देता है या आंख का दर्द ज्यादा तकलीफ देता है। आंख का दर्द किसी

के नहीं है उसको पता नहीं आंख का दर्द कितनी ज्यादा तकलीफ देता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए अकाल में प्रबन्ध के नाम पर मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी मजदूरों की संख्या 1 लाख 10 हजार की है। यह भी बाड़मेर जिले के लिये बहुत कम है। जैसलमेर जिले में अभी कह रहे थे 75 हजार। जैसलमेर जिले की जनसंख्या कितनी है, बाड़मेर जिले की जनसंख्या कितनी है उस जनसंख्या के अनुपात में अगर आप बाड़मेर जिले में मजदूरों की संख्या तय करते हैं तो बात समझ में आंती। बाड़मेर जिले में जनसंख्या के हिसाब से मजदूरों की संख्या कम से कम-पौने दो लाख होनी चाहिये जिसकी जगह 1 लाख 10 हजार ही है जबकि करीब 19 लाख 64 हजार की जनसंख्या है।

श्री मदन राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे बाड़मेर में अकाल नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : अब यह क्या बात हुई पूरे बाड़मेर में अकाल नहीं है। 1916 गांवों में अकाल है सिर्फ 59 गांवों में बरसात कहां से आ गई, उनमें फसल कहां से ठीक हो गई, सुकाल कहां से हो गया ? यह भी एक गिरदावरी का मामला है, वह भी सही नहीं हुई है गिरदावरी। जान-बूझकर 59 गांवों को सुकाल दिखाया गया है। उन लोगों को कोई रोजगार नहीं मिले और जो 59 गांव है, उसमें ज्यादा लोग कांग्रेस की विचारधारा के थे, इसलिए यह राजनीतिक द्वेषता से किया गया है।

श्री तगाराम चौधरी : ऐसा नहीं हुआ है।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अकाल राहत के काम खोलने में भी राजनीतिक भेद-भाव, पशु शिविर खोलने में भी राजनीतिक भेदभाव...

श्री तगाराम चौधरी : राजनीतिक आधार रहा है, ऐसा नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : इनका बस चले तो कांग्रेस के किसी भी एक कार्यकर्ता को वहां पर काम पर नहीं लगने दे।

डा. जालम सिंह रावलोत : इनके गांवों को प्राथमिकता दी गई है।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, यह बार-बार भम्मोड़ की तरह खड़े हो जाते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : आज आप पता कर लो दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में कितने पशु शिविर चल रहे हैं।

डा. जालम सिंह रावलोत : कांग्रेस प्रभावित गांवों में पहले पशु शिविर खोले गये हैं। अकाल राहत के कार्यों में बाड़मेर जिले में कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि अकाल राहत के काम खोलने में राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है। मैं शायद आपके यहां जिले की बैठक लेने गया था। मैंने इनके यहां जाकर पूछा था कि किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। आप कहो तो बाड़मेर जिले की प्रोसिडिंग मंगवा दूं जिसमें सबसे पहले गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य से पूछा था कि क्या क्या परेशानी है, आप बताओ। आप पूरी तरह संतुष्ट हो ना तब मानूंगा कि आज की हमारी बैठक सफल हो गई। इन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। पशु शिविर, गौशालाएं सब कुछ खुलवायें।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में स्थिति बदल गई।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैंने इसलिए कहा था कि हम दोनों साथ साथ एम.एल.ए. भी रहे थे तो मैंने इनसे स्पेशली पूछा था, आप पूछ लो कि मैंने इनसे पूछा था या नहीं पूछा और इन्होंने संतुष्टि जाहिर की कि बहुत अच्छा प्रबन्धन चल रहा है। एक बात इन्होंने रखी थी कि श्रमिक संख्या कम है। श्रमिक संख्या जितनी इन्होंने बतायी वह बढ़ा दी। आज सुबह मैंने फिर कह दिया था और जरूरत होगी तो और बढ़ा देंगे। केवल दोषारोपण के नाम पर और गाली देने के नाम पर ही कुछ कहना है तो आप कहते जाओ।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, न तो मैंने कोई दोषारोपण किया है न मैंने कोई गाली गलौच किया है। आपने कहा कि एक शिकायत की कि मजदूरों की संख्या कम है, यह बात तो मैंने कही थी। आप 3 तारीख को पधारे थे, यह मार्च की बात है। मजदूर आपने अब बढ़ाये हैं, उस टाइम बढ़ाते तो हमको जल्दी राहत मिलती। दूसरा मैंने आपसे यह भी अर्ज किया था विनम्र शब्दों में विनती की थी कि मजदूरों को मजदूरी कम मिल रही है और आपने टास्क ज्यादा कर दिया है। एक मजदूर को एक दिन की मजदूरी पाने के लिये 4 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोदनी पड़ेगी। पूर्व में 2.19 क्यूबिक मीटर मिट्टी ही खोदनी पड़ती थी। यह आपने किया या नहीं किया। लीड़ है वो पहले 35 मीटर नाड़ी की मिट्टी निकाल कर बाहर डालनी पड़ती थी अब आपने कर दिया कि 50 मीटर होगी तो लीड़ जुड़ेगी नहीं तो लीड़ का फायदा मजदूर को नहीं मिलेगा। इस वजह से मजदूरी कम आ रही है, यह भी मैंने आपसे निवेदन किया था। पशु शिविर में संख्या कम है उसको भी बढ़ाने का मैंने निवेदन किया था। आपने कुछ बढ़ाये हैं। मैं न तो आपकी शिकायत करता हूं न आप पर आरोप लगाता हूं। जब आप विपक्ष में थे तब आप बहुत जुझते थे अब आप सत्ता में हैं इसलिए आपको काम करना है। इसमें आपको नाराज होने की कहां जरूरत है। मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, न आप पर कोई आरोप लगाया है। कोई भेदभाव या पक्षपात मंत्रीजी की तरफ से नहीं है, यह तो हमारे वहां नीचे के लेवल पर जो लोग बैठे हैं जिनकी बहुत संकीर्ण भावना है, संकीर्ण मानसिकता है, वह संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण भावना का जब वह इजहार करते हैं...

श्री तगाराम चौधरी : यह बिलकुल सत्य नहीं हैं कि वहां किसी की संकीर्ण भावना है और ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं तो खुलासा कर रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं और न ही विघ्न डाल रहा हूं। वहां ऐसी कोई बात नहीं है कि संकीर्णता की वजह से ऐसा हो रहा है और यदि मैं कहूं....

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य का आरोप आप पर नहीं था, मूल आरोप यह है कि अकालग्रस्त घोषित करने में जिन गांवों को टाल दिया गया....(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : .... पटवारियों की गिरदावरी में आपस में मेल मिलाप नहीं होने के कारण से किसी ने किया जब सैटेलमेंट हुआ था उस समय भी किसी का खेत दूसरे के नाम लिख दिया, ऐसा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय तगाराम जी, यह तो कोई पंचायतों में ही आपस की पार्टीबाजी की वजह से कहीं हो रहा होगा।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, 59 गांव जो सुकाल में बताये, अकाल घोषित नहीं किया उसकी आपत्ति तो आपने वहां की थी। मंत्रीजी, की थी कि नहीं की ? बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बात की आपत्ति की थी कि घुड़साद गांव को सुकाल में गलत बताया है। गिरदावरी गलत हुई है। प्रशासन ने गलत काम किया है। यह बात तो बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उस मीटिंग में, बाड़मेर के लोगों के सामने वह बात कही थी। लेकिन यहां पर दूसरी बात बोल रहे हैं, वहां लोगों को राजी करने के लिए और कुछ बोलते हैं और यहां और कुछ बोलते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) आपको तो तीन की तकलीफ है, मुझे उनसठ की। सबकी पैरवी करता हूं, सबके साथ इनजस्टिस हुआ है। आपको तो सिर्फ, विपक्ष के वो ही लोग..... (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत : मेरे अनुमान से तो सारे गांव थे लेकिन तीन बाड़मेर के थे बाकी आपके थे। मुझे पता नहीं है.... (व्यवधान) तीन गांवों के बारे में, उनके साथ अन्याय हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह विवाद का विषय नहीं है। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए। बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, या तो इनको रोक दीजिए या मैं बोलूं या फिर बन्द कर दूं ? बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिए।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं बोलूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने तथ्य.... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : बाड़मेर जिले के माननीय सदस्य चुनकर आए हैं उनको पता नहीं मेरी बात पर क्या आपत्ति हो गई, क्या एतराज हो गया, मैंने बाड़मेर जिले के खिलाफ क्या बात कर दी। मैं निवेदन कर रहा था कि अकाल में मदद की जरूरत है। आप मदद करना चाहे करें, नहीं करना चाहे मत कीजिए लेकिन उलझने की कहां बात है। मैंने काश्तकारों के बारे में आपसे निवेदन किया था। मजदूरों की संख्या बढ़ाने की बात, मैंने आपसे निवेदन किया था, आप करिए। हमने व्यक्तिगत लाभ की योजना के बारे में निवेदन किया। पूर्व में भी अकाल, गत वर्ष जमाना था लेकिन बिफोर लास्ट ईयर जब अकाल था व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के काम हाथ में लिये, टांके बनाए, कुएं बनाए थे, आवास बनाए थे उसमें मैटेरियल कम्पोनेंट तो काश्तकारों ने स्वयं ने दिया, लेबर कम्पोनेंट सरकार ने दिया, तो अब भी आप गवर्नमेंट है, लेबर कम्पोनेंट दे दीजिए। अगर आप देते हैं तो ठीक है, नहीं दें तो आपकी मर्जी। मांग करना भी कोई गुनाह है क्या ? मांग कर रहे हैं आपसे।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आप तो यह बताओ कि कितने मजदूर चाहिए ?

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने उस दिन भी आपसे निवेदन किया था, आज भी यह कह रहा हूं हर परिवार को महीने में 10 दिन काम मिल जाए वह निश्चित हो जाए कि मुझे 10 दिन काम मिल जायेगा, सारा झगड़ा ही खतम हो जाए।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आपको बाड़मेर की पूरी .....(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : उस हिसाब से चाहे लाख बने चाहे डेढ़ लाख बने, चाहे दो लाख, यह व्यवस्था कर दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आप तो बताइये कितने चाहिए ?

श्री हेमाराम चौधरी : डेढ़ लाख कर दीजिए।

डा. किरोडी लाल मीणा : डेढ़ लाख हो जाएगा। कल आदेश हो जाएंगे।

श्री तगाराम चौधरी : अब तो भेदभाव नहीं है ना ? अब तो धन्यवाद दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप तो मिनिमम वैजेज का करो। 50 रुपये से ज्यादा कहीं पेमेंट नहीं मिल रहा है आपके कलक्टर ने डायरेक्शन दिया हुआ है पेमेंट 50 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। सब जगह यही हालत है। आपने 73 रुपये तय की हुई है तो वह तो करो कुछ। (व्यवधान) आप जगह पर जाकर बोलो मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी क्या करेंगे इनके मापदण्ड के अनुसार काम नहीं होगा...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : मैं भी बात तो वही कर रहा हूं। आप सभी ऐसे बोलने लग जाएंगे इधर से भी और उधर से भी तो मैं खडा ही क्यों हुआ हूं ? उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था। आपने अच्छा किया। मैं यह नहीं कहता कि मुख्यमंत्री खराब है, यह मंत्री सत्ता में बैठे हैं, यह खराब हैं, सब अच्छे हैं कोई खराब है ही नहीं। आदमी कोई खराब नहीं होता। खराब उसकी सोच है। इनकी सबकी बहुत अच्छी सोच है। कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसके पास मैं कभी किसी काम से गया, उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार भी किया और मेरा काम भी किया। ऐसी बात नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी की आलोचना नहीं करता, आरोप लगाता। आखिर हमारे दुश्मन तो हो नहीं। वाजिब काम तो हमारे करोगें। समस्या क्या है, नीचे के लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, छोटे लेवल के हैं, उनकी मानसिकता बहुत छोटी है, संकीर्ण सोच है उनकी। वह आपको भी परेशान करते हैं कि इनका काम मत करना, इनके कहने से स्कूल मत खोलना, इस कर्मचारी को यहां से उठाकर वहां भेजो, कांग्रेस का है, हेमाराम का रिश्तेदार है। रिश्तेदार तो कहां जाएगा, रिश्तेदारी तो कैसे टूटेगी। रिश्तेदार तो यह भी बैठे हैं पर यह तो अब आपके साथ एम.एल.ए. बनने के लिए आ गए। सारे रिश्तेदार तो आपके साथ आने से रहे। आज कोई रिश्तेदार हैं उसको आप अगर प्रताड़ित करो, उसको कष्ट में डालो, आप नहीं डालना

(श्री हेमाराम चौधरी)

चाहते आपकी आत्मा कतई नहीं मानती यह मैं मानता हूं, किसी एक मंत्री की नहीं सब की, सरकार की, मुख्य मंत्रीजी भी ऐसा नहीं मानती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, तगारामजी पर आरोप लगाया है, आपने। तगारामजी पर आरोप लगाया है।

श्री हेमाराम चौधरी : नीचे लोग बैठे हैं ना जो अपने आपको कार्यकर्ता बताते हैं, कैसे-कैसे कार्यकर्ता हैं, किस प्रकार आपकी पार्टी को जीवित रखेंगे इस पर आप सोचना। यह सब में है, हमारी पार्टी में भी मिल जाएंगे। यह सब जगह, कहीं कमी नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इनसे थोड़ा सावधान रहें। मेरा निवेदन है फिर भले ही आप इनके कहने से सारे काम करते जाए। इनके कहने से ऐसा काम मत करना जिससे कि जनता में आपकी छवि खराब हो। मेरा आपसे इसलिए निवेदन है कि अकाल के मामले में प्रबन्ध करें, क्योंकि अकाल की चर्चा के लिए कोई डिमाण्ड नहीं रखी है इसलिए मैंने आपसे अकाल के बारे में इस समय निवेदन किया। अकाल के बाद पेयजल पर ..(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : मैं पार्टी में किस कारण से आया, किस कारण से नहीं इसकी बहस नहीं है। बहस बजट की है। बहस बजट की है और बजट पर आप कुछ भी बोलिए, मेरे चरित्र पर मत बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रिश्तेदारी पर भी बोले हैं। यह रिश्तेदारी पर भी बोले हैं। यह अभी बोलते हुए रिश्तेदारी पर भी बोले हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : कहे यह कि मेरे रिश्तेदार नहीं है। यह कह दें यह मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, तो ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई चरित्र पर इनके, मैंने कहा यह मेरे रिश्तेदार हैं। अब सारे तो बी.जे.पी. में जाने से रहे। जो मेरे साथ रह गये उनको आप, मेहरबानी करके उनके साथ छेड़छाड़ी मत करिए उनके साथ।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : यह लंगोट के बहुत पक्के हैं और आप आरोप लगा रहे हो इन पर।

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने इन पर कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री उपाध्यक्ष : अभी अगर कोई ले जाएंगे तो आपको क्या नुकसान है ?

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं (व्यवधान) मैं पीने के पानी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस साल बरसात की कमी रही है। जिस वर्ष बरसात की कमी नहीं भी रहती है फिर भी, बाड़मेर जिले में नीचे ग्राउण्ड वाटर की क्वालिटी है, वह अच्छी नहीं है और मात्रा भी बहुत कम है। जहां कहीं भी नलकूप है वहां डिस्चार्ज भी उनका बहुत कम है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। उसमें फ्लोराइड है इसलिए पीने लायक पानी नहीं है, फिर भी चला रहे हैं। जो है उसी को पीना पड़ेगा। उसी से काम चलाना पड़ेगा।

बहुत सी जगह जीएलआर बना दिए, पाइप लाइन लगा दी लेकिन पानी नहीं पंहुच रहा। जीएलआर बने पड़े हैं उनके अन्दर कबूतर ब्याए हुए हैं। पाइप लाइन लगी हुई है, सूखी पडी हुई है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई देखभाल नहीं कर रहा कोई सम्भाल नहीं कर रहा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा कब से (व्यवधान) मैं तो मेरी जानकारी कर रहा हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : ऐसा कब से है, ऐसा जब से है जब से हम वहां से जन्में हैं पैदा हुए है तब से ऐसा ही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता था (व्यवधान) इंदिरा गांधी नहर से बाड़मेर के लिए पीने के पानी की एक योजना बनी। उस योजना का, मेहरबानी करके आप इसका अगर बजट में थोड़ा सा जिक्र कर देते, बाड़मेर का नाम भी डाल देते, थोड़ा बहुत पैसा रख देते, कहीं नाम पढ़ने में आ जाता, हमारे ध्यान में आ जाता तो हमको भी बडा सन्तोष होता। अभी आया बाड़मेर, है वह भी जिक्र कर रहा हूं। अभी आया ना। बाड़मेर की चिन्ता पता नहीं सबको क्यों लगी है ? चौमूं से आने वाले को भी लगी है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

बाड़मेर में नाम आया 570 एएनएम लगाएंगे। बाड़मेर और जैसलमेर भी साथ। अब 570 एएनएम आप कैंसिल कर दीजिए। हमारे तो नहर से पीने का पानी ले आइये बाकी बाड़मेर जिले के लिए आपने जो पैसा, बजट वगैरह दिया है वह भी भले ही कम कर दीजिए। लेकिन पीने के पानी को तो प्राथमिकता दे दीजिए। आज दिन तक आजादी के बाद अब तक भी हमारे को पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिला है। जैसलमेर में पहुंच गया इंदिरा गांधी नहर का पानी। बाड़मेर में अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो इससे ज्यादा हमारे लिए और क्या अफसोस की बात हो सकती है। हमारी पीढ़ी हमारे बारे में क्या सोच सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता था कि बजट में इंदिरा गांधी नहर से बाड़मेर के पीने के पानी के लिए भी अगर कुछ प्रावधान किया जाता तो हमें खुशी होती। नहीं करोंगे तो आप, आप करोंगे जब ही होगा। बजट के प्रावधान करने का काम तो मुख्य मंत्रीजी का है, तो मुख्य मंत्रीजी से मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई आलोचना नहीं, कोई बुराई नहीं। अगर वह बाड़मेर जिले के पीने के पानी के लिए कुछ कर सकें तो आने वाला वक्त उनको याद करेगा।

मुख्य मंत्रीजी तो कई आए। कई बजट पेश कर गए, कई चले गए। जब भी जिस समय जो मुख्य मंत्री होता है उसके गुणगान का ही काम हमेशा होता रहता है। यह चलता रहेगा आगे भी। घनश्यामजी को भी सब मालूम है और मुझे भी सब मालूम है। यह तो काम है जो अपन करते जाएंगे गुणगान का, लेकिन गुणगान के साथ-साथ कुछ जो समस्याएं हैं, जैसे पीने के पानी की समस्या से ज्यादा समस्या, मैं सोचता हूं, कि इन्सान के लिये और दूसरी कौनसी हो सकती है। रोटी कपड़ा और मकान, वह भी पानी के बाद में है। पहले तो पानी चाहिए। पीने के पानी की योजना का इसमें जिक्र भी नहीं किया गया और मौजूदा जो पेयजल योजनाएं हैं, वह कतई सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। उन योजनाओं से जुड़े हुए सैकड़ों गांव और ढाणियां, आज भी बिलकुल

(श्री हेमाराम चौधरी)

एक बूंद पानी नहीं जा रहा है, सूखी पड़ी हैं। इस बात की चर्चा मैंने वहां पर भी, मीटिंग में मंत्रीजी पधारे तब की थी। लेकिन उसका होना-जाना कुछ नहीं। हम अपने मुंह से कहकर भड़ास निकाल देते हैं। भड़ास निकालने के सिवाय उसमें कुछ होना जाना नहीं है। पूर्व में भी भड़ास निकालते रहे, अब भी निकालते रहेंगे। (व्यवधान) क्या महावीरजी, क्या हो गया आपके।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह कह रहा हूं कि आप ही कुछ नहीं कर सके अपने गांव के लिये। (व्यवधान) अपने गांव के लिये, अपने जिले के लिये कुछ नहीं कर सके तो यह तो दूसरे जिले के हैं। ये कब तक निगरानी रखेंगे आपकी। यदि आप ठीक निगरानी रखते.....।

श्री हेमाराम चौधरी : यह बात आपने ठीक कही है, ये दूसरे जिले के हैं इसलिये ये हमारे लिये क्या करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : करेंगे। ये तो करेंगे, पर जो काम आपका था, आपने नहीं किया तो ये कब तक सम्भालेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : आपने ठीक कहा कि हमारे जिले का तो मंत्री है नहीं पी.एच.ई.डी. का।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, समय बर्बाद हो रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको मंत्री बनाया था।

श्री हेमाराम चौधरी : मेरे को मंत्री बनाया था तो हमारे पास क्या काम था, और उसमें से जितना हो सकता था, वह किया ही था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है, आप असहाय थे ना।

श्री हेमाराम चौधरी : हां, बनाया तो जितना हुआ, किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि पीने का पानी......(व्यवधान) नहीं, नहीं, आप ठीक कह रहे हो, यह मंत्री वहां के नहीं हैं तो यह क्यों करें। यह तो आपने वह वाली बात कह दी, आपने वह वाली बात कह दी....।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा था, यह कितना करेंगे, आप जब नहीं कर सके अपने घर के लिये, आपको मौका मिला और आप असहाय रहे। (व्यवधान) अगर मेरे ऐसा हो तो एक मिनट नहीं रहूं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : टाइम तो सारा ये खा गये।

हां तो वह वाली बात कर रहे हो, अकबर ने बीरबल से पूछा कि तेरी दाढ़ी में आग लगे और मेरी दाढ़ी में भी आग लगे तो पहले किसकि बुझाओगे। बीरबल ने कहा कि एक तो झपीड़ा मेरे दूंगा फिर आपकी बुझा दूंगा। तो यह तो पहले तो अपने करेंगे, फिर हमारे करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। बाद में तो झपीड़ा देना हमारे ही। बीरबल ने कहा, मेरी दाढ़ी के झपीड़ा देकर फिर आपके बुझा दूंगा। तो ऐसे तो करना कम से कम। कोई बात नहीं।

डा. जालम सिंह रावलोत : दिल्ली में हमारी सरकार ने 400 करोड़ का प्रावधान किया था। लेकिन जब इनकी सरकार आयी तो बजट में जो प्रावधान था, वह नहीं किया। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : यह हो क्या गया, आखिर है क्या.. आप इन्हें रोकते नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप इनको बोलने दीजिए।

डा. जालम सिंह रावलोत : वह वित्त मंत्री चिदम्बरम ने हटा दिया। जिस पाइंट पर ये बात कह रहे हैं, इन्होंने 5 साल के राज में बाड़मेर के लिये पानी के लिये एक पैसा नहीं लाये। (व्यवधान) दिल्ली में हमारा राज आया तो केन्द्रीय वित्त मंत्री जसवंतसिंहजी ने 400 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट में प्रावधान किया और राज बदला, इनके वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने वह अंतरिम बजट हटाकर अन्तिम बजट में एक पैसे का, ऐक धेले का प्रावधान नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. जालम सिंह रावलोत : इनकी भावनाओं से सहमत हूं लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया।

श्री हेमाराम चौधरी : हमने कुछ नहीं किया। अब तो आप करने वाले हो ना, इसलिये आपसे निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप करिये।

श्री उपाध्यक्ष : सभी सरकारों ने कुछ न कुछ किया है। (व्यवधान) माननीय हेमारामजी, सब सरकारों ने समय-समय पर काम किये हैं विकास की ओर..... (व्यवधान) जो आवश्यकता है उसके लिये कर रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : इन्होंने कुछ नहीं किया, अब आप क्या करोगे। आप सिर्फ यही कह कर, जवाब देते रहेंगे, चलाते रहेंगे तो चलाते रहिये, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिये यह करें।

आज यह कह रहे हैं बजट बहुत अच्छा पेश किया। नहीं, नहीं बजट बहुत अच्छा पेश किया। बजट में यह चीज कर दी, वह कर दी, शिक्षा में कर दी, दूसरे में कर दी। सब में आपने बहुत प्रावधान किया, क्या हुआ। एक कुआंरे आदमी से पूछा कि तेरी शादी हुई कि नहीं हुई। तो उसने कहा मेरी तो नहीं हुई, मेरे भाई के दो औरतें हैं। अब उसके भाई के दो औरतें हैं उससे उसको क्या मिला। अब आपने हमारे बाड़मेर जिले के लिये इसमें कुछ नहीं किया तो हमारे को इस बजट में क्या मिला। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले के लिये भी आप कुछ करें। शिक्षा मंत्रीजी विराजे है। स्कूलों का आपने पिछली बार भी बजट में अच्छा प्रावधान किया। इस बार भी खूब किया है। अच्छे को तो अच्छा ही कहना पड़ेगा। बहुत-सी दूसरी भी इसमें अच्छी बातें हैं। जैसे 570 ए.एन.एम. का है तो बहुत ठीक है। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : थोड़ा, तो थोड़ा-सा ठीक है।

श्री हेमाराम चौधरी : यह कौनसा तरीका है, यह रोकिये, प्लीज, आप रोकिये। आप, इनको रोकें, यह तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वह तो।

श्री हेमाराम चौधरी : यह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनके चड़का लग रहा है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि इनको यह है कि, मेरा कहना था, मैं एक अकेला एम.एल.ए. हूं वहां से कांग्रेस पार्टी का। इन 5 को ही आप सब देते रहो, कुछ तो हमारे लिये भी रखिये आप। हमारी सिफारिश से भी कोई प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल, कुछ तो खोल दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, खोल देते। और नहीं खोलेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। (व्यवधान) लेकिन थोड़ा इन्सानियत के नाते, हमारा भी थोड़ा ख्याल आपको रखना चाहिए। हम भी जनता के चुने हुए हैं, ऐसे तो नहीं आये। जनता ने चुना है तब यहां आकर के आये हुए हैं। कोई समय आप भी विपक्ष में बैठा करते थे। आप क्या महसूस करते थे और अब आप क्या महसूस करते हो। तो यह महसूस करने की बात है।

मैं सोचता हूं, कई बार देखता हूं। अभी मौजूदा एम.एल.ए. जितने हैं दो सौ, सभी कहते हैं मौजूदा एम.एल.ए. की सुविधाएं बढ़ाएं, एक्स की कोई बात नहीं करता है। इनको पता ही नहीं है, वह एक्स वाली सुविधा किसके काम आ सकती है। वह हमारे काम आ सकती है। लेकिन यह हमारी सोच ही नहीं है। यह हमारी सोच ही नहीं है कि हम भी कभी विपक्ष में बैठ सकते हैं। (व्यवधान) इसलिये आप मेहरबानी करके थोड़ा इस तरह की सोच भी रखें कि कुर्सियां बदलती रहती हैं। इसलिये कभी बदल सकते हैं। तो वह बात नहीं, हो सकती है, पता नहीं, ऊपर वाले को मंजूर है, वह होगा। किसी के हाथ में नहीं है इधर-उधर आना-जाना जनता के हाथ में है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है। मैं पिछली बार भी बहुत कहता था। 5 साल तक कहता रहा, एक्स एम.एल.ए. का कुछ करिये। लेकिन किसी ने एक रुपया नहीं बढ़ाया। वर्तमान एम.एल.ए. का किया। पिछली बार भी एक्स एम.एल.ए. का एक रुपया ही नहीं किया। इस बार भी नहीं करेंगे, मुझे लगता है। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। एक्स का करेंगे तो काम अपने आयेगा, आने वाले समय में। यह सोच कर करो।

इसलिये मेरा कहना है कि जनता के लिये आप करेंगे ना कुछ भी, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, भला उसमें आपका होगा। फायदा

(श्री हेमाराम चौधरी)

आपका होगा। गरीब की दुआएं आपको मिलेंगी। उन बेचारों का तो क्या। पीने को पानी ही मांग रहे हैं आपसे और मांग क्या रहे हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा था पानी के बारे में। सड़कों के बारे में, मंत्रीजी बिराजे हैं, थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस बजट में पहले, पिछली सरकार के समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कें कम बनीं। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कें ज्यादा बन रही हैं। इसकी प्रशंसा भी करूंगा आपकी, कर देता हूं, चलो। पिछली बार में यह पैसा ऊपर से आपकी सरकार ने कम दिया, इस बार हमारी सरकार ने ज्यादा पैसा दे दिया। इसकी वाहवाही भले ही आप ले जाओ। कोई बात नहीं, सड़क तो ज्यादा बनी। पर इतने आप भले नहीं हैं, जितनी वाहवाही मिलती है। वाह वाही तो जनता, जिसको देनी है, जिसने किया है, जिसका श्रेय है उसको मिलेगी। पर एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पहले भी मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है कि यह डेजर्ट और ट्राइबल, इनके लिये ढ़ाई सौ की आबादी के गांव को सड़क से जोड़ने का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रावधान है। परन्तु आपने 500 से नीचे के ढ़ाई सौ की आबादी वाले गांवों के लिये कोई प्लान नहीं बनाया, कोई भारत सरकार को भेजा नहीं और उसको जोडने की, मेरे ख्याल से पूरे हिन्दुस्तान में तो 500 है पर ट्राइबल और डेजर्ट के लिये ढ़ाई सौ है। हमारा जिला डेजर्ट का है। तो आप ढ़ाई सौ के प्रस्ताव बनाकर भेजें। ऐसा नहीं हो कि हम ढ़ाई सौ की बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रस्ताव नहीं भेज रहे तो वह गांव हमारे वंचित रहें। किस प्रकार से कैसे हो, आप देख लें। दूसरा, पंचायत हैडक्वार्टर वाली भी बात की थी। यहां कटारियाजी थे पहले पी.डब्ल्यू.डी. में, उन्होंने भी आश्वासन दिया था इसी सदन में कि हम पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ देंगे। आपने भी दिया था। आश्वासन तो दोनों मंत्री अलग-अलग, दोनों की तरफ से मिल गया है कि पंचायत हैडक्वाटर सड़क से जुड़ जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इनका जिला भी इतना विकसित थोड़े ही है। इनकी स्थिति भी वह की वही है गांवों की, ढ़ाणियों की।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिये मेहरबानी करके, आप पंचायत हैड-क्वाटर 573 हैं पूरे राजस्थान में जो अभी तक सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। उनकी आबादी कम है फिर उनको आप अलग से प्राथमिकता तय करके कर सकते हैं। अगर कर सकें तो वह पंचायत हैडक्वाटर जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार 2000 में जब पंचायतों के चुनाव हुए तो उस समय जो निर्विरोध पंचायतें चुनी गयी थीं तो उन पंचायतों को 2-2 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये गये थे विकास कार्यों के लिये।

(15.38 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष पदासीन)

लेकिन इस बार जो निर्विरोध पंचायतें चुनी गयी हैं, प्रोत्साहन राशि के रूप में उस समय 2 लाख रुपये दिये तो अब तो उसकी कीमत आधी रह गयी तो अब तो 5 लाख रुपये होंगे तब 2 लाख के बराबर कोई काम होगा। इसलिये 5-5 लाख रुपये उन पंचायतों को आप देने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं, बजट में प्रावधान करें।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें। माननीय सदस्य, अब समाप्त करें आप।

श्री हेमाराम चौधरी : मेरे तो बीच में बोलने ही नहीं दिया। जितनी बार खड़ा हुआ उतनी बार ये बीच में खड़े हो गये। आप कहो तो बोलूं नहीं तो....।

श्री अध्यक्ष : तो आप ट्रबल इंवाइट कर लेते हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : ट्रबल काहे का, बात तो सही कही। अब कौनसी ट्रबल वाली बात कही।

श्री अध्यक्ष : डोंट इंवाइट ट्रबल।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, नहीं, मैंने कहां ट्रबल इंवाइट किया, साहब।

मैं निवेदन कर रहा था कि जो निर्विरोध पंचायतें चुनी गयीं उनको आप प्रोत्साहन राशि पूर्व में दी थी, 2000 में तो इस बार भी आप दें। इस बार नहीं देने का क्या कारण है। एक आप आदर्श ग्राम पंचायत, प्रत्येक पंचायत समिति में एक-एक आदर्श ग्राम पंचायत आप घोषित करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से घोषणा नहीं की है। घोषणा करके उनके लिये भी जो आप मिनी सचिवालय की व्यवस्था की बात कर रहे हो, वह भी अभी इस बजट में कोई प्रावधान ऐसा नहीं किया गया है। तो उसमें भी आप करें जिससे कम से कम एक पंचायत स्तर पर पहले गांधी ग्राम एक-एक ब्लाक में घोषित किया गया था, उस गांधी ग्राम में भी कोई विशेष काम डवलपमेंट का नहीं हुआ है तो उसको गांधी ग्राम घोषित करने का, आदर्श ग्राम पंचायत घोषित करने का मकसद क्या है ? मतलब उसमें डवलपमेंट के कुछ एक्स्ट्रा काम हो, कुछ एक्स्ट्रा एक्टीविटीज हो जिससे यह लगे कि यह गांव डवलप करने का, इस पंचायत में डवलप करने का सरकार ने विशेष प्रयास किया है। मैं निवेदन करना चाहता था कि मैं कुछ और भी दूसरी समस्याओं के बारे में बोलता, फसल के बारे में.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके प्रतिपक्ष के नेता भी बोलेंगे न, उनका भी तो समय, वे भी एक घंटा बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, मैंने तो उनका समय लिया ही नहीं, साहब।

श्री अध्यक्ष : आपने तीन बजकर तीन मिनट से बोलना शुरू किया था।

श्री हेमाराम चौधरी : उसके बाद में कितनी देर बोलने दिया था, कितनी देर बोलने दिया ?

श्री रामनारायण डूडी : तगारामजी का टाइम भी इनके टाइम में गिन लो।

श्री हेमाराम चौधरी : अब मैं तो किसी का नहीं गिनता। यह अब मेरा ही अपना दुर्भाग्य समझो कि मेरा इतना इण्टरवेंशन हुआ है, यह हो सकता है

(श्री हेमाराम चौधरी)

कि मेरे में ही गलती हो क्योंकि -

"बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई,

जब दिल खोजा अपना तो मुझ से बुरा न कोई।"

अब यही समझो और तो क्या समझो, यही मान लो। खैर, मैं ठीक से आज नहीं बोल सका जिसकी वजह से इतना व्यवधान हुआ। ठीक से अपनी बात नहीं कह सका। कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं कि आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूं। आप उस पर गौर करें तो ठीक है और नहीं करें तो आपकी मर्जी की बात है। ध्यान दिलाना तो हमारा काम है। हम तो यही आपसे कह सकते हैं, खासकर मैंने पीने के पानी के बारे में निवेदन किया, उस पर आप जरूर कुछ काम करें।

अकाल इस समय है उस पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दें। बाकी समस्याएं तो हैं उन सारी समस्याओं का समाधान एक साथ होगा नहीं। थोड़ा सा आप मेहरबानी करके राजनैतिक भेदभाव जितना हो सके, कम करने की कोशिश करें, पूर्णतः कोई समाप्त नहीं कर सकता। कोई भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकता लेकिन जितना हो सके आप थोड़ा विशाल हृदय से काम करने की कोशिश करिये तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपने जो काम किये हैं उनके लिए मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेश मीणा।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ भी ध्यान करो। हम बीच वाले तो रह ही गये, एक भी नहीं बोला।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : हम भी बीच वाले हैं। न इधर वाले और न उधर वाले, हम भी बीच वाले ही हैं।

डा. सी.पी. जोशी : आप तो पार्टी वाले हो।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट पर बहस पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

(श्री सुरेश मीणा)

अध्यक्ष महोदय, कल से हम इस बजट बहस को सुनते चले आ रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस टाइम यह बजट बनवाया था, उस समय सिर्फ व्यापारियों को ही वहां बैठाया था। यदि वहां पर किसी किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को, किसी दलित के बेटे को बैठाया होता तो इन लोगों का भला होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम एम.एल.ए. नहीं थे इससे पहले भी हम सुना करते थे कि इस पिछड़े समाज के लिए अरबों रुपया सेंटर से आता है, राजस्थान सरकार देती है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं यह पिछड़े समाज के लिए वह रुपया नकली नोट आते हैं या असली नोट आते हैं, पता नहीं। इस देश को आजाद हुए 56-57 साल हो गये लेकिन यह पिछड़ा समाज, अभी तक दो रोटी भी उसको मोहताज नहीं हैं। यह कैसा पैसा है, जो इस समाज के लिए आता है ? हम सुनते हैं कि सहरियों के लिए इतना पैसा सेंटर से आया है लेकिन उन सहरियों की हालत आज वही की वही है जो आज से 55-56 साल पहले थी। इस पैसे का तो सदुपयोग नहीं हो पा रहा है या यह पैसा उनके पास पंहुच नहीं पा रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में जो दलित समाज के लोगों को जो पैसा, जनजाति के लोगों को जो पैसा आबंटित किया है उसका सही इस्तेमाल हो, वह पैसा उन तक पहुंचे, जिससे उनका भला हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश को आजाद हुए तो इतने दिन हो गये लेकिन असमानता बहुत ज्यादा है। अभी असमानता इतनी है कि एक आदमी ऐसा है यहां पर जिसको दो टाइम की रोटी भी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं और एक आदमी ऐसा है, जिसके दस-दस मकान है, सारी सुविधाएं हैं। यह इतनी असमानता इतने दिनों में भी समानता में क्यों नहीं आ पायी ? इस असमानता को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, असमानता इसी सदन से स्टार्ट होती है और यह असमानता नीचे तक चली जाती है। यहां पर उन पिछड़े समाज को, दलित

(श्री सुरेश मीणा)

समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। अच्छे जगह हमारे अधिकारी नहीं लग पाते हैं, जिससे समाज का भला कर सके। आज भी वही स्थिति है। हम कहते हैं, जो भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस की सरकार आये, चाहे बी.जे.पी. की सरकार आये, हम मांगते ही रहते हैं कि हमें यह दीजिए, हमें यह दीजिए लेकिन बहुत से समाज ऐसे हैं कि जिनको मांगने की जरूरत ही नहीं है। सवा साल तो मुझे इस सदन में आये हुए हो गये। हमने उसी दिन से हमारे 70 हजार के बैकलाग की बात करना शुरू कर दिया। उसी दिन से हम मांग करने लगे लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक तो हमें कुछ नहीं मिल पाया। कुछ नही मिला, हकीकत में कुछ नहीं मिला है। (व्यवधान) बैठो। मिलेगा तो हम ही बता देंगे और आप इतने उतावले मत होइये। यह हमारी ही बदौलत है कि आप सत्ता में बैठे हो और यह इधर बैठे हुए हैं। यह पक्की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में ओ.बी.सी. के लिए एक बात भी इस बजट में नहीं रखी गयी है। यदि हो, तो मुझे बता दो ? ओ.बी.सी. में इस प्रकार की जातियां हैं, छोटी जातियां हैं उनका विकास भी होना चाहिए। एस.सी., एस.टी.के साथ ओ.बी.सी. का विकास भी होना चाहिए लेकिन इस बजट में ओ.बी.सी. के नाम पर कोई भी एक अक्षर भी नहीं लिखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में दलित समाज के लोगों को जगह-जगह पर मार दिया जाता है। उनकी कोई सुनता नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है एक उदाहरण। बिलकुल चौराहे पर उसको चाकूओं से गोद दिया जाता हैलेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। उनको कोई कुछ नहीं देता। आर्थिक सहायता नहीं देता, यह बड़ी अचम्भे की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप बहुत ही पुराने नेता हैं और हम जैसे नये सदस्यों को आपका आशीर्वाद चाहिए। हमको इस समाज की बात रखने का मौका इस सदन में देना चाहिए और हमें

(श्री सुरेश मीणा)

विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप घंटी बजाएंगी, इससे पहले थोड़ा सा मेरी सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप घंटी नहीं बजायें, हम नये-नये हैं, घबरा जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट का समय ही है, 10 ही मिनट का समय है।

श्री सुरेश मीणा : नये-नये आये हैं, अध्यक्ष महोदय। पहली क्लास का जो लडका होता है उसको भी थोड़ा सा आशीर्वाद होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बांसवाड़ा साइड महाराष्ट्र पैटर्न की बात थी। कि यहां पर महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, सब कागजों में यह महाराष्ट्रं पैटर्न लागू है। हमारी जब वहां कमेटी गयी थी तो हमने देखा था कि उनकी स्थिति यह है कि कहां का महाराष्ट्र पैटर्न उनको खाने को अनाज नहीं। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में गये तो मध्य प्रदेश में वही आदिवासी जो इधर की सीमा पर राजस्थान के आदिवासी रहते हैं, मध्य प्रदेश के आदिवासी रहते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उन आदमियों के हर मकान के ऊपर, लास्ट एण्ड के मकान के ऊपर नल और राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं है ? यह हमें बताये अध्यक्ष महोदय। इतनी बड़ी हमारे साथ बेईमानी की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बैकलाग के साथ-साथ, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे अधिकारी, कर्मचारियों की जो पदोन्नति वाली बात है उनके साथ अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। क्योंकि जहां पर जो कमेटी बनी हुई है, उनमें एस.सी., एस.टी. का एक भी अधिकारी, कर्मचारी नहीं है, उनकी पदोन्नति होयेगी कैसे, माननीय अध्यक्ष महोदय ? इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, आप किसान की बेटी हैं और हम भी किसान हैं इसलिये आपको हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद रखना है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इस बात को खतम करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कल राजा मानसिंहजी की जो मूर्ति जयपुर में लगी, हमें कोई दु:ख नहीं कि जयपुर उनके पूर्वजों ने बसाया था, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिस देश का संविधान डा. भीमराव

(श्री सुरेश मीणा)

अम्बेड़कर ने लिखा था और इस सदन में भी उसी की चर्चा होती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि करोड़ों दलितों की भावना आपके साथ होगी, हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ होगी, यदि इस जगह डा. अम्बेडकर की मूर्ति लगा दें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : लगी हुई है न।

श्री सुरेश मीणा : विधान सभा की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं आपसे 14 तारीख आने वाली है, आप सब लोग मालाएं पहनाने जायेंगे वोट के खातिर, लेकिन इसके बाद ड़ा. अम्बेड़कर को कोई नहीं पूजता। सिर्फ वोट के लिये पूजते हैं। इसलिये अब समय आ गया है कि यदि आप ड़ा. अम्बेड़कर को नहीं पूजोगे तो इस विधान सभा की कुर्सी पर नहीं बैठोगे। सुरेश मीणा कह रहा है। जय भीम, जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री बत्तीलाल मीणा।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोड़ाभीम) : मैं आपके माध्यम से हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं कि इसमें जो विशेषता है, उसका वर्णन तो मेरे जैसा अल्प बुद्धि आदमी दस मिनट में कैसे बता सकता है। लेकिन इसके बारे में तो वही लोग बतायेंगे जिनके लिये यह बनाया गया है। मान्यवर, यह बजट वह बजट है जो हमारे राजस्थान की गरीब जनता के लिये ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान में अन्य सरकारों के लिये प्रेरणादायी होगा और एक आदर्श बजट होगा। मान्यवर, यह बजट प्रगतिशील है, विकासोन्मुखी है और हमारे राजस्थान की परिस्थितियों के अनुकूल है, जनहितकारी है, जन कल्याणकारी है और हमारा राजस्थान, जिसमें विपुल सम्पदाओं का भण्डार है, हमारे प्राकृतिक साधनों का समुचित दोहन हो, उसकी इसमें समुचित व्यवस्था की गयी है। इस बजट के द्वारा अधिक से अधिक रोजगारों के अवसरों का सृजन होगा। इस बजट के माध्यम से वह विकास होगा तो आने वाला समय हमेशा-हमेशा के लिये याद रखेगा।

(श्री बत्तीलाल मीणा)

मान्यवर, इस बजट में राजस्थान ही नहीं बल्कि जाति के जो महान् दुश्मन है - गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, बीमारी, प्राकृतिक आपदा और अकाल, इन सबसे किस प्रकार से लड़ा जाये, इनको किस प्रकार समूल नष्ट किया जाये, उन सारे उपायों को इसमें समाहित किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान जिन-जिन स्थानों पर गयीं, गरीबों की उन्होंने समस्याएं सुनीं। "हट से लेकर हैरिटेज तक गयीं"। धार्मिक स्थानों पर गयीं। उन सारी बातों को इसमें समाहित किया गया है, मैं 10 मिनट में 194 आर्टिकल वाला दस्तावेज, 94 पेज वाला, इसको मैं कैसे व्यक्त करूं इन भावनाओं को लेकिन, मान्यवर, इसमें गरीब के उत्थान का जो पेजवार उपाय किया गया है, वह शायद किसी बजट में नहीं कहा है। यह 15 महीने के शासन काल को हम चुनावी वर्ष कहें या फिर दूसरे शब्दों में इसको विकास का स्वर्णकाल कहें। मान्यवर, लोकप्रिय वसुन्धराजी ने दिसम्बर में जैसे ही सत्ता संभाली तो हमारी योजना 2002-03 या 2003-04 में 4,238 करोड़ की थी, उन्होंने बढ़ाकर उसको 5,500 करोड़ की। लेकिन इतना ही नहीं वास्तविक व्यय 6044 करोड़ का हुआ और योजना आयोग ने उसको 6,797 करोड़ की स्वीकृति दी। मान्यवर, 2005-06 की जो हमारी योजना है, वह 8,350 करोड़ की है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, जो वास्तविक व्यय है वह 8,697 करोड़ रुपये खर्च करने का है। मान्यवर, इन 15 महीनों में हमने योजना के आकार को दुगुना नहीं किया बल्कि जो वित्तीय सुधार किये, वह भी उल्लेखनीय हैं और वह वित्तीय सुधार हमारा राजस्व घाटे में कमी और ओवर ड्राफ्ट पर नियन्त्रण, इसके रूप में परिलक्षित होता है। 2002-03 में हमारा राजस्व घाटा 30 प्रतिशत था, वह राजस्व घाटा 2004-05 में 30 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत आ गया और 2005-06 में वह राजस्व घाटा 15 प्रतिशत आ जायेगा। ओवर ड्राफ्ट दिसम्बर से फरवरी तक केवल आठ दिन रहा और इन 13 महीनों में एक दिन भी ओवर ड्राफ्ट नहीं जबकि पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने पांच साल में 704 दिन ओवर ड्राफ्ट लिया, उसको हम

(श्री बत्तीलाल मीणा)

ओवर ड्राफ्ट की सरकार कहें या दिवालिया सरकार कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

मान्यवर, सबसे बड़ी जो विशेषता है बजट की, वह यह है कि इससे हमारे प्रान्त की साख बढ़ी है और केवल साख कैसे बढ़ी है। पहले वाले मुख्य मंत्री महोदय, श्री गहलोत साहब कहते थे कि खजाना खाली है। वह मजबूरी व्यक्त करते थे। इस बजट में कही भी यह कमजोरी व्यक्त नहीं की गयी है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति की गयी है। वह वास्तव में इसको जानने वाले मर्मज्ञ लोग जानते हैं बजट से कि वह क्या है।

श्री सुरेश मीणा : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करता हूं कि नादौती की जनता नहर का पानी मांग रही है।

श्री बत्तीलाल मीणा : 1977 में एम.एल.ए. बनकर आ गये थे। एम.एल.ए., एल.एल.बी.. ला ग्रेजुएट हूं। सारी बात जानता हूं। एम.एल.ए. रहा, प्रधान रहा, (व्यवधान) नहीं, तो बैठिये आप दूसरे को व्यवधान क्यों करते हैं ?...... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं डालें। बीच में नहीं बोलें आप (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : अध्यक्ष महोदय, हमारे गुढ़ामालानी से आने वाले सदस्य बोल रहे थे, उनको बीस बार रोका है।..... (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल मीणा : आप बैठिये। मैं जानता हूं कि...... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : टोड़ाभीम की जनता पानी मांग रही है। पीने का पानी नहीं है नादौती, टोड़ाभीम में।

श्री बत्तीलाल मीणा : आप संयम रखिये।........ (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : पानी की बात करो, ओवर ड्राफ्ट की क्या बात कर रहे हो आप।

श्री अध्यक्ष : खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, आवश्यक नहीं है कि हर बार जब आप खड़े हो जायें। हर वक्त खड़ा होना वाजिब नहीं है, उचित नहीं है।

श्री बत्तीलाल मीणा : यहां सदन के माध्यम से माननीय सदस्य हमको डिस्टर्बेंस करते हैं। यहां से निकलने के बाद वह हमसे बात ही नहीं कर सकते। यह लोग जो कहते हैं मान्यवर, एक विचित्रता है मैं वसुंधराजी के राज को एक भगवान का वरदान मानता हूं। मेरी तहसील की मैं बताऊं। हमारी दोनों तहसीलें अकालग्रस्त हैं और 148 काम मेरे विधान सभा क्षेत्र में चल रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि ऐसी-ऐसी सरसों, ऐसी-ऐसी कमाई कभी जिन्दगी में नहीं हुई, जो मंडियों में माल रख नहीं पा रहे हैं। अब बताइये क्या है ? यह प्रकृति का वरदान है या राज का वरदान है। आप चलिये मैं दिखाऊंगा कि इतनी सरसों कभी जिन्दगी में नहीं हुई और इतने अकाल कार्य कभी जिन्दगी में नहीं खुले। अकाल और समृद्धि, दोनों का सम्मिश्रण कहीं देखना है तो आप मेरे क्षेत्र में पधारियें। मान्यवर, मैं आपको आमन्त्रित करता हूं। लेकिन आप कोई बात को जानें नहीं, बीच-बीच में डिस्ट्र्बेंस करें। बजट के बारे में खुद समझे नहीं। यह तो बहुत बुद्धिमत्ता की बात है। आप डिस्टर्ब कर सकते हो लेकिन आप तर्क नहीं दे सकते। आप जानते नहीं किसी बात के बारे में। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा.....(व्यवधान) आप डिस्टर्ब क्यों करते हो ? आप बोलते हो जब हम बोलते हैं क्या ?...... (व्यवधान)

डा. किरोड़ा लाल मीणा : आपको ध्यान है कितने बुद्धिमान हैं हमारे सदस्य महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्रीजी सवाल-जवाब करने लगे। माननीय सदस्यगण, 6 बजे मुख्य मंत्री ....

श्री बत्तीलाल मीणा : "शीशा, सोना, सुगन नर बन रही" .... बुद्धिमान आदमी कभी डिस्टर्ब नहीं करते। मैं यह मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 6 बजे मुख्य मंत्रीजी का रिप्लाई होगा, आप लोग यों ही एक-दूसरे से सवाल-जवाब करते रहेंगे तो समय नष्ट होगा इसलिए आप मेहरबानी करके अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री बत्तीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी अपनी बात कहूंगा।

मान्यवर, जैसे ही हमारी सरकार आयी हमने 100 दिन की कार्य योजना बनायी और 100 दिन की कार्य योजना का जनता ने जो आत्मसात करके हमको उसका रिजल्ट दिया, लोक सभा के चुनाव में हमारी 25 में से 21 सीट आयी और किस बात का घोतक है, यह इस बात का घोतक है कि जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। यह बजट हमने जनता के लिये बनाया है और विपक्षियों के लिये तो बनाया नहीं, विरोधियों के लिये तो यह बजट है कि हम यहां बैठे रहें और वह वहां बैठे रहें। यह कोई भजन मण्डली तो है नहीं हम जो राजनीति के लोग हैं, यहीं है कि हम जनता को इस तरह खुश करें कि आपको भूल जाए और हमको याद रखे। यह तो बजट का सार है। बजट का सार यह है कि लोग आपको भूल जाएं और हमको याद रखें और हम यही कर रहे है इस बजट में। अध्यक्ष महोदय, जनता ने हमको 25 में से 21 सीट दी। उसके बाद में हमने 365 दिन की कार्य योजना बनायी और 365 दिन की कार्य योजना का रिजल्ट यह हुआ कि हम सारे विधान सभा के उप चुनाव जीते और नगर निकायों में 45 में से हमारी 35 सीट आयीं। पंचायती राज में जो हमको कहते थे कि यह तो शहरों की पार्टी है, गांवों की तो है ही नहीं, इतना विस्तार हुआ कि 236 में से 126 हम पंचायत समिति जीते, दस से बढ़ कर बारह जिला प्रमुख हो गये। इतना विकास जो एक साल में हुआ है, जनता ने हमको इतना एप्रिशिएट किया है और जनता ने जब हमको सर्टिफिकेट दे दिया तो किसी और से हमको सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम जनता के लिए हैं और जनता ने हम को यहां भेजा है, उनको खुश करने के लिए हमारी सरकार की दृष्टि सही है और दिशा सही है, संकल्प सही है।

अब यह एस.सी., एस.टी. की बात करते हैं, केवल वोट के लिए बात करते हैं।

श्री सुरेश मीणा : तो किस के लिए करें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री बत्तीलाल मीणा : पांच करोड़ रुपये केवल पिछली सरकार ने एस.सी., एस.टी. के लिए रखे थे जो ऊंट के मुंह में जीरा था अब पांच करोड़ से बढ़ा करकें 75 करोड़ 51 लाख रुपये एस.सी., एस.टी. के लिए रख दिया। वह कम बात है क्या ? पिछली सरकार है जो हमारे पर कुठाराघात किया है, कह दिया कि खजाना खाली है। शेखावत साहब जो इस राज्य को चौथे नम्बर पर छोड़ कर गये थे उसको सत्रह नम्बर पर पहुंचा दिया। एक आदमी को नौकरी नहीं दे सकते और जब नौकरियों की बात आती है, पांच साल में एक आदमी को नहीं लगाया।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बत्तीलाल मीणा : और कहते हैं कि हमने यह कर दिया और वह कर दिया। अब बताइये इतने रोजगार के अवसर दिया और 38 हजार शिक्षकों की भर्ती की......

श्री अध्यक्ष : आप का समय समाप्त हो गया, कृपया समाप्त करें।

श्री बत्तीलाल मीणा : मान्यवर, और बोलते हैं उनको तो आप एक-एक घंटा देती हैं और मैं ऐसा कभी बोलता भी नहीं लेकिन बोलने जाते हैं तो दस मिनट में समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष : मैने दस मिनट का समय दिया है सब को।

श्री बत्तीलाल मीणा : मै तो इस सदन में सबसे ज्यादा वोटों से दूसरे नम्बर पर जीत कर आया हूं तो मुझे ज्यादा समय चाहिए । मैं कोई अनर्गल बात तो कह ही नहीं रहा ।

यह विशेषता है हमारी सरकार की, जनता ने हम को स्वीकार किया है उसको कहना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमने वह एचीवमेंट प्राप्त किये हैं जो कोई कर नहीं सकता । 40 साल में कभी इतने स्कूल खुले हैं ? पिछले बजट

में देखेंगे आप कि कितने स्कूल खोले हमने।

श्री अध्यक्ष : अब आप कृपया समाप्त कर दें, मैं आपसे कह रही हूं कि आपका समय समाप्त हो गया।

श्री श्रवण कुमार : बत्तीलालजी, कम बोला करो, रामस्वरूपजी बहुत बोलते थे जब क्या हुआ, मालूम है न। कम बोला करो, कम बोलोगे तो ठीक रहेगा। नादौती, नादौती करते रहते थे वो।

श्री अध्यक्ष : पिलानी से आने बाले माननीय सदस्य, अब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं।

श्री बत्तीलाल मीणा : मुझे सब मालूम है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं मेरे क्षेत्र की बात और कर लूं , एक मिनट और दीजिए मुझे।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं टोकें, बीच मे नहीं रोकें । क्यों खड़े हो रहे हैं बीच में ?

श्री बत्तीलाल मीणा : यह मेरे साथी हैं इसलिए मेरे को सुझाव देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में ......

श्री अध्यक्ष : अब शिक्षा को रहने दीजिए आप। आप समाप्त करिये।

श्री बत्तीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, दस मिनट में क्या कहें, हम जो सारी तैयारी करके आये हैं। हम जो इकानामिक्स के बजट के विद्यार्थी हैं, हम क्या कहें, बताएं।

हम तो यह निवेदन करना चाहते हैं कि सड़को के मामले में जो काम किया है, पिछली सरकार ने तीन साल में 913 किलोमीटर सड़क बनायी और हमारी सरकार ने पी. एम.जी.एस.वाई. के अन्दर एक साल में 1725 किलोमीटर सड़क बना दी। पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी हैं नहीं, मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक 5.6 किलोमीटर की सड़क है और उसके

(श्री बत्तीलाल मीणा)

बनाने से सात गांव जुड़ जायेंगे और इतना बड़ा फायदा होगा और लोग देखेंगे, वास्तव में इतना-सा है सात गांव जुड़ते हैं 5.6 किलोमीटर सड़क से ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्रजी सराधना। आप कृपया समाप्त कर दें, अब अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री बत्तीलाल मीणा : मान्यवर, मैं यह कहते हुए कि यह बजट देश को नयी दिशा देने वाला बजट है, हम इसका समर्थन करते हैं और यह वह बजट है जो हमारी सरकार, हमारी पार्टी को आने वाले समय में भारी बहुमत दिलायेगा और हमको इस जगह रखेगा और हमारे विरोधी साथियों को उस जगह रखेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्रजी सराधना। (व्यवधान) नहीं, ओ.पी. महेन्द्रा इसके बाद। ऐसे नहीं, अब मैंने उनका नाम पुकार लिया।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, हमारा तो पूरा समय ही चला गया, निर्दलियों का तो कोई एक भी नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष : निर्दलीय बोल लिये न एक।

श्री रामप्रताप कासनिया : कहां बोल लिये ?

श्री अध्यक्ष : एक बोल चुके हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : नहीं बोले जी, अभी तक कोई नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष : नहीं बोले तो अब आपको एक इधर से बोलने के बाद समय देंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया : हां, लास्ट में जो सब से बचा हुआ समय है हमें दे दो जी।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए बजट पेश किया है उस पर मैं कोई विपक्ष में बोलने के लिए या स्तुति करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, मुझे इस बजट में जो कमियों लग रही हैं मैं उनको उजागर करना चाहूंगा।

बजट बनाना एक आवश्यकता है, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, चाहे गांव का हो, चाहे जिले का हो, पंचायत का हो और चाहे घर का भी होता है। बजट बनाते हैं, पहले तो बजट बनता था जो पैसा होता है, धन होता है उसके हिसाब से बजट बनता है और धन नहीं होता है, जितना होता है उतना बजट बनता है, घाटे का बजट भी बनता है लेकिन अब की बार जो बजट बना है घाटे को कम दिखाने के लिए कर्जा लेकर बजट बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आम जनता के लिए बजट कैसा बना, इसमें क्या है, आंकड़ों के खेल में मैं नहीं जाना चाहता और जनता को इससे खास सरोकार भी नहीं है। लेकिन जनता इस बात की अपेक्षा करती है कि जो बजट बने वह जनकल्याणकारी हो, जनता के हित मे होने वाली बातें हों और सरकार जो कहे वह करे भी। क्योंकि आपने बजट में भी कहा है कि हर वर्ग की खुशहाली और चेहरे पर मुस्कराहट लाना हमारा उददेश्य है। ला भी रहे हैं, मालूम भी पड़ रहा है। 15 महीने में योजना का आकार आपने बढ़ा कर दोगुना कर दिया, राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार कर दिया, राजस्व घाटे में कमी कर दी, ओवर ड्राफ्ट को नियंत्रण में ले आये। यह सब होना ही था। यह इसलिए होना था, मैं मोटे तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि एक जुलाई, 2004 को 38 हजार शिक्षक आपको लगाने चाहिए थें आपने नहीं लगाये, मेडिकल कर्मचारियों की भर्ती करनी थी आपने नहीं की, पुलिस के कर्मचारीयों आपको लेने थे आप नहीं ले पाये, बेरोजगारों को रोजगार देना था नहीं दिया. बेराजगार युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता देना था नहीं दिया, एस.सी., एस.टी. के छात्रों के लिए गत बजट का प्रावधान जो पूरा करना चाहिए था वह आप नहीं कर पाये और यहां तक कि एस.सी., एस.टी. के लिए और विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र से जो पैसा आता है उसका भी आपने पूरा

(श्री रामचन्द्र सराधना)

यूटिलाइजेशन नहीं किया। यह सारा पैसा बचना ही था और बच करके आपने जो जोड़ा है उस हिसाब से भी आपको घाटा कम दिखाना ही दिखाना था। मान्यवर, इन सब के लिए जो धन बचा है, इसके साथ मैं दो-तीन बातें और निवेदन करना चाहता हूं जो जनता महसूस कर रही है।

आपने मिड-डे-मील का प्रोग्राम शुरू किया था, केन्द्र सरकार ने......

श्री तगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल जो इनके गुजरे थे, यह का यह हिसाब था लेकिन वह ओवर ड्राफ्ट तो होता ही गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय तगारामजी, बीच में नहीं बोलें।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय तगारामजी, न तो मेरे विरोध करने से आपकी सरकार जा रही है और आप नहीं बोलेगे तो आपके कहने से बचेगी भी नहीं इसलिए आप भ्रांति को दूर करें।

मैं निवेदन करना चाह रहा था मिड-डे-मील में आपने एक नया सुधार किया है, दाल- बाटी आप देगे, दाल-चपाती आप देंगे, चावल-दाल आप देंगे, घूघरी आप देंगे, व्यावहारिक बात यह है कि घूघरी का पेमेंट भी मजदूर को ढंग से नहीं कर पाये, पहले वाली सरकार में भी और आप भी नहीं कर पायें। आप दाल-बाटी कहां से बना कर दे देंगे, आप उनको कहां से दाल-चपाती दें ? मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अनपढ़ रखने के लिए, उनको शिक्षा पूरी नहीं मिल पाये उसके लिए नया कार्यक्रम शुरू कर दिया। जब वह धूणी उठने लग जाती है, दाल-बाटी की तैयारी हो जाती है, सुबह से बच्चे लग जाते हैं कि दाल-बाटी बन रही है और टीचर इसकी देखरेख में लग जाते हैं। मैं आपको व्यावहारिक बात बताता हूं, मैं कोई बुराई की बात नहीं करना चाहता। यह कार्यक्रम ऐसा दिया है जो दिनभर उत्सव का सा काम चलता है और दाल-बाटी का इन्तजार करते हैं। आपके सामने यह भी समस्या आयेगी कि उसका भुगतान कहां से करोगे ? क्योंकि आपने एक छात्र के लिए 1.65 रुपये तय किया है, एक रुपया 65 पैसे आपने वह तय कर दिया, 100 ग्राम आपने गेहूं तय कर दिये, 60 पैसा लगा लीजिए, 100 ग्राम का और आप 1.65

(श्री रामचन्द्र सराधना)

रुपये लगा लीजिए तो 2 रुपये 25 पैसे में किसी भी बच्चे को खाना देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। कल मैंने सरपंचों से बात करी है, कह रहे हैं हमारे पर दबाब पड़ रहा है कि आप चालू कीजिए लेकिन इसको चालू कैसे करेंगे और इसका खर्चा कौन करेगा। मैं आपको इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से सोचें। आप दाल-बाटी शुरू करें, दाल-बाटी 100 ग्राम आटे की बना कर देंगे, उस बच्चे को पूरी दाल-बाटी खिलाना है या केवल दो-दो बाटियों बांट कर उनको उठा देना है ? जो बच्चा खाने के लिए बैठ जायेगा उसको आप बीच में कैसे उठा पायेंगे ? इन बातों पर गौर करना है। आपको मेरा इसमें सुझाव था कि इसके बजाय तो एक पैकिंग के रूप में बिस्कुट देते, तो उन बच्चों का काम चल जाता। कभी नमकीन बिस्कुट दे देते, कभी मीठा बिस्कुट दे देते। इसके बजाए आप चने भिगोकर चने खिला देते, अंकुरित चने दे देते, मीठे चने दे देते, नमकीन चने दे देते वह बात तो चल सकती है लेकिन आपकी दाल बाटी मैं नहीं समझता आप इसको कैसे कर पाएंगे। आपने एक आधार बनाया है स्वयं सेवी संस्थाओं को देंगे। मान्यवर, मैं बुराई नहीं करना चाहता। स्वयं सेवी संस्थाएं कहां का कन्सेप्ट है, जो ट्रस्ट से चलती थीं, जो विदेशों मे चलते हैं वह अपना पैसा लगाते हैं इस समाज के लिए और हमारी स्वयं सेवी संस्थाओं में बहुत सारी ऐसी हैं जो यह याद रखती हैं कि कोई न कोई प्रोग्राम हमें मिल जाए। आधा हमारा चल जाए और आधा इनको बांट दें। इसलिए स्वयं सेवी संस्थाओं के आधार पर इसको चलाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई बात चल पाएगी।

आपने जनजाति विकास की बात कही है 12.6 पर्सेण्ट जनता के विकास के लिए यह बात सही है कि पांच करोड़ रुपया रखा था फिर उसको तीस करोड़ कर दिया और अब पिचहत्तर करोड़ करके उसका बाजा बजाना चाहते हो लेकिन आप उसका व्यय भी देखना, उसका कजंम्पशन भी देखना, पांच करोड़ रुपये में तीस करोड़ रुपये में से कितना कंजम्पशन हुआ है, कंजम्पशन नहीं हो पाया है। जितना पैसा बजट मे आपके पास था उसको पूरा खर्च नहीं कर पाए हैं। हमारी बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनको न तो पंचायत राज के प्रतिनिधि जानते हैं और यहां तक कि माननीय विधायक लोग भी पूरी उन योजनाओं को नहीं जानते। उनका पैसा ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

बजट में कलाबाजी दिखाना जनता के साथ धोखेबाजी है। सच्चाई सच्चाई होती है। योजनाओं में कटौती करने का एक नमूना देना चाहता हूं किस तरह से सफाई से योजनाओं में कटौती की गयी है। जोधपुर का एक उदाहरण देता हूं बीस सूत्री कार्यक्रम का। उन्होंने 650 लाख पौधे लगाने की योजना बनाई, नौ महीने में उनके पास केवल मात्र दो लाख नब्बे हजार पौधे लगे। महीने बच गये तीन। योजना पूरी करनी थी उस योजना को पूरी नहीं कर पाए। जब उन्होंने देखा हमारी योजना पूरी नहीं हो रही है बीस सूत्री कार्यक्रम वालों ने उसकी क्रियान्विती का लेखा जोखा लिया। बड़े तरीके से उसको उन्होंने दो लाख तीस हजार कर दिया छह लाख पचास हजार पौधे की जगह दो लाख तीस हजार का टार्गेट करके 125 प्रतिशत लक्ष्य आपको दिखा दिए। इसी तरह से आवासन में भी हुआ है।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि धरातल पर काम करना एक अलग बात है, बुराई करना एक अलग बात है और वाहवाही लूटना एक अलग चीज है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदय ने गत बजट में विजन दिया था। विजन का मतलब मैं समझता हूं दृष्टि होता है और जब विजन खतम हो जाता है तो कुछ नहीं बचता है। इस बजट में विजन कहां है। वह विजन कहां गया। उस विजन में हो सकता है मुझे नजर नहीं आ रहा हो आपको नजर आ रहा हो। किसी को यह कल्याणकारी बजट नजर आ रहा है। मेरे को पूरा खराब नजर नहीं आ रहा है यह मैं साफ करना चाहता हूं। यह पूरा बजट बेकार नहीं बता रहा हूं मैं, और मेरे को इतना बेकार नजर भी नहीं आ रहा है लेकिन जो बेकार नजर आ रहा है वह बताना चाहता हूं। वह आपने विजन की बात छोड़ दी। पहले छह बातों पर आपने ध्यान केन्द्रित किया था। दरिद्रता का निवारण करेंगे आप कुपोषण और भूख से मुक्ति दिलाएंगे, अशक्त और महिलाओं के लिए सम्बल देंगे, मानव संसाधन विकास और सामाजिक आधारभूत सुविधाओं की वृद्धि करेंगे, रोजगार में सृजन करेंगे और आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास करेंगे। इस बजट में कहा है। कहां चले

(श्री रामचन्द्र सराधना)

गये, इसका मतलब पूरा कर पाए, इसका मतलब हो गया। गत बजट में आपने जो आधार बनाये थे उन सभी को आप पूरा कर गये अब इसमें कोई दिक्कत नहीं रही।

मैं निवेदन करना चाहता था इन बातों पर भी आप गौर करें और इन बातों को भी पूरा करने की कोशिश करें क्योंकि आपने छह बातें जो निश्चित की थीं गये बजट में, यह छह वह बातें हैं, जिनका कभी भी अन्त नहीं हो सकता। यह हमेशा चलतीं रहेंगी और कमी ला सकते हो इसमें लेकिन इनको आप निर्मूल नहीं कर सकते। आपने बात तो अच्छी छेड़ी थी, उद्देश्य तो अच्छा बनाया था लेकिन उसको बीच में छोड़ना जनता के साथ न्याय नहीं है।

आपको निवेदन करना चाहता हूं आपने फसल बीमा की बात की थी। बड़ी वाहवाही लूटी थी। फसल का बीमा होगा, कृषकों को लाभ होगा। आपने यह लाभ देने का तरीका कहां से लिया। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से आपने पैसा ले लिया उनसे और आज उनके यहां ओले गिर गये या फसल सूख गयी उसका आपने तरीका जो बनाया उसका मापदण्ड जो बनाया है वह इतना गलत है कि किसान को कभी लाभ नहीं मिल सकता। आपने यूनिट बनाई है तहसील को और कहना चाहते हैं तहसील में आधे से ज्यादा खराबा होगा तब जाकर आपको बीमा का पैसा मिलेगा। यदि पूरी तहसील में आधा खराबा नहीं हुआ, एक गांव में खराबा हो गया, एक आर.आई. सर्किल में पूरा खराबा हो गया, उसका कोई लेना देना नहीं है। वह इन्तजार करते हैं कि आधे से ज्यादा खराबा सारी तहसील में होगा तब हमें मिलेगा। यह कोई उचित बात नहीं है। इस पर भी गौर करने की बात है। उसको यूनिट बनाएं तो ग्राम पंचायत को बनाकर बात करें तो फिर भी ठीक है लेकिन पूरी तहसील को यूनिट बनाकर के उन काश्तकारों के साथ अन्याय करना चाहते हैं यह उनको फसल बीमा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह केवल ढिंढोरा पीटने की बात है।

किसान क्रेडिट के लिए बड़ा शोर मचा था। बहुत अच्छी बात थी हम भी उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पर किसान क्रेडिट का मामला पहले से ही चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपके दस मिनट पूरे हो गये हैं। आप एक मिनट में बात समाप्त कर दें।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं तो बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में कह रही हूं समाप्त कर दें।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मेरी दो तीन बातें हैं आपको उपयोगी लगे तो ठीक नहीं तो फिर बजाना, बैठ जाऊंगा मैं तो।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं तो समय के बंटवारे के हिसाब से आपसे निवेदन करूंगी, आपके दस मिनट हो चुके हैं। एक मिनट मे समापन करने की बात कही है।

श्री रामचन्द्र सराधना : दो चार मिनट आप और दे दें तो मैं काम की बात बोलूंगा बेकार तो बोलूंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : क़ौन बेकार बोलता है यहां सभी काम की बोलते हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना : किसान क्रेडिट की बात कर रहे थे। किसान क्रेडिट आपने भी बाटे और हमने भी बाटे थे और आपने जलसा बनाकर के बाटे थे लेकिन उसको क्रियान्वितीं को देखा आपने। किसान क्रेडिट कार्ड को लिए-लिए काश्तकार रोता फिरता है, घूमता फिरता है। बैंक वाले उसको गांठते नहीं है। बड़ी मुश्किल से पटवारी के नोहरे खाकर के सरपंच के नोहरे खाकर लोगों ने क्रेडिट कार्ड बनवाए और उसका लेन देन कुछ नहीं। तो काश्तकार हैं वह जानता है इस दर्द को किसान क्रेडिट कार्ड से लोगों को क्या मिला है।

आपने विपणन की बात बताई है कि हम विपणन करेंगे, विपणन का इंतजाम करेंगे, मार्केटिंग का इन्तजाम करेंगे। आज राजस्थान में जो एक माहौल बना था आंवला लगाने के लिए, आंवले की फसल खड़ी है, आंवला पेड़ से लगा हुआ पड़ा है। लाल होकर के काला हो गया उसको खरीदने वाला नहीं है आज। जिन लोगों ने बड़े उत्साह के साथ आंवले के पेड़ लगाए ये दस-दस बीघा, पन्द्रह-पन्द्रह बीघा जमीन में आज उसका यह नुकसान हो रहा है, उसको

(श्री रामचन्द्र सराधना)

निपटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को गौर करना चाहिए कि विपणन की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक काश्तकार के साथ अन्याय होगा, या प्रोसेसिंग का...

श्री अध्यक्ष : यह बात तो कृषि पर बोलना आप।

श्री रामचन्द्र सराधना : जब आप टोक देते हैं तो मेरा कृषि और शिक्षा सब निकल जाता है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र सराधना : आपने रोजगार की बात की है। युवाओं और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की बात की है पर इसमें एक भी शब्द नहीं है शिक्षित बेरोजगारों के लिए आप क्या करना चाहते हैं। आपने एक लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की बात की है। यह आप फोरेस्ट में देंगे, माइनिंग में देंगे, नियमित देंगे या दस-दस दिन का देंगे या अकाल राहत का देंगे, यह आपने इसमें स्पष्ट नहीं किया है। और एक बात की है बेरोजगारों को आपने शिक्षा मंत्रीजी, एक और गड़बड़ कर दी।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं जो समझता हूं वह यह है कि आपने बी.एड कालेज 385 या 380 को परमिशन दी है और बी.एड कालेज कोई सामान्य शिक्षा का कालेज नहीं है, बी.एड कालेज व्यावसायिक शिक्षा का है। उसको व्यवसाय मिलना चाहिए ट्रेनिंग के बाद। आप 380 कालेज में जो एन.ओ.सी. देकर आप शुरू करवा रहे हैं यदि 150 कालेज भी शुरू हो गये तो हमारे पहले वाले कालेजों में जो तैयार हुए थे उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, यह कहां से लेंगे।

श्री अध्यक्ष : एजुकेशन पर आएगा तब बोलना आप।

श्री रामचन्द्र सराधना : एक निवेदन और करना चाहता था बेरोजगारी के लिए...

श्री अध्यक्ष : श्री ओ.पी. महेन्द्रा।

श्री रामचन्द्र सराधना : मान्यवर, एक मिनट आपसे निवेदन करूं, आज सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में बेरोजगारी के साथ में यह भी है।

श्री अध्यक्ष : यू हेव टेकन 15 मिनट्स।

श्री रामचन्द्र सराधना : यहां के लोग विदेशों में जाना चाहते हैं कुशल और अर्द्धकुशल कारीगर और श्रमिक बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाने वालों के साथ में बड़ी लूट मचती है। फर्जी लोग उनका बीजा बनाते हैं, फर्जी लोग उनका पासपोर्ट बनाते हैं, और वहां जाकर के कैन्सिल हो जाता है इसलिए सरकार को चाहिए कि...

श्री अध्यक्ष : को-आपरेट करें जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र सराधना : एक मिनट, एक ऐसी एजेन्सी का निर्माण करें....

श्री अध्यक्ष : जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कृपया सहयोग करें।

श्री रामचन्द्र सराधना : और वह एजेन्सी बाहर जाने वाले श्रमिकों के लिए, कारीगरों के लिए पासपोर्ट बनाने और बीजा बनाने और रोजगार लगाने की गारंटी का इंतजाम करें तो लोगों को लाभ मिलेगा। इससे बहुत लोग लूटे जाते हैं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री ओ.पी. महेन्द्रा ।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 मार्च को राज्य की लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजेजी द्वारा पेश और क्रियान्वित राजस्थान के 2005 के इस बजट की सर्वत्र सराहना हुई है। मैं केवल इस आधार पर मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त नहीं कर रहा कि मैं एक सत्ता पक्ष का सदस्य हूं बल्कि इस आधार पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब 25 तारीख के समाचार पत्रों में

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

राजस्थान के अर्थशास्त्रियों ने, राजस्थान के शिक्षाविदों ने, राजस्थान के प्रमुख व्यापारियों ने, राजस्थान के औद्योगिक संगठनों ने, राजस्थान के किसान संगठनों ने इस पवित्र बजट की भूरि-भूरि प्रंशसा की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास होगा। इस बजट के माध्यम से किसानों के लिये व्यापक सुविधाएं, सहूलियतों का ऐलान किया गया है। इस बजट के माध्यम से राज्य में सबके लिये स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैय्या कराने का प्रयास किया जायेगा। इस बजट के माध्यम से राज्य में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। इस बजट के माध्यम से राज्य की रीढ़ की हड्डी जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा। इस बजट के माध्यम से महिलाओं को विशेष सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी। इस बजट के माध्यम से सामाजिक कल्याण की अवधारणा को बल मिलेगा। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का कल्याण होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर मै राज्य की लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सत्ता सम्भालने के बाद पिछले साल के बजट को भी ऐसा बजट बनाया जो आम लोगों के लिये था और अब यह प्रस्तावित बजट भी एक ऐसा बजट है जो राजस्थान के आम लोगों के लिये है।

राष्ट्र का मूल सिद्वान्त है कि करों का सरलीकरण व कर दरों में कमी। मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में इसी सिद्वान्त को अपनाया है। 1993-1994 के पश्चात् यह पहला ऐसा वर्ष है जिसमें राज्य पूरे वर्ष में एक दिन भी ओवर ड्राफ्ट में नहीं रहा। राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है तथा राजस्व घाटे में कमी आयी है। यह सर्वोत्तम वित्तीय प्रबंधन के कारणों से ही सम्भव हो सका है।

सालों बाद राज्य का सरप्लस का बजट पेश हुआ है। मैं आंकड़ों के इस मायाजाल में नहीं जाना चाहता हूं। कल हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

कह रहे थें कि इस बजट में डेफिसिट फाइनेंसिंग को अदृश्य दिखाया गया है। इसमे प्राप्तियों का सही विवेचन नहीं किया गया। इसमें व्यय के बावजूद भी व्यय का सही आंकलन नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों के मायाजाल में न जाकर कुछ संक्षिप्त आकंडे मैं सदन के सम्मुख आपके माध्यम से पेश करना चाहता हूं। 2002-03 में कुल बजट का घाटा 900.83 था। सन् 2004-05 में हमारी सरकार आने के बाद बजट का घाटा संशोधित अनुमान के अनुसार 6.89 करोड़ का रह गया और वहीं 2005-06 के बजट में 970.28 रुपये का सरप्लस है। यह कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है।

जहां तक राजस्व प्राप्तियों की बात है 2002-03 में रेवेन्यू रिसीप्टस 12664.98 करोड़ थी वह 2004-05 में बढ़कर 17480.55 करोड़ रुपये हुई और 2005-06 में अनुमानित है 20538.33 करोड़ रुपये की।

एक और जहां राज्य की रेवेन्यू रिसीप्टस में तेजी से वृद्धि हुई है वहीं मै निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय, एक निश्चित समय अवधि में राज्य की अर्थव्यवस्था की समग्र उपलब्धि एवं राज्य के लोगों की खुशहाली को दर्शाता है।

शुद्ध घरेलू उत्पाद जहां 2001-02 में 78089 करोड़ के थे वहीं 2004-05 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 95298 करोड़ रुपये के हुए। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय भी राज्य की सही आर्थिक स्थिति का आकलन करती है। प्रति व्यक्ति आय हमारे राज्य में जहां 2002-03 में 12745 रुपये की थी वह 2004-05 में बढकर 15673 रुपये की हो गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के बिन्दु नम्बर 18 में जनजाति विकास को व्यापक रूप से अप्रत्याशित रूप से बनाया गया है। गत वर्ष बजट मे निर्धारित प्रावधान 5 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये और अब वर्तमान में 75.51 करोड़ रुपये किया गया है। इससे जनजाति वर्ग के आर्थिक व सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी। साथ ही अनुसूचित जाति के बी.पी.एल.

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

के परिवारों की बच्चियों की शादी पर पांच हजार रुपये की सहायता का प्रावधान अनुकरणीय है और इसके लिये भी पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया गया है।

माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व में बांग्लादेश का उदाहरण है। एस.एच.जी. के माध्यम से जहां बांग्लादेश में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बहुत भारी परिवर्तन हुआ है। हमारे इस प्रस्तावित बजट में भी एस.एच.जी. के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जायेगा। जहां 9 लाख महिला समूह जुड़े हैं आगामी आने वाले समय में 2 लाख महिला समूह इसमें और जुड़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिये कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ क्या उन तक पहुंचता है ? इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनरल आडिट की योजना इस बजट में प्रस्तुत की है। जब जनरल आडिट की योजना लागू होगी उससे यह आंकलन किया जा सकेगा कि महिलाओं को दिया जाने वाला जो लाभ था वह वास्तव में उन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है।

हमारा देश, विशेष रूप से राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है इसके समाधान के लिये गवर्नमेंट कालेजेज में कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था का नया प्रावधान किया गया है। वर्तमान में काल सेंटर बी.पी.ओ. के माध्यम से रोजगार के नयें अवसर सृजित हो रहे हैं। इसमें दक्षता वृद्धि कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की योजना भी एक अभिनव योजना है। मेरा इसमें सुझाव है कि एग्रो बेस्ड इंडीस्ट्रीज ट्रेनिंग सेंटर्स अधिक से अधिक खोले जाएं ताकि हमारे राज्य की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी प्रोत्साहित हो सके।

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जल ही जीवन है। राज्य मे जिस प्रकार से कुशल वित्तीय प्रबंधन अपनाकर विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि दी जा रही है उसी प्रकार से जल के कुशलतम उपयोग को मुख्य मंत्रीजी ने भली भांति समझा है और इसीलिये अमूल्य नीर नाम की जो योजना लागू की गयी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है...

श्री अध्यक्ष : अब आप अपनी बात समाप्त कर दें एक मिनट में।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : एक नया सदस्य होने के नाते बहुत ही सीमित बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो आपका विशेष अनुग्रह चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : समय सदन का सीमित भी तो है। अब समाप्त कीजिये।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले के किसानों की ओर से मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने राज्य में दो टिश्यु कल्चर सेंटर प्रस्तावित किये हैं जिसमें से एक गंगानगर जिले में खोला जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित बजट में राज्य की सभी प्रमुख फसलों को कृषि बीमा योजना में सम्मिलित किया गया है लेकिन इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा यह योजना भारत सरकार की है और भारत सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि कृषि बीमा योजना की इकाई ग्राम रखी जाए न कि ब्लाक स्तर पर।

औद्योगिक निवेश के लिये भी राजस्थान में अनुकूल परिस्थितियां है लेकिन जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने जहां पैट्रोलियम भण्डारों पर राजस्थान को अधिकार विहीन बनाने के बाद अब केन्द्र सरकार की राज्य के लिग्नाइट भण्डारों पर भी नजर है। यह समाचार पत्रों में लिखा है "केन्द्र की लिग्नाइट पर भी नजर" अध्यक्ष महोदय, केन्द्र के अगर इरादे कामयाब हुए तो प्रदेश के करीब 3090 मिलियन टन लिग्नाइट भंडारों का दोहन...

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, कनक्लूड कर लीजिए।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : 3090 मिलियन टन लिग्नाइट भण्डारों के दोहन, परीक्षण व उनके विकास का काम राज्य सरकार के हाथों से निकल जायेगा। यह राज्य के हितों पर चोट है। मैं आपके माध्यम ये माननीय प्रतिपक्ष के नेता से और प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान आपका और हमारा सभी का राज्य है, केन्द्र सरकार से इसके लिए विशेष प्रयास और अनुरोध करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर जिले के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गंगानगर जिले के लिए पिछले वर्ष 72 करोड़ रुपये का प्रावधान गंग नहर के लिए किया। आई.जी.एन.पी. के फर्स्ट फेज में से पहली बार शिल्ट निकालने के लिए साढ़े पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किये। वहीं टिश्यू कल्चर केन्द्र की स्थापना और वर्तमान बजट मे 40 करोड़ रुपये का गंग कैनाल के लिए प्रावधान, इसके अलावा सेम की समस्या के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान और किन्नू के लिए प्रसिद्ध पायलट आधारित योजना और गंगानगर से हनुमानगढ़ तक के लिए हाल ही में सड़क बनी है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, लास्ट, गंगानगर से हनुमानगढ़ तक जर्जर सड़क बन चुकी है और नये बजट में हनुमानगढ़ से रतनगढ़ तक के लिए सड़क का प्रावधान किया है इससे जिले के लाखों नागरिकों को लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आपका समय पूरा हो चुका है।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : यह अन्तिम बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब समय पूरा हो गया। श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, केवल अन्तिम बात।

श्री रामप्रताप कासनिया : मेरे लिए भी बाकी छोड़ दो कुछ।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : एक सुझाव देना चाहता हूं। केवल एक सुझाव, अन्तिम सुझाव।

श्री अध्यक्ष : ऐसे कैसे काम चलेगा।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : केवल अन्तिम सुझाव।

श्री अध्यक्ष : सुझाव तो आपने दे दिया। धन्यवाद दे दिया और क्या बाकी रह गया।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले की प्रमुख समस्या, किसानों की प्रमुख समस्या, शहर की प्रमुख समस्या और हमारे शहर में प्रदूषण की प्रमुख समस्या, जर्जर होती शुगर मिल के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्र में नयी व आधुनिक शुगर मिल लगायी जावे। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में जो बजट पेश किया है उसमें हर वर्ग की आन, बान और शान और बहबूदी का ध्यान रखा गया है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वाह, साहब, क्या कहने।

श्री रामनारायण मीणा : इधर आ जायें।

श्री रामप्रताप कासनिया : अब आप डिस्टर्ब मत करें।

श्री अध्यक्ष : वह आपकी प्रशंसा कर रहे हैं .... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से एक-एक बिन्दु पर रिपीट करना कोई आवश्यक नहीं है। इस सरकार ने दो बजट पेश किये हैं। उसमें यह बात दर्शायी है कि हर वर्ग को टचं करने का, उसको सहायता देने का प्रयास किया गया है। कोई भी वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे काश्तकार हो, सब की तरफ बजट में ध्यान रखा गया है।

श्री रामनारायण मीणा : आप निर्दलीय हो।

श्री रामप्रताप कासनिया : फिर आप मुझसे कहलवाना चाहते हो, मै हूं निर्दलीय ही।

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से इस राजस्थान में अगर समृद्धि लानी है तो जैसे बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में तेल के भण्डार मिले हैं उनका इस राजस्थान की जनता को फायदा मिले। रिफाइनरी जोधपुर या जैसलमेर में ही लगनी चाहिए। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वाकई में ही आप राजस्थान की बहबूदी चाहते हैं तो आपको और हमको मिलकर के इस तरह के प्रयास करने चाहिए और केन्द्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि रिफाइनरी राजस्थान में ही लगे। यह तो वह बात हो गयी कि पशु तो राजस्थान में चराओ और खाद जो खाद होता है वह पंजाब में डालें। यह कोई न्याय की बात है। खानो-पीनो करे खसम को, गावे बीरा को गीत। तेल निकले राजस्थान में और कारखाना लगाओ पंजाब में।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राजस्थान में अगर वाकई में ही खुशहाली लानी है तो इसमें हमें एक चीज की सख्त आवश्यकता है जब तक फैमिली प्लानिंग, एक बच्चे का कानून लागू नहीं होगा तब तक इस राजस्थान की बहबूदी बढ़ने वाली नहीं है। यहां खुशहाली आने वाली नहीं है। हम पांच आदमियों की व्यवस्था करते हैं और दस पैदा और हो जाते हैं। चाहे कोई

(श्री रामप्रताप कासनिया)

योजना हो, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़क की हो, हर चीज कम पड़ जाती है। यह जनसख्या जिस तेजी से बढ़ रही है। अगर इस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो राजस्थान में खुशहाली नहीं आयेगी। राजस्थान में क्या इस देश में ही खुशहाली आने वाली नहीं है। बातें बहुत करते हैं। आरोप-प्रत्यारोप बहुत करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पक्ष और विपक्ष मिलकर के चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे प्रांतों की सरकार हो, चीन में एक बच्चे का नियम लागू है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर वाकई में ही पार्टियां गम्भीर हैं। इस देश में खुशहाली लाना चाहती हैं तो यह नियम बनाने में क्या दिक्कत है। पक्ष और विपक्ष मिलकर के सारी पार्टियां सहयोग करें हिन्दुस्तान को बढ़ाने के लिए एक बच्चे का कानून लागू करें और दस वर्ष के अन्दर रिजल्ट आ जायेंगे। इस दशा में यह हिन्दुस्तान वापस सोने की चिड़िया बन सकता है परन्तु वाद-विवाद, आरोप-प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यक्ष से माननीय मुख्य मंत्रीजी का सेम की समस्या के लिए जो पांच करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष में दिये हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने पिछले बजट में कोई कमी नहीं छोडी और इस बजट में भी ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र हो स्कूल खोलने की बात हो, अध्यापकों के रिक्त पद भरने की बात हो, किसी भी तरह से इस सरकार ने शासन में आने के बाद हर तरफ ध्यान दिया है और शिक्षा के मामले में तो विशेषकर ध्यान दिया है। पिछले काफी वर्षों से अध्यापकों के पद रिक्त चले आ रहे हैं वह पद भरने का काम इस सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भर्ती तो की है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिक्त पद पड़े हैं उनमें विशेष ध्यान रखा जाये नहीं तो लोग अपने प्रभाव से कहीं डेपुटेशन करवा लेंगे। किसी स्कूल में दस अध्यापकों के स्थान हैं वहां 12 बैठे हैं। कहीं

(श्री रामप्रताप कासनिया)

15 बैठे हैं। शहर के अन्दर ज्यादा अध्यापक अपना स्थानान्तरण करवाना चाहते हैं। इसलिए कि शहर में उनको सुविधा मिलती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उनको सुविधा नहीं मिलती है। चाहे टीचरों की बात हो, चाहे कोई दूसरे महकमे की बात हो। ग्रामीण क्षेत्र में ना कोई डाक्टर रहना चाहता है, ना कोई नर्स रहना चाहती है। इस कारण से नहीं रहते हैं कि वहां शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा नहीं है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ध्यान देकर इस तरह के कर्मचारियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायें जिस तरह की शहरों में हैं, तो अपने आप ही पद रिक्त नहीं रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मै जलदाय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में 50 प्रतिशत समस्या ऐसी है जिनकी तरफ बारीकी से ध्यान जाये तो बिना पैसे के समस्या का समाधान हो सकता है। मैं पिछली बार इस हाउस में निवेदन कर चुका हूं। जिस गांव में पाइप लाइन है, गांव में पूरा बजट खर्च हो गया कागजों में पानी चल रहा है, चार गांव को पानी से जोड़ा हुआ दिखा रखा है। लेकिन रास्ते में पाइप लाइन लीकेज है और लीकेज ठीक करने वाला कोई कर्मचारी नहीं है। गावों में जो बेलदार हैं, पी.एच.ई.डी. विभाग के वह काम नहीं करते हैं,

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। समय खतम हुआ आपका। समाप्त करें एक-आध मिनट में।

श्री रामप्रताप कासनिया : आपके अधिकारियों से उनकी शिकायत करते हैं तो अधिकारी एक ही उत्तर देते हैं कि इनकी यूनियन है। अध्यक्ष महोदय, कैसी विडम्बना है, काहे की यूनियन है। जिस कर्मचारी को जिस काम के लिए लगा रखा है अगर वह काम नहीं करे तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए। चाहे कितनी ही बड़ी यूनियन क्यों नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बिजली के मामले में गांव में तार हवा में झूलते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति सार-संभाल करने वाला नहीं है। तार खींचने

(श्री रामप्रताप कासनिया)

में सरकार का कोई बहुत बड़ा खर्चा लगने वाला नहीं है, गांव वाले सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो स्कीमें बंद पड़ी हैं और कागजों मे चालू दिखा रखी हैं, इस तरह की स्कीमों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत सी पिछली स्कीमें तो चल ही नहीं रही और नई स्कीमों पर हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 24 तारीख को वर्ष 2005-06 का जो बजट पेश किया है उसमें सिर्फ आंकड़ों का जाल है। यह बजट आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए हितकारी नहीं है, उसमें कहीं भी यह नहीं दिख रहा कि वह आम आदमी पर अपनी छाप छोड़ेगा।

कहने को तो इसमें कुछ रियायतें भी दी हैं लेकिन उनका आम जनता को क्या फायदा मिलेगा, उनका क्या उपयोग होगा, यह मुझे नहीं दिखता। इस बजट से मुझे यह जरूर महसूस हो रहा है कि इससे मंहगाई जरूर बढ़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बीकानेर डिवीजन में खेल जगत में दो हस्तियां हुई है जिन्होने ओलम्पिक्स में नाम कमाया है। मेजर राज्यवर्द्धन सिंह और विकलांग छात्र देवेन्द्र झाझडिया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में उनको धन्यवाद प्रेषित किया है लेकिन मै निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें भी भेदभाव किया है। मेजर राज्यवर्द्धन सिंह को तो 11 लाख रुपए और एक रिहायशी मकान देकर सम्मानित किया है जबकि विकलांग और स्वर्ण पदक विजेता देवेन्द्र झाझडिया को सिर्फ 11 लाख रुपये का इनाम देकर ही सम्मानित किया है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि देवेन्द्र झाझड़िया को भी रिहायशी मकान देकर सम्मानित किया जाए ऐसी मैं राज्य सरकार से उम्मीद करता हूं।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए इस बज़ट में काफी प्रोवीजन किए हैं। 27 नए स्वास्थ्य केन्द्र और 24 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी खोल रहे हैं लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की बात आपके माध्यम से सरकार को पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे शहर के बीच में एक पी.पी. सेंटर था, उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद राज्य सरकार ने एक व्यवस्था की कि उसमें दो डाक्टर बैठाए और कुछ स्टाफ बैठाया। लेकिन विभाग की हठधर्मिता के कारण आज वह बन्द कर दिया गया है और जो सुविधा लोगों को मिल रही थी उससे वंचित कर दिया गया है। आज लोगों को दो किलोमीटर दूर रेफरल अस्पताल मे ज़ाना पड़ता है, उसके बीच में रेलवे फाटक आता है और उसके कारण से टैम्पो वालों को किराया ज्यादा भी देना पड़ता है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि उस व्यवस्था को पुनः चालू किया जाए, वहां जो 8-10 डाक्टर हैं उनमें से 2 डाक्टरों को वहां बैठाया जाए ताकि जो सुविधा पूर्व में लोगों को मिल रही थी उसका उपयोग पुनः वे कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वनों के बिना हम जी नहीं सकते। हमें हवा वनों से ही मिलती है और उन्हीं के कारण बरसात भी होती है लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज चूरू जिले की भौगोलिक स्थिति देखें तो वहां कुल 16830 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में सिर्फ 80.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ही वन हैं। जो इसका सिर्फ .47 प्रतिशत ही है जो राजस्थान में सबसे कम है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां वन क्षेत्र बढ़ाया जाए ताकि वहां जो असंतुलन पैदा हो गया है वह दूर हो सके, अन्यथा इसका खामियाजा हमें भुगतान पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि के बारे में अपने क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं। इन्होंने बजट में कृषि के लिए 136 करोड़ 73 लाख रुपये का प्रोवीजन किया है, ठीक है लेकिन हमारा क्षेत्र और प्रदेश कृषि प्रधान है, कृषि के बगैर हम जी नहीं सकते। आज बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे कृषि कुओं का जल स्तर बहुत घट रहा है, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया

(श्री नन्दलाल पूनिया)

तो आने वाले समय में सिंचाई की बात तो अलग पीने के पानी की भी भयंकर समस्या हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि इस ओर जरूर ध्यान दे।

कृषि बीमा के बारे में मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने भी बहुत कहा है, इसका आकलन खसरा नम्बर के आधार पर होना चाहिए। किसान जीवन कल्याण कोष की जो बात की है उसमें 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की राशि की है, वह स्वागत योग्य है लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो पिछले तीन चार साल में जो घटनाएं घटी, उनके आश्रितों को भी आज तक भुगतान नहीं हुआ है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि उनका भुगतान जल्दी किया जाए ताकि इस योजना का फायदा उन लोगों को मिल जाए।

आज शिक्षा के क्षेत्र में जहां तक स्कूल कालेज खोलने की बात है, आज सभी सब डिवीजन हैडक्वाटर पर कालेज है लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजगढ़ सब डिवीजन हैडक्वाटर में एक भी सरकारी कालेज नहीं है। एक अनुदानित-प्राइवेट कालेज है जिसके प्रबन्धकों ने इसको बन्द करने की घोषणा कर रखी है। लिहाजा राज्य सरकार ने निवेदन है कि हमारे राजगढ़ मे जहां 4 लाख की आबादी है, वहां कालेज जरूर खोला जाए।

महोदय, जहां तक पानी की समस्या का सवाल है, मेरे क्षेत्र में यह भयंकर समस्या है। हमारे वहां खारा पानी है, हरियाणा सीमा से लगता है । यदि यह सरकार पीने के पानी की उपलब्धता के बारे में गम्भीर होती तो मैं समझता हूं कि आपणी योजना जो जर्मन गवर्नमेंट के सहयोग से चलती है और एशिया की सबसे बड़ी योजना है, उसके लिए इस बजट में प्रोवीजन रखते, हमारे चूरू जिले के लिए यह जीवनदायिनी योजना है, तो मैं समझता यह सरकार पीने के पानी के लिए गम्भीर है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री नन्दलाल पूनिया : कर रहा हूं।

पीने के पानी के लिए हमारे यहां लोग-बाग हरियाणा से टैंकर मंगवाते हैं 500 रुपयों में, एक साल में 10-12 टैंकर लाने पडते हैं, इसमें गरीब आदमी कैसे पोसाये ? ऐसी भयंकर स्थिति है। हमारे बूढ़ावास-कालोडी की जो रीजनल स्कीम है उसके करीब आधे गांवों का आज तक भी पानी नहीं जा रहा है।

सड़को के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी हमारे जिले के जरूर हैं लेकिन राजगढ़ तहसील की जितनी भी सड़कें हैं वे सारी टूटी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, लास्ट में मैं बिजली के बारे में थोड़ा सा निवेदन करके कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बिजली तो ठीक आ रही है, क्या करोगे। कनक्लूड आप ?

श्री नन्दलाल पूनिया : नहीं साहब। बिजली के बारे में पिछली बार राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि हम 72 घंटे में बिजली के ट्रांसफार्मर बदल देंगे, घंटे बिजली देंगे। उसका नतीजा यह है कि मेरे राजगढ़ सब डिवीजन में 15 से 20 दिन तक लोगों के ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते, चाहे आप इसका रिकार्ड मंगवा कर देख लें। सरकार ने 72 घंटे की घोषणा की थी वह खोखली साबित हुई। अध्यक्ष महोदय, आप खुद काश्तकार हैं, आप सोचिए कि 15 दिन तक किसी काश्तकार का ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाए तो उसकी तो फसल बरबाद हो गई और इससे वह किसान खुद बरबाद हो गया, ऐसी स्थिति हो रही है। आप खुद देख लीजिए। पैसे बिना कोई ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता, पैसा लिया जाता है। इस सम्बन्ध में हमारे यहां कई कर्मचारी अभी ट्रेप भी हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आप तो निवेदन करना चाहते हैं लेकिन समय पूरा हो गया न।

श्री नन्दलाल पूनिया : पिछले बजट भाषण में आपने आदेश दिया था कि धांगड़ा-सरदारपुरा जहां की बिजली लाइन चार साल से कटी हुई है, उसको आज तक जोड़ा नहीं गया है लोगों ने डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा करवा दिए हैं। सब कुछ होने के बाद आपने बिजली मंत्री को पिछली बार निर्देशित भी किया था, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। मैं लास्ट मेरी बात कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री नन्दलाल पूनिया : एम.एल.ए. लैड आपने दिया है 60 लाख रुपये है, लेकिन इस एम.एल.ए. लैड का उपयोग नहीं हो तो क्या हो ? मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं। आज से तीन साल पहले एम.एल.ए. लैड से बिजली के 20 काम स्वीकृत हुए थे। विभाग को पैसे दे दिये, स्वीकृतियां जारी हो गई, लेकिन बड़े दु:ख की बात है आज हम गांव में जाते हैं लोग बाग पूछते हैं कि उन कामों का क्या हुआ। हम क्या जवाब दें ?

श्री अध्यक्ष : श्री के.डी. बाबर।

श्री नन्दलाल पूनिया : बड़े दु:ख की बात है। यदि वो काम पूरे नहीं हुए मैं दु:ख व्यक्त कर रहा हूं, आज तीन साल से एम.एल.ए. लैड के काम नहीं हो तो या तो सरकार मुझे आश्वासन दे कब तक करा देगी नहीं तो मैं धरने पर बैठ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह क्या तरीका हुआ ? यह कौनसा तरीका है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा इन्होंने जो एम.एल.ए. लैड के काम के बारे में बताया मैं जिला प्रशासन से भी बात करूंगा, संबंधित अधिकारियों से भी बात करूंगा और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित समयावधि में आपके काम निश्चित समय पर पूरे हो जाएं इसका पूरा प्रयास सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष : यह क्या बात हुई ? ऐसे सब धरने पर बैठने लग जाएंगे तो सबके काम पूरा कर दोगे आप ? यह क्या बात होती है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मोह तो अपनों का होता है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मुख्य मंत्रीजी के जवाब देने तक बढ़ाया जाए।

दूसरा प्रस्ताव भी साथ ही रख देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में 4 तारीख का कार्यक्रम तय किया था उसमें अनुदान की मांगे, वन एवं पर्यावरण की 4 तारीख को लेने वाले हैं। मेरा यह प्रस्ताव है, सभी की इसमें सहमति है, क्योंकि 5 और 6 की छुट्टी है, 2 और 3 की छुट्टी है, इसलिए 4 तारीख को भी छुट्टी करके 4 तारीख की बजाय 9 तारीख, शनिवार को जो छुट्टी का दिन है, 4 तारीख का कार्यक्रम 9 तारीख को किया जाए।

श्री अध्यक्ष : सरकारी मुख्य सचेतक ने जो समय बढ़ाने के लिए कहा है क्या सदन का समय मुख्य मंत्रीजी के जवाब तक बढ़ा दिया जाए ? (व्यवधान) उन्होंने दो संकल्प रखे हैं। आप बीच में ही हाथ खड़ा कर रहे हैं। मै कह रही हूं जो मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्ताव यहां पर रखा है कि सदन का समय मुख्य मंत्रीजी के भाषण देने तक भाषण की समाप्ति तक .....

डा. सी.पी. जोशी : भाषण के उत्तर के बाद तक।

श्री अध्यक्ष : अब यह तो आप जैसा चाहेंगे वो शब्द तो मैं नहीं कहूंगी, भाषण की समाप्ति तक।

डा. सी.पी. जोशी : हम अमेण्डमेंट मूव कर रहे हैं मुख्य मंत्रीजी के भाषण के बाद उसका उत्तर आने तक।

श्री अध्यक्ष : उसका मतलब यही होता है । उत्तर आ जाएगा।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय मुख्य मंत्रीजी के भाषण के उत्तर के बाद तक का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : आसन आपके इन शब्दों से गाइड होने वाला नहीं है। मुख्य मंत्रीजी के भाषण की समाप्ति तक क्या सदन का समय बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मुख्य मंत्रीजी के भाषण की समाप्ति तक बढ़ाया जाता है।

डा. सी.पी. जोशी : सॉरी। अध्यक्ष महोदय, यह नहीं।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, देखिए, कभी यह नहीं होता है कि उनके उत्तर तक, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो वे निश्चित रूप से जवाब देंगी।

डा. सी.पी. जोशी : ठीक है, एग्री।

कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन

श्री अध्यक्ष : सरकारी मुख्य सचेतक ने जो दूसरा प्रस्ताव रखा है कि कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि 4 तारीख की बजाय 9 तारीख को सदन बैठे और वो मांगे उस दिन 9 तारीख को ली जाएं। क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गई।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : 9 को नवरात्रा स्थापना है।

श्री अध्यक्ष : नवरात्रा की स्थापना करके यहां आ जाना। श्री के.डी. बाबर। (व्यवधान) बैठे-बैठे बात नहीं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय वसुंधराजी ने जो वर्ष 2005-2006 का बजट रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और समर्थन मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखकर यह बजट रखा गया है, चाहे एस.सी. हो, चाहे ओ.बी.सी. हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है।

प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इसको आंकडों का मायाजाल बताते हैं। पिछले वर्ष का जो बजट है उस बजट में जो-जो बातें सरकार ने कहीं उनमें पूरी बातों में खरी उतरी हैं। जहां तक कुशल प्रबन्धन का सवाल है हमारी सरकार आने के बाद में एक दिन भी ओवरड्राफ्ट नहीं रहा और जब कांग्रेस का शासन था तब माननीय गहलोत साहब डेली अखबारों में कहते थे कि हमारी जेब खाली है, हमारा खजाना खाली है, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। इससे पूरे प्रदेश में इस तरह की भावना भी थी कि सरकार के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या मांगे।

आज दिन में एस.सी. के कुछ माननीय सदस्य चिन्ता जाहिर कर रहे थे कि एस.सी. के साथ भेदभाव हो रहा है, बैकलाग नहीं भरा जा रहा है, शिक्षकों की भर्ती में हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको याद दिलाऊं कि इन्होंने पांच साल में किसी को रोजगार नहीं दिया और रोजगार दिया भी तो राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोली और उनमें सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भरा गया, उनमें इनके अनपढ़ कार्यकर्ता भी थे। इनमें भी हमारा एस.सी. का आरक्षण होना चाहिए था वो आरक्षण नहीं था। ये हमारा आरक्षण वहीं खा गये और बातें करते हैं कि हम दलितों की रक्षा करेंगे, दलितों को रोजगार देंगे, इनको न्याय

(श्री केसर देव बाबर)

दिलाएंगे और इनके साथ कहीं भी भेदभाव नहीं बरतेंगे। इन्होंने राजीव गांधी स्कूल जो प्रदेश में खोली उसका एक क्राइटेरिया तय किया कि जिस वार्ड की स्कूल होगी उस वार्ड का पंच होगा उस पंच की जो कैटेगरी होगी उसी कैटेगरी का वहां टीचर लगेगा। निश्चित तौर पर राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं, केवल ढ़ाणियों में खोली गई, वहां पर एस.सी. का पंच होता नहीं था इसलिए एस.सी. और एस.टी. को जो लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। आज यह कह रहे थे शिक्षकों की भर्ती में माननीय घनश्यामजी ने हमारे साथ सही सलूक नहीं किया। मैं कांग्रेसी भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय घनश्याम जी ने चाहे एस.सी. के लोग हों, चाहे ओ.बी.सी. के हों, चाहे एस.टी. के हों जितना उनको हक मिलना चाहिए था वो हक उनको पूरा मिलेगा, इसमें आपको चिन्ता करने की कतई जरूरत नहीं है।

आंकड़ों में तो माननीय सदस्यों ने सब कुछ पहले ही बता दिया, मैं एक-दो सुझाव जरूर दूंगा। सड़कों में भी प्रदेश एक नम्बर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में करीबन 9204 किलोमीटर सड़क वर्ष 2004 में बनी यह रिकार्ड कायम हुआ। दूसरा सड़क मंत्रीजी ने डब्ल्यू.बी.एम. बी.टी. के काम हाथ में लिया है, यह एक अनुकरणीय उदाहरण है और इससे प्रदेश में वो सड़कें जो कोई काम नहीं आ रही थीं उनमें कंकर पड़े हुए थे, पशु भी नहीं चल सकते थे उन सड़कों का डामरीकरण हो जाएगा तो प्रदेश में विकास की गति जरूर आगे बढ़ेगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

कृषि के मामले में सरकार ने घोषणा की 7 से 8 घंटे थ्री फेस बिजली और सुबह-शाम दो फ्रेस बिजली। कांग्रेस के शासन में मात्र 5 घंटे बिजली मिला करती थी और सुबह-शाम का तो कोई नाम ही नहीं था। माताएं और बहनें थी उन्होंने गांव में जो बिलोवना होता है उसको छत पर रख दिया था और अब हम गांव में देखते हैं सुबह बिजली आती है और सभी बिलोवना सुबह बिलोते हैं और सभी छाछ सुबह पीते हैं। किसी को सुबह छाछ पीने को नसीब नहीं होती थी। (व्यवधान) छाछ एक ऐसी चीज है जो देवताओं को भी नसीब नहीं होती है। (व्यवधान)

(श्री केसर देव बाबर)

ऊर्जा में जो आप लोगों ने किसानों के साथ अन्याय किया, बिजली उनको कम दी पैसे ज्यादा लिए। हमने किसानों के साथ जो वायदा किया वह पूरा निभा रहे हैं, हालांकि किसानों को फिर भी और राहत देनी चाहिए। एक तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि कृषि में 3-4 श्रेणी के कनेक्शन हैं। इसलिये यह कनेक्शन दो श्रेणी में ही रखे जाएं। एक सामान्य श्रेणी और एक स्पेशल श्रेणी, 3-4 श्रेणी और भी हैं जो अभी चल रही हैं उनमें किसानों पर थोड़ा बोझ पड़ रहा है। दूसरा, अपने प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, यह अलग-अलग तरह की है। कई क्षेत्रों में 50 फीट गहरा पानी है, कई क्षेत्रों में डेढ़ सौ फीट गहरा पानी है और हमारे सीकर में दो सौ फीट, ढ़ाई सौ फीट गहरा पानी है, वहां पर हमको 20-25 एच.पी. का पम्प लगाना पड़ता है और जहां 50 फीट गहरा पानी है वहां 5 एच.पी. का पम्प लगाना पड़ता है, उस किसान का खर्चा कम आता है और सीकर के किसानों का खर्चा बहुत ज्यादा आता है इसलिए किसान का इस तरह का ध्यान रखा जाए कि उनका बराबर खर्चा आए क्योंकि पैदावार बराबर होती है और किसान को......

श्री अध्यक्ष : क्या कर रहे हैं मंत्रीजी आप वक्ता और मेरे ही बीच में से आ रहे हैं ?

श्री केसर देव बाबर : आज जो प्रदेश में किसान को चोरी करनी पड़ रही है क्योंकि हमारी साइड़ में 20-20 एच.पी. के पम्प सैट लगे हुए हैं, 25-25 एच.पी. के पम्प सैट लगे हुए हैं। इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान भी रखा जाए और इनके जैसे 5 एच.पी. का पम्प सैट का जितना बिल आता है उतना ही उस 20 एच.पी. के पम्प सैट का बिल आए। इस तरह की व्यवस्था अगर होगी तो किसान को चोरी नहीं करनी पड़ेगी और किसान जो चोर है वह चोर नहीं कहलाएगा। मैं मेरे क्षेत्र की एक बात करूंगा। लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांवों में फ्लोराइड़, नाइट्रेट, डी.टी.एस. बहुत ज्यादा है। फ्लोराइड़ क्षेत्र में मुख्य मंत्री साहिबा ने 133 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा है। मेरा

(श्री केसर देव बाबर)

निवेदन यह है कि मेरे क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाए क्योंकि यह जो पानी है इस पानी से कुबडापन आ जाता है, जल्दी ही बूढ़े हो जाते हैं, घुटनों में दर्द हो जाता और इससे लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त क़रें।

श्री केसर देव बाबर : इसलिए इस फ्लोराइड की जो योजना अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री केसर देव बाबर : अभी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त कर देता हूं। इसलिए अम्ब्रेला प्रोजेक्ट में हमारे इस लक्ष्मणगढ़ विधान सभा की बात को शामिल किया जाए। दूसरा माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पिछले वर्ष बाबा रामदेवजी के लिए वहां पर जो रामदेव सरोवर बना हुआ है उसमें 95 लाख रुपये की जो राशि दी उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बाबा रामदेवजी के स्थान पर पहली बार किसी सरकार ने इस तरह की राशि दी है। मैं चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं इनका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त करें आप, समय हो गया आपका, समाप्त करिये।

श्री केसर देव बाबर : इनका भी ध्यान दिलाऊंगा कि बाबा रामदेवजी के यहां लाखों पदयात्री जाते हैं और वहां पर सरकारी चिकित्सा का अभाव है इसलिए आने वाले पदयात्रियों के समय मे वहां चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं की तरफ से कोई नहीं बोला। एक पर्ची दी तो आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : 6 बजे मुख्य मंत्रीजी का जवाब होगा, नेता प्रतिपक्ष कम से कम एक घंटे बोलेंगे। मैं समझती हूं, इसलिए जितने बोलने वाले थे।

श्री श्रवण कुमार : झुंझुनूं की तरफ से एक भी कोई बोला है क्या ?

श्री अध्यक्ष : जिले की तरफ से बोलने का प्रश्न नहीं होता है, हर जिले के नहीं बोले जाते हैं।

श्री श्रवण कुमार : तो क्या हो गया ?

श्री अध्यक्ष : यहां जो पार्टी जिसका नाम देती है।

श्री श्रवण कुमार : तो पार्टी ने नाम दे दिया, नाम तो दे रखा है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम उससे पहले तो 3-4 आदमियों के और नाम हैं।

श्री श्रवण कुमार : नाम नहीं आया क्या, नाम तो आया है।

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्षजी, मेरा भी नाम है।

श्री श्रवण कुमार : अब आप चाहते नहीं हैं कि बोलें। (व्यवधान) आप चाहते ही नहीं हो झुंझुनूं की कोई समस्या रखे।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष से आप कोई सवाल-जवाब नहीं कर सकते।

श्री श्रवण कुमार : समस्या आप चाहें ही नहीं झुंझुनूं जिले की समस्या कोई रखे।

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष।

श्री श्रवण कुमार : आप चाहते ही नहीं हो समस्या कोई रखे, हमारा नाम आया तो आपने बोलने का मौका की नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष।

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्षजी, मेरा भी नाम है इसमें।

श्री श्रवण कुमार : नहीं, आप बताइए, 10 मिनट तो दे ही सकते थे।

श्री अध्यक्ष : पांच बजकर पांच मिनट हो रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : आप 10 मिनट तो दे ही सकते थे।

डा. सी.पी. जोशी : पांच मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : कौन बोल लेता है पांच मिनट में ? कोई नहीं बोलता है पांच मिनट में, आप गलत बात कहते हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : पांच मिनट में बोल लेता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कैसे समय दे दूं ? पांच मिनट में कौन बोलता है, मुझे बताइए। (व्यवधान) फिर यह कहेंगे, फिर वह कहेंगे, वह लोकजन शक्ति पार्टी भी कहेगी। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : अध्यक्ष महोदय, +++ ? (व्यवधान) +++ अध्यक्ष महोदय, कानून और नियम सब के ऊपर हैं।

श्री श्रवण कुमार : मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अवगत कराया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने आग्रह किया है कि वह 6 बजे बोलना चाहती हैं।

श्री श्रवण कुमार : सरकार का ध्यान मुझे आकर्षित करवाना है।

श्री अध्यक्ष : उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करती हूं।

श्री श्रवण कुमार : उनकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए मुझे बोलने दें।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : अध्यक्ष महोदय, +++। अध्यक्ष +++ शक्ति पार्टी को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, झुंझुनूं से किसी को भी मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, +++

श्री श्रवण कुमार : सरकार के इन शर्कों को दूर करने के लिए मैं बताना चाहता हूं सरकार को।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : x x x

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री अध्यक्ष : मैंने तो 10 मिनट का समय संब को दिया, मैं नहीं जानती, जो पहले बैठे किसने क्या कहा।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : शब्दों को संभाल कर बोलें गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, अपने शब्दों को।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : x x x

श्री बहादुर सिंह गोदारा : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अध्यक्ष : बिलकुल एक-एक ही बोले हैं।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री बहादुर सिंह गोदारा : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

श्री अध्यक्ष : दो-दो मिनट में बोलता कौन् हैं।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि +++

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। जब तक वह इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, मैं अब उन्हें बोलने का समय नहीं दूंगी। जब वह आसन पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं जब आसन को तानाशाह कहते हैं वह और फिर समय मांगते हैं। आसन के ऊपर आक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने खुद कहा है अभी, मैंने सुना है कि आप तानाशाही कर रही हैं, आप मनमानी कर रह रही हैं और आप भेदभाव कर रही हैं, खुद कहा है उन्होने अभी। जब तक यह माफी नहीं मांगेंगे, इन शब्दों को वापस नहीं लेंगे, मैं समय नहीं दूंगी।

श्री जुबेर खान : x x x

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं आप पार्टी के हैं क्या ?

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अशोक (खण्डार) : x x x

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी ने आपका नाम लास्ट में भेजा है। सुनिये। आपसे पहले हैं महीपाल सिंह यादव, डाक्टर चन्द्रशेखर बैद, बी.डी कल्ला और उसके बाद लास्ट में आपका नाम भेजा है। नम्बर तो आता है महीपाल सिंह यादव का।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : आपको अपनी पार्टी की चिन्ता तो है नहीं कि महीपाल सिंह बोले, श्रवण कुमार बोले और लोक जनशक्ति की बड़ी चिन्ता हो रही है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम नहीं पुकारा है। वो यदि माफी मांगते हैं तो बात और है वरना नहीं। बिलकुल अलाऊ नहीं करूंगी। आई विल नाट अलाऊ।

श्री जुबेर खान : x x x

श्री अध्यक्ष : सचेतक महोदय, माननीय गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, इस सदन के अन्दर कुछ शब्द ऐसे हैं और आसन के..... (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कर लें पहले। सदन के अन्दर संयमित भाषा का प्रयोग किया जाता है, आसन पर कोई आक्षेप नहीं लगाया जाता है। इसलिए आप कम से कम पहले अभ्यास करें कि जो कुछ आप बोलें उससे पहले आप अपनी भाषा को संयत रखें और ऊट-पटांग न बोलें। यह मेरी सलाह है आपको और आसन पर कोई आक्षेप नहीं करें। यदि आसन पर आपने कोई आक्षेप किया तो आसन बर्दाश्त भी नहीं करेगा और आसन आपको बोलने का अवसर भी नहीं देगा। पहले महीपाल सिंह यादव बोलेंगे। अफसोस जाहिर कर दें। वो बाद में कर देंगे अपना। आप बोलिये। लेकिन यादव साहब, 5 ही मिनट का समय है, 5 मिनट में आप अपनी मुद्दे की बात कह दीजिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हमारे पूर्वी राजस्थान से कोई बोला नहीं और आप मुझे भी परम् श्रद्धेय अध्यक्षजी...

श्री अध्यक्ष : परम् श्रद्धेय की जरूरत ही नहीं है।

श्री महीपाल सिंह यादव : आज यह जो बजट पर बहस चल रही है उसमें मैं अपने 2-3 प्रमुख सुझाव सदन में रखना चाहता हूं। 60 हजार करोड़ का जो कर्जा हमारे प्रदेश के ऊपर है, आज हमारी स्थिति है कि हमारे प्रदेश की जनता पर 60 हजार करोड़ का कर्जा है और 60 प्रतिशत भूमि आज हमारी मरूस्थल है। हमारे इस बजट में, इस बजट के बारे में क्या कहें, एक पुराना किस्सा है "ढोल में पोल"। माननीय मंत्रीजी, एक हजार गांव आज भी ऐसे हैं जिनमें बिजली की बत्ती नहीं पहुंची है। हम विकास की बात कर रहे हैं, थोथी घोषणाएं कर रहे हैं इस बजट में। माननीय अध्यक्षजी, अभी हमारे बजट पर यहां बहस चल रही है, चाहे सरसों खरीद का मामला हो, चाहे आफिसेज में कार्य व्यवस्था का मामला हो, सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह जांचें हो चुकी हैं। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, कोई किसी का कंट्रोल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : और विधायक भी बेलगाम हो गये हैं। यह भी कहिये कि अधिकारी भी बेलगाम हो गये हैं।

श्री महीपाल सिंह यादव : हमें दर्द है। लोक कल्याणकारी सरकार का मतलब है, होली का पर्व आया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान पर बैठे रहें।

श्री महीपाल सिंह यादव : होली के पर्व पर हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को सब लोग होली पर बधाई नहीं देने गये। एक हमारे कालूलालजी राज्य मंत्री और मात्र गुलाबो, बस।

श्री अध्यक्ष : कालूलालजी कैबिनेट मंत्री हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आप गुर्जरों के विरोधी क्यों है ?

श्री महीपाल सिंह यादव : आप बैठ जाओ मंत्री हो। किसी के विरोध में नहीं है हम। और सारे के सारे मंत्री महामहिम उपराष्ट्रपतिजी के यहां। तो ऐसे हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी में क्या खराबी आ गई 15 महीनों में ? यह

(श्री महीपाल सिंह यादव)

जो बजट है, अब इस बजट में जो घोषणाएं की हैं, आपने गवर्नर स्पीच में कहलवाया कि हमारी आर्थिक समृद्धि, हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। माननीय अध्यक्षजी, आज कृषि की क्या स्थिति है ? किसान आज जो पैदा कर रहा है उसको खरीदने को आप तैयार नहीं है और क्या व्यवस्था करेंगे ? आज किसान सितम्बर से डिमाण्ड नोट जमा करवाकर बैठा है, आप आज तक उनको बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाये 8 महीने में। ये रिकार्डेड चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सितम्बर कम्पलीट हो गया तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। करो आप बात।

श्री अध्यक्ष : छोटी-छोटी बातों पर इस्तीफे की बात मत किया करो आप।

श्री महीपाल सिंह यादव : आजादी के बाद भी माननीय अध्यक्षजी, ऐसे-ऐसे काले कानून बने हुए हैं। मैंने माननीय कृषि मंत्रीजी को भी कहा, एक काला कानून है रूडा एक्ट। एक तहसीलदार की पर्ची, एस.डी.ओ. की पर्ची पर किसान की कुर्की हो जाती है। इसको आप क्यों बदलना नहीं चाहते हैं ? एक उद्योगपति करोड़ों का लोन लेता है वो सिविल कोर्ट में चला जाता है, कोई पैसा अदायगी नहीं, वर्षों तक केस लड़ता रहता है और एक किसान 10 हजार का लोन ले लेगा तो रूडा एक्ट मे आप एक एस.डी.ओ. की पर्ची जाएगी, आपकी कुर्की हो जाएगी। आप कौन से किसान की बात कर रहे हो ? ऐसे-ऐसे काले कानून हैं। जितना फोरेस्ट था, जहां एक भी पेड़ नहीं। आपने सबको वहां डी-फोरेस्ट, कोई वहां खाने नहीं, सिर्फ वन विभाग का एक पट्टा लगा रख है, एक पेड़ नहीं है, वहां पर कैसे कहां से रोजगार के अवसर आप उपलब्ध करवायेंगे ? जितनी भी खाने हैं उनमें एक भी पेड़ नहीं है और वो खानें अगर चालू की जाए तो बेरोजगार नौजवानों को दीजिये आप।

कृषि में हमारे प्रदेश में विपुल सम्भावनाएं हैं। मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्यात की जो व्यवस्था की है, एक गरीब किसान अपनी फल-सब्जी पैदा करता है और यहां पर यह

(श्री महीपाल सिंह यादव)

व्यवस्था की है कि यहां का किसान निर्यात कर सकेगा। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का, सरकार का बड़ा धन्यवाद करता हूं क्योंकि केन्द्र सरकार ने भी यह व्यवस्था इस समय की है क्योंकि जहां न्यूजीलैंड, पौलेंड और आस्ट्रेलिया, खाडी के जो देश हैं उनके नजदीक हम हैं लेकिन कृषि उत्पादन की चाहे वह फल-सब्जी हो चाहे वह कृषि उत्पाद हो, मैं गेहूं, कपास और चावल की बात नहीं कर रहा हूं, जो गरीब आदमी जिनके पास 2-2 बीघा की होल्डिंग्स हैं वो अपना जीवन खुशहाली से जी सकता है लेकिन निर्यात नहीं कर सकता। आज रशिया में 300 रुपये किलो भिण्डी है, आज स्वीडन में एक गुलाब का फूल 30 रुपये का बिकता है, इंग्लैण्ड के अन्दर एक किलो आम 300 रुपये का बिकता है।

श्री अध्यक्ष : वहां कुछ भी बिकता हो, आप तो बजट की बात करें। समय समाप्त हो रहा है आपका। बजट पर आयें।

श्री महीपाल सिंह यादव : एक किलो आम 300 रुपये में बिकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और हमारे यहां पर सारी संभावनाएं हैं। हमारे यहां का किसान मेहनत करके अगर निर्यात की व्यवस्था जैसी आप कर रहे हैं, अगर इस तरह की व्यवस्था होती है तो यहां का किसान अपने आप खुशहाल हो जायेगा और अब शराब की नदियां बहा रहे हो आप, गांव-गांव में लाइसेंस दे रहे हो। हमारी सरकार भगवान को ढूंढ रही है, मन्दिरों में घूम रही है, धर्म के नाम पर पाखण्ड फैला रहे हो। अब इस बजट के बारे में बोलने के लिए समय तो हमको दिया नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पांच मिनट दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप तो खुद ही मन्दिरों में घूमने गये।

श्री महीपाल सिंह यादव : मैं एक मिनट में आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो खेती के कानून बनाये हैं, माननीय उद्योग मंत्रीजी बैठे हैं, राजस्थान तो अब एक कचरा पात्र हो गया है। परमाणु परीक्षण हो तो यहां हो। परमाणु का कचरा फेंकना हो तो राजस्थान को ढूंढो। आज सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी भयंकर प्रदूषणकारी उद्योग बन्द किये, आप उनको लाने जा रहे हो

(श्री महीपाल सिंह यादव)

और हमारे यहां जो कृषि का ग्रीन बैल्ट है, उनको आप उजाड़ रहे हो करोड़ रुपयों की जो जमीन आपने एक्वायर की थी, किसानों को पैसा दिया ? कौनसे कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हो और अब आप शराब की फैक्ट्री लगा रहे हो। मेरे जिले में तो आपने शराब की फैक्ट्रियों का जाल फैला दिया...

श्री अध्यक्ष : आपने केवल पांच मिनट की बात की थी, आठ मिनट ले लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव : बहरोड़ में दम घुटता है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कभी गुजरें तो बहरोड़ के अन्दर आदमी सांस नहीं ले सकता है बच्चे दमा लेकर पैदा होते है। फसलों के ऊपर इतना भयंकर रूप से असर पड़ गया है कि वहां पर फसल पैदा होने से रह गई है इसलिए आप प्रदूषणकारी उद्योगों पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाइये। आज किसान राष्ट्रीय उत्पादन करता है और उस राष्ट्रीय उत्पादन को आप खराब कर रहे हैं। मैं आपसे अंत में इस सरकार के बारे में ज्यादा नहीं कहते हुए क्योंकि यह थोथी घोषणाओं का पुलिंदा है

"क्या कहूं, क्या न कहूं, मेरी हर बसर उलझन में है,
अकल गायब, होश गुम, इस कदर उलझन में है।"

इसका कारण यह है कि सरकार मदहोशी की नींद में सो रही है। आठ बजे के बाद सरकार नाम की चीज नहीं है। बहुत अच्छी शुरूआत की थी हमारे अमरारामजी चौधरी ने, जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने, एक थाने का इंसपैक्शन किया था, सारे थानों में तहलका मच गया। उनको चुप कर दिया गया। अभी एक कल जो घटना हुई है, उसमें सारे आफिसों में भ्रष्टाचार व्याप्त मिला है। कहीं बिना पैसे काम नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री महीपाल सिंह यादव : "रघुपति राघव राजा राम, पहले दाम पीछे काम" यह स्थिति आपकी है और अब जो स्थिति है वह मैं आपको बता रहा हूं, धर्म के नाम पर है...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। आप प्रारम्भ करें। वे तो शेर पढ़ते रहेंगे। हां यस, श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने जो बजट पेश किया है...

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : ...वह बहुत ही सराहनीय, एतिहासिक और बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ बजट पेश किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पहली मुख्य मंत्री हैं, पिछले वर्ष जब बजट पेश किया था.....

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सैकण्ड, एक सैकण्ड । आखिरी दो पंक्तियां। माननीय अध्यक्षजी, माननीय अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष : सूर्यकान्ताजी, जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्य, एक बार स्थान ग्रहण करें। शेर कभी पढ़कर नहीं बोले जाते, शेर तो यूं सुनाये जाते हैं। ऐसे मजा नहीं आता है, आनन्द नहीं आता है। शेर सुनाना हो तो यूं सुनाओ।

श्री महीपाल सिंह यादव : नहीं-नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने बजट बडे जोश-खरोश में, शेरो-अन्दाज में यहां पर रखा और एक शेर में तो इतना अहंकार था, उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष : तो आपको जवाब में कुछ सुनाना हो तो सुनाइये, वरना बैठिये। हां सुनाइये।

श्री महीपाल सिंह यादव : हां, वही सुना रहा हूं और हमारी सरकार भगवान को ढूंढ रही है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप भूमिका मत बांधो, सुना दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह कागज खो गया अध्यक्ष महोदय।

श्री महीपाल सिंह यादव : "ला मकां को ढूंढने जाऊं कहां,

तू अगर रूठा खाऊं कहां,

तू मुकयादिक मकरूज नहीं,

फिर तेरा दीदार मैं पाऊं कहां,

प्रतिमा तेरी बनती नहीं,

रोली चन्दन तिलक लगाऊं कहां,

आपसे मिलने को मैं जाऊं कहां"।

श्री अध्यक्ष : बहरोड़ में जाओ आप तो

श्री महीपाल सिंह यादव : उलझनों में फंस गई तू,

गीत उस भगवान के गाऊं कहां

तो अब पाखण्ड को छोड़ो और काम करो धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : हो गया, ठीक है, हो गया आपका श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। मौजू शेर सुनाया नहीं आपने

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने 24 तारीख को बजट पेश किया है, वह बहुत ही सराहनीय और ऐतिहासिक बजट है इस बजट को सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई भावना से पेश किया है। राजस्थान की पहली मुख्य मंत्री ने पिछले वर्ष जब बजट पेश किया था तब सामने विराजने वालों ने कहा था कि वह बजट चुनावी बजट है मगर इस बार तो....

श्री अध्यक्ष : आप हिन्दी में बोलो, यह लिखा नहीं जाएगा, यहां कोई जानता नहीं लिखना मारवाड़ी में, हिन्दी में बोलो (व्यवधान) आप कह लें: क्या ? आप लिख लेंगे क्या ? लिख लेंगे क्या ? आप लिख लेंगे ? नहीं लिख पायेंगे। कोई लिख नहीं पायेगा। वह कह रहे हैं, लिख नहीं पायेंगे.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान की विधान सभा में राजस्थानी में बोला जाये, यह नहीं लिखा जाये तो यह कैसे होगा ? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहकर उसके महत्व को कम करने की कोशिश की है कि यह चुनावी बजट है

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कर लें, एक महिला बोल रहीं हैं आप उन्हें व्यवधान नहीं डालें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपकी अनुमति से राजस्थान की मुख्य मंत्री को बहुत-बहुत बधाई दूंगी कि एम्स को उन्होंने जमीन उपलब्ध कराई, इसलिए वह बहुत-बहुत बधाई की पात्र हैं इसके साथ ही मैं स्वायत शासन मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इसमें अपना पूरा सहयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे को बहुत ही इस बात का अफसोस है, सामने बैठने वाले जो यह कह रहे हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया' तीन दिन आपने खराब किये क्योंकि इस बजट में आपको बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। बजट तो इतना सुन्दर था कि हर व्यक्ति को यह बजट मनलुभाया है गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस बजट को कौन कहता है कि अच्छा है, जब कोई लोग कहे तो यह अच्छा है। मैं आपको यह बात-बताऊं अभी, माननीय सदस्य यह कहेंगे मैं मारवाड़ी में बोल रही हूं मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बात कहूंगी क्योंकि आपने मुझे समय कम दिया है मैं बहुत ही अच्छे पाइंट बनाकर लाई थी मगर मैं यह बात कहना चाहूंगी, आप तो कह रहे हैं लोग, पर मैं यह कह रही हूं कि गरीब जनता और गांव शहर के अन्दर सब्जी बेचने वाले तक यह कहते हैं कि क्या बजट पेश हुआ हैं अब बताइये उनको क्या है, क्या वह बोलते हैं, आप जाकर सुनो उनकी बात, उनकी भाषा अगर आप सुनोगे जो सुनते रह जाओगे कि वह क्या कहते हैं कि कितना अच्छा बजट है कि एक सब्जी बेचने वाले का यह वक्तव्य है इस तरह का है और क्या हो सकता है हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी के राज में। मगर आपके पास कुछ था नहीं इसलिए आपने तीन दिन तक हो-हुल्लड़बाजी करके सारा मटियामेट कर दिया, मगर अब आप क्या बोलोंगे

एक माननीय सदस्य : सुबह तो और कुछ बोल रही थीं आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं तो जो बात थी वह कह दी, सही बात को कहने में क्या दिक्कत है, हम किसी से घबराने वाले नहीं हैं। सही बात कहने में कोई डर नहीं है, किसी को भी हो, आप चिन्ता मत करो। अगर आपकी बात हो तो हम भी कह देंगे। जितनी बात समझ में आई वह बात कह दी।

माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठें और आप सब एक होकर यह बात करें ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि बजट कैसा है, कितना बढ़िया बजट दिया है। कोई वर्ग को नहीं छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। हर वर्ग को सब तरह की छूट दी गई है। पिछले एक वर्ष में जहां कर्मचारी वर्ग को राहत दी गई, व्यापारी वर्ग के हितों का ख्याल रखा गया, किसान भाइयों को पूरा समर्थन दिया गया, वहां वित्तीय अनुशासन का पूरा ख्याल रखा गया। इसका उदाहरण है कि पूरे वर्ष में एक दिन भी राज्य को ओवरड्राफ्ट नहीं लेना पडा। परन्तु इसके लिए केपिटल खर्चे में कोई कमी नहीं की गई। केपिटल खर्च दो वर्ष में दुगुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी एवं उनके सारे सहयोगी बधाई के पात्र हैं। गत वर्ष में वृद्धजनों के लिए जो घोषणाएं की गईं, उसे इस वर्ष अमली जामा पहनाया जाएगा। मेरा सुझाव है कि महीने में एक दिवस हर मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल और कस्बे के प्रमुख अस्पताल में निश्चित कर वृद्धजनों हेतु सभी विशेष सुविधा उस दिन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगी मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने जोधपुर के अन्दर, जयपुर से दूसरा नम्बर जोधपुर का है, वहां पर महिला हास्पिटल है उसको सेटेलाइट हास्पिटल के अन्दर पूर्व मुख्य मंत्री ने अपना वहां पर स्टोन लगाया मगर आज की तारीख के अन्दर वहां जाकर आप देखें तो कुछ भी नही हैं। मैं यह राजस्थान की मुख्य मंत्री हमारी जो हैं और वह महिला हैं, मैं उनसे यह निवेदन करूंगी कि वह स्टोन तो लगाया हुआ है मगर वहां है

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कुछ नहीं, तो उनका काम तो कागजों में रह गया मगर आप उसको पूरा करके वहां जोधपुर की जनता को राहत दिलायें। राज्य में तकनीकी या मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु पांच-पांच करोड़ रुपये का प्रावधान घो.णा को वास्तविक रूप देने की ओर कदम है। मेरा निवेदन है कि तकनीकी विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित किया जाय। मेडिकल कालेजों में सुविधाओं के विस्तार हेतु बीस करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जोधपुर मेडिकल कालेज में इससे पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा। जोधपुर जिले में अस्पताल नहीं हैं जबकि दूसरे सभी जिलों में है, मेरा आग्रह है कि जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल को जिला अस्पताल बनाया जाय। जिला अस्पताल की सभी सुविधाएं वहां प्रदान की जाय। एक बार फिर से मेरा मुख्य मंत्री महोदय से ऐसे विकासशील...

श्री अध्यक्ष : अब आप बात समाप्त करो अपनी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं तो मारवाड़ी में बोलती, आपने मेरा हिन्दी में कराकर सारा काम बिगाड़ दिया। मैं तो उस हिसाब से बनाकर लाई। आज इस बजट की मैं..

श्री अध्यक्ष : अब बोल लो धन्यवाद आप मारवाड़ी में।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : बहुत-बहुत प्रशंसा करती हूं, इस बजट का मैं समर्थन करती हूं और ... (व्यवधान) बोलने का नहीं दे रहे अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मारवाड़ी में फिर कभी बोलना आप। (व्यवधान) मारवाड़ी में फिर कभी बोल लेना।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : एक-दो मिनट, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मारवाड़ी में आप फिर कभी बोल लेना, आज तो बन्द करो। आज तो समाप्त करो। मारवाड़ी में फिर कभी बोल लेना।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्रीजी का, शिक्षा मंत्रीजी का स्वायत्त शासन मंत्रीजी का और पी.डब्लयू.डी. मिनिस्टर महोदय का सब का वास्तव के अन्दर इन्होंने जो इसमें सहयोग दिया है और मेरे क्षेत्र में काम कराने के लिए जो अग्रणी हुए हैं, इसलिए मैं इनको वास्तव में बहुत-बहुत बधाई देती हूं

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा धन्यवाद

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मगर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्री से एक निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अन्दर कुएं और बावडियां हैं, मैं कोई ग्रामीण क्षेत्र की नहीं हूं तो मैं कोई इनसे ओलावृष्टि की बात नहीं करूंगी, मैं इनसे और कुछ नहीं मांगती हूं मैं कोई एनीकट बनाने की नहीं मांग रही हूं, मगर आज जोधपुर के अन्दर जालप बावडी है, तापी बावडी है, दीमलो कुआ है, ऐसे-ऐसे कई स्थान है जहां कि पम्प लगे हुए हैं और वे जनता को पानी दे रहे हैं। मगर उनकी मरम्मत के वास्ते कोई प्रावधान नहीं रखा है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि उनकी मरम्मत कराने वास्ते व्यवस्था की जाए ताकि वह जो पुराने जलस्त्रोत हैं वह सुरक्षित रह सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से भी यह निवेदन करना चाहूंगी कि स्टेट के टाइम की स्कूलें हैं वह इतनी जीर्ण स्थिति में हैं कि मैं आपको उनका वर्णन नहीं कर सकती हूं मगर कांग्रेस सरकार इतने साल रहने के बाद भी काम नहीं किया, मगर आज राजस्थान की मुख्य मंत्री ने ऐसा बजट पेश किया है तो मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इन स्कूलों का सुधार करने के वास्ते आप दिल खोलकर पैसा लगाओ जिससे इन स्कूलों में बच्चे पढेंगे और आपको याद करेंगे

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद बहुत-बहुत। समाप्त करो अब, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला बोले तब आप तो छूट दो कम से कम, यहां पुरूष बैठा होता है तो नहीं देता है आप तो छूट दो। मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूं, मैं विकास की बात कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो सब सही कह रही हैं। आप तो सब सही...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसे ही कम बोलती हूं, आप थोड़ा तो बोलने दो मेरे को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : काहे को चढा रहे हैं आप फालतू में।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि मैं आपको बिलकुल प्रेक्टिकल बात बता रही हूं, मैं हर जगह जाती हूं, वही बात बताती हूं, मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है, मैं सिर्फ मेरे क्षेत्र के अन्दर भ्रमण करती रहती हूं। जो बात मेरे को नजर में आई, वह मैं बात बता रही हूं। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि मुझे जितना पैसा मिलता है वह भी लगाऊंगी....

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें थोड़ा। तो समय का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मगर आप भी कुछ इनके लिए पैसा दो जिससे वहां पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था और स्टेट के टाइम की जो बिल्डिंग्स है बड़ी-बड़ी, महिला बाग है, राजमहल है, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फतेहपोल वाला स्कूल है उन सब का सुधार हो सकता है इस वास्ते आप मुझे पूरा सहयोग देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करो, समाप्त करो। अब समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय, एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, हो गया आपका। बहुत हो गया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत-बहुत आपको धन्यवाद देती हूं और मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और बजट का मैं समर्थन करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस वास्ते आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रणवीर सिंह गुढ़ा। पहले क्षमा मांगेंगे। पहले क्षमा मांगेंगे। पहले क्षमा (व्यवधान) नहीं, पहले क्षमा मांगेंगे।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा माननीय अध्यक्ष महोदय को किसी प्रकार का दुख पहुंचाने का नहीं था। एक रिकग्नाइज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने आपसे विनम्र निवेदन किया था कि सभी की भांति मुझे भी समय दिया जाय। अगर मेरे द्वारा आपको कोई ठेस पहुंची है...

श्री अध्यक्ष : मेरे को नहीं पहुंची है। आसन के प्रति अवमानना का सवाल है, अवमानना का सवाल है, आसन के प्रति अपमान का सवाल है। मेरे को कोई ठेस नहीं पहुंची है। मुझे इन बातों से क्या ठेस पहुंचेगी।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : अगर आसन को...

श्री अध्यक्ष : हां, आसन के

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं

श्री अध्यक्ष : आसन की अवमानना हुई है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, ऐसे बोलिये (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर...

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट का समय है आपके पास

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : मैं बोलने से पहले ही आप बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : तो समय तो बताऊं न, अपने आप को सम-अप करें पांच मिनट में।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर पिछले दो-तीन दिन से सभी माननीय सदस्यों के द्वारा विस्तार से चर्चा करने के बाद और माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा बजट प्रस्तुत करने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर मुख्य मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह तारीफ के काबिल है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट राजस्थान की जनता के सामने पेश किया गया है उस बजट के ऊपर अगर अमल किया जाता है, अगर जिम्मेदारी तय की जाती है विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत तो इस बजट का कोई सार्थक परिणाम हमारे सामने आ सकता है। हमेशा एक बात सामने आती है कि नेता दोषी है, नेताओं में कमी है, नेताओं के कोई लगाम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर ब्यूरोक्रेसी सही हो तो नेता गलत हो ही नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, ब्यूरोक्रेसी जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, ईमानदारी से उन योजनाओं को लागू करने के अन्दर नेताओं से कहीं ज्यादा हमारी ब्यूरोक्रेसी की गैर-जिम्मेदारी जिम्मेदार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना यह चाहता हूं कि मैं कोई बजट के न विपक्ष में हूं, न बजट की मैं झूठी और भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं लेकिन आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं, इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र को राजस्थान की सरकार के माध्यम से न तो किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव भेजा गया है, हम मुख्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जो एशिया के अन्दर माना हुआ विश्वविद्यालय है, जिस विश्वविद्यालय की देश में नहीं, पूरी दुनिया में ख्याति है, उस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए केन्द्र को प्रस्ताव भेजा जाय।

अध्यक्ष महोदय, शेखावाटी में झुंन्झुनूं के, हमारे देश के, हमारी शेखावाटी के नौजवान देश की रक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर के देश की रक्षा करने में और उसके साथ-साथ जीवन के हर क्षेत्र में शेखावाटी का अहम योगदान है लेकिन चाहे एम्स की बात हो चाहे टैक्निकल कालेज की बात हो, हम जोधपुर के खिलाफ नहीं हैं हम जयपुर के खिलाफ नहीं हैं लेकिन हम

(श्री रणवीर सिंह गुढ़ा)

चाहते हैं कि झुंन्झुनूं के भी विकास की बात हो झुंन्झुनूं के अन्दर भी शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए वहां पर भी मेडिकल कालेज की स्थापना की जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं यह भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो काम जो बात सही कही गयी है उस बात के लिए हम धन्यवाद देंगे। लड़कियों को बसों में जो फ्री पास दिया जा रहा है उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन लड़कियों के साथ-साथ वो लड़के जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बिलकुल गरीब हैं चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं उनके लिए भी फ्री पास की व्यवस्था की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सरकार एक तरफ तो संस्कृति की बात करती है और दूसरी तरफ रामबाग पैलेस के अन्दर जिस प्रकार से राम के नाम लिखे हुए कपड़ों के द्वारा शराब परोसी गयी और हमारी संस्कृति का नग्न प्रदर्शन किया गया उसकी मैं घोर निन्दा करता हूं। इस प्रकार के कृत्य के लिए कोई माफी नहीं हो सकती अध्यक्ष महोदय, वो एक बड़ा हैरीटेज होटल था बड़ा फाइव स्टार होटल था अगर कोई गरीब का होटल होता गरीब का ढाबा होता तो उसको ये ही बजरंग दल के कार्यकर्ता जला देते लेकिन उस रामबाग होटल के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अध्यक्ष महोदय, पुष्कर के अन्दर जिस प्रकार का उस तीर्थराज पुष्कर का पूरी दुनिया में नाम है उस पुष्कर में किस प्रकार का जो भद्दा प्रदर्शन किया गया उसके अन्दर मात्र वहां के एक-दो बड़े अधिकारियों को बर्खास्त करने के अलावा कितने सारे अधिकारी उस नग्न समारोह में शामिल थे उन सभी को भी बर्खास्त किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि हमने सरकारें पहले भी देखी हैं लेकिन अभी जो सरकार बनी है आज

(श्री रणवीर सिंह गुढ़ा)

सब्जी मण्डी में देखें तो लालबत्ती की गाड़ी खड़ी है, चांदपोल में देखे तो लालबत्ती की गाडी खड़ी है इस प्रकार से सरकार का जो समाज के अन्दर भद्दा प्रदर्शन हो रहा है आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री इस प्रकार के मंत्रियों के ऊपर लगाम कसने का काम करें ताकि जनता के अन्दर एक अच्छा सन्देश जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री विराजमान हैं, गुढ़ा क्षेत्र में आधा किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी है और वहां पर मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि घोषनाएं कितनी भी करिये बड़ी-बड़ी लेकिन घोषणाओं के ऊपर अगर अमल नहीं किया गया तो जनता का आक्रोश फूट पड़ेगा जिसका सामना करने के लिए राजस्थान का प्रशासन भी उसका सामना नहीं करेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं आखिर में एक मिनट और। मैं ज्यादा आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा केवल एक बात बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार है मेरे पास पुख्ता सबूत है भ्रष्टाचार के अन्दर लिप्त वो दोषी अधिकारी हमारी विधान सभा में इस वक्त भी मौजूद हैं लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा नाम लेकर के यहां पर मैं बिना मतलब का बवेला खड़ा नहीं करना चाहता लेकिन जो अधिकारी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के चार्जेज लगे हुए हैं उनको निलम्बित ही नहीं उनको बर्खास्त ही नहीं माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान की जनता यह उम्मीद करती थी कि मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार को मिटा करके इसका खात्मा कर देगी। लेकिन मुख्य मंत्री के बी.जे.पी. के शासन में भ्रष्टाचार में बहुत भयंकर बढ़ोतरी हुई है जिसकी भी हम निन्दा करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। जहां पर

सिक्योरिटी फोर्सेज भेजी जाए उसमें मुसलमानों के जो जवान हैं उनकी भी संख्या होनी चाहिए ताकि पुलिस भी एक तरफा कार्यवाही नहीं कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जो दंगे ये जो संगठन के साथ-साथ में हमारे प्रशासन के लोग भी जो इस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित हैं उन लोगों का इसमें पूरा हाथ रहता है। आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं हिन्दू और मुसलमान हमारी आंख के दो तारे हैं इस प्रकार का जहर घोलने का जो प्रयास करते हैं जो गुजरात का प्रयोग राजस्थान में दुहराना चाहते हैं इस प्रकार के लोगों को मुंह तोड़ करके जवाब मिल सके इस प्रकार का जहर नहीं फैल सके इसके साथ ही आपने माननीय अध्यक्ष महोदय, जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट सदन में प्रस्तुत किया हैं इसके विरोध में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमारी पार्टी को भी बोलने का समय दिया था और आप समय नहीं दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमारी पार्टी को बोलने का समय दिया था और आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप हाउस आर्डर में लेकर आयें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डिमाण्ड पर बोल लेना।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : ये कोई बात है क्या कि डिमाण्ड पर बोल ले। यह कोई बात है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है इसके विरोध में मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। इस बजट के बारे में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोल रहे हैं आपके नेता प्रतिपक्ष और आप बीच में खड़े हो गये हैं आपके नेता बोल रहे हैं। आप इन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : शुरूआत मैंने की तभी तो आपने इसको आगे लागू किया नहीं तो बन्द ही कर दिया था।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एप्रोप्रियेशन पर बुला देंगे।

श्री श्रवण कुमार : बोलने की बात नहीं है मैंने शुरूआत की थी फिर बोलने नहीं दिया। यही तो है, और क्या है।

श्री अध्यक्ष : बी.ए.सी. की मीटिंग में तय हो गया था।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : हमें बोलने दिया जाए। आपने हमारी पार्टी को समय दिया था।

श्री अध्यक्ष : बी.ए.सी. की मीटिंग में तय हो गया था और तय हो गया था उसके अनुसार ही मुझे काम करना पड़ेगा।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : आपने टाइम दिया था उस वक्त और वो समय हमें नहीं दिया जा रहा है वो समय तो दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आपको मांगो पर पूरा समय देंगे। मांगों पर आपको पूरा समय देंगे।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : देंगे कहां जब आप बजट पर ही बोलने का समय नहीं दे रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इनको एप्रोप्रियेशन बिल पर समय दे दें। इन तीनों को ऐप्रोप्रियेशन बिल पर बुलवा दें।

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रियेशन पर आपको समय दे देंगे। एप्रोप्रियेशन पर दे देंगे वही बात है। पहले देंगे आपको समय।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राज्य का जो बजट है वह इस बात को परिलक्षित करता है कि उसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा। आम आदमी की रोटी दाल, उसका रोजगार, किसानों के ऊपर उसका क्या

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

प्रभाव पड़ा। मजदूर के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा। आम आदमी पर गरीब पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। मैंने तीन-चार दिनों में संगमरमर के व्यापारियों के विज्ञापन तो जरूर देखें हैं कि मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं और कुछ व्यापारियों को कोई लाभ मिला है तो उन्होंने जरूर आभार व्यक्त किया है। लेकिन किसी गरीब के आंसू इस बजट ने नहीं पौंछे हैं। गरीब व्यक्ति के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। यह आंकड़ों का मकड़जाल प्रति व्यक्ति आय को घटाने वाला, प्रति व्यक्ति उत्पादन को घटाने वाला, विकास की दर को घटाने वाला और आंकड़ों का भ्रम जाल है इसके अलावा इस बजट में कुछ भी नहीं है।

इस बजट में खास तौर से अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माननीय सदस्यों ने कइयों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो अच्छा तब कहा जाता है जब नॉन प्लान बजट में कमी की जाती। मैं आगे विस्तार से बताऊंगा कि नॉन प्लान बजट में किस तरह बढ़ोतरी हो रही है यदि सरकार अपने खर्चों पर कटौती करती, फिजूलखर्ची को रोकती फिजूलखर्ची बढ़ रही है और अपव्यय हो रहा है साधनों का लेकिन मुख्य रूप से जो इन्फ्रास्ट्रक्चर का डवलपमेंट राजस्थान का होना चाहिए, आधारभूत ढांचे का विकास होना चाहिए, जैसे बिजली का, सड़क का, हमारे यहां सिंचाई के साधनों का सिंचाई की सृजन क्षमता में बढ़ोतरी हो इस प्रकार का डवलपमेंट इस बजट में हमें कहीं दिखायी नहीं देता। मैं आपको यह बताना चाहूंगा खास तौर से इन्होंने रेवेन्यू रिसीप्ट्स 3154 करोड़ की अधिक बताई है। मैं जानना चाहता हूं कि बिना टैक्स लगाये आप 3154 करोड़ रुपये कहां से लाएंगे ? क्या आपका कोई हिडन एजेंडा है, क्या आप कोई हिडन टैक्स लगाना चाहते हैं एक बात तो समझ में आ रही है आपके बिजली नियामक आयोग ने आपको जिस तरीके से बिजली की दर में 50 से लेकर 70 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने के बारे में जो बात कही अभी तक आप उसको माफ करते जा रहे हैं अभी बजट सैशन चल रहा है मुझे लगता है कि इस बजट सैशन के बाद किसानों के ऊपर गरीबों के ऊपर

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आम उपभोक्ताओं के ऊपर वो गाज गिरने वाली है और आप 50 से लेकर 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर में बढ़ोतरी करके राजस्थान की जनता पर साढ़े पांच सौ से लेकर छह सौ करोड़ का भार डालने वाले हैं। इसके अलावा और भी कोई हिडन टैक्स आप लगा सकते हैं जैसे सिंचाई पर, पानी पर अथवा और क्या आपकी मंशा है यह आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आप यह रेवेन्यू रिसीप्ट्स 3154 करोड़ कहां से लाएगे ? इतना बड़ा इजाफा बिना टैक्स लगाये ये कोई जादू का खेल तो हैं नहीं आपका क्या मैजिक, इसका रोड मैप क्या है। यह मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि आप बतायें कि रेवेन्यू रिसीप्ट कहां से लायेंगे आप।

दूसरा पाइंट मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि वार्षिक योजना 2004-05 की सबसे पहले बजट एस्टीमेट में 6797 की मंजूर की गई। उसके बाद उसे 7021 किया गया उसके बाद 7100 करोड़ रुपये की गई। मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह वार्षिक योजना मुझे लगता है कि कुल मिलाकर आप एक्चुअल एक्सपेंडीचर 6200 करोड़ से लेकर 6300 करोड़ रुपये ही कर पायेंगे और 2005-06 की वार्षिक योजना आपने 8350 करोड़ की मंजूर कराई है। मुझे स्पष्ट आभास हो रहा है कि जिस तरीके से इस साल की वार्षिक योजना आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं उसी प्रकार से 2005-06 की वार्षिक योजना जो 8350 करोड़ की आपने मंजूर कराई है वह 7200 करोड़ या 7500 करोड़ के आस पास आकर रूक जायेगी। यह मैं पहले इस सदन को बताना चाहता हूं और आगे आने वाला समय बतायेगा कि मैंने जो बातें कही हैं वह बिलकुल सत्य साबित होगी।

उसके बाद रिसोर्स मोबलाइजेशन के नाम पर आपने क्या किया है

"ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत्
यावत् जिवेत् सुखम् जिवेत्।"

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

ऋण लेकर घी खाना यह तो वर्षों से चल रहा है। आपने ऋणों के बारे में हमारे वक्त बहुत निंदा की। मैं विस्तार से ऋण की जब बात करूंगा तब आऊंगा। लेकिन मुझे यह लगता है कि आपका यह सरप्लस बजट जो बना है यह ऋण लेकर आपने सरप्लस बजट बनाया है। हमारे स्टेट की जो रेवेन्यु रिसीप्ट है उनमें जो ब्याज हमने ले रखा है उस ब्याज के पेटे जो पैसा देते हैं, कर्मचारियों को जो भुगतान करते हैं वह लगभग 105 प्रतिशत हो जाता है। डवलपमेंट और अन्य कामों पर जो भी पैसा हम खर्च करते हैं वह सारा का सारा पैसा हमको कहीं न कहीं से उधार लेकर डवलपमेंट के ऊपर खर्च करना पड़ता है।

खास तौर से मैं यह कहना चाहता हूं इन सब चीजों के बावजूद मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट क्यों आई। प्रसूति मृत्यु दर राजस्थान की नेशनल एवरेज से कहीं बहुत ज्यादा है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर नेशनल एवरेज से ज्यादा है। शिक्षा में भी हमारी 100 बहनें जो प्राइमरी स्कूल में भर्ती होती हैं उनमें से एक बहन हमारी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल तक पहुंच पाती है। हम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में एक यूनिट बिजली अभी तक पैदा नहीं हुई। इस सदन के मेरे माननीय साथी बोल रहे थे कि कांग्रेस के शासन ने क्या किया। कांग्रेस के शासन के वक्त में तो अध्यक्ष महोदय, 250 मेगावाट बिजली प्रतिवर्ष पैदा हुई। लेकिन इन 14 महीनों में आपने कौनसी बिजली पैदा की और अभी भी बिजली के लिये आपने जो 650 करोड़ का प्रावधान किया है, एक मेगावाट बिजली पैदा करने में लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इन साढ़े 6 सौ करोड़ से आप सवा सौ मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं कर पायेंगे, डेढ़ सौ मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं कर पायेंगे। कहां मुकाबला करेंगे कांग्रेस का। यह तो मैंने आपको एक स्थिति बताई है। सिंचाई के मामले में, इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो काम कांग्रेस के वक्त में हुआ वह काम यह सरकार नहीं कर पायेगी।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने वित्तीय प्रबन्धन की बहुत तारीफ की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया है बिक्री कर से प्राप्त आय को 2005-06 में 5425 करोड़ रुपये बताया है। गत 5 वर्षों में बिक्री कर से प्राप्त आय जो बजट एस्टीमेट में बताई गई थी वह 85 से 90 परसेंट हम रिलाइज कर पाये। एक वर्ष को छोड़ दे जिसमें 95 परसेंट आई थी लेकिन हम 85 से 90 परसेंट से ज्यादा बजट एस्टीमेंट में जो हमने अनुमान लगाया था उसका 85 से 90 परसेंट सैल्स टैक्स से हमने रेवेन्यु प्राप्त की। यदि हम इसको 90 परसेंट भी माने तो भी 10 परसेंट तो रिलाइजेशन में कमी रहेगी जो आपकी करीब-करीब 542.5 करोड़ रुपये होगी। अभी हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि एम.आर.पी. के ऊपर जो सैल्स टैक्स लगाया था वह सैल्स टैक्स आप वसूल नहीं कर सकते। इस एक फैसले से राज्य को 12 से 15 परसेंट तक सैल्स टैक्स की रेवेन्यू का नुकसान होगा। इसको यदि आप 10 परसेंट भी मान ले तो यह करीब-करीब 543 करोड़ रुपया हो जायेगा। इन दोनों को मिलाकर यदि आप गणना करे तो यह करीब 1086 करोड़ रुपये होगी। जो कैपिटल आउटले का सपना और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्ज बाग आपने दिखाये हैं वह धराशाही हो जायेंगे और कैपिटल आउटले का 1086 करोड़ रुपये तो आपका यहीं कम हो जाएगा।

(17.55 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा आपने इस वर्ष कहा है कि बिक्री कर से 939 करोड़ रुपये हम अधिक प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे आप। फैसले तो आपके उल्टे हो रहे हैं। उसके लिये आपने क्या उपाय किये यह आपने कोई स्पष्ट नहीं किया। कैपिटल आउट ले का आपने यह कहा है कि 2004-05 में बजट एस्टीमेंट में पहले 4032.76 और उसके बाद जुलाई में 4173.28 करोड़ रुपये के कैपिटल आउट ले दिखाया गया था जो 2005-06 में 5160.9 करोड़ रुपये

आपने प्रस्तावित किया है। यह बात सही है कि कैपिटल आउट ले बढ़ता है तो वह हमारी जी.डी.पी. को बढ़ाता है लेकिन न नौ मण तेल होगा न राधा नाचेगी। जब कैपिटल आउट ले 5160.92 करोड़ का आप जुटा ही नहीं पायेंगे तो कैसे डवलपमेंट होगा, कैसे जी.डी.पी. बढ़ेगी ? मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं इसको समझने के लिये हमको अपना फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। 12वें वित्त आयोग ने यह बताया है कि जी.डी.पी. का 3 प्रतिशत तक फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। हमारा 2004-05 में फिस्कल डेफिसिट क्या है 6.5 प्रतिशत, इसका मतलब फाइनेंस कमीशन के नार्म्स के अनुसार लगभग दो गुना हमारा एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला यह है कि

fiscal deficit is equal to revenue deficit plus total capital outlay (-) net balance of loans and advance.

इसका मतलब यह हुआ कि 2004-05 में जो फिस्कल डेफिसिट 7125 करोड़ रुपये था वह 2005-06 में अब आपने यह एम्बेसेस किया है कि 6966.21 करोड़ रुपये हो जायेगा और आपने अपने राजस्व घाटे को जो 2004-05 में 3103 करोड़ रुपये का था उसको 50 प्रतिशत कम करके 1523 करोड़ रुपये बताया है। अब यह 1523 करोड़ रुपये आप राजस्व घाटा कैसे कम करेंगे। यह मैजिक आप मुझे बतायें कि आप अपने राजस्व घाटे को 50 प्रतिशत कम कर लेंगे बिना टैक्स लगाये, बिना किसी रिसोर्स मोबलाइजेशन के। आपका नोन प्लान का एक्सपेंडीचर जब मैं आंकड़ों से बताऊंगा तो हजार करोड़ से ज्यादा बढ़ जायेगा" नोन प्लान का एक्सपेंडीचर आपका बढ़ रहा है वह सीधा कैपिटल आउट ले को चोट पहुंचाता है। महावीरजी आप इकोनोमिक्स पढ़े हुए हैं क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने आपको पढ़ रखा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं आप पढ़े हुए होते तो मैं आपसे जान लेता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप बजट के मामले मे जो पूछना चाहें वह मैं बता सकता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कैपिटल आउटले क्या है बता दो जरा। सभापति महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि 50 प्रतिशत राजस्व घाटा आप कैसे कम करेंगे। इस सरकार का मैंने पिछले 14 महीने का ट्रेंड देखा है। बजट सैशन शुरू होने से पहले विद्युत शुल्क में बढ़ोत्तरी। बजट तो लायेंगे कोई टैक्स नहीं लगाया है और जब बजट खतम हो जायेगा या बजट से पहले कुछ न कुछ टैक्स लगायेंगे जिसका जनता पर भार आयेगा। आप यह बताये कि यह 1500 करोड़ रुपये का जो राजस्व घाटा है यह आपने कैसे कम किया, पैसा कहां से आया। बजट में तो एक तरफ इन्कम आती है दूसरी तरफ जाती है। पैसा आया कहां से और जाये कहां से, आपको यह बताना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोले।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जितना यह बोलेंगे उतना ही समय ज्यादा लूंगा। मुझे यह तो कर नहीं सकते कि मैं जो बात बोलना चाहूं वह नहीं बोलूं, वह तो मैं बोलूंगा। और जोर से बोलूंगा और उसकी सारी जिम्मेदारी मुख्य सचेतक की होगी।

श्री सभापति : आपको कोई नहीं रोक रहा, आप बोलिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि 2005-06 में जो यह राजस्व घाटा कम दिखा रहे हैं, मुझे लगता है इसके बारे में भी कोई न कोई जैसा मैंने शुरू में बताया कि हिडन एजेंडा इनके पास है जिसके कारण यह काम करेंगे टैक्स लगाने का और रिसोर्स मोबिलाइजेशन का बजट के बाहर जिससे जनता में यह मैसेज जाएगा कि बजट तो बिना टैक्स का लाए थे।

एक बात और है आपने सैल्स टैक्स पिछली बार राउण्ड आफ करके अपनी इनकम बढ़ाई थी और शो यह किया था कि बजट में हमने कुछ नहीं

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

किया। इस बार यह रिग्रुपिंग कर रहे हैं और रिग्रुपिंग में हो सकता है कि जो 5 प्रतिशत सेल्स टैक्स लगता है उसको वह आठ वाले में डाल दे आठ वाले को ग्यारह वाले मे डाल दे, इससे भी सैल्स टैक्स की रेवेन्यू बढ़ाई जा सकती है। कुछ भी किया जा सकता है क्योंकि इसका इशारा इन्होंने किया है। लेकिन यह नहीं बताया कि रिग्रुपिंग से स्टेट की रेवेन्यू रिसिट्स में कितना इजाफा होगा और कितनी वृद्धि होगी यह इन्होंने नहीं बताया।

एक बात और है, इस बजट के लिए आपको केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। जिन्होंने बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आपको 405 करोड़ रुपये की ग्रांट अनुमानतः ज्यादा दी है और करीब-करीब 1024 करोड़ रुपये आपको वित्त आयोग की सिफारिशों से ज्यादा मिलेंगे। इससे भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं आप तो यह, केन्द्रीय सरकार की सरल नीतियों और उदारता के कारण और ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आपको, स्टेट को, ज्यादा पैसा मिल रहा है। उसके कारण भी हमारा कैपिटल आउटले और बजट का एक तरह से रेवेन्यू रिसिट्स वगैरह बढ़ी है।

अब उधार से अग्रिम जो प्राप्त होती है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा सदन को। आपने सन् 2004-05 के बजट में बजट एस्टिमेट जब लगाया तब आपने 39.58 करोड़ रुपये उधार एवं अग्रिम से शुद्ध प्राप्ति बताई। यह मोडिफाइड बजट एस्टिमेट जब आपने बनाया उसमें यह बढ़कर हो गया 433.48 और उसके बाद फिर रिवाइज एस्टिमेट बनाया आपने, तो यह हो गया 502.45, सभापति महोदय, यह 15 गुणा हो गया। इस साल इन्होंने उधार एवं अग्रिम से शुद्ध प्राप्ति को बताया है 282.89 करोड़, इसका भी अगर आप पन्द्रह गुणा करें तो यह बढ़कर हो जाता है 4239 करोड़। 4239 करोड़ होते ही फिर आपके कैपिटल आउट ले पर चोट पहुंचाएगा और यह निश्चित रूप से होना है क्योंकि राज्य सरकार ऋण ले रही है 500 करोड़ रुपये ग्रामीण आधारभूत निधि से और 23194 करोड़ रुपये राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से स्पेशल बाण्ड जारी करके लोन ले रही है। इस ऋण का सीधा-सीधा प्रभाव राज्य की जनता

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पर पड़ेगा। हमारे को कह रहे थे कि आप लगभग 52 हजार करोड़ रुपये क कर्जा छोड़ गए। अब यह कर्जा 2005-06 में 69 हजार करोड़ रुपये हं जाएगा। राज्य की जनता पर प्रति व्यक्ति दो हजार रुपये का कर्ज भार और बढ़ जाएगा।

सभापति महोदय, अब मैं नोन प्लान के बारे में कुछ बातें कहन चाहूंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको बताया था वित्तीय प्रबन्धन उसका अच्छा माना जाता है जब आप टेलीफोन का खर्चा, पेट्रोल, डीजल और रेक्रिंग एक्सपंडीचर जो हमारे गैर आयोजन का खर्चा है उसको आप जितन कम करेंगे वह फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा माना जाता है। सरकार की फिजूलखर्ची जब मैं आगे बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि फिजूलखर्ची के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। जहां एक रुपया खर्च होना चाहिये वहां 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, जहां 10 रुपये खर्च होने चाहिए वहां 100 रुपये, जहां 100 रुपये होने चाहिए वहां 1000 रुपये और 1000 रुपये खर्च होने चाहिए वहां लाख रुपये और जहां लाख रुपये होने चाहिये वहां करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं यह जो फिजूलखर्ची हो रही है उसका उदारहण देकर मैं आपको आगे बताऊंगा कुल मिलाकर मैं यह बात सिद्ध करना चाहूंगा कि 2003-04 में नान प्लान एक्सपंडीचर 16676.02 करोड़ रुपये था वर्ष 2004-05 में 17130.79 करोड़ रुपये हो गया और 2005-06 में नान प्लान का खर्च 18333.82 करोड़ रुपये हो जाएगा जो 2004-05 से करीब 1203.03 करोड़ रुपये ज्यादा होगा। यह पैसा भी आपका कैपिटल आउटले कम करेगा। आपकी योजना के आकार को कम करेगा। आपने जो सुहावने सपने ले रखे हैं न कि 5000 करोड़ रुपये से ऊपर हमने कैपिटल आउटले कर दिया है यह आपका सपना काफूर हो जाएगा।

राज्य के ऋण की स्थिति के बारे में मैं बताना चाहूंगा। वर्ष 2003-04 में हमने बजट एस्टिमेट में 52450 करोड़ रुपये का कर्जा एम्बेसेस किया गया था कि इतना कर्जा होगा। 2004-05 में यह कर्जा 66738.86 करोड़ हो गया

(डा. बुलाकिदास कल्ला)

और अभी 2005-06 बजट में यह बताया गया है कि 69765.85 करोड़ का कर्जा होगा। मेरा अनुमान है कि यह 23000 करोड़ का यदि आप कर्जा ले लेंगे तो यह जाकर के करीब-करीब 78000 करोड़ रुपये के करीब कर्जा होगा।

अब आपने यह कहा कि डेट स्वैप योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये की बचत की गई। यह योजना केन्द्रीय सरकार की योजना थी। जो राज्य इन्डेंटडनैस के शिकार हो रहे थे, ऋणग्रस्त हो रहे थे उनके लिए उन्होंने एक स्कीम दी, पहले 13.5 और 14 प्रतिशत तक के ब्याज के ऊपर राज्यों ने पैसा उधार ले रखा था, ब्याज देने की स्थिति राज्यों की नहीं थी उसके लिए केन्द्र सरकार ने यह योजना शुरू की और उसमें लगभग 7.30 प्रतिशत और 8 प्रतिशत ब्याज के ऊपर कई स्कीम आई। उसमें यह डेट स्वैप का लाभ राजस्थान को भी मिला। इससे 400 करोड़ रुपये की बचत हुई इससे मैं इन्कार नहीं करता लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या था उसकी मैं पोल खोलना चाहता हूं कि इस वर्ष 152 करोड़ रुपये ऋण पेटे ज्यादा भुगतान किया गया इसका कारण क्या है

"ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत्
यावत् जिवेत् सुखम् जीवेत्।"

आप ऋण लेते गये। ऋण इतना ले लिया कि आपको 400 करोड़ रुपये के ब्याज के पेटे कम भुगतान करने के बावजूद भी 152 करोड़ रुपये आपको ज्यादा भुगतान करना पड़ा। आपका राजस्व व्यय भी इसके कारण बढ़ा है। सभापति महोदय, मैंने जो यह सारे आंकड़े रखे, इससे यह बात स्पष्ट होती है कि राज्य सरकार बिना किसी कारण बताए लगभग 3000 करोड़ से ऊपर की रेवेन्यू रिसिट्स कहां से प्राप्त करेंगी। राजस्व घाटा 50 प्रतिशत कैसे कम करेगी ? कैपिटल आउटले पांच हजार करोड़ से ऊपर का कैसे, कहां से लाएंगी इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी अपना रिप्लाई दे तब बताएं कि इन कामों को इस प्रकार से करेंगे। मुझे यह भी बताए कि इस बजट में राज्य के प्रति व्यक्ति उत्पादन में, प्रति व्यक्ति आय में, विकास की दर में क्या इजाफा होगा और

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इससे प्रदेश की जीडीपी कितनी होगी ? यदि यह बजट के अनुमान इनके मान ले तो यह तो रिकार्ड तोड़ देगी। इंग्लैण्ड और अमेरिका से भी विकास की दर इनकी ज्यादा हो जाएगी। इस बजट से 20 प्रतिशत जीडीपी बैठती है जबकि 10-12 प्रतिशत से जीडीपी ज्यादा हो नहीं सकती। हमारे ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन ने भी जीडीपी का लक्ष्य रखा है वह 12.5 के करीब रखा है, तो आप 20 प्रतिशत जीडीपी को प्राप्त कर लेगी। एक तरीके से मतलब बजट बनाना आसान काम है लेकिन बजट को क्रियान्वित करना, उसको एक्जीक्यूट करना और उसको अमलीजामा पहनाना यह बहुत कठिन है, हरक्युलियन टास्क है।

अब मैं आपके सामने एक्साइज पालिसी के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। जो एक्साइज पालिसी बनाई उसका न केवल इस पक्ष ने बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी भारी विरोध किया। शुरू में तो एक्साइज पालिसी ऐसी आई कि कोई महिला अनाज लेने जाए, साबुन लेने जाए, वहां पर भी आम स्टोर में शराब वहां पर कोई भी खरीद सकता था। लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के प्रतिरोध के कारण राज्य सरकार ने उस कदम को वापस लिया। लेकिन दुकानें दुगुनी कर दीं और दुगुनी दुकानें करने के बाद यह कहा गया कि 500 करोड़ रुपये के रेवेन्यू बढ़ाएंगे। अब जो बजट एस्टीमेट्स आये हैं उसके अनुसार 183 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू रिसीट्स ज्यादा होगा एक्साइज से लेकिन उसके लिये जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे उसके लिये 2 हजार आदमियों की भर्ती होगी। अब 2 हजार आदमियों का, यह फिर जिस तरीके से गैर आयोजना का पैसा, खर्च बढ़ता है उस तरीके से करीब-करीब 200 करोड़ रुपये तो उस फौज को तनख्वाह देने में और भत्ते देने में और उनकी सुविधाओं में ही खर्च हो जाएगा। उसके साथ-साथ एक नया निगम बना रहे हैं। उस नये निगम के माध्यम से, स्टेट ब्रेवरीज निगम, उसको यह काम दिया जा रहा है। वह शराब का धन्धा करेगा। मैं जब गुजरात गया था तो वहां एक कहावत सुनी थी।

"जानूं राजा व्यापारी, तानूं प्रजा भिखारी"

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सरकार अगर कोई व्यापार करने लग जाती है तो उसकी प्रजा भीख मांगने लगती है शराब का धन्धा यदि कोई सामान्य आदमी भी करता है तो लोग उसको उचित नहीं मानते हैं लेकिन सरकारी निगम बनाकर के शराब का धन्धा करेंगे, यह सरकार के समझ की बात है और गंगानगर शुगर मिल जो बरसों से पहले काम कर रही है उसको उजाड़ने का एक तरीके से सरकार ने अपना उद्देश्य कर दिया (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपने तो गंगानगर शुगर मिल को बन्द किया होगा। वह सरकारी नहीं है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने बन्द नहीं किया

एक माननीय सदस्य : विराजिये, विराजिये

श्री सांवर लाल : ये बुलवा रहे हैं, इसलिये बोल रहा हूं

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, एक केबिनेट स्तर के मंत्री को यह भी मालूम नहीं है कि गंगानगर शुगर मिल का काम कौन छीन रहा है तो मुझे बड़ा अफसोस है

श्री सांवर लाल : मैं तो यह कह रहा हूं कि सरकारी कारपोरेशन बन रहा है तो आप उसको बन्द करवा देते आपका राज चल था, शराबबन्दी लागू करवा देते आप और बेरोजगारों को 200 को नौकरी दे रहे हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं आप

डा. बुलाकीदास कल्ला : गंगानगर शुगर मिल, जो बरसों से काम कर रही है, मैं उसके पक्ष में हूं उसको सबसे पहले पिछली बार 25 प्रतिशत काम उसका छीना गया और इस बार 100 प्रतिशत काम छीन लिया जब भारी विरोध हुआ तब उसको 25 प्रतिशत का पुछल्ला फेंक दिया गया

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि गंगानगर शुगर मिल जो प्रतिस्पर्धा कभी 14 करोड़, कभी 15 करोड़, कभी 17 करोड, कभी 8 करोड़, कभी 10 करोड़ का मुनाफा दे रही थी उसका

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

काम छीनने की क्या जरूरत पड़ गयी। क्यों निजी लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। यह सारा का सारा काम निजी हाथों में देना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। यह कतई नहीं दिया जाना चाहिए था। वहां 2200 लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। और हम गंगानगर शुगर मिल के कारण किसानों को गन्ने की पूरी कीमत मिलती थी। किसान, जहां 69 रुपये प्रति क्विंटल का भाव था, वहां किसानों को 20-25 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा दाम मिलते थे। गंगानगर शुगर मिल राज्य सरकार को भी प्रतिवर्ष, स्टेट एक्सचेकर को अपना मुनाफा देती थी। इसका काम छीन लिया गया। आप देखिये, इसके साथ क्या-क्या कुठाराघात हुआ। सबसे पहले कि आप पाउच में नहीं बना सकते, बोटल में बनाओ। बाटलिंग प्लांट लगा दिया। इस साल कह दिया गया कि नहीं अब प्लास्टिक की बोतल में बना सकते हो प्लास्टिक की बोतल पर्यावरण को नुकसान नहीं करती, पाऊच नुकसान करते थे। न तो आपने पर्यावरण का ध्यान रखा, न आपने यह देखा कि आपकी मिल के पास करोड़ों रुपये की वहां पर पाउच बनाने की फिल्में बनी पड़ी हुई हैं। उसका क्या होगा। सरकार सरकारी कम्पनी का नुकसान कर रही है। हमारी केन्द्रीय सरकार की यह नीति है और स्टेट की भी यह पालिसी रही है कि पब्लिक सैक्टर के वे उद्योग जो मुनाफे और फायदे की स्थिति में होते है, उन उद्योगों को चालू रखना चाहिए। गंगानगर शुगर मिल हमेशा फायदे की स्थिति में रही है। उसके काम को चोट पहुंचाना मैं समझता हूं कि उचित काम नहीं है और यदि आपको यह काम, जैसे आपने यह ब्रेवरीज निगम बनाया, इसके बनाने की जरूरत क्या थी। विदेशी शराब के होलसेल के काम को आप गंगानगर शुगर मिल को नहीं दे सकते थे। लेकिन नहीं, चूंकि प्राइवेट लोगों को लाभ पहुंचाना है, निजी लोगों को लाभ पहुंचाना है इसके कारण से गंगानगर शुगर मिल को यह काम नहीं देकर निजी हाथों में यह काम दिया गया। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और पूरी एक्साइज पालिसी की, चाहे आप बैठे हुए, चुपचाप बैठे रहें लेकिन मन में यह बात जानते हैं कि एक्साइज

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पालिसी से गंगानगर शुगर मिल को नुकसान हुआ हैं। स्टेट एक्सचेकर के पास जो आय आती थी उसका नुकसान हुआ है।

सभापति महोदय, ट्राइबल एरिये में विगत 25 वर्षों से देशी शराब ट्राइबल एरिये में गंगानगर शुगर मिल के द्वारा दी जाती थी और भारत सरकार का दिशा-निर्देश भी ऐसा है, नोटिफाइ कार्यक्रम है, टेम्परेंस प्रोग्राम, उसमें भी यह उल्लेख है कि ट्राइबल एरिये में जहां तक सम्भव हो वहां पर सरकारी संस्थान के माध्यम से ही देशी शराब की बिक्री हो। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, मैं तो इन चीजों को समझता नहीं हूं। लेकिन मैंने स्टडी की। आदिवासियों को आधी कीमत पर शराब मिलती थी। अब निजी हाथों में देने से यह सारा काम, डबल कीमत पर आदिवासियों को शराब प्राप्त होगी और कितनी बदमाशी हुई है इसमें, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि गंगानगर शुगर मिल के माध्यम से 40 दुकानें थी उसमें से लगभग 6 पाइंट कुछ करोड़ रुप्ये की आमदनी राज्य सरकार को होती थी। अब 40 की जगह 70 दुकानें दे दीं और लोग इनको कितना पैसा देंगे, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। लगभग 10 पाइंट कुछ करोड़ रुपये। यह तो गंगानगर शुगर मिल दं देती, आपको। कम से कम आप टेम्परेंस प्रोग्राम की पालना करते। कम से कम आप इस बात का ध्यान रखते कि आदिवासी व्यक्ति, जो दिन-रात मेहनत मजदूरी करता है उसको आपकी पालिसी के कारण से दुगुनी कीमत के ऊपर देशी शराब उपलब्ध होगी। आपने न तो केन्द्रीय सरकार की नीति का ध्यान रखा, न आदिवासियों का ध्यान रखा। और जब-जब निजी हाथों में यह शराब के काम जाते हैं, आप जानते हैं शराब दुखांतिकाएं होती है। पिछले वर्ष 4 दुखांतिकाएं हुई, भीलवाड़ा में, रामपुर-भिवाड़ी में, जालोता-खैरथल में और उसके बाद सांगानेर में। इन 4 स्थानों पर 45 से अधिक लोग मारे गये। सभापति महोदय, अब कितनी शराब दुखांतिकाएं होंगी, अब आने वाला समय बतायेगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि देशी शराब का जो काम गंगानगर शुगर मिल पिछले कई वर्षों से कर रही थी उसके काम को छीनना, यह राज्य

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आप पुनर्विचार करें और एक्साइज पालिसी में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : आपने कहां "जानूं राजा व्यापारी...." उस बात को आप काट रहे हैं। (व्यवधान) "जानूं राजा व्यापारी....." वाली बात को काट रहे हैं, खुद की बात काट रहे हैं।

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय सभापतिजी, व्यवधान पैदा कर रहे हैं। बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : अभी तो परसों ही तय किया है आपने और आज ही डिस्टर्ब करवा रहे हो।

एक माननीय सदस्य : यह तो इसलिये करवा रहे हैं कि अपने को डिस्टर्ब करवाना है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग यह कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, संस्कृति, धर्म और इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन सूखा दिवस कांग्रेस के वक्त में 5 थे। उनको 3 क्यों किया। और धार्मिक दिवसों पर किये गये थे। यह पता लगता है कि इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। उसके बाद भारत निर्मित विदेशी मदिरा के उठाव में कमी, सरकारी संस्थान को रुग्ण बनाना, यह इस एक्साइज पालिसी की प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके बाद परमिट फीस में ठेकेदारों को, लम्बरदारों को, इजारेदारों को, शराब के व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिये 60 करोड़ का तोहफा दिया गया है और विदेशी शराब के होलसेल का कार्य, वह समस्त कार्य जो मैं बता रहा हूं कि एक नये निगम को बनाकर उसका भी एक नया खर्चा शुरू हो जाएगा उसमें भी फिर स्टाफ आयेगा। इसको करने की क्या जरूरत थी। इसको गंगानगर शुगर मिल, जो आपकी टेस्टेड शुगर मिल है, जहां 2200 लोग काम करते हैं, उसको देना चाहिए था। इसके अलावा यदि यह होलसेल का काम गंगानगर शुगर मिल को दिया जाता तो वह अपने खर्चों को काटकर फायदा 20-30 करोड़ रुपये राज्य सरकार को देती।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसके अलावा जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, आपने 100 परसैंट में से 25 परसैंट से काम छीन लिया तो वे कहां जाएंगे, कहां काम करेंगे और उनको सरकार कहां लगाएगी सरप्लस करके तो इन सब बातों के ऊपर विचार करके मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी जो वित्त मंत्रीजी भी हैं, इस एक्साइज पालिसी के बारे में पुनर्विचार करें और जो भी इसमें कमियां हैं, पब्लिक सैक्टर को प्रोत्साहित करने की नीति सरकार की रही है, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए।

अब मैं आता हूं कि आपको सेण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में जितना पैसा मिला उसमें से अधिकांश पैसे को आप खर्च नहीं कर पाये। सभापति महोदय, एक वक्त ऐसा था कि जब हम सरकार में थे तो भयंकर अकाल पड़ा हुआ था राजस्थान में लेकिन हमको अपनी सड़क निधि का पैसा, शिक्षा का पैसा, विद्युत सुधार का पैसा, एक साल से लेकर तीन साल तक नहीं मिला। आप आये और एन.डी.ए. की सरकार आपकी रही। आपको वह पैसा मिल गया तो लगभग 1100-1200 करोड़ रुपये आपको मिल गया और आपकी फाइनैंशियल स्थिति में थोड़ा सुधार हो गया लेकिन अब हमारी सरकार जो है वहां पर दिल्ली की, वर्तमान केन्द्र की सरकार वह कोई भेदभाव नहीं रखती, आपको पैसा दे रही है और आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं नेचुरल क्लेमिटी फण्ड उसमें आपके पास पैसा, उसमें आपको दो लाख टन गेहूं दिया गया, उसका 60 परसैंट गेहूं आपने आज तक उठाया नहीं, वह आपका मार्च में लेप्स हो जाएगा। आगे आपको चार लाख टन अनाज और आबंटित हुआ है, गेहूं, उसको आप कैसे उठाएंगे, क्या करेंगे ? मजदूरों की संख्या आप बढ़ा नहीं रहे हो, उसके बारे में मैं अकाल पर बोलूंगा तब बोलूंगा लेकिन कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि केन्द्र की सरकार बिना भेदभाव के आपको सैण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में पैसा दे रही है। मैं आपको रिपीट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने और हमारे हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने इनके बारे में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

विस्तार से बता दिया इसलिए मैं सदन का समय जाया नहीं करना चाहता। लेकिन सेण्ट्रल स्पोंसर्ड में जो पैसा आपको मिला वह आप क्यों नहीं खर्च कर पाये और जो-जो डिपार्टमेंट्स खर्च नहीं कर पाये, आप उस पर क्या एक्शन लेंगे ? क्या आप किसी की रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करेंगी ?

इसके बाद मैं आपको राज्य की वार्षिक योजना के कुछ उदाहरण, आपके ही द्वारा जो आंकड़े दिये गये हैं, उनके माध्यम से बताना चाहूंगा। दिसम्बर, 2004 तक पशुपालन, इस हैड में आपका पैसा 39.57 परसेंट खर्च हुआ। डेयरी में 19.31 परसेंट, लैण्ड रिफोर्मस में 18.83 परसेंट, माइनर इर्रिगेशन में 24.68 परसेंट, टोटल डवलपमेंट आफ मण्डीज में सभापति महोदय, 0.17 परसेंट, अब दिसम्बर तक जहां पाइंट 17 परसेंट पैसा खर्च हुआ तो आप देख लीजिए चाहे कैपिटल आउटले आप कितना ही रख लिजिये, बजट का क्या हश्र हो रहा है, उसकी मैंने आपको दास्तान बताई हैं। मिनरल्स में 2.8 परसेंट, साइंटिफिक सर्विसेज में 14.65 परसेंट, फाइन आर्ट एजुकेशन में 7.58 परसेंट... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहां से ले आये आप ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह जो आंकड़े मेरे पास पड़े हुए हैं यह अभी गवर्नमेंट के द्वारा दिये हुए हैं। यह रहे, मेरे पास। यह रहे। आपके गवर्नमेंट के दिये हुए हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि संसदीय कार्य मंत्रीजी या तो चेलैंज नहीं करें और नहीं तो इनको पढ़ लीजिए। यह गवर्नमेंट के दिये हुए आंकड़े हैं। कहां से पढ़ लिये, ऐसे ही बोल रहा हूं ? मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांच महीने पहले के आंकड़े बोल रहे हैं आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : जनवरी के सरकारी आंकड़े हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं कह रहा हूं दिसम्बर, मैंने स्वयं ने दिसम्बर, 2004 बोला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अपने कागज दे दिये जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने कहा था, वे आपने इनको दे दिये। ऐसा नेता के साथ, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : वह नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : जवाब तो मुख्य मंत्रीजी दे देंगे, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह अपनी परफोरमेंस दिखा रहे हैं। (व्यवधान) मेरे बोलने के बाद बोल लेना आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल्लाजी जिम्मेदार आदमी हैं, बोलने दीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आर्किजम में 1.96 परसेंट, मेडिकल एजुकेशन में 13.91 परसेंट, यह मैं दिसम्बर, 2004 तक के बता रहा हूं। अब आप तो बजट पूरा खतम कर चुके हैं, अब आप बता दीजिए कि इन हैड्स में क्या-क्या खर्चा किया है। इन्फोरमेशन टेक्नोलाजी, गुड गवर्नेंस, इन्फोरमेशन टेक्नोलाजी के बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाये, यहां पर खर्चा कितना किया 1.49 परसेंट। ई-गवर्नेंस की स्थिति है कि तहसील को जोड़ दिया, उसको जोड़ दिया, उसको जोड़ दिया लेकिन ई-गवर्नेंस का यदि आप कोई उदाहरण पेश करना चाहे तो ढाक के तीन पात, कुछ नहीं मिलेगा आपको। सहकारिता में 4.09 परसेंट, यह स्थिति है वार्षिक योजना के बारे में खर्चे की। अरबन सैल्फ एम्प्लायमेंट स्कीम, इसमें लक्ष्य रखा था 4000 का और इसमें एचीवमेंट है 1620 का। अरबन वेज एम्प्लायमेंट प्रोग्राम इसमें एक लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का था और उसमें 41910 लोगों को रोजगार दिया। पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप एस.सी. के बच्चों को, मतलब अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 95245, इसके विरुद्ध 71545 और स्कालरशिप तो आप जानते हैं कि फिर आगे दिसम्बर के बाद में कोई नई लड़कों की भर्ती होती नहीं है, वह तो जुलाई में ही भर्ती हो जाती है। पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप एस.टी. के लिए 87000 का लक्ष्य रखा गया था, उसके पेटे मात्र आपने 62561 को, यह स्कालरशिप दी।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

विकलांग छात्रवृत्ति 30 हजार का लक्ष्य और दी गयी मात्र 7500 को, यानि कुल मिलाकर 25 परसेंट, विकलांगों के साथ भी आप यदि न्याय नहीं करो तो फिर किससे न्याय व उम्मीद होगी ? किसके साथ न्याय करेंगे ?

अब मैं आपको सबसे, वह कहते हैं न कि-

"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,
और पानी बिना न ऊबरे, मोती, मानस, चून।"

(18.26 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : नहीं, पानी गये न ऊबरे। न तो चून अच्छा है और न मोती अच्छा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, तो बिना पानी न तो चून अच्छा है, न मोती अच्छा है और न मानस अच्छा है। पानी के लिए आपने यह कहा है कि 2004-05 में 1020 करोड रुपये का प्रावधान पिछले वर्ष किया गया था। इस बार आपने 110 करोड रुपये का और अधिक प्रावधान कर दिया, यानि 1130 का। मैं आपको जयपुर का एक उदाहरण देना चाहूंगा।

जयपुर के 250 गांवों में 10 करोड रुपये खर्च किये गये लेकिन उन 250 गांवों में से अधिकांश गांवों में आज भी इस योजना का कोई लाभ नहीं है। आज पूरे राज्य में पेयजल की भयंकर स्थिति इस अप्रैल के महीने में शुरू हो गयी है। अप्रैल, मई और जून, मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने क्या कोई कंटिजेंसी प्लान पी.एच.ई.डी. के माध्यम से बनाया है और यदि बनाया है तो उसके बारे में पूरी डिटेल बताये कि आगामी तीन महीनों में आप राज्य में पेयजल संकट से उभरने के लिए क्या कर रहे हैं ? नहीं तो तीन महीनों में तो पानी की त्राहि-त्राहि में मर जाएंगे लोग। मटके फोड़ेंगे और जगह-जगह पर जन-आन्दोलन होंगे और यह पानी की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट में आंकड़ों का प्रश्न है, किसानों के लिए बजट में बातें कीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक लक्ष्य आता है फव्वारा खेती, 400 व्यक्तियों को लाभन्वित करेंगे। राजस्थान में 34 हजार गांव है और 34 हजार गांवों में से आप 400 व्यक्तियों को फव्वारा खेती से लाभन्वित करेंगे तो कितने वर्षों में फव्वारा खेती आएगी ? बून्द-बून्द पानी के उपयोग की बात करते हैं। वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं। हमारे राजस्थान में जो सिंचित क्षेत्र है वह लगभग पूरे देश का 10 परसेंट है और पानी पूरे देश का मात्र एक परसेंट है तो ऐसी स्थिति में यदि हम हमारे इस वाटर मैनेजमेंट को सही नहीं करेंगे तो किस प्रकार से हम राजस्थान के किसानों को खुशहाल कर पाएंगे ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रतनजोत, रतनजोत की खेती के लिए जमीन बतायी गयीं है 64 लाख हैक्टेयर और लक्ष्य रखा है क्या ? एक हजार हैक्टेयर में रतनजोत की खेती होगी। अब 100 वर्षों में एक लाख हैक्टेयर कवर होगा और 6400 व .ों में पूरा राजस्थान कवर होगा। तो यह ऐसे जो एक तरीके से बीरबल की खिचड़ी वाले जो आंकडे हैं वह मैं समझता हूं कि राजस्थान को कोई बहुत आगे नही ले जा सकते हैं। इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि रतनजोत की खेती के लिए आपको अपनी कोई नीति बनानी चाहिए। आपने नीति बनायी भी थी। उद्योग नीति बनायी और निर्यात नीति बनायी। वह लगता है कि बन्द बस्तों में पडी हुई हैं। उद्योग नीति और निर्यात नीति का लोग वर्षों से इन्तजार कर रहे हैं, आपके आने के बाद। आपके आने से पहले हमारी सरकार ने बीडी में फैसला किया था। और 1800 करोड़ रुपये का विनियोजन स्वीकृत हुआ। आपके आने के बाद आपने इसको रिव्यू किया और रिव्यू करते-करते प्रायः प्रायः उद्योग दूसरे राज्यों में चले गये। मैं जानना चाहता हूं के आप लोग उद्योग नीति और निर्यात नीति कब डिक्लेयर कर रही हैं ? उद्योग नीति और निर्यात नीति यदि आप डिक्लेयर कर देंगी, उसमें बंजर भूमि में खेती करने वालों के लिये कोई पैकेज देंगी तो मैं समझता हूं 64 लाख हैक्टेयर भूमि एक और दो

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

साल में लोग एक तरीके से बंजर भूमि में रतनजोत की खेती करना शुरू कर देंगे।

हर्बल खेती के लिये केन्द्रीय सरकार बहुत बडा अनुदान दे रही है। पचास प्रतिशत अनुदान दे रही है। यहां माननीय सदस्यों ने गूगल की खेती के बारे में, अन्य हर्बल्स के बारे में, सफेद मूसली के बारे में, अन्य जिन्सों के बारे में, ईसबगोल के बारे में कई प्रकार के सुझाव दिये तो हर्बल खेती के लिये किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने के लिये राज्य सरकार को भी आगे आना चाहिये और हर्बल खेती को ज्यादा प्रोत्साहित करके किसानों को खुशहाल बनाना चाहिये।

सहकारिता के बारे में खास तौर पर कहना चाहूंगा। डेयरी के चुने हुए अध्यक्षों को जब हटा दिया गया था तो वह डेयरी के चुने हुए अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट तक गये। वहां आपके अधिवक्ता ने, राज्य सरकार के अधिवक्ता ने लिखित में यह सूचना दी माननीय उच्चतम न्यायालय को कि हम, मतलब सरकार यह कह रही है कि 6 महीने के अन्दर अन्दर हम सहकारिता के चुनाव करा देंगे। वह अवधि खतम हो चुकी है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उच्चमत न्यायालय में आप एप्लीकेशन देकर अवधि बढा रहे हैं या सहकारिता के चुनाव कब करा रहे हैं ? सहकारिता के चुनाव कराने से किसान सहकारी संस्थाओं के ऊपर काबिज होगा और वह अपने तरीके से सहकारी संस्थाओं को चला पायेंगे। यहां पर बहुत से लोगों ने आयल रिफायनरी की बात की और खास तौर से पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसकी चर्चा की और यह कहा कि भटिण्डा में जो आयल रिफाइनरी लग रही है वह कांग्रेस की देन है। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि यह भटिण्डा की आयल रिफाइनरी एन.डी.ए. सरकार के वक्त में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के द्वारा उसका शिलान्यास किया गया और उसमें जो भी आयल आयेगा वह विदेशों से आयेगा। राजस्थान का एक औंस तेल भी वहां नहीं जायेगा।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

जहां तक राजस्थान में रिफाइनरी लगाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री उनसे मिले हैं और मिलकर पेट्रोलियम मिनिस्टर से और प्रधान मंत्रीजी से वार्ता की है और वार्ता करने के बाद उन्होंने स्पष्ट यह कहा है कि कोई आये तो सही। हमें लाइसेंस देने में कहीं कोई मनाही नहीं है और राज्य सरकार को अनेक सुझाव आये हैं कि वह अपना पैकेज डिक्लेयर करे ताकि आयल रिफाइनरी लगाने के रास्ते राजस्थान में खुल सकें। मैं समझता हूं कि जिनको पूरी जानकारी नहीं है वह मनगढ़ंत आरोप किसी के ऊपर नहीं लगायें (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आपका गुरु हूं, डी.जी.एच. की रिपोर्ट के द्वारा आपके मणिशंकरजी अय्यर ने पांच साल का ही बताया था डिपोजिट और डी.जी.एच. की रिपोर्ट में 380 मिलियन टन का उन्होंने खुद ने माना और अब वह खुद मान रहे हैं कल रामचन्द्रजी ने कहा था आई.ओ.सी. वाले ने, उन्होंने कहा था पांच साल का ही डिपोजिट है और कल उन्होंने आई.ओ.सी. वाले ने एप्लाई किया है, इच्छा जाहिर की है कि राजस्थान में रिफाइनरी हो कर ... कर रहे हो आप ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पहले तो इनको यह पूछो कि मेरे को कभी पढ़ाया है ? गुरु-गुरु बार-बार कहते हैं.

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं तो गुरु हूं आपका हूं कि नहीं गुरु ... आप खुद मान चुके हैं इस विधान सभा में, क्या बात कर रहे हो ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : इनकी उम्र क्या है, पहले यह पूछो ... ? क्या गुरु-गुरु करते हो ? फिर गुरु गुड़ हो जायेगा

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आपको शराब और आबकारी के बारे में ... तक शिक्षा नहीं दी है और बार-बार आबकारी के बारे में.....(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : गुरु की उम्र नहीं पूछी जाती है। ब्राह्मण को हम गुरु मानते हैं, उसकी उम्र थोड़े ही पूछते हैं ऐसे ही गुरु हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : श्रीमाली गुरु हैं ब्राह्मण जाति के। यह इम्प्रेशन यह देना चाहते हैं जैसे कि मेरे को किसी क्लास में पढ़ाया हो।

श्री कालूलाल गुर्जर : यह तो अभी भी पढ़ा रहे हैं आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो कुलगुरु हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कुलगुरु आयेंगे तो इनको हम जो भी इनका सम्मान घर पर कर सकते हैं, करेंगे और जरूर करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गुरु तो गुरु ही रहेगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपके गुरु कौन हैं, वह बता दें। उनसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। उन्होंने एक ऐसा चेला भेजा है। आपके गुरु के जरूर दर्शन करूंगा, उसका नाम जरूर बतायें आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनके गुरु तो आप ही हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरे को इन्होंने कभी रुपया-नारियल गुरु पुर्णिमा को भेंट नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : अब कर दीजिये आप। अब कर दीजिये न। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो आपकी मूर्ति लगाकर फिर परीक्षा देता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : "एकलव्य" हो क्या ?

श्री कालूलाल गुर्जर : "एकलव्य"। द्रोणाचार्य की तरह आपको गुरु मानते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बहुत बढ़िया।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, चलिये आगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब राज्य सरकार ने एक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। उसमें मैं बहुत संक्षिप्त में यह कहना चाहता हूं उसमें बहुत भेदभाव हुआ है। यह नहीं होना चाहिये। कहीं कोई अमुक पार्टी का आदमी आ

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

गया, उसका मकान तो रख दिया, बाकी को तोड दिया। मैं आप को अलग-अलग शहरों में बता सकता हूं कि 60 फीट की या 120 फीट की सड़क है, उसमें कुछ लोगों के मकान टूटे हुए हैं, कुछ के नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिये। हमने जब बरामदे एक तरीके से खाली कराये थे तो उनमें किसी को नहीं छोड़ा था कि यह कांग्रेस का है, यह भा.ज.पा. का है। ऐसा प्रोग्राम या तो आप चलायें मत या चलाओ तो इच्छा शक्ति के साथ चलाओ और उसमें एक समानता के साथ आपका निर्णय परिलक्षित होना चाहिये। नहीं तो ऐसे कार्यक्रम को कोई सफलता नहीं मिल सकती।

भू-माफियाओं के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। शांतिनगर, दुर्गापुरा स्टेशन, यहां राजस्थान गौ-सेवा संघ की 4.2 एकड जमीन, 22 हजार वर्ग गज जमीन, जिसकी कीमत जो स्टॉम्प ड्यूटी के आधार पर कलक्टर के माध्यम से उस एरिये की जमीन की कीमत तय की जाती है, वह 6.5 करोड आती है और बाजार की कीमत 13-14 करोड आती है, इसको मात्र 90 लाख रुपये में बेच दिया। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जांच कराई जाये। ऐसे ही जो लोग सरकारी भूमियों पर काबिज हैं और सरकारी भूमि को इस जमीन के अडोस में, उत्तर में ही यह है, दक्षिण में यह है, इस जमीन पर मलबा है, मलबे की रजिस्ट्री हो रही है। मलबों की रजिस्ट्री यदि आपने नहीं रोकी तो राजस्थान में मलबों के नाम पर कब्जे हो जायेंगे और इसको कोई रोक नहीं सकेगा। हम लोगों ने यहां एक कानून पास कर रखा है कि सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करना क्रिमनल आर्फेस है। लेकिन इसकी क्रियान्विति कौन करेगा ? जब से आपकी सरकार आयी हैअतिक्रमण बढ़े हैं। आप जब तक जिला प्रशासन को कब्जों के बारे में रेस्पांसिबल नहीं ठहरायेंगे और उसके ऊपर नजर नहीं रखेंगे, यह कब्जे बढते जायेंगे और यह एक ऐसा रोग है जो राजस्थान में आपके टाउन प्लानिंग को, आपके मास्टर प्लान को मटियामेट कर देंगे। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

ए.डी.बी. प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैं खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि आज "पहला सुख निरोगी काया" इसको तो मानते हो अध्यक्ष महोदय, आप भी ?

श्री अध्यक्ष : सब मानते हैं, मैं ही क्या ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस ए.डी.बी. प्रोजेक्ट में सबसे पहले चोट निरोगी काया पर रखी गयी। जो 60 करोड रुपये का प्रावधान 6 मेडिकल कालेज के ऊपर किया गया था, जिसमें उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर हैं, इनके 60 करोड रुपये काट लिये गये। क्यों काट लिये गये ? बडी मुश्किल से तो हम लोगों ने कोशिश करके मेडिकल कालेजेज, जो हमारे सेटेलाइट अस्पताल की तरह हो गये हैं, इतनी एडवांस टैक्नोलाजी आ गयी, इक्विपमेंट्स आ गये कि उनको अप-डेट करना बहुत जरूरी था। लेकिन हमारे इन मेडिकल कालेजेज को अप-डेट करने के लिये राज्य सरकार के पास कोई फण्डस नहीं हैं। इसलिये हमने पूरा का पूरा पैसा ए.डी.बी. प्रोजेक्ट में डाला और आपने 60 करोड रुपये इसका काट लिया। हो सकता है 5 करोड रुपये कोई खर्च हो गया होगा, पहले, लेकिन बाकी इन प्रोजेक्ट्स को आपने बन्द कर दिया, यह उचित नहीं है। इन मेडिकल कालेजेज को आप अपग्रेड कीजिये। मूल रूप से यह योजना बनी थी कच्ची बस्तियों के सुधार के लिये। कच्ची बस्तियों के सुधार का कार्यक्रम भी ठप्प कर दिया गया। सडकों का काम ठप कर दिया गया। नालियों का, ड्रेनेज का मूल रूप से यह जो योजना बनी, वह केवल मात्र कच्ची बस्तियों के सुधार के लिये बनी थी। ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिये बनी थी। इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट के लिये बनी थी तो मूल योजना के ऊपर चोट हो गयी तो यह कैसे कामयाब होगी।

अब गरीबों के बारे में काफी चिन्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने व्यक्त की। मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं बी.पी.एल. कार्ड की आज क्या अवस्था है ? बी.पी.एल. कार्डधारियों को आप बढ़ा नहीं रहे हैं। हमारे यहां गरीबी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

निरन्तर बढ़ी है और बी.पी.एल. कार्डधारियों के बारे में आप फैसला नहीं करके इसको टालू-मिक्सर दे रहे हो। यह ठीक नहीं है। आप बी.पी.एल. परिवार में जो नये लोग आते हैं इस क्राइटेरिया के अन्तर्गत, उनको आप निश्चित रूप से लीजिये और लेकर उनको जो भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वह देनी चाहिये।

पिछले दिनों में राज्य में अत्यधिक ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ। कम से कम 10 जिलों में और लगभग पहले तो 1800 गांव थे, अब करीब-करीब यह 2000 से ऊपर हो गये हैं। हमारे अभी मार्च में हनुमानगढ, गंगानगर, बीकानेर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर और आपके झुंझुनूं में इन सभी जिलों में भारी नुकसान हुआ है। उस नुकसान के पेटे आपने जो पैसा दिया वह बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि इस राशि को बढ़ाया जाए और इन क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य शुरू करने के मैंने समाचार पढ़े हैं, तत्काल आपको इन क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करने चाहिए।

जहां तक अकाल का सवाल है, अकाल के मामले में मैं बहुत संक्षेप में आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि अकाल के पेटे हमारे पास पर्याप्त राशि, पर्याप्त गेहूं है लेकिन इसके बावजूद भी मैं जानना चाहूंगा कि आपने असहाय सहायता कितने लोगों को दी ? पशु सेवा शिविर अब आपने खोलने शुरू किये हैं, पहले क्यों नहीं खोले ? आज राज्य में पशुओं की हालत इतनी खराब है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अनेक गांवो में जाकर आया हूं उनमें से कोलायत, गजनेर, खारी चारणान, दासूड़ी, कोटड़ी और मढ इन 6 गांवों का जिनका मैंने दौरा किया और आस-पास के अन्य गांवों का दौरा किया, इन 6 गांवों का जिनका मैंने नाम कोट किया, अकाल राहत मंत्रीजी या कोई भी मंत्री मेरे साथ चल सकता है, यहां 50 से लेकर 100 गायें मरी हैं. इन गायों को मरने से बचाने के लिए यदि आप पशु सेवा शिविर खोल देते तो यह गायें बच सकती थीं। लेकिन देर आये दुरूस्त आये, अब आप पशु सेवा शिविर खोल रहे हैं तो उदारतापूर्वक आप पशु सेवा शिविर खोलिये। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अकाल में हमने कभी राजनीति नहीं की। मेरे पास जैसलमेर के पूर्व जिला प्रमुख आये, उन्होंने मुझे जो जानकारी दी मैं आश्चर्यचकित रह गया कि एक या दो व्यक्तियों को आप बीस हजार गायों के कैम्प दे रहे हैं। यह उचित नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट आथोरिटीज पहले से संस्थाएं काम कर रही हैं और जिनका रिकार्ड अच्छा है उन लोगों को आप को काम देना चाहिए, एक संस्था बीस हजार गायों को नहीं सम्भाल सकती इसलिए आप इसको डी-सैंट्रेदलाइज कीजिए और उन कामों को आप अलग-अलग संस्थाओं को दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय कल्ला साहब....

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं पूरा बोल लूं उसके बाद कर देना, मैं आपको सुन लूंगा। नहीं तो फिर इससे क्रम टूटता है।

डा. जालम सिंह रावलोत : जितने आरोप लगाये जा रहे हैं उनका जवाब तो देना पड़ेगा।.....(व्यवधान) ..... इतना कबाड़ा करा है वह पूरा जैसलमेर जानता है और आपने अपनी पार्टी को एक परिवार को सौंप दिया जैसलमेर में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय को बीच में नहीं टोकें। माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बी.जे.पी. के राज में आर.यू.आई.डी.पी. में 100 करोड रुपये ज्यादा खर्च हुए हैं। आप अड़ंगे लगा रहे हैं जबरदस्ती।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : सदन की नेता बोलेंगी तो हम भी खडे होकर टोकेंगे।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं टोकें। आप भी नहीं टोकें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जैसलमेर जिले के पूर्व जिला प्रमुख ने मुझे यह भी बताया कि जो अनुसूचित जाति और अकलियत के गांव हैं उनमें पांच

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

करोड रुपये के कार्य स्वीकृत थे, उन कार्यों को इन्फलेंस के आधार पर निरस्त कर दिया गया। उसकी सूची मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को दे दूंगा, वह चिट्ठी मेरे चैम्बर में पडी है। यह जो राजनीतिक आधार पर काम खोले जाते हैं, बन्द किये जाते हैं यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेसी को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, यह काम पहले राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं करती थी और यह कभी नहीं करना चाहिए, सरकारें किसी की बापौती नहीं हैं, सरकारें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, यह तो बहता पानी निर्मला इसलिए......

डा. किरोड़ी लाल : मैं दो मिनट आपकी इजाजत हो जाए तो इनका जवाब दे दूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, एक मिनट, बीच में नहीं। मैं मेरी बात कह दूं, आप विराजिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, बीच में नहीं बोलें आप।

डा. किरोड़ी लाल : सदन के हित में रहेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बाद में हित कर लेना।

मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनीति आधार पर या बूथ में वोट किस के ज्यादा आये, किस के कम आये इस आधार पर यदि काम खोले जायेंगे तो कांग्रेस पार्टी यहां विरोध नहीं करेगी, सडकों पर विरोध करेगी और पुरजोर आन्दोलन चलायेगी और ऐसा होने नहीं देंगे हम।

श्री महावीर प्रसाद जैन : केवल 6 गांव में जाकर ही। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस सरकार के आने के बाद हरिजनों पर अत्याचार और जो जोर-जुल्म हुए हैं उसकी दास्तां मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। मोहन मेघवाल के बारे में तो आज आपने सुबह ही सुना कि

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सरेआम उसकी हत्या की गयी उसके बाद उसके ऊपर ट्रेक्टर चलाया गया, क्या यह लोकतंत्र में उचित है ? इसके अलावा मैं मावली गया था एक कृषि मेले में, स्टेट टाइम में, अंग्रेजों के वक्त में भी कोई मृत व्यक्ति की यदि कोई शव यात्रा जाति थी तो कोई टोकता नहीं था कि वह मेरे घर के आगे नहीं निकलेगी, वहां मावली के एक गांव में यह आब्जेक्शन किया गया कि यह शव यात्रा हमारे घर के आगे से नहीं निकले। यह हाल क्या हो रहा है लोगों का ? इसके लिए सरकार को विचार करना होगा इन चीजों के ऊपर। जहां कहीं भी कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है उसको कानून के हवाले और बिहाइंड दी बार्स करना चाहिए तब जाकर के लोकतंत्र मजबूत होगा नहीं तो यह एक तरह से लोकतंत्र का राज नहीं कहलायेगा। सांगोद गांव के दलित वर्ग की महिला को सरेआम पीट कर निर्वस्त्र करके उसको घुमाया गया, यह क्या लोकतंत्र में शोभा देता है ? यह हारिजन एट्रोसिटीज जो बढी है उसको रोकने के लिए सरकार को एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए और हरिजन एट्रोसिटीज को और महिला उत्पीड़न को कम करने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए।

आज राजस्थान में महिला उत्पीड़न की क्या स्थिति है ? आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आस-पास पहुंच गये हम, महिला उत्पीडन में दिल्ली से आगे पहुंच गये हम, तो इन चीजों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

मैं जब एक्साइज पालिसीज की बात कर रहा था, एक तरफ आप कह रहे हैं आय बढ़ जायेगी लेकिन सबसे बड़ा अत्याचार होगा महिला पर। महिला उत्पीड़न बढ़ेंगे, हत्याएं बढ़ेंगी, डकैतियां बढ़ेंगी। युवा वर्ग को एक तरफ रोजगार नहीं दूसरी तरफ वह शराब के ठेकों पर जायेगा, दारू पीयेगा तो फिर अत्याचार करेगा, अनाचार करेगा, अपराध करेगा तो ऐसी स्थिति में आपसे कहना चाहता हूं कि इन सभी चीजों के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है महिला उत्पीड़न करना जरूरी है कि हम ट्वेल्व पाइंट टैम्परेन्स प्रोग्राम के बारे में विचार करके

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सरकार को तो मद्य निषेध के बारे में, जो प्रधानमंत्रीजी ने इंदिरा गांधी जी के वक्त शुरू किया था, उस पर प्रचार करना चाहिए ना कि वेब साइट चला कर लोगों को बताया जाए कि शराब कैसे पी जाए और कैसे इसका प्रचार बढ़े। यह काम नहीं करना चाहिए।

इसके अलावा कानून और व्यवस्था की स्थिति निरन्तर बिगड़ रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अपराध 7.5 प्रतिशत बढे हैं, इसको तो गृह मंत्रीजी भी स्वीकार करेंगे तो इसको रोकने के लिए आप देखिये।

मैं एक रिपोर्ट पढ रहा था, लोग थानों में रिपोर्ट कराने जाते हैं तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। आपने इन्टरनेट की सुविधा शुरू की लेकिन इन्टरनेट पर भी जो एफ.आई.आर. लाज होनी चाहिए उसमें लोगों को असुविधाएं आयी। इसके कारण 1400 से अधिक एफ.आई.आर. लोगों ने इस्तगासे से मजिस्ट्रेट के माध्यम से दर्ज करायी। यदि कोई व्यक्ति एक इस्तगासा देता है तो उसके ऊपर 2000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आता है, वकील की फीस लगती है, उसका कचहरी में आने-जाने में पैसा लगता है, पैसा बरबाद होता है। यह स्थिति हमारे थानों की हो गयी है। पहले कभी किसी थानेदार की हिम्मत नहीं थी हमारे शासन में कि कोई गरीब व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति किसी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाये और किसी थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। ऐसा मामला कभी नहीं आया, लेकिन इन चीजों को आपको सुधारना पड़ेगा।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, आप सदन को आर्डर में तो लाओ।

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रतिपक्ष वाले ही कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कौन कर रहे हैं ? कोई प्रतिपक्ष वाले नहीं कर रहे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के लोग उठ कर चले गये, केवल 16 मैम्बर हैं कांग्रेस के।

श्री सांवर लाल : आपका भाषण सुनते-सुनते लोग आधे तो उठ कर चले गये और भाषण जारी रहा तो पता नहीं हालत क्या रहेगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप के भी 60 आदमी हैं, मुख्य मंत्रीजी की रिप्लाई होने वाली है, आप चीफ व्हिप हो, विचार करो।.....(व्यवधान) ....

अध्यक्ष महोदय, इन 14 महीनों में वनों की अवैध कटाई, बाघों का गायब होना, घना को पानी नहीं मिलना, यह जो घटनाएं हुई हैं यह पहले तो कभी नहीं हुई थी। तो इसके ऊपर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि पूरे बाघ गायब हो गये, नेशनल इश्यू बन गया और मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि मेरे को जहां तक याद है कि वन और खान मंत्री कभी एक व्यक्ति नहीं रहा है इसलिए वन और खान को अलग करो। इनको कोई इन दोनों विभागों में कोई दूसरा विभाग दे दो। वन और खान, इन दोनों के एक-दूसरे से विपरीत काम हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह सिफारिश भी आप ही कर दो कि आप के गुरु को कौनसा विभाग देना हैं। यह गुरु की सेवा हो रही है, यह दक्षिणा कौनसी है ? (व्यवधान)......

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो मैं आपसे यह कह रहा था कि यह मंत्रालय एक साथ नहीं देते, दोनों के अलग-अलग काम हैं और अलग-अलग काम होने के कारण.....

श्री अध्यक्ष : इन्टरेस्ट अलग-अलग हैं दोनों के।

श्री रामप्रताप कासनिया : अन्धे शेरों को आंख तक दे दी मंत्रीजी ने और आप डिपार्टमेंट लेने की बात कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : हां, शेर को तो आंख दे दी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बांदीकुई में शेरों की खाल, शेरों के पंजे, शेरों की हड्डियां खुलेआम बिक रही थीं कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, क्या कार्यवाही की। मैं समझता हूं इससे पहले जब यह इश्यू नहीं उठा था तो वन मंत्रीजी ने जाकर कभी किसी अभयारण्य की जांच पड़ताल या कोई निरीक्षण भी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

नहीं किर होग इसके बाद तो जरूर मैंने समाचार पढ़े थे कि आप वहां पर गये थे। कुल मिला कर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे बाघ गायब हो गये। घन के लिए आज भी आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है कहीं से भी पानी पंहुचाओ पानी पहुंचाना चाहिए। इस झगडे में मैं नहीं पड़ना चाहता कि कहां से पानी मिलना चाहिए लेकिन हमारी जो एक बहुत अच्छी साइड है रामसर साइड, इंटरनेशनल हैरिटेज के रूप में वह साइट है उस साइट को मजबूत रखने के लिए एक तरफ तो आप पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ पर्यटक जो उस घना सैंक्चुरी के माध्यम के आने वाले थे उनको आप उजाड रहे हैं। उसके पानी का प्रबन्ध, कोई एक साधारण आदमी भी अपने घर में कोई तोता पालता है कोई चिड़िया पालता है कोई और कुछ करता है लेकिन इतनी बडी गेम सैंक्चुरी के लिए राज्य सरकार पानी का प्रबन्ध नहीं कर सके यह बडे अफसोस की बात है।

आइन्दा वहां पर कोई अवैध शिकार न हो सरिस्का में, रणथम्भौर में इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है उसको स्पष्ट करना चाहिए।

आपने राजस्थान दिवस बहुत जोर शोर से मनाया, राजस्थान दिवस के अवसर पर चूंकि उस दिन सदन की छुट्टी थी। मैं पूरे राजस्थान वासियों को उसके उज्जवल भविष्य की और उनके उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर पदारूढ होने की मंगल कामना करता हूं लेकिन जो फिजूल खर्ची हुई है वह निशिचत रूप से आप बताएं कि आपने कितना पैसा खर्च किया और जो हमको बताया गया है उस आधार पर आप पर्यटन विभाग में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। एम.डी. लेवल का एक अफसर बाहर से ला रहे हैं उसका आपने सलेक्शन भी कर लिया। राजस्थान में एम.डी. राजस्थान पर्यटन विकास निगम मैंने भी पर्यटन मंत्रालय को कुछ वर्षों तक देखा है वहां पर आई.ए.एस. अफसर इसके एम.डी. रहते हैं लेकिन राज्य सरकार एक ओपन मार्केट से किसी व्यक्ति को लाकर एम.डी. का चार्ज दे दे तो फिर जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उस विभाग में उसमें से किसी को बना दें। उसको हमारी दृष्टि से बनाना उचित नहीं

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

है और यह प्रक्रिया अन्य जो पब्लिक सैक्टर के उद्योग हैं उनमें भी इस तरह से हो जाएंगी तो फिर बाहरी व्यक्तियों का कोई भरोसा नहीं रहेगा। जितनी जिम्मेदारी से हमारे स्टेड आफीसर काम करते हैं उसके मुकाबले में वह काम नहीं कर पाएंगे।

विज्ञापन देने में भी भेदभाव हुआ है। राजस्थान में राजस्थान दिवस के जो विज्ञापन लिए जाते हैं वह विज्ञापन हमेशा राज्य स्तर के अखबारों को दिए जाते हैं लेकिन जो राज्य स्तर का अखबार है उसको विज्ञापन नहीं। जो साधारण अखबार हैं उनको विज्ञापन। यह जो बंदरबांट हुई है विज्ञापनों की, उसकी भी हम निन्दा करते हैं। यह ठीक नहीं है।

आपने बरसात के लिए तो मंदिर भी गये आप, मस्जिद भी गये, गुरुद्वारे में भी गये, चर्च भी गये लेकिन राजस्थान दिवस के ऊपर आप केवल महाआरती तक सीमित रहे। हमारा संविधान क्या कहता है ? सरकार का अपना कोई धर्म नहीं। यदि बरसात के लिए आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में गये तो महाआरती जैसे कार्यक्रम आपको दूसरे धार्मिक स्थानों पर भी करने चाहिए थे। मेरा व्यक्तिगत मत यह है, भजन, भोग, भण्डारा यह सब गुप्त होना चाहिए इसके लिए कोई शो बाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको, मैं खास तौर से सदन को बताना चाहता हूं कि महाआरती का कार्यक्रम सरकारी खर्चे से, भगवान का नया वर्ष-हैप्पी न्यू ईयर, सरकारी खर्चे से। इन कामों से आप यह समझते हो कि हमको कोई वाहवाही मिल रही है। मन्दिर वाले तो विक्रम संवत से अपने नये वर्ष को मनाते हैं चैत्र सुदी प्रतिपदा एकम् को आएगा। और आपने हैप्पी न्यू ईयर करा दिया मंदिरों में। इन बातों के बारे में आपको सोचना चाहिए। सरकार में बैठे हुए लोगों को। जिस तरीके का प्रोग्राम आता है वह प्रोग्राम आपको नहीं चलाना चाहिए। प्रोग्राम वही चलाना चाहिए जो जनता के हित का हो और जो संविधान के अनुकूल हो। संविधान तो यही कहता है कि सरकार को अपनी तरफ से कोई धार्मिक आयोजन नहीं करना चाहिए। कोई संस्था व्यक्तिगत करती है उसमें जाने में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

किसी को हर्ज नहीं है। कोई मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाए, कोई चर्च में जाए-कोई मनाही नहीं है। लेकिन सरकार को धार्मिक आयोजन नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट की वैसे तो केई चीजें हैं, आपके सामने मैं रख सकता हूं, लेकिन.....

श्री संयम लोढ़ा : इतना करोगे तो भाषण पढ़ा हुआ मान लेंगे आपका।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें, मैं आपको नहीं टोकूंगी। लेकिन एक घण्टा आठ मिनट हो चुके हैं। 5.47 से शुरू किया था। आप बोलें, बस।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह भी बी.ए.सी. में तय हुआ था क्या ?

श्री संयम लोढ़ा : इतना बढ़िया बोल रहे हैं, सरकार की पोल खोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी थोड़ी अस्वस्थ चल रही है इसलिए मैंने कहा, बाकी बोलें आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं ध्यान रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में राजसमंद के लिए यह कहा गया है कि वहां इस वित्तीय वर्ष में भवन बनायेंगे कम से कम बजट बनाने वालों को यह तो पता होना चाहिये कि वहां भवन बन चुका है और वहां कालेज भी चल रही है। बजट में इस प्रकार की त्रुटियां होंगी तो आप समझिये। वहां भवन बन चुका है, केवल मात्र डोनर से एग्रीमेंट करना हैं। उसके नाम से राजकीय फलां फलां स्कूल/कालेज का नाम देना है।

श्री बंशीलाल खटीक : महाविद्यालय भवन नहीं बना है। (व्यवधान)

मैं वहां का विधायक हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, तुम जानते हो ?

श्री अध्यक्ष : राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, सदन में ऐसे किसी को डराते नहीं हैं जैसे आप डरा रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, वो मुझे डरा रहे हैं।

मेरी विधान सभा का मामला है, मैं नहीं बोलूंगा ? मिथ्या बात कर रहे हैं। असत्य बात कर रहे हैं तो बोलने का है मेरा।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। बैठिये, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बंशीलाल खटीक . पर वो डरा रहे हैं, बुड्ढे हो गये वो। इतनी बड़ी उमर ले ली फिर भी छोटे को डरा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कर लें। कृपया बैठ जाएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज ही जिलाधिकारियों से वार्ता करके कन्फर्म करने के बाद जिम्मेदारी से यह बात कही है।

श्री अध्यक्ष : फिर वो कैसे कह रहे हैं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : उनको पूछो कि वो गर्ल्स कालेज का कह रहे हैं कि ब्वायज कालेज का कह रहे हैं। मैं तो ब्वायज कालेज की बात कह रहा हूं। गर्ल्स कालेज की बात कर रहे होंगे वो। पूछो आप।

डा. सी.पी. जोशी : वहां कालेज कहां चल रहा है ? मैं भी रहता हूं वहां, किसको बोल रहे हैं ? वहां पर एक प्राइवेट सेठ ने बिल्डिंग बनायी है वहां कालेज चल रहा है। गर्ल्स कालेज की बिल्डिंग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपके नेता बोल रहे हैं और आप खड़े हो गये, आपको क्या हो गया ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : करैक्ट कर रहे हैं उसको।

श्री अध्यक्ष : बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपके नेता बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इस तरह से ?

डा. एन.एस. गुर्जर : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, लालूजी की तरह हप हप हाउस में क्या हो रहा है यह ? जैसे कोई लालू प्रसाद बोल रहे हों हाउस में। हप हप, यह क्या हो रहा है आपस में ? यह लालूजी की तरह कैसे हो रहा है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : लालू प्रसादजी का नाम सम्मान से लो।

डा. एस.एन. गुर्जर : लालूजी बोल है मैंने।

श्री अध्यक्ष : बोलने दें प्रतिपक्ष के नेता को, बीच में व्यवधान न डालें।

डा. सी.पी. जोशी : यह प्रश्न बहुत गम्भीर है। सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट कालेज, राजसमन्द में बिल्डिंग हैं' यह लिखा गया है यहां पर कि विगत वर्षों में जो कालेज खुला है वहां बिल्डिंग नहीं है उसका भवन बनाएंगे इतनी बड़ी ओमिशन सरकार के पार्ट में नहीं होना चाहिए। मंत्रीजी, मैं चाहूंगा इसको चैक कर लिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गर्ल्स कालेज की बात है।

डा. सी.पी.जोशी : आपको सदन को फैक्ट देना है, सदन को गुमराह नहीं करना है। मुख्य मंत्रीजी का यह स्टेटमैंट है जिसमें यह लिखा हुआ है कि विगत वर्षों में उन चार स्थानों पर महाविद्यालय नहीं, बिल्डिंग नहीं, भवन का निर्माण करेंगे और राजसमन्द में जो ब्वायज कालेज है उसकी बिल्डिंग एक सेठ ने बनाई, वहां कालेज चल रहा है और हम सदन को यह कर रहे हैं कि बिल्डिंग नहीं है वहां पर।

श्री युनूस खान : यह महाविद्यालय गर्ल्स का है।

डा. सी.पी. जोशी : आगे पढ़िए मंत्रीजी, यह गर्ल्स की बिल्डिंग का इस बार का है पूरा पढ़िए, गर्ल्स की बिल्डिंग के लिए घोषणा की गयी है और यह जो लिखा हुआ है वह लिखा है कालेज दूसरे के लिए। अगला पेज पढ़िए (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : यह भामाशाह द्वारा बनाया हुआ ब्वायज कालेज का भवन है (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अगला पेज निकालिए। माननीय मंत्रीजी अगला पेज निकालिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : महिला उच्च शिक्षा हमारी एक प्राथमिकता है। अभी हनुमानगढ, चूरू, सीकर, धौलपुर, राजसमन्द जिला मुख्यालय पर महिला महाविद्यालय नहीं है (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय मंत्रीजी चमचागिरी की पराकाष्ठा (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : महिला महाविद्यालय के लिए कहा गया है

डा. सी.पी. जोशी : अगला पेज निकालिए आप इसका (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : महिला महाविद्यालय नहीं है इसमें।

डा. सी.पी. जोशी : इससे अगला पेज निकालिए, मैं बोल रहा हूं महिला महाविद्यालय के लिए आपने कहा है। अगले पेज पर लिख रखा है कि विगत वर्षों में चार महाविद्यालय, नाम लिखा हुआ है उसमें। उसमें रासमन्द का लिखा हुआ है और लिखा है कि बिल्डिंग नहीं है। आगे का पेज निकालिए खड़े होकर बोलिए आप। एक एक पेज पढ़ रखा है। एक-एक लाइन पढ रखी है मैंने। अगले पेज पर है। आप खड़े होकर बोलिये। (व्यवधान) आप एक मिनट रूकिये। राठौड साहब, खडे होकर बताइये। पराकाष्ठा है सदन को गुमराह करने की। वह खडे हो गये मंत्रीजी। यह जो बात कही गयी है वह गर्ल्स कालेज के लिये की गयी है। अगले पेज पर लिखा हुआ है विगत वर्षों में चार जगह पर जो कालेज, आप पहले बताइये। खाली खडे होकर बोल रहे हैं। अब जवाब तो कोई जिम्मेदारी रखनी कहिये। मुख्य मंत्रीजी से गलत बात सदन में नहीं कहलवानी चाहिये और जस्टिफाई करवा रहे हैं आप।

श्री बंशीलाल खटीक : ब्वायज भवन बना हुआ है। भामाशाह द्वारा बनाया गया ब्वायज कालेज का भवन है। महिला महाविद्यालय का भवन नहीं बना हुआ है.....

डा. सी.पी. जोशी : वही तो ब्वायज के लिये बोल रहे हैं यह। नहीं मालूम है.....

श्री बंशीलाल खटीक : तो आप कह रहे हैं वहां महिला कालेज का बना हुआ है।

डा. सी.पी. जोशी : वही तो कह रहा हूं। महिला का नहीं बना हुआ, ब्वायज का बना हुआ है। तो ब्वायज के लिए लिखा है बिल्डिंग नहीं है......

श्री बंशीलाल खटीक : तो आप कह रहे हैं वहां कोई महिला कालेज का बना हुआ है। ब्वायज का भामाशाह के द्वारा बना हुआ है। महिला महाविद्यालय के लिये कहा गया है....

डा. सी.पी. जोशी : लो पढ़ो पहले इसे....

श्री बंशीलाल खटीक : हां, पढ़ा है मैंने। मैंने पढ़ा है इसमें। यह उसी के साथ में जुडा हुआ है....

डा. सी.पी. जोशी : क्या बाते करते हैं। एक मिनट में....

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा, महिला उच्च शिक्षा हमारी एक प्राथमिकता है। अभी तक हनुमानगढ, चूरू, सीकर, धौलपुर व राजसमन्द जिला मुख्यालयों पर महाविद्यालय महिला का नहीं है। इन स्थानों पर महिला महाविद्यालयों की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि अगर कोई संस्था इन स्थानों पर महिला महाविद्यालय खोल ले और उसका आवर्ती व्यय करने हेतु भी तैयार है तो राज्य सरकार न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप भवन बनाकर टोकन लीज पर उपलब्ध करवायेगी। मुझे आशा है कि इस सुविधा से इन स्थानों पर महिला महाविद्यालय खुल सकेंगे। मैं बोल रहा हूं.....(व्यवधान) पूर्व के वर्षों में करौली, चौमू, राजसमंद व सिरोही में महाविद्यालय खोले गये किन्तु इनके लिये भवनों का निर्माण नहीं किया गया जबकि भवन निर्माण है वहां पर। यह मैं कह रहा हूं आपसे। इस कमी को पूरा करने हेतु आगामी वर्ष में इन चारों स्थानों पर महाविद्यालयों हेतु भवनों का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा। ब्वायज कालेज तो वहां पर बना हुआ है और यह सरकार कह रही है कि हम वहां पर भवन का इंतजाम करेंगे। यह ठीक नहीं है। मुझे अफसोस है कि राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य को भी यह पता नहीं है इसलिये मैंने कहा था कि आप महिला महाविद्यालय की बात कर रहे हैं क्या ?

श्री संयम लोढ़ा : इसमें अध्यक्ष महोदय, सिर्फ महिला शब्द मिस हुआ है। महिला शब्द आना चाहिए था क्योंकि सिरोही में भी महिला महाविद्यालय की बिल्डिंग नहीं है, ब्वायज की बनी हुई है। सिर्फ महिला शब्द मिस हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : ऊपर चूंकि महिला आ गया था इसलिंये शायद दुबारा लिखना आवश्यक नहीं समझा गया। उचित नहीं समझा। ऊपर तो महिला आ गया ना।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पूर्व के वर्षों में। आज का वर्ष नहीं है। पूर्व के वर्षों में लिखा हुआ है...

श्री अध्यक्ष : चलिये, आगे बोलिये।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो बात कहें वह सरकार की जिम्मदारी बनती है। पूर्व के वर्षों में है, यह तो अब खोलने की बात हुई है। पूर्व के वर्षों में जो कालेज है वह राजसमंद, करौली व सिरोही, चौमूं, यह कालेज पहले खुले हुए हैं उनकी बिल्डिंग का भवन है....

श्री अध्यक्ष : आपके प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, आप बैठिये।

श्री बंशीलाल खटीक : उनमें त्रुटि नहीं है, महिला जुडा हुआ है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं अब आपके। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, क्या कहना चाहते हैं। आपको ही टोकते रहते हैं वह। आपके कण्ट्रोल में नहीं हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरे सपोर्ट में ही बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में तकनीकी शिक्षा के लिये पांच-पांच करोड रुपये मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिये रखे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो कोटा, अजमेर, बीकानेर

में विश्वविद्यालय खोले गये थे वह इनसे पुराने विश्वविद्यालय हैं उसके लिये आपने क्या प्रावधान किया। आप जो यूनिवर्सिटी अभी अस्तित्व में नहीं है उसके लिये तो आप पांच-पांच करोड रख रहे हो और जिनको खोले हुए आज कुछ वर्ष हो गये उनके लिये कोई ब्लाक ग्रांट नहीं। उनके लिए आपने कोई राशि निश्चित नहीं की तो यह अपने आपमें एक भेदभाव का मामला है। इस बजट को भी यदि आप देखें तो यह बजट, कोई बजट होता है शिक्षा को समर्पित। कोई बजट होता है रोजगार को समर्पित। कोई चिकित्सा को समर्पित होता है। यह किसी के लिए समर्पित नहीं है। आकडों को समर्पित है। आंकड़े भी ऐसे हैं कि साधारणतः

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब व्यवधान के कारण, नहीं तो मैं तो प्रायः प्रायः समय पर ही बोल लेता...

श्री अध्यक्ष : नहीं, बोलें, मैं आपको, मैंने कहा....(व्यवधान)

श्री एन.एस. गुर्जर : जनता को समर्पित है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जनता तो आपको जवाब दे देगी अभी साढे तीन साल बाद। (व्यवधान) पंचायत में .9 परसेंट वोट बी.जे.पी. से कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं। यह जवाब दिया है आपको। 14 महीने हुए, आपकी जनता ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो वह बात छोड़ो, बजट पर आओ। आप तो पंचायत चुनाव की बात छोड़ो....

श्री एन.एस. गुर्जर : पहले तो बहुत ज्यादा लेते थे।

श्री कालीचरण सर्राफ : लोक सभा में 25 में से 21 सीटें, नगर निगम में 45 में से 35 सीटें और 124 प्रधान व 16 जिला प्रमुख बने। हम तो सीधी सीधी बुद्धि जानते हैं। अब इसको भी यदि आप अपनी लोकप्रियता का मापदंड

(श्री कालीचरण सर्राफ)

समझते हैं तो मुझे आपके प्रति सहानुभूति है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसे है पंचायत चुनाव में जो बी.जे.पी. को मतदान का प्रतिशत मिला है और कांग्रेस को मिला है उसमें .9 परसेंट वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं....

श्री अध्यक्ष : आप तो अपने बजट पर आएं, क्यों चुनाव पर बोल रहे हैं आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, चूंकि इन्होंने प्रश्न किया था इसलिये मैं, नहीं तो मैं बहुत तथ्यों के आधार पर बोल रहा था....

श्री अध्यक्ष : आप चुनाव के झगडों में मत पडों, आप तो अपनी बात कहो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कुल मिलाकर यह बजट है, इस बजट के बाद जब भी यह बजट सत्र समाप्त हो जायेगा, राज्य की जनता के ऊपर भारी करारोपण होगा। किसानों के ऊपर होगा। आम उपभोक्ताओं पर होगा और यह रेवेन्यू रिसीप्ट तीन हजार करोड़ रुपये की बता रहे हैं इसमें मेरे अनुमान से पन्द्रह सौ करोड़ रुपये तो करीब-करीब इनको सेण्ट्रल ग्रांट से मिलने की उम्मीद है लेकिन बाकी यह जो भार है यह राज्य की जनता के ऊपर पड़ेगा और राज्य की जनता सड़कों के ऊपर आकर इनका विरोध करेगी। जेलें भरेगी और कभी भी राजस्थान में, आप तो स्वयं भी इस बात की साक्षी हैं। आपने स्वयं आन्दोलन किया था जब बिजली के ऊपर कुछ नये पैसे बढ़ गये थे तो आप दो दिन तक झुंझुनूं में स्वयं आन्दोलन करती रहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं यह काम अब हमको लोकतन्त्र में मिला है, हम करेंगे। 50 से 70 पैसे बिजली की दर बढ़ने नहीं देंगे और राज्य की जनता के ऊपर बजट के बाहर चोर दरवाजे से हम कोई टैक्स नहीं लगाने देंगे। यह मैं घोषणा करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस बजट ने राज्य में कोई भी नया काम नहीं किया है। आप न तो बिजली के उत्पादन में वृद्धि कर सके। आज

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

तक एक यूनिट बिजली पैदा नहीं की। सिंचाई के साधनों का कोई विकास नहीं किया और राजस्थान के विकास की दर को घटाने वाला है। अन्त में मैं आपके माध्यम से यह नागार्जुन, बाबा नागार्जुन बहुत अच्छे कवि हुए हैं उनकी कुछ लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं- 'लोकतन्त्र के मुंह पर ताला, इस सरकार में किसी मंत्री से अगर कोई मिलना चाहे एम.एल.ए. तो साधारणतः मिल नहीं सकता। मुख्य मंत्रीजी से भी नहीं मिल सकते।

"लोकतन्त्र के मुंह पर ताला, द्वारों पर मकड़ी का जाला
बैठ गया है अफसर आला और शहरों से पड़ना था पाला
कहीं दाल है पानी पानी, कहीं दाल में काला काला
लोकतन्त्र के मुंह पर ताला, कहीं दलाली कहीं घोटाला
मनके बिखरे टूटी माला, जपते थे जनतन्त्र की माला
नानाजी ने संकट पाला, सुल्लू तक वरदान पा गये
तकरीरों का खुला पनाला, कहीं दलाली, कहीं घोटाला"

इन 14 महीनों में बहुत घोटाले हुए हैं और समय पर हम आपको बतायेंगे दो तीन बातें....

श्री मदन दिलावर : जमा नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह जो गंगानगर शुगर मिल का घोटाला हुआ है, निश्चित रूप से राज्य की जनता कभी भी इस सरकार को माफ नहीं करेगी। इस एक्साइज पालिसी में भी बड़े घोटाले हुए हैं। इसकी जांच मैं चाहता हूं कि आप एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज से कराएं तो पता लगेगा कि यह सारी की सारी एक्साइज पालिसी गड़बड़ घोटालों की पालिसी है और यह पालिसी राजस्थान की जनता पर अपराध बढ़ायेगी, राजस्थान में कानून और व्यवस्था को बिगाडेगी। इसलिये इन सभी बातों के साथ मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री एन.एस. गुर्जर : आपकी इजाजत हो तो कल्लाजी से....(व्यवधान) एक मिनिट....

श्री सांगसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में अकाल के बारे में जो बात कही, मैं खुलासा करना चाहता हूं। कारण अकाल राहत में अकाल राहत के कार्य....

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नयी परम्परा डाल रहे हैं कि हर माननीय सदस्य जवाब देगा। इस पर मुख्य मंत्रीजी को जवाब देना चाहिये.....

श्री सांगसिंह भाटी : अकाल राहत कार्यों में हमने कार्य बंद कराए, इसका कारण बताना चाहता हूं मैं किस कारण से बंद कराए। क्या अकाल राहत कार्य अपने निजी खेतों में हो। जिला प्रमुख कांग्रेस का उसने कार्य स्वीकृत कराए अपने हर गांव में ढाणी में। इस प्रकार की कोई रेवेन्यू मिले, कार्य बंद नहीं कराए। सी.ओ. को दबा कर कांग्रेस के प्रमुख ने कार्य स्वीकृत कराये थे हर गांव, हर खेत के अन्दर। निजी खेतों में कार्य स्वीकृत कराए थे, वह कार्य हमने बंद कराये थे।

श्री जुबेर खान : आज हर माननीय सदस्य जवाब देगा, हर आदमी जवाब देगा....

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी।

श्री जुबेर खान : यह नयी परम्परा मत डालिये सदन में। प्रतिपक्ष के नेता बोलें और कोई माननीय सदस्य जवाब दे। इस तरह तो मुख्य मंत्रीजी को बोलना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परम्परा को मत डलने दीजिये।

श्री महीपाल सिंह यादव : सरकार की हालत, इस सरकार में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण करें। बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। इस सदन की यह परम्परा रही है,

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण, सदन की परम्परा रही है कि प्रतिपक्ष के नेता के बाद में सदन के नेता मुख्य मंत्री ही बोलते हैं इसलिये बीच में किसी को खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राज्य का वर्ष 2005-2006 का बजट 24 मार्च, 2005 को हमने इस सर्वोच्च सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह बजट हमारी सरकार का एक दूसरा प्रयास है। हमने राजस्थान के सर्वांगीण विकास और आम जनता की सुख-सुविधा पर ध्यान देने की कोशिश की है और उसके साथ-साथ राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने की अपनी कटिबद्धता हमने यहां दोहरायी है।

अध्यक्ष महोदय, बजट एक दर्पण है जिसके अन्दर राज्य की आम जनता सरकार की नीति और कार्य योजना पूरी तरह से राज्य के संकल्प का एक तरह से अक्स दिखता है। हम वर्ष भर में जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके माध्यम से राजस्थान के विकास में जिन आयामों को हम छूना चाहते हैं उसका एक विस्तृत वर्णन हम अपने बजट से सबके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इसी भावना से हमने वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के बजट जो प्रस्तुत किये उनकी प्राथमिकताएं तय की, जिसके आधार पर हमारे प्रदेश में खुशहाली और विकास के लिए कुछ लक्ष्य आधारित हमने कार्यक्रम बनाये जिसके ऊपर हमने अपनी सरकार चलायी। हमारा यह प्रयास रहा कि प्रदेश में जो भी वर्ग हैं उनको राहत मिले पर साथ ही साथ उनको वर्षों से चली आ रही उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान भी पूरी तरह से हो। हमने अपने दोनों बजट के अन्दर कर भार में राहत दी, दूसरी ओर कर संग्रहण के ऊपर भी हमने पूरा ध्यान दिया है। राजस्व में वृद्धि करने की हमने पूरी-पूरी कोशिश की और उसमें हम सफल भी हुए।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के बजट में पिछले वर्ष जो हमने शुरू की थी, हमारी जो विकास यात्रा उसको पूरी तरह से हमने जारी रखा है। अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो अथवा इस विकासशील प्रदेश के जो ग्रामीण अंचल हैं, बहुत कठोर परिश्रम करने वाली हमारी महिलाएं हों या कृषि प्रधान प्रदेश में जो गरीब या लघु सीमांत कृषक हों या जो नौजवान रोजगार के अवसर खोल

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रहे हैं इन सभी वर्गों के लिए हमने रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की और उसी के अनुरूप अपने लक्ष्य को हमने निर्धारित किया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रारंभ से ही यह मान्यता रही है कि राज्य में एक लक्ष्य आधारित प्रोग्राम और उसी के ऊपर एक योजनाबद्ध विकास के कार्यक्रम की हम कोशिश करें। इसी क्रम में हमने सौ दिवसीय कार्यक्रम जिसके बारे में किन्हीं-किन्हीं लोगों ने उल्लेख किया और 365 दिवसीय कार्यक्रम इनकी योजनाएं हम लोगों ने बनायी और हम मानते हैं कि उनका सफल क्रियान्वयन भी किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहूंगी कि लक्ष्य आधारित विकास की अवधारणा इस प्रदेश के अन्दर भी हम लोग बढ़ाने की सोचते हैं और इसी क्रम में इस वर्ष 2005-2006 की कार्य योजना को मैं बहुत ही जल्दी प्रदेश की जनता को समर्पित करूंगी। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने जाना है कि गत वर्ष के दौरान बहुत सारे चुनाव हुए हैं। लोकसभा के चुनाव हुए, विधान सभा के उप चुनाव हुए, स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न हुए। एक के बाद एक चुनाव के कारण राज्य में 365 दिन के अन्दर 156 दिन निरन्तर पांच महीने आचार संहिता की छाया में हम लोगों ने काम किया। इस दौरान कोई भी नयी स्वीकृति और कार्यादेश जारी करना संभव नहीं हो सका और अधिकांश हमारे जो विकास के कार्य हैं उन पर एक अंकुश सा लगा रहा। इसके बावजूद भी वर्ष 2004-2005 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप जो योजना आयोग ने दिया वह दिसम्बर, 2004 में अन्दर दिया और केन्द्र सरकार का जो बजट हुआ वह माह जुलाई के अंत में आखिरी सप्ताह के अन्दर पारित हुआ और विभिन्न योजनाओं में जो केन्द्र द्वारा राहत हम लोगों को दी जाती है उसकी भी प्राप्तियां बहुत देरी से हुई हैं। सब लोगों को मालूम है इन सब बाधाओं के बाद भी 2004-2005 की जो हमारी वार्षिक योजना है उसके मूल अनुमोदित आकार की जो तुलना है उसमें वास्तविक व्यय 90 प्रतिशत के ऊपर होने का अनुमान है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अध्यक्ष महोदय, यह जो आंकड़ों का जाल माननीय सदस्य नाथद्वार से आने वाले और हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने हमारे सामने बिछाया है, पर वास्तविकता तो यह है कि यह वर्ष 2002-2003 के वास्तविक व्यय 443 करोड़ रुपये से लगभग 75 प्रतिशत अधिक होगा और वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों में वार्षिक योजना पर 8697 करोड़ रुपया व्यय किया जाना प्रस्तावित है। यह छोटा नहीं है और मात्र 15 महीनों के अन्दर बहुत ही छोटा समय है। इस समय के अन्दर योजना के आकार में 100 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है और यह अपने आप में ही एक कीर्तिमान है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दृढ़ता और विश्वास के साथ हम लोग विकास के पथ पर अग्रसर हुए हैं उसके अनुरूप हमारी जो दसवीं पंचवर्षीय योजना थी 31831 करोड़ रुपये व्यय करने का जो लक्ष्य हमने प्राप्त करने की कोशिश की वह हम पूरी तरह से प्राप्त कर सकेंगे और उसमें हमें सफलता मिलेगी। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि मेरा लक्ष्य सिर्फ आंकड़ों के अन्दर हम लोगों ने बांधकर नहीं रखा है, वार्षिक योजना को बढ़ाने का काम ही नहीं किया है, बल्कि कैपिटल आउटले को देखते हुए हमने एसेट क्रियेशंस के माध्यम से स्थायी विकास का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि 1999-2003 की अवधि में योजनागत विकास के लक्ष्य बहुत ही कम रखे गये थे और बाद में उन्हें और भी कम कर दिया गया। वर्ष 1999 से वर्ष 200_-2003 में औसत वार्षिक योजनागत व्यय लगभग 4000 करोड़ रुपये ही रहा इसकी तुलना में 2003-2004 और 2004-2005 का औसत वार्षिक योजना व्यय 6000 करोड़ रुपये से अधिक होगा। मैंने यह जो भावी योजनाएं हैं _ _ भी ताना-बाना बुना है। हमने व्यक्ति को केन्द्र बिन्दु माना है। यह कई माननीय सदस्यों ने बात रखी थी। ग्रामीणों, महिलाओं, किसानों और आधारभूत सुविधाओं से वंचित क्षेत्र को हमने विशेष महत्व दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मंजिल पाने के लिए

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जिस विकास रथ को हमने आगे बढ़ाया उसने अपनी शानदार गति से विकास यात्रा प्रारम्भ कर दी है और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। यह हमारी राजनीतिक सोच, दृढ़ इच्छाशक्ति और जन कल्याणकारी नीतियों का प्रभाव है कि राज्य की जनता ने लोक सभा चुनाव में, स्थानीय निकायों और पंचायत चुनाव में और विधान सभा चुनावों में निरंतर हम लोगों को विजय दिलायी और अपने समर्थन और आशीर्वाद से हमको गौरवान्वित किया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश की जनता से हमें प्यार, स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद भविष्य में भी मिलता ही रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां अन्य वरिष्ठ एवं अनुभवी नेताओं के साथ-साथ तीन पूर्व मुख्य मंत्री इस सर्वोच्च सदन के सम्मानीय सदस्य हैं। इस सदन की बहुत ही ऐतिहासिक परम्पराएं चाहे एक दूसरे का सम्मान, सलाह-मशविरा व अध्यक्ष के प्रति आदर की परिपाटी हमारे यहां रही है। इस सदन की परम्पराओं का देश के दूसरी विधान सभाओं में उदाहरण दिया जाता है। आलोचना और समालोचना, वाद-विवाद और सार्थक बहस हम पूरी तरह से इसके समर्थक हैं। परन्तु यदि सदन में बैठे प्रतिपक्ष के वरिष्ठ सदस्य सकारात्मक विचार-विमर्श करें तो राज्य किस कुशलता से वित्तीय प्रबन्धन करे और आगे बढ़ने में और भी कोई उपयोगी सुझाव दें तो मैं समझती हूं मुझे और ज्यादा प्रसन्नता होगी।

"पर तुम अगर चाहते हो सारी महफिल में उजाला हो जाये,
शमां की तरह ए परवानों कुछ तुम भी जलकर देखो,
मुमकिन है सफर हो जायेगा आसां, मगर इन राहों में लो कदम
बढ़ा दिये हैं हमने कुछ तुम भी तो चलकर देखो।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं चर्चा के दौरान उठाए गए मुख्य बिन्दुओं पर कुछ कहना चाहूंगी। फिस्कल मैटर्स पर नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य और प्रतिपक्ष के नेता ने कई बिन्दु उजागर किए हैं। वैसे तो टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने उनके इस आंकड़ों के मायाजाल

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

को अच्छी तरह से भेदा है, उस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं तीन-चार चीजों के ऊपर आपके सामने फोकस डालना चाहूंगी। इन्होंने यह कहा है कि प्रतिवर्ष ऋण भार में वृद्धि हो रही है। प्रतिवर्ष 1998-99 और 2003-04 में लिए गए ऋण और अन्य देनदारियों के अन्दर प्रतिव ् औसत है उसके अन्दर 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि व ् 2004-05 में यह वृद्धि घटकर 12.8 प्रतिशत रह गई है। मैं समझती हूं कि यह अपने आप में ही एक मिसाल है और यह बहुत बड़ी बात है। पूर्व के वर्षों में प्राप्त ऋणों का उपयोग मुख्य रूप से राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु किया जाता था, अब राजस्व घाटे में लगातार कमी की जा रही है और लिए गए ऋणों का अधिकाधिक उपयोग असेट क्रिएशन के अन्दर हम लोग लगा रहे हैं। मैं समझती हूं कि जो प्रश्न आपने हमसे पूछा, वह प्रश्न आप अपने इन सब लोगों से पूछते, अपने गिरेबान में झांककर देखते तो पिछले 5 व ों के अन्दर कितना असेट क्रिएशन हुआ और असेट क्रिएशन करना सरकार का काम है, उसकी जिम्मेदारी है कि कितनी असेट क्रिएशन हुई, उसमें ही आपको जवाब मिल जाएगा' अब असेट क्रिएशन करने के बावजूद भी हम कमी कर रहे हैं तो मैं समझती हूं कि यह बहुत बड़ी बात है और जहां वर्ष 2002-03 के अन्दर शुद्ध ऋणों का केवल 34 प्रतिशत परिसम्पत्तियों के निर्माण में, मैं इसको अण्डरलाइन कर रही हूं, उसी के अपोजिट में 2005-06 के बजट अनुमानों के अनुसार 65 प्रतिशत भाग हमने परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु उपयोग में लिया है जो बहुत अच्छी बात है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार फिक्सल रेस्पोंसिबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमेंट बिल के माध्यम से जो भी बढ़ने वाले ऋण हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी तरीके से आपने एक बात कही कि पहले कहा था कि राजस्व घाटे को कम करेंगे परन्तु राजस्व घाटा बन हुआ है। दो जनों ने अपने अलग-अलग भाषणों में कहा था। राजस्व घाटे में उल्लेखनीय कमी हुई हैं और वर्ष 2002-03 के अन्दर राजस्व प्राप्तियां 30 प्रतिशत थी और वर्ष 2003-04 के अन्दर हमने इसको कम करके 22 प्रतिशत किया है और मैं मानती हूं कि इसके परिणामस्वरूप हमको एक इन्सेंटिव के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तौर पर आपकी ही दिल्ली सरकार ने करीब 60 करोड़ रुपए हम लोगों को दिए हैं और इस बार हम इसको 15 प्रतिशत पर लाएंगे और हमारी पीठ को थपथपाने वाली गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने यह भी तय किया है कि फिक्सल रेस्पोंस फैसेलिटी के अन्तर्गत एक और 60 करोड़ रुपए की किश्त हम लोगों को प्रोत्साहन राशि के हिसाब से सरकार को देने का और इन्फैक्ट हम लोगों को वह प्राप्त हो चुकी है।

नोन डवलपमेंट एक्टिविटीज पर आप लोगों ने बड़ी चिन्ता जताई है और आपने यह कहा है कि लाभकारी योजना प्रारम्भ करने में सरकार पूरी तरह से असफल रही है। अब यह नोन डवलपमेंट एक्सपेंडीचर का प्रश्न व 2002-03 में पूर्व वर्ष की तुलना में 6.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि व 2004-05 के संशोधित अनुमानों में पूर्व वर्ष की तुलना में 2.97 प्रतिशत की वृद्धि और 2005-06 के बजट अनुमानों में 2.58 आप देखेंगे, इसका डिक्लाइनिंग ट्रेण्ड है। मैं तो यह समझती हूं कि कहीं आप लोगों ने लेफ्ट हैण्ड काम्पलीमेंट तो हम लोगों को नहीं दिया क्योंकि डिक्लाइनिंग ट्रेण्ड को आप लोगों ने ही उजागर किया हैं और शायद आप लोग इस मुद्दे को उठाकर हमारे कुशल वित्तीय प्रबन्धन की एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से सराहना कर रहे हैं।

ट्राइबल सब प्लान की चिन्ता हुई है और आपने यह कहा है कि महाराष्ट्र पैटर्न पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। करौली से आने वाले माननीय सदस्य और बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता की। मैं आपको कहना चाहती हूं कि जनजाति का विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपने इसकी गम्भीरता को शायद तकनीकि शब्दों के अन्दर घुमाकर कम करने की कोशिश की है। परन्तु आपके पास भी अवसर था 2000-04 के बजट में महाराष्ट्र पैटर्न के अन्दर सिर्फ 5 करोड़ रुपए का प्रोवीजन रखा। उस समय आप जो कह रहे थे 5 करोड़ 8 विभागों का पैसा भी उसमें जाता है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए रखें। मैं तो समझती हूं कि आप लोगों को हम लोगों की सराहना करनी चाहिए कि पिछले वर्ष हमने उसको 30 करोड़ रुपए किया और इस साल हम इसको 75

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करोड़ रुपए करने जा रहे हैं। इसी में बात उठी कि बच्चों को मिड-डे-मील व बात और बच्चियों को साइकिल देने की बात और खाली 17 हजार बच्चियों को साइकिल, तो मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी कोशिश है कि इस इलाके क अन्दर बच्चियों को किसी तरीके से स्कूलों में रखें क्योंकि जब बच्चियां पढ़कर जाएंगी तभी उस क्षेत्र का स्तर बढ़ेगा और इसीलिए हमने यह कोशिश की है, हां, हमारी छोटी सी कोशिश है, परन्तु यह कोशिश आप लोग भी तो कर सकते थे, हम लोगों ने यह कोशिश की है कि मिड-डे-मील हम स्कूलों तक पहुंचाएं ताकि बच्चियां रूके स्कूलों के अन्दर और पढ़ने की उनको प्रेरणा मिले, हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों की बच्चियां पढ़ेंगी और समाज के अन्दर वह अपना राइटफुल जगह है, उसको प्राप्त करेंगी। हमारा यह प्रयास है और मैं तो समझती हूं कि इस कोशिश को हम लोग जारी रखेंगे।

इसी तरीके से 80 से 90 के दशक में रेवेन्यू डेफिसिट के आधार पर बजट बनाया जाता था। आज के दिन हम कैपिटल आउट ले के आधार पर बजट बनाना चाहते हैं। ये बातें दोनों जनों ने हमारे सामने रखी। मैं फिर इस पर कहना चाहती हूं कि राजस्व घाटे में राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत क रूप मे सुधार करते हुए इसे 30 प्रतिशत से हम लोग 15 प्रतिशत पर लाए हैं जबकि कैपिटल आउट ले को 2570 करोड़ रुपए वर्ष 2003 से बढ़ाकर 5161 करोड़ रुपए वर्ष 2005-06 के अन्दर हमने किया है1 आप शायद यह मुद्दा उठाकर फिर हमारी सराहना कर रहे हैं तो यहीं क्यों नहीं आ जाते हो, वहां बैठकर सराहना करते हो। (व्यवधान)

हमारी कई माननीय सदस्यों ने केवल बिक्री कर के आधार पर राजस्व में बढोत्तरी कैसे सम्भव है, यह पूछा। बिक्री कर में वर्ष 2003-04 में 3985 करोड़ रुपए प्राप्त हुए जबकि वर्ष 2005-06 में 5425 करोड़ रुपए अनुमानित है। क्या डेढ़ साल में 1500 करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे, इन दोनों ने कहा है अपने अलग-अलग भाषणों में। मैं यह कहना चाहती हूं कि वर्ष 2004-05 में बिकी कर के पेटे 4700 करोड़ रुपए से भी अधिक की आय सम्भावित है जो कि पूर्व वर्ष से लगभग 18.4 प्रतिशत अधिक है और वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

में बिक्री कर से आय लगभग 5425 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है, यह वर्ष 2004-05 की आय से लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। मुझे यह पूरा विश्वास है कि लक्ष्य प्राप्त करने में हमें कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। सिर्फ बिक्री कर से ही नहीं आप राज्य की पूरी आल टैक्स रेवेन्यू को अगर देखें तो अगले वर्ष के लिए टारगेट हमने लगभग 9600 करोड़ रुपए करे हैं जो इस वर्ष से 15 प्रतिशत करीबन अधिक है। यह अप्रोक्सीमेटली 2003-04 के अन्दर अप्रोक्सीमेटली 7250 था जो बढ़कर 2004-05 में 8300 प्लस हुआ और जिसका अनुमान हम लगाते हैं। वर्ष 2005-06 के अन्दर 9600 होनी चाहिए।

फिर आपने वैट पद्धति को राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा देना चाहिए, की बात रखी। हम आप सबको क्लीयर करना चाहते हैं कि हम वैट विरोधी नहीं हैं, लेकिन केन्द्र ने जिस तरीके से वैट प्रणाली की संरचना की है वह इस प्रणाली की मूल अवधारणा से बिलकुल ही अलग है। जिस वैट को हम जानते हैं और जिस वैट को लागू किया जा रहा है, वह दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इस विकृत रूप में इसको लागू करने से हमारे व्यापारी, हमारे उद्यमी और हमारे उपभोक्ताओं के हितों पर पूरा कुठाराघात होगा। हमारा राज्य एक कन्ज्यूमिंग स्टेट है, एक उपभोक्ता राज्य है। जब तक केन्द्र सरकार इसमें सी एस टी को हटाएगी नहीं, जब तक हमको क्लीयर रोड मैप नहीं देगीं, इसके पेटे हमको सैट आफ नहीं देगी, कम्पनसेशन का अमाउण्ट नहीं देंगी, हमें वैट के माडल पर विचार करने में कठिनाई होगी। खारची से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य ने कहा कि बजट बनाते समय समाज के अन्तिम आदमी को ध्यान में क्यों नहीं रखा ? हम यह कहना चाहते हैं कि हमारा पूरा बजट उस आम आदमी को ही हमने समर्पित किया है। बजट भाषण में मुख्य रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। अनुसूचित जाति और जनजाति महिला, विधवा महिला, नि:शक्त बच्चे इन लोगों के लिए हमने विशेष प्रावधान भी रखे हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और सहरिया क्षेत्र के अन्दर कक्षा 9 से 12 तक जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको साइकिल का वितरण ट्राइबल क्षेत्र के अन्दर भी हमने किया है

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को स्कूल, कालेज जाने के लिए नि:शुल्क यात्राओं के लिए सुविधा दी गई हैं। विधवाओं और विकलांगों को पेंशन के अलावा 10 किलो गेहूं और वितरण इत्यादि की हमने पूरी व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त जो भेड़ पालकों के बच्चे हैं और जो भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा का आवासीय विद्यालय खोलने की हमने घोषणा की है। इससे यह स्पष्ट मालूम हो जाता है, यह बजट किसको समर्पित है।

इसी तरह से आपने कहा है कि गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर अकाल घोषित करने की बजाय वर्षा की कमी के आधार पर अकाल घोषित किया जाना चाहिए। अकाल की घोषणा करते समय क्षेत्र में कब-कब बारिश हुई और कितनी मात्रा में हुई इसका ध्यान जरूर रखा जाता है, लेकिन अकाल का सही आंकलन फसलों से होने वाले खराबे के आधार पर करना उचित होता है और जो गिरदावरी से ही पता चल सकता है।

ओलावृष्टि के मुआवजे के लिए आपने कहा है कि भूस्वामी के अलावा जो बंटाई के लोग हैं उनको भी दिया जाना चाहिए। अब यह तो थोड़ा मुश्किल काम हैं क्योंकि गिरदावरी करते समय बंटाइदार या काश्त करने वाले का नाम गिरदावरी में रखा नहीं जाता है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह पता लगाया जाना संभव नहीं है कि वह है कौन। इसके अतिरिक्त बंटाई पर काश्त की व्यवस्था अलग-अलग क्षेत्र के अन्दर अलग-अलग हिसाब से होती है और इसलिए उसको मुआवजा देना मैं नहीं समझती कि संभव है।

अध्यापकों की भर्ती के बारे में खारची से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे सदस्यों ने कहा कि एस.सी., एस.टी. व विधवाओं के बैकलांग का ध्यान नहीं रखा गया है। यह बहुत इम्पोटेट प्रश्न है इसलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर आप सबका ध्यान मैं आकर्षित करूं। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 33936 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के बैकलांग को भरने का हम लोग पूरा-पूरा प्रयास कर रहे हैं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

और विज्ञापित पदों की संख्या 33936 जिसमें अनुसूचित जाति का बैकलाग है 867, अनुसूचित जनजाति का 5391, कुल 6 हजार कुछ होता है। शेष पद जो बचते हैं वे 27600 कुछ हैं और उनमें ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. तथा सामान्य श्रेणी से भरे जाएंगे। तो उसमें पूरा ध्यान हम लोगों ने रखा हुआ है और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जो 3700 पद हैं उनको विधवाओं तथा परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। यह कुल 38 हजार रिक्तियों का 10 प्रतिशत है। स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों का चयन होगा और उसकी प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि माइनिंग जमीनों का भी वर्गीकरण होना चाहिए और राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाए ताकि खनिज उद्योग पनप सके। मैं कहना चाहूंगी समस्त जिला कलक्टर्स से सम्पर्क स्थापित करके राजस्व रिकार्ड में खनिज भूमि का वर्गीकरण कराया गया है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। वर्गीकरण के अन्तर्गत जो भी भूमि के नीचे खनिज पदार्थ आता है उसका वर्गीकरण राजस्व रिकार्ड में लाल स्याही से किया जाता है। यह भी प्रयास है कि ऐसी भूमि जिसके नीचे अच्छी खासी खनिज सम्पदा उपलब्ध है उसे अन्य प्रयोजनार्थ और आबादी विस्तार के लिए नहीं दिया जाए और ऐसी भूमि का जल्दी से जल्दी खनिज दोहन के लिए उपयोग हो जिससे कि खनिज उद्योग पनप सके।

एक माननीय सदस्य : यह बात गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने नहीं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : उसके साथ गंगापुर सिटी को भी हम जोड़ देंगे। गत बजट में व्यवसाइयों को गोल्ड कार्ड देने की घोषणा के लिए भी गंगापुर के माननीय सदस्य ने कहा था यह कथन बिलकुल ही सही नहीं है और अब तक 504 व्यवसाइयों को गोल्ड कार्ड दे दिये हैं और इसकी सूची विभाग की वेबसाइट पर आप आराम से देख सकते हो, यह काम चालू है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कई माननीय सदस्यों ने राज्य की जनता अकाल से ग्रस्त है इसके ऊपर बहुत चिन्ता व्यक्त की है। मैंने अकाल की समस्या के ऊपर काफी कुछ उल्लेख किया है और राज्य की जनता अकाल की चपेट में है उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि शासन द्वारा राहत पहुंचाने में किसी प्रकार की हम कमी होने नहीं देंगे। आगामी वित्त वर्ष में आपदा प्रबन्धन के लिए हमने 415 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और इसके अतिरिक्त राजस्थान राहत कोष अलग से स्थापित करने का हमने निर्णय लिया है। ऐसी आपदाओं से यह कोष निपटेगा जो सी.आर.एफ. के नोर्म्स में नहीं आते। तो उनका भी इंतजाम हम लोगों ने कर दिया है।

इसी तरीके से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्षतिग्रस्त होने पर सवा साल पहले जो मुआवजे की घोषणा की थी उसका भुगतान नहीं हुआ है। अब इतनी भी ज्यादती मत करो आप। 1-12-2003 को जो नहर टूटी और उसके बाद जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद ग्राम घेघड़ा से जो बाढ़ प्रभावित व्यक्ति थे उनको उनके मकानों की क्षतिपूर्ति के लिए हमने 9.80 लाख रुपये की तत्काल सहायता दे दी। 120 परिवारों को नये स्थान पर निःशुल्क भूमि के पट्टे जारी करा दिये1 139 प्रभावित परिवारों को आवास निर्माण हेतु ऋण भी दे दिये और अनुदान योजना के अन्तर्गत 12 लाख रुपये अनुदान उनको स्वीकृत किया। शेष राशि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा दीर्घावधि ऋण के रूप में उनको उपलब्ध करायी गयी।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्दर मोघों को छोटा-बड़ा करने की राजनीति की जा रही है। यह लम्बे अर्से से है। बहुत पुराने समय से गंग नहर, भाखड़ा प्रणाली और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो बुर्जी 1254 के अन्तिम छोर तक जो काश्तकार बसे हुए हैं उनको क्षमता से कम पानी मिलता रहता था और उसकी भरपूर शिकायतें हम लोगों के पास आती रही। सितम्बर, 2004 में यह निर्णय लिया गया कि क्षमता से अधिक डिस्चार्ज लेने वाले मोघों को चरणबद्ध तरीके से निष्पक्षता बरतते हुए उनको ठीक किया जाएगा और इसके प्रथम चरण में हमने साइज और लेवल ठीक करने का निर्णय लिया

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है जो क्षमता से 50 प्रतिशत पानी अधिक ले रहे हैं और इस अभियान को हमने 28-3-2005 से प्रारम्भ किया और दिनांक 31-3-2005 तक हमने 411 मोघे दुरूस्ती हेतु हाथ में ले लिये। 345 मोघे दुरुस्त किये, शेष पर हमारा कार्य चालू है, 52 मोघो पर स्टेट है जिसे निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है और गंग नहर, भाखड़ा प्रणाली में पक्की लाइनिंग का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके साथ मोघों की दुरूस्ती का काम भी चालू है और गंग प्रणाली में 46 मोघे और भाखड़ा प्रणाली में 94 मोघे पक्की लाइनिंग के साथ ठीक किये गये हैं। यह अभियान बिना किसी भेदभाव के पूर्ण पारदर्शिता के साथ हम लोग जन प्रतिनिधियों और काश्तकारों के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कर रहे हैं और यह पहली दफा बहुत सालों से किया जा रहा है, लोग इससे बहुत खुश हैं।

ग्रामीण क्षेत्र और किसान के लिए प्रावधान पर्याप्त नहीं है, तो मैं यह कहना चाहूंगी हमारी गुरु गोलवलकर योजना है उसमें पिछली साल दो करोड़ रुपया दिया था इसको बढ़ाकर हमने 28 करोड़ रुपया कर दिया है और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए हमने 764 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जो गत वर्ष से 145 करोड़ रुपये अधिक है। डांग और मगरा क्षेत्रों के लिए भी हमने अलग-अलग योजनाएं लागू कर दी हैं और जिले के स्वविवेक योजना हेतु 9.60 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है।

कृषि और उद्यान विभागों की योजनाओं के अन्दर 67 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 136 करोड़ रुपया किया है। इसके अतिरिक्त जल के कुशलतम उपयोग के लिए अमूल्य नीर योजना को प्रारम्भ किया है। उसके अतिरिक्त प्रमाणित बीज का वितरण उसका लक्ष्य बढ़ाने के साथ-साथ बीज परीक्षण, मृदा परीक्षण की प्रयोगशालाएं खोली जा रही हैं और जैविक कृषि को हमने पूरी तरह से प्रोत्साहित किया है। बहुत सारे काम हो रहे हैं और मैं समझती हूं क्षेत्र की जनता उसको समझ रही है। जहां-जहां भी काम चालू हो गये हैं लोग उसके साथ जुड़े हैं।

इंट्रेस्ट सब्सिडी और केपिटल सब्सिडी की राशि को बढ़ाया जाए, यह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है। मैंने वर्तमान में राज्य की निवेश नीति में 5 प्रतिशत इंट्रेस्ट सब्सिडी का प्रावधान अभी किया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा उद्योग लगाने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देय है। और प्रोगाम की ब्याज दरों को देखते हुए इतनी सब्सिडी हम समझते हैं वह पर्याप्त है। एक इंटरेस्टिंग पाइंट उठाया गया था जो माइनिंग एरियाज के लिए है, पत्थर घिसाई के मलबे को नदी नालों में न डाल कर इसके उचित निस्तारण की व्यवस्था की जाए। मैं समझती हूं कि बहुत उचित पाइंट था और इस बजट के अन्दर हम लोगों ने स्टोन स्लरी, स्लज और फ्लाई एश इसको, कर मुक्त कर दिया है और साथ में हमने यह भी तय कर लिया है कि जिन उत्पादों के अन्दर कम से कम 50 प्रतिशत इन चीजों को, इनका उपयोग किया गया है उनको भी कर से मुक्त कर दिया जाए और इससे पत्थर घिसाई और जो मलबा है, उसके उचित निस्तारण में इसके अन्दर सहायता मिलेगी। और इसी तरीके से किशनगढ़ के अन्दर एक मार्बल स्लरी के डम्प के लिए हमने अलग से इंतजाम कराया है और इसी तरीके से हम राजसमंद क्षेत्र के अन्दर भी करना चाहते हैं। जहां तक बन्द खनन पट्टों के कारण उत्पन्न रोजगार सृजन की बात की थी, यह हम कहना चाहेंगे कि 2004-05 के अन्दर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अश्विनी चौबीसा बनाम भारत सरकार व अन्य में दिये गये निर्णय के कारण जिन खनन पट्टों के पास वायु और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत सहमति नहीं थी और जिनके पास एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं था उनको कुछ समय के लिए बन्द कर दिया गया था। पर हम लोगों ने इन सब के लिए बहुत पहल की और बहुत जल्दी ही यह सहमति प्रस्तुत भी की और इन अधिकतर खनन पट्टों में कार्य वापस प्रारम्भ करा दिया गया है इसलिए लम्बे समय तक कोई रोजगार की हानि नहीं हुई है। यह मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं। फिर यह कहा गया कि पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों की चौड़ाई कम तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि यह तो भारतीय रोड कांग्रेस के मापदंड के अनुसार बनाये जा रहे हैं और पूरे देश में उसका एक ही मापदंड है और उसके अनुसार ही सड़क निर्मित हो रही है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

यहां बीकानेर विश्वविद्यालय की बात उठी। उसके लिए आपने कहा कि करोड़ रुपये देने की घोषणा क्रियान्वित नहीं हो पाई है। मैं कहना चाहती हूं कि 2004-05 में इस विश्वविद्यालय को एक करोड़ 50 लाख रुपये गारंटी के रूप में हम लोगों ने दिया था और इस वर्ष 2005-06 के अन्दर बीकानेर विश्वविद्यालय को हम लोगों ने दो करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान कर दिया है।

इसी तरीके से अकाल और ओलावृष्टि प्रभावित राज्य में राहत नहीं, यह बात उठी तो इसमें मैं कहना चाहती हूं कि राज्य में माह फरवरी और मार्च में 21 जिलो के अन्दर व्यापक ओलावृष्टि से 2231 गांव प्रभावित हुए। इनमें से 1329 गांवों में रबी की फसल के 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ जिससे राज्य में लगभग दो लाख 15 हजार हैक्टयर भूमि पर फसल का खराबा हुआ। हम लोगों ने मीटिंग की और उसमें यह निर्णय लिया कि जिन गांवों के अन्दर 50 प्रतिशत से अधिक खराबा है उन गांवों के अन्दर जल्दी से जल्दी राहत कार्य खोल दिए जाएं और जिला कलक्टर्स को गिरदावरी रिपोर्टस मंगवाकर उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया।

इसी तरीके से जो लघु किसान और सीमांत किसान थे, उनके जिनके निजी कुए थे, उनके लिए हमने कह दिया कि 2 महीने के लिए सरकार वह बिल पेमेंट कर देगी, उनके बिल माफ हो जाएंगे और हमने अपना एस्टीमेट बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना ज्ञापन भिजवा दिया है। ज्ञापन में 210 करोड़ और कुछ 40 हजार से थोड़ी सी ज्यादा मीट्रिक टन हमने गेहूं मांगा है और केन्द्र सरकार से हमने यह भी मांग की है कि इस नुकसान को देखते हुए सी.आर.एफ. के जो नार्म्स हैं उसमें हम लोगों को छूट दे दी जाए। इसी तरीके से जो गंगानगर जिले की तरफ जो ओलावृष्टि के अन्दर खेतों में पानी और फसल के मलबे की वजह से जो बदबू पैदा हो गई थी, उसके लिए महामारी न फैले उसको हटाने की बात हम लोगों ने की है। हमने यह भी निर्णय कर लिया उसकी सफाई के लिए अकाल राहत कार्यों के तहत मजदूरों की भी स्वीकृति प्रदान कर दी जाए ताकि उन खेतों में सफाई आसान हो जाए। इसी तरीके से

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राज्य सरकार ने 24-3-2005 को 16 जिलों के 988 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है और किसानों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक जो खराबा हुआ है उस परिवार के एक एक व्यक्ति को राहत कार्य के अन्दर लगाने की हमने बात कर दी है और अप्रैल, 2005 में यह कार्य नियोजित हम लोगों ने कर दिया है। ओलावृष्टि के कारण इतने व्यापक स्तर के ऊपर मैं समझती हूं कि पहली दफा इतना बड़ा काम हो रहा है, छुटपुट पहले काम हुए होंगे पर इतने व्यापक स्तर पर कभी नहीं हुआ है और मैं समझती हूं कि यह सरकार पूरी तरह से इससे संवेदनशील है।

साथ में यह कहा गया कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ राजस्थान दिवस को भी किसी तरीके से जोड़ दिया गया है। मैं समझती हूं कि यह बिलकुल सही नहीं है क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में यह मनाया गया है उस परिप्रेक्ष्य में अपने को देखने की जरूरत है। देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पिछले कई वर्षों में कुछ काम नहीं हुआ है और मैं समझती हूं कि अगर उनको लुभाने की जरूरत है तो वह आएंगे राजस्थान के अन्दर, अगर वहां कोई स्पेशल प्रोग्राम उनके लिए बनाये गये होंगे। इसी तरीके से अगर दिवाली, दशहरे के प्रोग्राम हों, अगर राजस्थान दिवस के ऐसे प्रोग्राम हों, अगर हमारे हेरिटेज मोनूमेंट्स लिविंग मोनूमेंट्स बन जाएं तो दूर दूर से लोग आएंगे और इनमें से जो आय आएगी आपको उससे मैं समझती हूं कि हमारी सरकार को बहुत कुछ लाभ हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने चलाकर इसके ऊपर ध्यान दिया है।

गुजरात सरकार की सुजलाम् सुफलाम् एनीकट योजना, यह गुरु गोलवलकर योजना के अन्दर जन भागीदारी विकास के अन्दर एक इसमें हमने 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत जन सहयोग राशि उसके साथ जोडने की बात कही है और जैसा मैंने अभी आपको बताया 28 करोड़ रुपये उसके लिए अलग से रखे हैं और इस साल बहुत अच्छा काम उसके अन्दर होगा क्योंकि दो करोड़ के बाद लाइन लग गई थी और बहुत सारे लोग उस कार्य में जुड़ना चाहते थे। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की कि देवास योजना के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

द्वितीय चरण की धनराशि उपलब्ध कराई गई है उसका कार्य अब करवाया जाए। मैं इसमें आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूं कि देवास द्वितीय योजना की क्रियान्विंति करने का हम लोगों ने सैद्धांतिक निर्णय ले लिया है, योजना की अनुमानित लागत 149 करोड़ रुपये है और यह योजना तीन वर्ष की अवधि के अन्दर पूरी हो सकेगी। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि इस परियोजना हेतु पूरी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ी चिंता जताई कि सरसों की खरीद के अन्दर बहुत धांधली हुई है पर उस क्षेत्र के लोगों की, यह बात थी, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस वर्ष हमने कुल 258 क्रय केन्द्र स्थापित किए हैं, यह मैं समझती हूं कि बूंदी से आए हुए माननीय सदस्य और बूंदी जिले के माननीय सदस्य सब लोग इसके अन्दर इंटरेस्टेड होंगे जबकि गत वर्ष के अन्दर सिर्फ 132 केन्द्र खोले गये थे, 34 और केन्द्र खोलने का भारत सरकार को हमने निवेदन किया है। इस वर्ष दो फरवरी से हमने सरसों की खरीद को प्रारम्भ कर दिया था जब कि पिछले वर्ष में यह मार्च और अप्रैल के अन्दर गतिविधि शुरू होती थी। दिनांक 21-2-2005 तक दो लाख 70 हजार टन सरसों की खरीद की जा चुकी है। यह अपने आप में एक रिकार्ड है। अब केन्द्रों पर निगरानी हेतु जिले के लोग और खण्ड के अधिकारियों को हमने लगाया है, ए.सी.बी. के द्वारा हमने विभिन्न स्थानों के ऊपर जांच प्रारम्भ कर दी है, रेड किए हैं और इस जांच में या अन्यथा कोई भी दोषी अगर पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हम लोग करेंगे और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते है कि कोई भी इसमें छूटेगा नहीं।

पेयजल की बात, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने की। मैं पूरी तरह से उनकी भावनाओं से अपनी भावना को जोड़ना चाहती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि राजसमंद के अन्दर पानी की कितनी मुसीबत है। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि हम लोग पूरी तरह से इसके साथ संवेदनशील हैं और इस बार आगूमेंटेशन की योजनाएं जो हैं एक निरन्तर प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत की गई हैं। जिससे समय पर हम लोग इस कार्य को प्रारम्भ कर सकेगें। जल प्रबंधन की दृष्टि आपका क्षेत्र बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और मैं आपको बताना

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चाहती हूं कि खाली यह एक शहरी क्षेत्र राजसमंद के लिए नंदसमंद बांध से जो अतिरिक्त पानी लिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल शहरी क्षेत्र मे 268 और ग्रामीण क्षेत्र में 865 टैंकर लगाकर 727 हैबिटेशन में पानी परिवहन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इसमें कोशिश की थी, इस वर्ष भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और अभी भी हम लोग उस चीज को खोज रहे हैं ताकि पानी हम निकाल सकें राजसमंद की यह जो घोर समस्य है उसको हम किसी तरीके से मिटा सकें। राज्य में पानी की कमी नहीं रहेगी क्योंकि सभी क्षेत्रों के लिए हमने योजनाएं स्वीकृत करने की कोशिश की है और उनकी व्यवस्था भी कर दी हैं। अब तक 2155 हैबिटेशन 3290 टैंकर पानी का परिवहन हम कर रहे हैं। और आवश्यकतानुसार और भी टैंकर लगाने की अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके भी हम आदेश दिलवायेंगे। इसी तरीके से रेल परिवहन के द्वारा भी हम पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हैण्डपम्प सुधार अभियान चालू है और पर्याप्त सामग्री, वाहन और श्रमिकों की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है।

इसी तरीके से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी कि राज्य में पेयजल व्यवस्था का पुख्ता प्रबन्ध हम लोग करेंगे और न केवल मंत्री स्तर के ऊपर यह मानीटरिंग होगी परन्तु हम और हमारे आफिस की तरफ से भी यह पूरी तरह से निरन्तर समीक्षा करते रहेंगे ताकि किसी को प्यास से मुसीबत न आये। इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे।

बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बांसवाड़ा जिले में रोजगार के अभाव में लोग पलायन कर रहे है और कुआ गहरा कराने और 15 बीघा पर लगान माफी करने की उन्होंने मांग की है। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि इस वित्तीय वर्ष में 15065 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और अकाल राहत के तहत 18 हजार श्रमिकों की सीमा के विरुद्ध 10126 व्यक्ति नियोजित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य में 5735 व्यक्ति नियोजित हुए हैं और अधिकांश लोग फसल कटाई में लगे हुए हैं। इसलिए जितनी श्रमिक सीमा है उसका भी हम

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि रोजगार के जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और जो-जो आ रहे हैं उनको हम रोजगार दिलवा रहे हैं, रोजगार के अभाव में कोई भी व्यक्ति पलायन करने नहीं जा रहा हैं जहां तक कुए गहरे करने का सवाल है, इस वर्ष वहां बाढ़ आई थी जिससे कुओं का जल स्तर अभी तक गिरा नहीं है और फिलहाल कुआं गहरा करने की मांग जिले से अभी हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक लगान माफ करने का सवाल है, अभाव के साथ यह तो हमारी प्रक्रिया वैसे भी है कि लगान स्थगन के आदेश जारी हो जाएंगे तो यह तो नेचूरल कांसीक्वैंस उसके साथ ही हैं।

इसी तरीके से बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने माही और कडाना बांध के बारे में बात की थी, लिफ्ट सिंचाई परियोजना हेतु जल उपलब्धि की बात की थी। 10 प्रतिशत लागत लाभान्वित कृषक कों, विधायक या सांसद कोष से होने और परियोजना के रख-रखाव के लिए लाभान्वित कृषकों की सहमति प्राप्त होने पर स्वीकृति जारी तुरन्त ही कर दी जाएगी।

नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने चम्बल परियोजना के बारे में बात की थी कि चम्बल परियोजना की बूंदी केनाल में टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। उसका हम लोगों ने इस साल 7 करोड़ रुपये देकर के बूंदी केनाल के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि उसकी रिपेयरिंग करके हम उसके अन्तिम छोर तक पानी पहुंचायें। इसके लिए हमने 7 करोड़ रुपये दिये हैं। इसके अलावा नैनवां विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सभी एनीकट्स 30 जून तक पूरे किये जाएंगे यह हमारा प्रस्ताव है।

पूरक पोषाहार पर राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे खर्च के बारे में पूछा गया तो मैं बताना चाहती हूं कि वर्ष 2004-05 में लगभग 130 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं और 2005-06 में इस पर 153 करोड़ रुपये का प्रावधान है और आवश्यकतानुसार इसको अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा भी देंगे।

प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने यह कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था बिलकुल ही बिगडी हुई है। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि वर्ष

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

2005 माह फरवरी तक वर्ष 2004 की इसी अवधि की अपेक्षा भारतीय दण्ड संहिता के तहत कुल दर्ज अपराधों में 13.40 प्रतिशत की कमी आई हुई हैं। इसमें हत्या, लूट, अपहरण, नकबजनी आदि सब अपराध हैं जिनमें कमी आई है। इसी तरीके से महिला अत्याचार के अन्दर वर्ष 2005 में फरवरी माह तक कुल दर्ज अभियोगों में वर्ष 2003 और 2004 की अपेक्षा 15.21 एवं 17.68 प्रतिशत कमी आइ है। इसी तरीके से अनुसूचित जाति के ऊपर जो अत्याचार हैं, वर्ष 2005 में माह फरवरी तक वर्ष 2003 और 2004 की इसी अवधि की अपेक्षा अत्याचार सम्बन्धी कुल दर्ज प्रकरणों में 31.78 और 26.49 प्रतिशत कमी आई है।

प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने बिजली, सड़क के डवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट की बातें कहीं। पावर के बारे में उन्होंने यह कहा कि एक मेगावाट भी आप लोगों ने चालू नहीं किया हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि कैपेसिटी कमीशंड सिन्स दिसम्बर, 2003, यह 152.75 मेगावट हम लोगों ने कर दी है।

दूसरा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आपने जिस तरीके से पिक्चर पेंट किया, ऐसा लगा कि यह सब पूरा काम आप लोगों ने अपने समय में कर दिया था। यह तो जरूर है कि आपके साथ तो हम लोग मुकाबला कहां कर सकते हैं परन्तु हमारी कोशिश में कमी नहीं रही है और हम समझते है कि छोटे-छोटे स्तर पर जितना हम लोगों ने मुकाबला करने की कोशिश की है वहां प्लान का आकार बढ़ाकर के और जैसा आपने देखा कि अलग-अलग मद के अन्दर पैसा ज्यादा बढ़ाकर के हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारे राज्य की जनता को हम खुश रखें।

आपने यह भी कहा कि कर्जा 23 हजार करोड़ से 53 हजार करोड़ और अब 53 हजार करोड़ से लेकर के 78 हजार करोड़ तक चला गया है। मैं तो यह कहना चाहती हूं कि 23 हजार से 53 हजार डबल हुआ आपके इस पांच साल के अन्दर और इसके अन्दर असैट क्रियेशन कुछ नहीं हुआ क्योंकि असेंट क्रियेशन का सब काम रूक गया था। कोई नये स्कूल नहीं हुए, कोई नये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

टीचर्स की भर्ती नहीं हुई, लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन बिलकुल ही जर्जर थी। इसी तरीके से हॉस्पिटल, सी.एच.सीज., पी.एच.सीज., इन सब के ऊपर रूकावट आ गई थी, पूरी तरह से रोक लग गई थी। मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि इन चीजों को बढ़ाना भी जरूरी है क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है और गांवों तक इसको पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश है। इसलिए हमने अपने सीमित संसाधनों के अन्दर यह कोशिश की है कि गांव के गरीब से गरीब जनता तक यह बात पहुंचाये।

आपने एम.आर.पी. के ऊपर सेल्स टैक्स की बात उठाई थी तो मैं यह कहना चाहती हूं कि उसमें हाई कोर्ट ने केवल यह कहा है कि एम.आर.पी. पर टैक्स केवल लास्ट पाइंट पर ही कलेक्ट किया जा सकता है। सभी पहलुओं को देखकर के यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिक्री कर से आय में कमी नहीं हो।

जहां तक आपने एक्साइज पालिसी की बात की है इसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। एक तरफ तो आपने यह कहा है कि ऐसी चीजों के अन्दर सरकार का कोई काम ही नहीं है, इसके अन्दर आपको काम ही नहीं करना चाहिए, इसके अन्दर आपको धन्धा ही नहीं करना चाहिए, ऐसी यूनिट्स के अन्दर सरकार को कोई भाग नहीं लेना चाहिए। परन्तु गंगानगर शुगर मिल्स तो आपका ही बनाया हुआ है। तो यह बहुत ही ज्यादा कोंट्राडिक्ट्री है क्योंकि उसमें तो आप पूरी तरह शॉक दिखा रहे है, उसकी पैरवी भी कर रहे हैं और उसके साथ-साथ मुझे यह कह रहे हैं कि ऐसी चीजों के अन्दर सरकार का कोई काम नहीं है। मैं भी मानती हूं कि कोई काम नहीं है। इसलिए हम सोचते है कि उसके अन्दर डिस-इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ही सख्त जरूरत है क्योंकि हम यह चाहते हैं कि अभी तक हम और सरकार और आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि एक्साइज पालिसी के अन्दर जो भी काम होता था उसमें जरूर है कि 100 करोड़ तक की क्रोस सब्सिडाइजेशन गंगानगर शुगर मिल के साथ होती थी, यह हम लोग सब जानते हैं और हम मानते हैं कि इन चीजों

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

को हटाने के लिए हमने पूरी कोशिश की है और हमने जो एक्जाम्पल लिया है वह कर्नाटक जो आपकी सरकार है वहां से लिया है। हमने इसके बारे में काफी स्टडी की और हमने देखा कि जो हमारे पास रेवेन्यू रिटर्न थे वो राजस्थान के अन्दर सबसे कम थे जबकि कर्नाटक के अन्दर 65 पाइंट समथिंग था, आन्ध्र प्रदेश के अन्दर 67 पाइंट समथिंग था और सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अन्दर 72 प्रतिशत था। हम मानते हैं कि इस एक्साइज पालिसी के अन्दर जो इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए क्योंकि इससे हमारे पास जो पैसा आयेगा, जो एक्सेस पैसा आता है वो कल्याणकारी योजनाओं के अन्दर हम लोग लगा सकते हैं। चाहे विधवाओं के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए मिड-डे मील के लिए हो, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा बनाना या इक्ट्ठा करना जरूरी था इसलिए कर्नाटक पैटर्न के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कार्पोरेशन बनाया है उसी तरीके से हम लोगों ने कार्पोरेशन बनाने का सोचा और मैं मानती हूं कि उसकी वजह से हमारी जो आय है वह बढ़ेगी। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इल्लिसिट डिस्टिलेशन है जिसके बारे में आपने अभी बात रखी की अलवर के अन्दर भी, भीलवाड़ा के अन्दर भी, सांगानेर के अन्दर भी केसेज हुए हैं। इस इल्लिसिट डिस्टिलेशन को रोकना हमारी कोशिश है। इसलिए कुछ दुकानें हमने बढ़ाई हैं क्योंकि आजकल के जमाने में जब उसको हमने देखा तो हमने देखा कि पेपर के ऊपर तो शायद आपकी 4 हजार, 5 हजार दुकानें कहां जरूर होंगी परन्तु एक्चुअलिटी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नहीं है यह बात चल रही है, कहां-कहां ढाबों तक बात नहीं पहुंची हैं। इसलिए बेहतर तो यह होगा कि हम उसका प्रबन्धन करके उसकी दुकानें बढ़ायें और इल्लिसिट डिस्टिलेशन को पूरी तरह से रोकें, स्मगलिंग को रोकें इसलिए हमने 2000 आदमी और बढ़ाये, 4000 टोटल बढ़ाये गृह विभाग के लोगों को, क्योंकि ये सिर्फ हमारी एक्साइज ड्यूटी के लिए काम नहीं करने वाले हैं। ये लोग पुलिस के प्रबन्धन में रहेंगे और जहां-जहां इनकी जरूरत पड़ेगी तो जिस तरह से आज भी हम लोग करते हैं, उस तरीके से हम उनकी सेवाओं को प्राप्त करेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जहां तक नौकरी का सवाल है, मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहती हूं कि किसी की नौकरी हम लोग नहीं लेंगे, उसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे लोग सब जानते हैं और जहां तक देशी मदिरा की पालिसी में इस वर्ष के ठेके के अन्दर हमने 633 करोड़ रुपये में उठाये हैं, जोकि पिछले वर्ष में 350 करोड़ थे, 80 प्रतिशत अधिक हम लोगों ने पैसा उसमें कलेक्ट किया है और मैं समझती हूं कि पिछले वर्ष की जो पालिसी थी 350 करोड़ की, वह तो कांग्रेस की बनाई गई पालिसी थी, परन्तु हम लोगों ने इस तरह की पालिसी बनाई की जिसमें 80 प्रतिशत वृद्धि हुई और जिसके परिणामस्वरूप जो पैसा हमको मिलेगा, उससे हमारे लोगों को लाभ हो, इसकी हमने कोशिश की है।

आपने गेहूं के बारे में बात उठाई है। आपने कहा कि 60 प्रतिशत गेहूं आप लोगों ने उठाया है। केन्द्र सरकार से हम लोगों ने 6.99 लाख टन गेहूं प्राप्त किया। उसमें से अब तक हमने पांच लाख टन गेहूं उठा लिया है और शेष हमारे पास 8 मई तक का समय है और उस तक हम लोग 100 प्रतिशत उठा लेंगे, उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

जहां तक रतनजोत की बात है, आपको बहुत चिंता हुई रतनजोत की। आपने कहा कि 64000 हैक्टेयर राजस्थान के बेस्ट लैंड पड़ी हुई है तो उसको आप लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते। हमने तो प्रयोग किया है। यह तो एक शुरूआत है जिसमें हमने 1000 हैक्टेयर लेकर उसका एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की है परन्तु आप हमको बता रहे हैं कि 64000 हैक्टेयर को तो आप ही कर देते तो अभी तक मालूम नहीं कितना-कितना प्लांटेशन हो जाता और उस ईंधन को हम लोग प्राप्त कर लेते। परन्तु हमने शुरूआत की है, मैं समझती हूं कि यह एक बहुत बड़ी बात है।

इसके साथ-साथ आपने यह हमसे पूछा कि सहकारिता के चुनाव कब होंगे ? आपको बहुत चिंता इस बात की रहीं, हमें तो चिंता है ही क्योंकि हमको सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसको छह महीने के अन्दर आप लोग जल्दी से जल्दी करवायेगें। परन्तु मैं जब रिकार्ड देखती हूं तो मैं यह देखती हूं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, 1991 में उसके चुनाव हुए। डेयरी समिति, 1996-97 में उसके चुनाव हुए थे। यह जो समिति हैं उनके चुनाव लगभग 8 से 15 वर्ष तक अभी तक हुए नहीं है। अब तो हम करने जा रहे हैं, हम तो करेंगे इस बात को....

डा. दिगम्बर सिंह : चुनाव कराना भूल गये। (व्यवधान) चुनाव कराना भूल गये आप लोग।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : यह तो हम करेंगे ही, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, रिफाइनरी की बात आपने की है। यह रिफाइनरी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, यह हम सब मानते हैं और इस रिफाइनरी के लिए आप लोगों ने पहल की, बहुत अच्छी बात है परन्तु इस सरकार की भी पहल करने में कोई कमी नहीं रहेगी, यह मैं आपको बता सकती हूं और मैं यह विश्वास कर सकती हूं कि उसके काम के परिणामस्वरूप बहुत ही जल्दी कुछ न कुछ आपको देखने को भी मिलेगा।

अब अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी प्रमुख घोषणाएं थीं जो पिछली बार रह गई थीं। मैं थोड़ा सा आपकी अनुमति से इनको सदन के सामने लाना चाहूंगी। भरतपुर जिले की कामां तहसील में विद्यमान गुड़गांव नहर, इसके आसपास वर्षा के समय लोकल डिप्रेशन में पानी भर जाने की वजह से 25 गांव और 1060 हैक्टेयर कृषि भूमि में पानी भर जाता है। इस लोकल डिप्रेशन से जल को निकाला जाये और इसका स्थाई समाधान करने के लिए 12.36 किलोमीटर लम्बी एक नोनेरा लिंक ड्रेन जिसकी अनुमानित लागत एक करोड़ रुपये है, उसका कार्य वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अन्दर हम लोग शुरू करवायेगें।

इसी तरीके से पोखरण-बालोतरा और सिबाना कस्बों में, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के 580 गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए एक परियोजना तैयार कर दी गई है। इन क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सामने रखते हुए भूजल के निम्न स्तर और पीने के हेतु इसके उपयुक्त नहीं होने की वजह से

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

परियोजना का एक बहुत बड़ा महत्व है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 967 करोड़ 80 लाख रुपये है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-2006 के बजट में रेगिस्तानी क्षेत्रों के समस्याग्रस्त गांवों के लिए पेयजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक घोषित योजना है। इसके अन्तर्गत इस प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति हेतु हम लोग बहुत ही जल्दी प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं विश्वास करती हूं कि इनकी पानी की समस्या को हम मिटाने में सक्षम रहेंगे।

ट्राइबल बैल्ट में सिंचाई की दृष्टि से भीखाभाई-सांगवाड़ा नहर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस नहर की कुल लम्बाई 125 किलोमीटर है और माही बजाज सांगवाड़ा सिस्टम में प्रक्रियाधीन रहने वाली, गुजरात में राज्य का हिस्सा होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि सांगवाड़ा नहर का निर्माण कार्य फेजेज के अन्दर हों। भीखाभाई सांगवाड़ा नहर के प्रथम फेज के अन्दर 0 से 8 किलोमीटर के नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो दिसम्बर, 2005 को कम्प्लीट हो जायेगा। इस नहर का 8 से 20 किलोमीटर का जो सैकण्ड फेज है, वह दिसम्बर, 2004 के अन्दर उसकी स्वीकृति मिल गई थी और भूमि के अधिग्रहण और निविदाएं इसकी आमंत्रित हमने कर ली हैं और निर्माण कार्य जल्दी ही चालू हो जायेगा और इस नहर के बीच से 32 किलोमीटर का जो तृतीय फेज है, इसकी लागत 31 करोड़ रुपये है और जो राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति है, इसके द्वारा इसको स्वीकृत कर दिया गया है और इस निर्माण कार्य का वित्त पोषण रीडिफ-II के अन्तर्गत नाबार्ड के माध्यम से हम करवायेगें और यह कार्य 2005-2006 में प्रारम्भ करने की हमारी योजना है।

पत्रकार प्रजातंत्र में एक आधार स्तम्भ है और हमारा यह सदैव प्रयास रहा है कि इस वर्ग को अच्छी तरह से पर्याप्त सम्बल दें। गत दिनों में राज्य सरकार के जो अक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, उनके परिवारों के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना को शुरू किया था। इस योजना के अन्तर्गत इन पत्रकारों को और उनके परिवारों के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी। मेरा यह

सोचना है, इसके साथ-साथ पत्रकार तथा उनके परिवारों के सदस्यों की गम्भीर बीमारी की स्थिति में उन्हें पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध होना ही चाहिए और राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि जो अक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, उनके परिवारों के सदस्यों की गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए एक "हैल्थ इन्श्योरेंस कवर" की पालिसी हम करवायेगें जिसके पेटे प्रीमियम की राशि का 75 प्रतिशत भाग राज्य सरकार वहन करेगी और पत्रकारों को प्रायः बहुत ही ओड-आबर्स रखने पड़ते हैं और बहुत ही हैबी टास्क उनका होता है, इसलिए उनको बहुत सारी यात्राएं भी करनी पड़ती हैं और इससे निपटने के लिए अगैन अक्रेडिटेड जर्नलिस्ट का दुर्घटना बीमा करवाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस प्रयास म राज्य सरकार अपनी भागीदारी निभाते हुए दुर्घटना बीमा योजना की प्रीमियम राशि का फिर 75 प्रतिशत भाग संवाद के माध्यम से वहन करेगी और 25 प्रतिशत राशि अक्रेडिटेड जर्नलिस्ट द्वारा वहन कराई जायंगी।

इसी तरीक से मैंने अपने बजट में जो प्रस्ताव रखें हैं, उसके अन्दर मिड-डे-मील के कार्यक्रम के सम्बन्ध में आपके सामने उल्लेख किया था। राज्य में मदरसों में अध्ययनरत छात्र-छात्रा को पूरक पोषाहार प्रदान करने की दृष्टि से यह कार्यक्रम मदरसों में भी हमने प्रारम्भ कर दिया हैं।......(व्यवधान) इसी तरह से राज्य के सरकारी स्कूल और संस्कृत स्कूल सहित सबको अभी नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्षों में सभी पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत सब छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जायेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बहुत-बहुत धन्यवाद। देर आयद दुरस्त आयद। आप भी कभी आये नहीं। मदरसों में नहीं आये।

एक माननीय सदस्य : अभी एम.एल.ए. लेड रह गया है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने इस बजट की चर्चा के अन्दर भाग लिया

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है। (व्यवधान) आप तो अपने लिए कहां मांगोगे ? इन सबके अतिरिक्त जो सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने जैसे टोडारायसिंह से, सुमेरपुर से, गुढ़ामालानी से, करौली से, जमुआरामगढ़ से, बागीदोरा, पीलीबंगा, सार्दुलपुर, केसरीसिंहपुर, बैराठ, लूणी, रामगंजमंडी, सब के सब, बानसूर, लक्ष्मणगढ़, जोधपुर, सब के सब ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और हो सकता है समय की कमी की वजह से उनके प्रश्नों के उत्तर हम लोग नहीं दे पाये हैं। इन सब सदस्यों के जो भी बहुमूल्य सुझाव हैं, उनको हमने नोट कर लिया है और इन सुझावों का हम परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। मैं साथ-साथ यह कहना चाहूंगी कि विकास के जो हमारे कार्यक्रम हैं उनका हमने काफी विस्तार किया है। इसका ब्रड़े पैमाने पर क्रियान्वयन करना, हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार के भी ऊपर है और सब हमारे विभागों के ऊपर है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि इतने बड़े पैमाने पर हाथ में लिये जा रहे जो कार्यक्रम है, उनकी सफल क्रियान्विति हो और आम जनता को उसका लाभ मिले। मैं बार-बार उस आम जनता की बात करती रही हूं। इसी तरीके से निश्चित समय के अन्दर प्रत्येक स्तर पर हम लोग मानीटरिंग की व्यवस्था करवायेगें जिसमें मैं, मेरे मंत्रिमण्डलीय सहयोगी, वरिष्ठ सचिवगण और विभागाध्यक्षों के स्तर के अधिकारी सम्मिलित होंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारे सभी प्रयासों का केन्द्रबिन्दु राजस्थान का वह आम व्यक्ति है, उसका जीवन स्तर और बहतर हो, उसकी दैनिक बाधाओं और समस्याओं में एक राहत का अहसास पहुंचे और उसको एक परिवर्तन की लहर की अनुभूति हो, यह हमारा बहुत ही सर्वोच्च लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति की अभिलाषा में हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। मैं सब माननीय सदस्यों को और विशेषकर अपने प्रतिपक्ष में बैठे हमारे सब मित्रों से इस पावन अभियान में उनके रचनात्मक सहयोग की आशा करती हूं और उन्हें इस विकास की एतिहासिक यात्रा के अन्दर सम्मिलित होने का एक न्यौता देती हूं कि माना कि दूर किनारा है,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

माना कि दूर किनारा है पर मैंने कब स्वीकारा है।
यूं बैठे रहना हाथ बांध मुझको नहीं गंवारा है।
जो कायर हैं वह हार गये, नर-नाहर बाजी मार गये
इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गये।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपकी केबिनेट के, मुख्य मंत्रीजी, छह मंत्री तो खर्राटे मार रहे थे और सो रहे थे इधर।

श्री नरपत सिंह राजवी : आप तो मुस्कुरा दो अब तो जालिम, अब इतना कुछ दे दिया। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जोशीजी। एक राजसमंद के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, राजसमंद के सम्बन्ध में माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने और आपने एक बात कही थी कि सरकार ने बजट भाषण में एक बात लिख दी कि वहां पर महाविद्यालय भवन है और फिर बनाने की बात लिख दी। स्थिति वहां पर ऐसी है कि वहां पर लड़कियों का महाविद्यालय नहीं है, उसको तो बनायेंगे ही लेकिन साथ ही इस समय जो महाविद्यालय है वह सह महाविद्यालय के रूप में चल रहा है और कोठारी बंधु हैं, उनके एक ट्रस्ट के अन्तर्गत है लेकिन वह भवन बहुत अपर्याप्त है और उसमें दो विभाग चल रहे हैं, उनको हमने यह कहा कि 51 प्रतिशत राशि आप दे दो, बाकी पैसा हम देंगे, तो कोठारी ट्रस्ट का नाम लग जायेगा। इसके लिए वह सहमत नहीं है इसलिए सरकार ने यह तय किया है कि यदि वह नहीं देते हैं तो सरकार अपने पैसे से वहां महाविद्यालय का भवन बनाकर चलायेगी। इसलिए उसमें बिलकुल सही बात कही थी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब क्या रह गया।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को तो बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन जो मोटे प्रश्न हैं वह माननीय मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी कृपया यह बताने का कष्ट करें, क्या यह सही है...

श्री अध्यक्ष : देखिये, एक-दो, ऐसा है, परम्परा यह रही है कि एक-दो कोई आपको शंका हो तो एक-दो प्रश्न आप पूछ लीजिये।

डा. सी.पी. जोशी : शंका ही, शंका ही...

श्री अध्यक्ष : बाकी ऐसा नहीं है कि आप...

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इन्फर कैसे कर लेती हैं कि मैं क्या बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : तो आप पूछे तो...

डा. सी.पी. जोशी : मैं यही तो पूछ रहा था, उसके पहले ही आप कमेंट कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : तो पूछिये तो सही ना।

डा. सी.पी. जोशी : मैं यही तो पूछ रहा था, आपकी परमीशन से पूछ रहा था न। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 2003-04 के एक्चुअल्स में ब्याज की अदायगी की रकम है 4777.15 करोड़ रूपये। जो बजट आपने प्रस्तुत किया है उस बजट के प्रस्तुत करने के बाद 2005-06 में राजस्थान की सरकार को 5319.27 करोड़ रुपये ब्याज के देने पड़ेंगे। तो क्या राजस्थान सरकार इतने करोड़ रुपये ब्याज के देकर राजस्व घाटे को घटाने का काम कर रही है, नम्बर एक। नम्बर दो, माननीय मुख्य मंत्रीजी क्या बताने का कष्ट करेंगी कि केपिटल आउट ले डबल करने के बाद जो आपका टोटल एक्सपेंडीचर.....

श्रीमती वसुन्धरा राजे : माननीय सदस्य, एक मिनट। आपको जो भी पता करना है, आप मेहरबानी करके आइये, आपके सामने हम अपना लेखा-जोखा पूरा रख देंगे। यह फीगर्स हैं। एक मिनट, एक मिनट। यह फिगर्स हैं, यह फीगर्स किसी से छिपी नहीं है। इसके साथ इधर-उधर हम लोग कोई एक्रोबायटिक्स नहीं कर सकते। इसलिए फीगर्स वह जिस पेज के ऊपर लिखे हैं, आप वह पेज लीजिये, आप उसकी गणित किजिये और अपने आपको सेटिस्फाई करिये। मैं आपको यह बता सकती हूं और मैं आपको आश्वस्त कर रही हूं कि हमने इसको देख कर, इसको समझ-बूझ कर हम इसको पूरा कर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सकते हैं, सह सोच कर फिर इसको वित्त पोषित पूरी तरह से किया है। यह मैं कहना चाहती हूं।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इश्यू यह नहीं है। राजस्थान की जनता को यह बात जाननी चाहिए। (व्यवधान) राजस्थान की जनता को यह जानकारी जानी चाहिए, लोक-लुभावन जो घोषणा की गई है उस घोषणा से राजस्थान की जनता पर जो 2003-04 के एक्चुअल्स हैं, अभी एक्वुअल्स नहीं हैं, 2004-05 के नहीं हैं.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बजट पर कौन-सी बहस प्रारम्भ कर दी, अध्यक्ष महोदय, आपने। यह कौन-सी बहस प्रारम्भ हो गई। कौन-सी बहस प्रारम्भ हो गई.....

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या मतलब है...

श्री संयम लोढ़ा : फिर कैसे खड़े हो रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कौन-सी बहस प्रारम्भ हो गई। आज तक यह परम्परा नहीं रही है, हम भी उधर बैठे हैं पांच साल तक, एक सवाल का जवाब भी तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने हमें दिया हो अपने बजट के उत्तर के पश्चात्, तो हम भी देने को तैयार हैं। (व्यवधान) नहीं, यह गलत बात है... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : भैरोंसिंहजी को जवाब के बाद आधा-आधा घंटे, घंटे भर तक यहां पर क्वेश्चन करते हुए और जवाब देते हुए देखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक बार भी नहीं, आप साक्षी रहे हैं अध्यक्ष महोदय.....

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, 23 हजार करोड़ के कर्जे को 53 हजार करोड़ तक ले गये आप, कोई परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं किया आपने, सारे पैसे फिजूलखर्ची में गये......

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि 3154 करोड़ का रेवेन्यू रिसीप्ट आप कैसे प्राप्त करेंगे,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

किन-किन मदों से प्राप्त करेंगे, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यहां पर जो भी कर्जा किया जा रहा है सब.... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह तो बताओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सब बता दिया। यह भी बता दिया उन्होंने कि जो उन्हें देना पड़ेगा इस ब्याज के रूप में, वह कहां से आयेगा, कैसे आयेगा, बजट में सब प्रावधान हैं उसके, सब प्रावधान हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को....

डा. सी.पी. जोशी : नो-नो। अध्यक्ष महोदय, नो, प्लीज। No. No. I am Sorry. मैंने पूछा, मैंने पहले भी यह कहा कि मुझे प्रश्न पूछने की इजाजत दें। आपने आज्ञा दी है...

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर। आसन पांवों पर है।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपने पहले, जब समय बढ़ाया तब भी आपने समय बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी आपने मुख्य मंत्रीजी से प्रश्न नहीं पूछने दिये और प्रद्युम्न सिंहजी खड़े हुए थे, आपने हाउस को खतम करवा दिया... (व्यवधान) यह हमारा अधिकार है, आप हाउस को गुमराह नहीं कर सकतीं अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है..... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, it is my right to know it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब आपने टाइम बढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि आप अलाउ नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह गलत परम्परा मत डालिये। (व्यवधान)

(एक माननीय सदस्य)

यह गलत परम्परा है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब आपने समय बढ़ाया तब भी मैंने कहा था कि प्रश्न का उत्तर देने का समय बढ़ाया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण....

डा. सी.पी. जोशी : हमें मालूम था, पिछले साल भी आपने प्रश्न के उत्तर नहीं दिलाये और सदन की कार्यवाही खतम कर दी थी..... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपके मुख्य मंत्रीजी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ने आपको बता दिया, आप आइये.... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : सवाल किस बात का है अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सवाल पूछने की जरूरत नहीं है यहां पर। (व्यवधान) यह परम्परा नहीं रही है माननीय अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी को...... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप माननीय मुख्य मंत्रीजी को इनकाम्पीटेंड मानती हैं। मुख्य मंत्रीजी बहुत काम्पीटेंड हैं। Let her reply. आप इनकाम्पीटेंड मानती हैं क्या ? आप मुख्य मंत्रीजी की काम्पीटेंस को रिवील नहीं होने देना चाहती। आप उनके साथ न्याय नहीं कर रही हैं।

Let the Competence of the Chief Minister be revealed to the society. Why are you withholding it ? Why are you hiding it ?

एक प्रश्न का जवाब नहीं दे। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह परम्परा नहीं रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। पिछले सात साल आप थे, हम थे विधान सभा में, किसी भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जवाब नहीं दिया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : पिछले साल भी, अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड उठाकर देख लें, आपने अलाउ नहीं किया था, पिछले साल भी। यह सरकारी अधिकारी के आंकडों के आधार पर मुख्य मंत्री सदन में अपनी पापुलरिटी नहीं ले सकती, उनको जवाब देना पड़ेगा। यह थोड़े ही है कि आंकडे लाकर जवाब दे दें हम। आपको बताना पड़ेगा क्या कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप भी यही करते थे क्या। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसा कोई जवाब नहीं है जो बजट..... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : Let her speak.

श्री अध्यक्ष : वह दे रही हैं जवाब। सुनिये, सुनिये आप, प्लीज। (व्यवधान) सदन की नेता खड़ी हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, यहां कोई छिपाने की बात ही नहीं है। मेरे माइंड में यह केलकुलेटर तो नहीं है कि मैं आपको यह पेज पलट कर बता दूं, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यह तो मैं नहीं कर सकती परन्तु यह कोई छिपी बात नहीं है। यह सब एडीशंस एण्ड सबट्रेक्शंस हमने करे हुए हैं, मैं पूरे डाकुमेंट्स इनके सामने रख दूंगी। यह बैठकर कहां एडीशन करना है, कहां माइनस करना है, वह देख लें, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े नहीं पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सुनिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या सुनें, उन्होंने बता दिया तो क्या सुनें।

डा. सी.पी. जोशी : क्या बता दिया अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े नहीं पूछ रहा हूं..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 07 अप्रैल, 2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.20 बजे गुरुवार, दिनांक 07 अप्रैल, 2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोतर

हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर जिलों में पेड़ों की अवैध कटाई

229. श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर जिलों के टीबा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण किया गया व किस-किस क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर जिलों में पेड़ों की कटाई के मानदण्ड क्या हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पेड़ों की कटाई करते समय निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ जिले के टिब्बा क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में कराये गये वृक्षारोपणों का योजनावार, क्षेत्रवार मय व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है। श्रीगंगानगर जिले के टिब्बा क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में कोई वृक्षारोपण नहीं कराया गया है।

(2) हनुमानगढ/श्रीगंगानगर जिलों में परिपक्व पेड़ों की कटाई स्वीकृत कार्य योजना के तहत की जा रही है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट-"क"

हनुमानगढ़ जिले में गत पांच वर्षों में निम्नानुसार टिब्बा स्थिरीकरण क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया है :-

क्र. सं.	नाम योजना		नाम कार्य स्थल	वर्ष	क्षेत्रफल	वृक्षारोपण पर व्यय राशि
1.	2705 ओईसीएफ	1.	धन्नासर (उ)	1999	50	4.68
		2.	धन्नासर (द)	1999	50	4.51
		3.	केडीडी	1999	50	6.21
			योग		**150**	**15.40**
		1.	थिराना	2000	50	8.39
		2.	एनजीएम	2000	35	4.43
		3.	6 केडीडी	2000	49	6.03
		4.	7 केडीडी ए	2000	66	9.45
			योग		**200**	**28.30**
		1.	धनसिया ए	2001	60	9.78
		2.	धनसिया बी	2001	55	8.86
		3.	धनसिया सी	2001	40	6.42
		4.	जबरासर ए	2001	50	8.07
		5.	जबरासर बी	2001	50	8.01

1	2	3	4	5	6	7
		6.	राणीसर	2001	45	7.70
		7.	7 केडीडी बी	2001	50	7.95
			योग		**350**	**56.79**
			महायोग		**700**	**100.49**
2.	सिद्धमुख नहर परियोजना	1.	सोनडी	1999	50	5.52
		2.	14 बारनी	2000	50	5.93
			महायोग		**100**	**11.45**

ग्राम पंचायतों में चयनित परिवार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिये जा रहे वेतन/भत्ते

232. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गरीबी रेखा चयनित परिवार के आधार पर वर्ष 1997 में ग्राम पंचायतों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अस्थाई तौर पर नियुक्तियां दी गई थीं ?

(2) उक्त कर्मचारियों को वेतन के रूप में कितनी राशि प्रतिमाह दी जा रही है और इसमें कब-कब, कितनी-कितनी बढ़ोतरी की गई तथा इन्हें भत्तों के रूप में कितनी राशि दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन क्या निर्धारित है ? क्या इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

अब इन्हें न्यूनतम वेतन दिये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त कर्मियों की चुनावों में भी ड्यूटियां लगाई जाती हैं ? यदि हां, तो इसमें उन्हें कितना भत्ता दिया जाता है ?

(5) सरकार इन कर्मचारियों को कब तक स्थाई करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अस्थाई नियुक्तियां नहीं दी गई हैं, इसलिये ऐसे कर्मचारियों को वेतन का भुगतान दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) ऐसी नियुक्तियां नहीं की गई हैं, इसलिये न्यूनतम भुगतान दिये जाने का प्रश्न नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) आवश्यकता नहीं है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

भीण्डर-सलूम्बर मुम्बई अन्तरराज्यीय बस सेवा

236. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर से खैरवाड़ा वाया कल्याणपुर तक राजस्थान राज्य-पथ परिवहन निगम की बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार भीण्डर तहसील वल्लभनगर वाया सलूम्बर से मुम्बई तक राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सलूम्बर से खैरवाड़ा वाया कल्याणपुर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ मार्ग नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा सलूम्बर से खैरवाड़ा वाया पीपली, परसाद, चावण्ड, केशरियाजी मार्ग निर्धारित किया हुआ है जिन पर निजी वाहन संचालित है। पंचम अध्याय का मार्ग होने के कारण निगम बसों को पर्याप्त यात्री भार मिलने की सम्भावना नहीं है। अतः इस मार्ग पर निगम द्वारा बस संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। सलूम्बर-मुम्बई अन्तरराज्यीय मार्ग है जिस पर गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के साथ वर्तमान में विद्यमान अन्तरराज्यीय परिवहन करार में यह मार्ग सम्मिलित नहीं है।

धौलपुर के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्र के कृषकों को सहायता

237. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 4 मार्च, 2005 को विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में ओलावृष्टि हुई थी ? यदि हां, तो ओलावृष्टि से किस-किस किसान की फसल को नुकसान हुआ ?

(2) क्या सरकार जिन किसानों की फसल नष्ट हुई उनको मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना और कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्राकृतिक आपदा के समय किसानों की सहायता करने का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि 4 मार्च, 2005 को विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में ओलावृष्टि हुई थी। जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ उसका विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-"अ" व "ब")

(2) जी नहीं। जिन किसानों का 50 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान हुआ है उन्हें सी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार सिंचित क्षेत्र में 2500 रुपये प्रति हैक्टेयर एवं असिंचित क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है।

(3) जी हां। प्रति संलग्न है।

(परिशिष्ट-"स")

MOST IMMEDIATE

No. 32-22/2004-NDM.I
Government of India
Ministry of Home Affairs
National Disaster Management Division

North Block, New Delhi,

Dated the November 23, 2004

To,

The Chief Secretaries of all States

The Relief Commissioners of all States

Subject : The list of Items and Norms of expenditure to be followed by the States for incurring expenditure from the Calamity Relief Fund (CRF) and the National Calamity Contingency Fund (NCCF) for the period between 2000-2005-Revision thereof.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number, dated September 10, 2004 on the above subject.

2. The norms for cattle care have been re-considered. It has been decided to revised the rates of providing fodder for cattle camps as under :-

	Existing	Revised
1.	Large Animals Rs. 12.00 Per day	Large Animals Rs. 18.00 Per day
2.	Small Animals Rs. 6.00 Per day	Small Animals Rs. 9.00 Per day

3. Based on the above modification, the revised list of items and norms of expenditure eligible for assistance from CRF and NCCF is enclosed at Annexure.

4. The State Governments are requested to kindly ensure that the expenditure from CRF/NCCF is incurred only as per these revised items/norms.

5. A copy of this communication along with its enclosures is also being sent to the Accountants General of the States for necessary action.

Yours faithfully,

S.K. Swami
Director (NDM.I)
Mobile : 9811061089
Tel. No. 23092698/Fax : 23093750
E-mail : skswami@hub.nic.in

Annexure-

(REVISED LIST OF ITEMS AND NORMS OF EXPENDITURE FOR ASSISTANCE FROM CALAMITY RELIEF FUND (CRF) AND NATIONAL CALAMITY CONTINGENCY FUND (NCCF) FOR THE PERIOD 2000-2005 letter No. 32-22/2004-NDM I dated 10th September, 2004 and 23rd November, 2004)

S. No.	ITEMS	NORMS OF EXPENDITURE FOR ASSISTANCE FROM CRF AND NCCF
1.	Gratuitous Relief	
	(a) Ex-Gratia Payment to families of deceased persons	Rs. 50,000/- per decaseed.
	(b) Ex-Gratia payment for loss of a limb of eyes.	Rs. 25,000/- per person. (The Gratuitous relief for loss of limb etc., should be extended only when the disability is more than 40% and certified by a Govt. doctor or doctors from panel approved by the Govt.)
	(c) Grievous injury requiring hospitalization for more than a week.	Rs. 5,000/- per person

1	2	3
	(d) Relief for the old, infirm and destitute, children.	Rs. 20/- per adult, Rs. 10/- per child, per day
	(e) Clothing and utensils for families whose house have been washed away/ fully destroyed due to a natural calamity.	Rs. 500/- for clothing and Rs. 500/- for utensils - per family
	(f) Gratuitous Relief for families in dire need of immediate sustenance after a calamity. GR should only be given to those who have no food reserves, or whose food reserves have been wiped out in a calamity, and who have no other immediate means of support.	Rs. 20/- per adult and Rs. 10/- per child per day, in kind only (for essential commodities like Atta, Foodgrains, kerosene oil vegetable, match-boxes, coconut oil etc.) maximum for a period of two weeks or as recommended by Central Team.
2.	Supplementary Nutrition.	Rs. 1.05/- per day per head as per ICDS norms
3.	Assistance to small and marginal farmers for -	
	(a) Desilting etc. (b) Removal of debris in hill areas, and	25% and 33-1/3% to small farmers and marginal farmers. respectively on the basis of

1	2	3
	(c) Desilting/Restoration/ Repair of fish farms	NABARD pattern subject to ceiling of Rs. 5,000/- per hectare.
	(d) Agriculture input subsidy where crop loss was 50% and above.	
	(I) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation cropos	Rainfed areas Rs. 1,000/- per hectare Rs. 2500/- per hectare in areas with assured irrigation
	(I)-A. Input Subsidy to farmers other than small & Marginal Farmers in case of severe natural calamity occurring for second consecutive year (or subsequent year)	@Rs. 1000 per hectare subject to a limit of 2 hectare per farmer.
	(II) Perennial crops	Rs. 4,000 per hectare
	(III) Assistance to sericulture farmers	Rs. 2000/- per hectare for muga Rs. 1500/- per hectare for Eri and Mulberry
	(e) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers.	Rs. 10,000/- per hectare
4.	Employment Generation (only to meet additional	Daily wages to be at par with minimum wage for unskilled

1	2	3
	requirements after taking into account, funds available under Plan various Plan Schemes with elements of employment generation)	labourers prescribed by the State Government concerned. Contribution from Relief Funds to be restricted to foodgrains @ 5 Kg. per person per day (SGRY-Special Component) and Rs. 15 per person per day (CRF/NCCF) for 10 days a month (15 days a month in areas where other schemes/projects with elements of employment generation are not in operation). The balance, if any, between the minimum wages and this support may be borne by the State Government concerned. Work to be provided to one person from every willing rural household in the affected areas subject to the assessment of actual demand on a case-to-case basis.
5.	Animal Husbandry Assistance to small and marginal farmers/agricultural labourers	
	i) Replacement of draught/ milch Animals of animals used for haulage.	As per the rates prescribed Under appropriate schemes of Ministry of Rural Development.

1	2	3
	ii) Provision of fodder in cattle camps	Large Animals- Rs. 18.00 per day Small Animals- Rs. 9.00 per day
	iii) Water supply in Cattle Camps	As per assessment on a case-to-case basis.
	iv) Additional Cost of medicines and vaccine (calamity related requirements)	As per assessment on a case-to-case basis.
	v) Supply of fodder outside Cattle camps	Additional expenditure on transport to neutralize calamity related Price rise to be determined on case-to-case basis.
	vi) Movement of useful cattle to Other areas.	On expert assessment of Department of Animal Husbandry & Dairying on a scheme being submitted in this behalf by the State Government Concerned.
6.	Assistance to Fishermen	
	(a) For repair/replacement of boats, nets and damaged or lost	Subsidy will be provided other equipment subject to ceilings on subsidy per family as per SGSY pattern.
	--Boat --Dugout-Canoe --Catamaran --Nets	The cost of boats will also be determined with reference to approved cost under SGSY

1	2	3
	(b) Input subsidy for fish seed farm	Rs. 2,000/- per hectare
7.	Assistance to artisans in handicrafts sector by way of subsidy for repair/ replacement of damaged equipments	
	(a) Traditional Crafts	
	(i) For damaged equipments	Rs. 1,000/- per person
	(ii) For raw material	Rs. 1,000/- per person
	(b) For Handloom Weavers	
	(i) Repairs/replacement of loom equipments and accessories	Rs. 1,000/- per loom
	(ii) Purchase of yarn and other materials	Rs. 1,000/- per loom
8.	Assistance for repair/ restoration of damaged houses	
	(a) Fully damaged houses (Where the house is beyond repair and needs to be reconstructed)	
	(i) Pucca house	Rs. 10,000/- per house

1	2	3
	(ii) Kuchha House	Rs. 6,000/- per house
	(b) Severely damaged houses	
	(i) Pucca House	Rs. 2,000/- per house
	(ii) Kuchha House	Rs. 1,200/- per house
	(d) Partially Damaged Houses (where the damage is minimum of 15%)	Rs. 800/- per house
9.	Emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas	To be assessed by Central Team for NCCF/by state level Committee for CRF.
10.	Provision of medicines, disinfectants, insecticides for prevention of outbreak of epidemics	-- do --
11.	Medical care for cattle and poultry against epidemics.	-- do --
12.	Evacuation of people affected/likely to be affected.	-- do --
13.	Hiring of boats for carrying immediate relief & saving life.	-- do --
14.	Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care etc. of people affected/ evacuated	-- do --

1	2	3
15.	Air dropping of essential supplies	-- do --
16.	Repair/restoration of immediate nature of the damaged infrastructure relating to communication, power, public health, drinking water supply, primary education and community owned assets in the social sector.	-- do --
	Replacement of damaged medical equipments and lost medicines of Govt. Hospitals/health centres	-- do --
	Operational cost (of POL only) for Ambulance Service, Mobile Medical Teams and temporary dispensaries.	-- do --
	Cost of clearance of debris	-- do --
	Draining off flood water in affected areas	-- do --
	Cost of search and rescue measures	-- do --
	Disposal of dead bodies/ carcasses	-- do --

1	2	3
	Training to specialist multi disciplinary groups/teams of the State personnel drawn from different cadres/services	Expenditure to be met from CRF
	Procurement of essential serach, rescue and evacuation equipments including communication equipments subject to a ceiling of 10% of the CRF allocation of the year.	To be assessed by the State Level Committee for CRF
	Installation of public utility 4 digit code telephone (calls not metered):	Expenditure to be met from CRF
Calamity Relief Fund -National Calamity Contingency Fund -Petrol, Oil and Lubricants		

बारां जिले के भवन विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय

238. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनके पास सरकारी भवन नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हेमराज मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायतों के सरकारी भवन होने के बावजूद भी पंचायतें उसमें संचालित नहीं हो रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार पंचायतों को सरकारी भवन व पंचायत मुख्यालय पर चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बारां की सरकारी भवन विहीन 31 पंचायतों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) पंचायतों का संचालन पंचायत मुख्यालय पर ही किया जा रहा है तथा जहां पंचायत भवन उपलब्ध हैं पंचायत उन्हीं भवनों में चल रही है।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	भवन विहीन पंचायत के नाम
1	2	3
1.	बारां	1-नारेडा, 2-करनाहेडा, 3-मेलखेडी
2.	अटरू	4-भैंसडा,
3.	शाहबाद	शून्य
4.	किशनगंज	5-रामपुर, 6-ख्यावदा
5.	अन्ता	7-बमूलिया, 8-सोरखडकला, 9-बालाखेड़ा, 10-बालदड, 11-ईश्वरपुर, 12-शाहपुर, 13-बमोरी, 14-महलपुर, 15-जारेला, 16-महुवा

1	2	3
6.	छबडा	17-मूडला, 18-खोपर, 19-कोटडापार, 20-तीतरखेड़ी, 21-भूलोन, 22-कडैयाहाट, 23-सेमल, 24-घाटाखेड, 25-पचपाडा, 26-मूंडक्या, 27-बारई
7.	छीपाबडौद	28-अजनावर, 29-पछाड, 30-सेतकोलू, 31-गगचाना

सीकर (लक्ष्मणगढ़) का भवन विहीन छात्रावास

239. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़, सीकर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने-कितने छात्रावास कहां-कहां पर स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी छात्रावास राजकीय भवनों में चल रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों की सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि शहर लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर का अनुसूचित जाति छात्रावास किराये के भवन में चल रहा है ? यदि हां, तो कब से तथा इसमें कितने छात्र रह रहे हैं ?

(4) क्या सरकार लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में अनुसूचित जाति के छात्रावास का भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में अनुसूचित जाति के 11 एवं जनजाति के 2 राजकीय छात्रावास संचालित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) जी नहीं। सिर्फ दो छात्रावास राजकीय भवनों में संचालित हैं, शेष 11 के लिए राजकीय भवन उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उन्हें किराये के भवनों में संचालित किया जा रहा है। किराये के भवनों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह राजकीय छात्रावास 25 छात्र संख्या का वर्ष 1992-93 से संचालित है। सत्र 2001-02 से स्वीकृत छात्र संख्या 35 है व वर्ष 2004-05 में 35 छात्र रह रहे हैं।

(4) जीं हां। छात्रावास भवन के निर्माण हेतु भूमि आबंटन हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा गया है। भूमि आबंटन होने के बाद निर्माण करवाया जावेगा।

परिशिष्ट-"अ"

राजकीय छात्रावासों की पंचायत समितिवार सूची :-

क्र. सं.	नाम छात्रावास	योजना	स्वीकृत छात्र संख्या	पंचायत समितिवार भवनों की स्थिति	
				पंचायत समिति	भव की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	राजकीय स्वच्छकार छात्रावास, दातारामगढ़	अनु. जाति	35	दातारामगढ़	राजकीय भवन
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गुहाला	अनु. जाति	35	नीम का थाना	राजकीय भवन

1	2	3	4	5	6
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लक्ष्मणगढ़	अनु. जाति	35	पिपराली	किराये का भवन
4.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पिपराली	अनु. जाति	35	खण्डेला	किराये का भवन
5.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, थोई	अनु. जाति	50	धोद	किराये का भवन
6.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, धासेद	अनु. जाति	35	धोद	किराये का भवन
7.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, श्रीमाधोपुर	अनु. जाति	40	श्रीमाधोपुर	किराये का भवन
8.	राजकीय स्वच्छकार छात्रावास, अजीतगढ़	अनु. जाति	35	श्रीमाधोपुर	किराये का भवन

1	2	3	4	5	6
9.	राजकीय स्वच्छकार छात्रावास, सीकर	अनु. जाति	35	सीकर शहर	किराये का भवन
10.	सावित्रीबाई फूले स्वच्छकार छात्रावास, सीकर	अनु. जाति	35	सीकर शहर	किराये का भवन
11.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पाटन	अनु. जाति	25	नीम का थाना	किराये का भवन
12.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सीकर	अनु. जन जाति	55	सीकर शहर	किराये का भवन
13.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खण्डेला	अनु. जन जाति	45	खण्डेला	किराये का भवन

बाली में नवीन पुलिस थानों/चौकियों की स्थापना

240. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

(1) राज्य में नवीन पुलिस थाना एवं चौकी खोलने के क्या मानदण्ड हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाली में विभिन्न पुलिस थाने एवं चौकियां कहां कहां पर कब से संचालित हैं ? इनमें स्वीकृत पदों पर कार्यरत पुलिस कर्मियों की पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की बढ़ती हुई आबादी एवं निरन्तर बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए बाली क्षेत्र में नवीन पुलिस थाने एवं चौकियां खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में नवीन पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी खोलने हेतु मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाली में विभिन्न पुलिस थाने एवं पुलिस चौकियां कहां-कहां पर कब से संचालित हैं, इनमें स्वीकृत पदों पर कार्यरत पुलिस कर्मियों की पदवार सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) बाली क्षेत्र में नवीन पुलिस थाने एवं पुलिस चौकियां खोलने का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

क्र. सं.	थाना/चौकी का नाम	संचालित वर्ष	स्वीकृत नफरी					वर्तमान नफरी				
			पु.नि.	उ.नि.	स.उ. नि.	मुआ.	कानि.	पु.नि.	उ.नि.	स.उ. नि.	मुआ.	कानि.
1.	थानाबाली	1922	1	1	2	2	17	1	1	2	2	16
2.	चौकी सेवाड़ी	1940	-	-	-	1	4	-	-	-	1	4
3.	चौकी बीजापुर	1955	-	-	-	1	4	-	-	-	1	3
4.	थाना फालना	1997	-	1	1	2	19	-	1	1	2	19
5.	चौकी फालना	1939	-	-	-	1	6	-	-		1	5
6.	थाना नाणा	1935	-	1	-	1	12	-	1	-	1	12
7.	चौकी भीमाणा	1940	-	-	-	1	6	-	-	-	1	4
8.	चौकी बेड़ा	1962	-	-	-	1	4	-	-	-	1	4
9.	चौकी लाटाड़ा (थाना सादड़ी)	1953	-	-	-	1	4	-	-	-	1	4

जालौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सूअरों द्वारा फसलों को क्षति

241. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर), श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर), श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में ग्रामीण सूअरों (भंड़ूरों) की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हो गई है तथा वे गांव के आस-पास के खेतों में खड़ी फसल को नष्ट कर देते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सूअर फसलों को जड़ से खोदकर रोजड़ों से भी अधिक नुकसान पहुंचाते हैं ?

(3) क्या ग्रामीण सूअर भी राजस्थान वन जीव संरक्षण कानून, 1972 के अन्तर्गत संरक्षित जीव है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोजड़ों की तरह इन सूअरों को भी मारने की अनुमति किसानों को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वन विभाग द्वारा ग्रामीण सूअरों (भंड़ूरों) की गणना नहीं कराई जाती है अत: यह कहना सम्भव नहीं है कि इनकी संख्या में वृद्धि हुई है अथवा नहीं। ग्रामीण सूअर अधिकतर आबादी क्षेत्र में रहते है. अत: खेतों में खड़ी फसल को इनके द्वारा नष्ट करने की सम्भावना कम ही रहती है।

(2) ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। वैसे रोजड़े तो खेतों में विचरण करते हैं ग्रामीण सूअर तो अधिकतर आबादी के आस-पास ही रहते हैं अत: यह कहना उचित नहीं होगा कि वे रोजड़ों से अधिक नुकसान पहुंचाते है।

(3) जी नहीं। ग्रामीण सूअर वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संरक्षित प्राणी नहीं हैं। रोजड़ा वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत सुरक्षित प्राणी होने से इसे मारने की अनुमति देने का अधिकार वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत ही दिये गये हैं। अत: इस प्रकार की अनुमति ग्रामीण सूअरों के लिए दिया जाना सम्भव नहीं है।

अलवर जिले के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम बस सेवा

242. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला अलवर के किस-किस मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की कितनी-कितनी बसें कहां-कहां चलती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जिला अलवर में जिन-जिन योजना मार्गों एवं उनके भार्गो का राष्ट्रीयकरण किया गया है। उनकी सूची परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले के राष्ट्रीयकृत योजना मार्गों एवं उनके भागों पर निगम द्वारा संचालित एकल परिचालकों की संख्या दर्शाते हुए विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"1"

अलवर जिले के राष्ट्रीयकृत योजना मार्गों एवं उनके भागों की सूची :-

क्र.सं.	योजना मार्ग का नाम
1.	जयपुर-अलवर वाया शाहपुरा
2.	अलवर-देहली
3.	अलवर-गुबारिकपुर
4.	अलवर-नारायणपुर वाया कुशलगढ़
5.	अलवर-प्रतापगढ़ वाया थानागाजी

1	2
6.	दौसा-अलवर-बारूदा-टहला-नाराणी-सिरसा
7.	अलवर-तिराहा-नगर-डीग-भरतपुर
8.	अलवर-तिराहा-जालूकी-गोविन्दगढ
9.	अलवर-तिराहा-नगर-डीग
10.	अलवर-तिराहा-जालूकी-लक्ष्मणगढ़
11.	अलवर-तिराया-लक्ष्मणगढ़-खेडली
12.	शाहपुरा-शाहजहांपुर वाया पावटा-कोटपूतली-बहरोड
13.	शाहपुरा-बहरोड वाया पावटा-कोटपूतली
14.	कोटपूतली-बहरोड
15.	बहरोड़-शाहजहांपुर
16.	थानागाजी-दौसा वाया प्रतापगढ़-पिपलाई
17.	खेडली-हिण्डौन वाया छोकरवाडा-भुसावर
18.	जयपुर-डीग वाया रामगढ़-सैथल-राजगढ़
19.	पहाड़ी-कठूमर वाया नगर
20.	अलवर-तिजारा-भिवाड़ी वाया बहादुरपुर
21.	किशनगढ़-पलडिया-तिजारा
22.	टपुकड़ा-ततारपुर

1	2
23.	अलवर-जयपुर वाया मालाखेड़ा-राजगढ़-बांदीकुई-सिकन्दरा-दौसा
24.	अलवर-बहरोड़ वाया जिन्दौली-ततारपुर
25.	अलवर-खैरथल वाया चिकानी-बहादुरपुर-किशनगढ़बास
26.	कोटपूतली-अलवर वाया बानसूर-ततारपुर
27.	खैरथल-कोटकासिम वाया किशनगढबास-बीबीरानी
28.	कोटकासिम-भिवाड़ी (राज. सीमा)
29.	तिजारा-नीमली (राज. सीमा) वाया भगोर
30.	खैरथल-सोडावास वाया हरसोली-मुण्डावर
31.	खैरथल-बानसूर वाया ततारपुर चौराया-हमीरपुर
32.	बानसूर-रामपुरा वाया सुसेरी-मूंडली
33.	खैरथल-इस्माईलपुर वाया दादारहेठा
34.	अलवर-रेणी वाया मालाखेड़ा-राजगढ़
35.	अलवर-पृथ्वीपुरा वाया मालाखेड़ा
36.	राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ वाया माचेड़ा
37.	कोटपूतली-रायपुर (राज. सीमा)
38.	कोटपूतली-नारायणपुर
39.	शाहपुरा-नारायणपुर

1	2
40.	बहरोड़-गूगलकोटा
41.	बहरोड़-शाहजहांपुर
42.	शाहजहांपुर-राज. सीमा तक
43.	बहरोड़-बानसूर
44.	बहरोड़-मॉडन
45.	बहरोड़-भगवाडी
46.	अलवर-महावीरजी
47.	हरसोली-बीबीरानी
48.	किशनगढ़-कोटकासिम वाया बीबीरानी

परिशिष्ट-"2"

अलवर जिले के राष्ट्रीकृत योजना मार्गों एवं उनके भागों पर निगम के विभिन्न आगारों द्वारा मार्गवार संचालित एकल परिचक्रों का विवरण :-

क्र. सं.	योजना मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र
1	2	3
1.	जयपुर-अलवर वाया शाहपुरा	68
2.	अलवर-देहली	40
3.	अलवर-मुबारिकपुर	44

1	2	3
4.	अलवर-नारायणपुर वाया कुशलगढ़	44
5.	अलवर-प्रतापगढ़ वाया थानागाजी	36
6.	दौसा-अलवर-बारूदा-टहला-नाराणी-सिरसा	11
7.	अलवर-तिराहा-जालूकी-गोविन्दगढ	18
8.	अलवर-तिराहा-नगर-डीग-भरतपुर	46
9.	अलवर-तिराहा-नगर-डीग	42
10.	अलवर-तिराहा-जालूकी-लक्ष्मणगढ़	10
11.	अलवर-तिराहा-लक्ष्मणगढ़-खेडली	18
12.	शाहपुरा-बहरोड़ वाया पावटा-कोटपूतली	12
13.	कोटपूतली-बहरोड	31
14.	थानागाजी-दौसा वाया प्रतापगढ़-पिपलाई	8
15.	खेडली-हिण्डौन वाया छोकरवडा-भुसावर	2
16.	पहाड़ी-कठूमर वाया नगर	6
17.	अलवर-तिजारा-भिवाड़ी वाया बहादुरपुर	106
18.	किशनगढ़-पलडिया-तिजारा	
19.	टपुकड़ा-ततारपुर	
20.	अलवर-जयपुर वाया मालाखेड़ा-राजगढ़-बांदीकुई-सिकन्दरा-दौसा	48

1	2	3
21.	अलवर-बहरोड़ वाया जिन्दौली-ततारपुर	86
22.	अलवर-खैरथल वाया चिकानी-बहादुरपुर-किशनगढ़बास	72
23.	कोटपूतली-अलवर वाया बानसूर-ततारपुर	103
24.	बानसूर-डाबला वाया कोटपूतली-पाटन	4
25.	तिजारा-नीमली (राज. सीमा) वाया भगोर	6
26.	खैरथल-सोडावास वाया हरसोली-मुण्डावर	55
27.	खैरथल-बानसूर वाया ततारपुर चौराया-हमीरपुर	41
28.	बानसूर-रामपुरा वाया सुसेरी-मूंडली	12
29.	अलवर-रेणी वाया मालाखेड़ा-राजगढ़	8
30.	अलवर-पृथ्वीरामपुरा वाया मालाखेड़ा	20
31.	राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ वाया माचेड़ा	12
32.	कोटपूतली-रायपुर (राज. सीमा)	2
33.	कोटपूतली-नारायणपुर	12
34.	शाहपुरा-नारायणपुर	4
35.	बहरोड़-शाहजहांपुर	30
36.	शाहजहांपुर-राज. सीमा तक	32
37.	बहरोड़-बानसूर	52
38.	बहरोड़-मॉडन	2

1	2	3
39.	बहरोड़-भगवाडी	8
40.	अलवर-महावीरजी-महुवा-केलादेवी-हिण्डौन	42
41.	किशनगढ़-कोटकासिम वाया बीबीरानी	52

अजमेर की जवाजा पंचायत समिति के सूखाग्रस्त गांवों में कराये जा रहे कार्य

243. श्री देवी शंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अजमेर के कितने-कितने गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति जवाजा के सूखाग्रस्त घोषित किन-किन गांवों में काम हो रहे हैं एवं कितने शुरू किये जाने शेष हैं ?

(3) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के सूखाग्रस्त क्षेत्र में पशुओं को चारा उपलब्ध कराये जाने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जिला अजमेर में 760 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। विधान सभा क्षेत्रवार संख्या निम्न प्रकार है :-

विधान सभा क्षेत्र	ग्रामों की संख्या
ब्यावर	143
मसूदा	184
केकड़ी	36

(सहायता मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र	ग्रामों की संख्या
किशनगढ़	124
भिनाय	63
पुष्कर	117
नसीराबाद	93

ग्रामों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट-1)

(2) पंचायत समिति जवाजा के सूखाग्रस्त 126 गांवों में काम कराये जा रहे हैं। ग्रामवार कराये जा रहे कार्यों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2) 2 कार्य शुरू किये जाने शेष हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में उपखण्ड अधिकारियों को अपने क्षेत्र के चारा समस्याग्रस्त ग्रामों में चारा डिपो के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपखण्ड ब्यावर में 2 चारा डिपो की स्वीकृति डेयरी के माध्यम से जारी की गई है। वर्तमान में चारे की गम्भीर समस्या नहीं है। यदि समस्या आती है तो तत्काल ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चारा डिपो की स्वीकृति जारी कर बिना लाभ हानि के चारा उपलब्ध कराया जावेगा। इस हेतु व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु सभी सम्बन्धितों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बांसवाड़ा जिले के चयनित परिवारों को आबंटित भू-खण्ड

244. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य में दिनांक 27 नवम्बर, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 तक राजस्व अभियान चालाया गया ? यदि हां, तो जिला बांसवाड़ा की विभिन्न पंचायत समितियों में पंचायती राज अधिनियम, 1996

(श्री नवनीत नीनामा)

की धारा 158 के तहत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में कितने गरीबी रेखा में चयनित परिवारों को 150 वर्गगज तक की भूमि रियायती दर पर आबंटित की गई ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य में दिनांक 27 नवम्बर, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 तक राजस्व अभियान चलाया गया था जिसके द्वारा जिला बांसवाड़ा में पंचायत राज अधिनियम, 1996 की धारा 158 के तहत केवल पंचायत समिति गढ़ी की ग्राम पंचायतों द्वारा 30 बी.पी.एल. परिवारों को 150 वर्गगज तक की भूमि रियायती दर पर आबंटित की गई है। संख्या सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"क")

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु विकास निगम की स्थापना

245. श्री हरी सिंह रावत (भीम) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति निगम की भांति कोई अलग से बोर्ड अथवा निगम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार जिलेवार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निम्न सुविधाएं

(समाज कल्याण मंत्री)

उपलब्ध करवाई जा रही हैं :-

1. राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम, अन्य पिछड़ा वर्ग को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

2. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासी छात्र-छात्राओं, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 44,500 तक है, को केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (दसवीं से ऊपर कक्षा) दी जाती है। परन्तु उपरोक्त छात्रवृत्ति प्रशिक्षणार्थियों को नहीं दी जाती है।

3. अन्य पिछड़ा वर्ग (विमुक्त एवं घुमन्तु जाति) के छात्र/छात्राओं हेतु 30 राजकीय छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों में सभी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क भोजन, निवास, शिक्षा, स्टेशनरी, तख्ते, बिस्तर, खेल का सामान, ज्ञानवर्धक पुस्तकें, विशेष कठिन विषयों पर कोचिंग की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा बोक्स आदि की सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

4. कार्मिक (क-5) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28-9-1993 के द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिये भरी जाने वाली रिक्तियों का 21 प्रतिशत अंश अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है तथा उक्त आरक्षण का समस्त सेवा नियमों में प्रावधान किया जा चुका है। आरक्षित पदों को भरे जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत 100 बिन्दु पद आधारित रोस्टर प्रणाली की गई है। इसके अतिरिक्त सम्पन्न वर्ग की श्रेणी हेतु पूर्व में निर्धारित आय धन सीमा एक लाख रुपये को संशोधित कर 2.50 लाख रुपये किया गया है।

5. एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 21 प्रतिशत आरक्षण वर्ष 1999 से दिया जा रहा है।

(समाज कल्याण मंत्री)

6. तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर के अभियान्त्रिकी, प्रबन्ध, फार्मेसी तथा आर्किटैक्चर पाठ्यक्रम सहित समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी प्रवेश हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है।

7. कालेज शिक्षा विभाग में संचालित डिप्लोमा एवं अन्य विषयों में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रवेश के लिए 21 प्रतिशत सीटें आरक्षित की है।

(2) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19-4-2000 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति निगम की भांति ही राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड गठित है।

(3) फिलहाल जिलेवार अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने का विचार नहीं है।

परिशिष्ट-"1"

राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

1. सामान्य ऋण योजना
2. न्यू स्वर्णिमा ऋण योजना
3. मार्जिन मनी ऋण योजना
4. माइक्रो वित्त ऋण योजना
5. उच्च शिक्षा ऋण योजना

निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की लागत निम्न प्रकार से है :-

1.	एस.टी.डी./पी.सी.ओ.	80000
2.	चाक निर्माण	35000
3.	मसाला उद्योग	30000
4.	कारपेन्टरी शाप	30000
5.	इलेक्ट्रिक मोटर	25000
6.	डेयरी भैंस	50000
7.	चाय पान की दुकान	20000
8.	आटो टायर रिपेयर शाप	25000
9.	लुहारी कार्य	30000
10.	आटो पार्टस्	50000
11.	बुक बाइन्डिंग	35000
12.	टाईपिंग सेन्टर	50000
13.	सुनारी कार्य	50000

1	2	3
14.	चांदी, सोने की प्लेटिंग का कार्य	100000
15.	बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान	50000
16.	ढाबा/रेस्टोरेन्ट	80000
17.	बर्तन की दुकान	50000
18.	साईकिल बिक्री, मरम्मत व किराये पर देना	25000
19.	बिजली के सामान की दुकान	40000
20.	छापा खाना	50000
21.	जूते चप्पल बनाना एवं बिक्री	30000
22.	जीप टैक्सी	350000
23.	मिनी बस	350000
24.	इन्जीनियरिंग वर्कशाप	50000
25.	कृषि उपकरण	30000
26.	डीजल पम्प	20000
27.	मनीहारी सामान दुकान	30000
28.	मिठाई की दुकान	40000
29.	कपड़ा व्यवसाय	40000
30.	जनरल स्टोर	35000
31.	पत्तल दोने	30000

1	2	3
32.	फोटो कापीयर यूनिट	110000
33.	फूल झाड़ू	10000
34.	नमकीन व्यवसाय	50000
35.	म्यूजिक/साउण्ड सिस्टम	50000
36.	बैटरी निर्माण	50000
37.	लैथ मशीन	50000
38.	साबुन व्यवसाय	50000
39.	कम्प्यूटर जाब वर्क	50000
40.	टेलरिंग शाप	30000
42.	टेलरिंग मैटेरियल	40000
43.	स्टील फैब्रीकेशन	100000
44.	हेयर कटिंग सैलून/ब्यूटी पार्लर	40000
45.	गाय डेयरी	40000
46.	गोल्ड प्लेटिंग आन मेटल प्लान्ट	13500
47.	बैण्डबाजे की दुकान	50000
48.	फोटोग्राफी	50000
49.	एलोपैथी क्लिनिक	[illegible]0000
50.	आटो रिक्शा	90000

	2	3
51.	नाई की दुकान	20000
52.	ब्यूटी पार्लर	40000
53.	कृत्रिम आभूषण शाप	50000
54.	फल-फूल, सब्जी की दुकान	25000
55.	खाद, बीज, दवा, कृषि उपकरणों की शाप	50000
56.	टैन्ट हाऊस	100000
57.	ड्राईक्लीन/वाशिंग शाप	30000
58.	बेकरी	40000
59.	स्टेशनरी एवं पेन किताब दुकान	35000
60.	कपड़ों की रंगाई एवं प्रिन्टिंग	30000
61.	ट्रेक्टर मय ट्राली	230000
62.	कार टैक्सी	250000
63.	मिनी ट्रक	350000
64.	कम्प्यूटर इन्स्टीट्यूट	50000
65.	कुंआ गहरा करवाना	20000
66.	आटा चक्की	40000
67.	जूते चप्पल दुकान	30000
68.	हैण्डी क्राफ्ट	15000

1	2	3
69.	रेडीमेड गारमेन्टस	50000
70.	मेडीकल स्टोर	50000
71.	कशीदाकारी	40000
72.	पेन्टिंग दुकान	15000
73.	प्लेइंग टेम्पू	100000
74.	मिक्सर मशीन	50000
75.	आटो सर्विस सेन्टर	50000
76.	मसाला उद्योग	30000
77.	कुट्टी खाबला	40000
78.	किराना दुकान	30000
79.	तेल मिल	45000

बारां जिले के घोषित आदतन अपराधी

246. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में दिनांक 1 मार्च, 2005 तक किस-किस व्यक्ति को किस-किस पुलिस थाने द्वारा आदतन अपराधी घोषित किया हुआ है ?

(2) उक्त में से किस-किस व्यक्ति पर आदतन अपराधी घोषित होने की तारीख को कौन-कौनसी धाराओं में कितने प्रकरण विचाराधीन थे एवं इनमें से किस-किस प्रकरण में इन्हें अब तक सजा घोषित हो चुकी है एवं कितने प्रकरण दिनांक 1 मार्च, 2005 को न्यायालय या पुलिस थानों में लम्बित हैं ?

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

(3) किसी भी व्यक्ति को आदतन अपराधी घोषित करने व हिस्ट्रीशीट समाप्त करने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं एवं वर्तमान में ऐसे कौन-कौन से आदतन अपराधी हैं जिन्हें आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त होने तथा वर्तमान स्थिति में 1-2 आपराधिक प्रकरण ही विचाराधीन होने के बावजूद आदतन अपराधी घोषित किया हुआ है ?

उत्तर

(1) जिला बारां में दिनांक 1 मार्च, 2005 तक विभिन्न पुलिस थानों पर घोषित किये गये हिस्ट्रीशीटरों की थानावाइज सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त सूची में सम्मिलित हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोलने की तिथि को विचाराधीन प्रकरण एवं इनमें से जिस-जिस प्रकरणों में उन्हें अब तक न्यायालय से सजा घोषित हो चुकी है तथा उक्त में से 1 मार्च, 2005 को न्यायालय एवं पुलिस में लम्बित रहे प्रकरण उक्त सूची के कालम संख्या 4, 5, 6, 7, 8 में दर्शाये गये हैं।

(3) किसी भी व्यक्ति को हिस्ट्रीशीटर घोषित करने एवं हिस्ट्रीशीट समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम राजस्थान पुलिस (रेगुलेशन) नियम, 1965 के अध्याय 4 "अपराध एवं निवारण" में उल्लेखित है जो परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है। इनके अनुसार ही आपराधिक प्रवृत्ति के दुश्चरित्र व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट खोली जाती है एवं बन्द की जाती है। वर्तमान में ऐसे आदतन अपराधी जो आपराधिक प्रकरण में दोष मुक्त हो गये हैं या वर्तमान में जिनके विरुद्ध 1-2 ही आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है और जिन्हें आदतन अपराधी घोषित किया हुआ है, उनका विवरण परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(सूची आदि विस्तृत होने के कार॰. पुस्तकालय में रखी ॰.यी)

बारां जिले में तेन्दूपत्ते की तुड़ाई का ठेका प्रकरण

247. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बारां जिले की छबड़ा, छीपाबड़ौद, अटरू, शाहबाद, केलवाड़ा एवं नाहरगढ़ के वन क्षेत्रों में 50 से अधिक तेन्दूपत्ता इकाइयां बनाई गई हैं ? जिनमें प्रतिवर्ष तेन्दूपत्ता तुड़ाई का ठेका दिया जाता है या विभागीय स्तर पर तुड़ाया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2004-05 में सरकार द्वारा छबड़ा, छीपाबड़ौद व अटरू की आधी से अधिक इकाइयों का तेन्दूपत्ता तुड़ाई का ठेका नहीं दिया गया, इस कारण सरकार के भारी आर्थिक हानि हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वर्ष 2004-05 के लिए अधिसूचना दिनांक 10-11-2003 को जारी कर बारां जिले की छबड़ा, छीपाबड़ौद, अटरू, शाहबाद, किशनगंज, केलवाड़ा व नाहरगढ़ रेंजों के वन क्षेत्रों में 45 तेन्दूपत्ता इकाइयां गठित की गयी थी। इस प्रकार से गठित इकाइयों का प्रतिवर्ष व्ययन निविदा तथा नीलामी से किया जाता है। व्ययन से अवशेष रही इकाइयों में सीमित मात्रा में अच्छी किस्म का तेन्दूपत्ता ही विभागीय तौर से संग्रहीत करवाया जाता है अथवा पड़त रखा जाता है।

(2) बारां जिले की छबड़ा, छीपाबड़ौद तथा अटरू रेंज की 26 इकाइयों में से पूर्ण प्रयत्न के उपरान्त 11 इकाइयां विक्रय की जा सकी तथा एक इकाई में विभागीय संग्रहण तथा 14 इकाइयों को पड़त रखा गया है। अतः इकाइयां को राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत पड़त रखा गया है इकाइयों के विक्रय नहीं होने से राजस्व की कमी में प्रशासनिक स्तर पर कोई त्रुटि नहीं हुई है अतः जांच कराने की आवश्यकता प्रकट नहीं हुई है।

किशनगढ़ रेनवाल (जयपुर) में खेल स्टेडियम की स्थापना

248. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास की क्या योजना प्रस्तावित है ?

(2) क्या यह सही है कि किशनगढ़ रेनवाल (जयपुर) में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो वहां खेल स्टेडियम का निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास हेतु खेल प्रतिभा चयन योजना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में केवल जिला मुख्यालय पर ही स्टेडियम निर्माण हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना क्रियान्वित हैं।

चौरासी के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन सामग्री की कालाबाजारी

249. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां व किस-किस व्यक्ति को आबंटित हैं तथा कितनी दुकानों के राशन डीलर नियुक्त नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिले में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्रामीण क्षेत्रों को आबंटित गेहूं एवं केरोसीन की कालाबाजारी की शिकायतें

(श्री सुशील कटारा)

सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में उचित मूल्य की दुकानें पंचायतवार, केन्द्रवार जिस-जिस व्यक्ति/संस्था को आबंटित है, उनकी सूची प्रपत्र-"अ" पर संलग्न है।

दुकानों के राशन डीलर नियुक्त नहीं है। सूची प्रपत्र-"ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिले में 28 दुकानों पर राशन डीलर नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी है।

(3) जी हां। गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्रामीण क्षेत्र को आबंटित गेहूं एवं केरोसीन की कालाबाजारी के 12 प्रकरण बनायें गये हैं। इनमें से 5 प्रकरणों में प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये। दो प्रकरणों में प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये। शेष 5 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। कार्यवाही विवरण प्रपत्र-"स" पर संलग्न है।

प्रपत्र-अ

उचित मूल्य दुकानों की सूची विधान सभा क्षेत्र चौरासी

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	क्र. सं.	उ.मू.दु. का नाम	डीलर का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	आमझरा	1.	आमझरा 1	श्री रामेश्वर/जीवाजी	
		2.	आमझरा 2	श्री मणीलाल/नाथा	
2.	बरोठी	3.	बरोठी	श्री देवीलाल/माधवजी	

1	2	3	4	5	6
		4.	झीड़ंवा	श्री सांकलचंद/थावरजी	
3.	संचिया	5.	संचिया	श्री जीवनलाल/कमलजी	
4.	कनबा	6.	कनबा 1	श्री लैम्प कनबा	
		7.	कनबा 2	श्री लैम्प कनबा	
5.	छापी	8.	छापी	श्री गोतमलाल	
		9.	बिलपन	श्री लक्ष्मीदेवी/नगीनराम	
6.	बिछीवाड़ा	10.	बिछीवाड़ा	श्री लैम्प व्यय बिछीवाडा	
7.	मोदर	11..	मोदर	लैम्प चुण्डावाडा (अ.)	रिक्त
		12.	पन्थाल	श्री रामलाल	
8.	गेंड	13.	गेंड	श्री सोहनलाल (अ.)	रिक्त
		14.	जाम्बुडी	श्री सोहनलाल भगोरा	
9.	तलैया	15.	तलैया	श्री लैम्प चुण्डावाडा	
		16.	बोर का पानी	श्री लैम्प चुण्डावाडा	
10.	खजूरी	17.	खजूरी	श्री गिरिश वेलजी	
11.	मालमाथा	18.	मालमाथा	लैम्प बिछीवाडा	
		19.	थामोद	लैम्प बिछीवाडा	
12.	चुण्डावाडा	20.	चुण्डावाडा	श्री लैम्प चुण्डावाडा	
		21.	नयातालाब	श्री बेसात/बाला	
		22.	लाबा झाटडा	श्री भंवरलाल निलम्बित	अटेच लैम्पचुण्डावाडा

1	2	3	4	5	6
		23.	चुण्डावाड	श्री नजर हुसैन	नीला केरोसीन डीलर
		24.	नयातालाब	श्री अकबर अली	नील केरोसीन डीलर
13.	भेहणा	25.	भेहण	श्री हुरमा/सोमा	
		26.	घड़माल	श्री कान्तिलाल/कपूरचंद	
		27.	रातापानी	श्री सोहनलाल/नाथुलाल	
14.	[illegible] मडी [illegible] हडा	28.	गामडी अहाडा	श्री रामलाल/थावराजी	
		29.	गामडी अहाडा 2	श्री मनोहरलाल/कुरा	
		30.	लोडवाडा	श्री नवीनचन्द/रूपजी	
15.	माडा	31.	माडा	श्री ताराचन्द/सुखलाल	
		32.	माडा 2	श्री मुकेश/टेकचन्द लंबाना	
		33.	माडा	श्री भीमराज	नील केरोसीन डीलर
16.	रामपुर मे[illegible] डा	34.	रामपुरमेवाड	श्री कान्तिलाल/खातर	
	मेवाडा	35.	मेवाड	श्री सुरेश कुमार जैन	
17.	वीरपुर	36.	शरम	श्री मेघराज/नारेली	
		37.	नारेली	श्री विपिन/रामकृष्ण डामोर	
18.	झालुकुआ	38.	रामसागडा	श्री शंकर/हुक	
		39.	कापडबेल	श्री रूपलाल/हलिया	निलम्बित (अटेच सुरेश कुमार)

1	2	3	4	5	6
19.	रेटा	40.	रेटा	लैम्प गेंजी	
20.	गेंजी	41.	गेंजी	श्री लैम्प गेंजी	
		42.	सालमपुरा	श्री लैम्प गेंजी	
		43.	गेंजी/रेटा	श्री शाह जड़ावचन्द	नीला केरोसीन डीलर
21.	गलन्दर	44.	गलन्दर 1	श्री गजेन्द्र कुमार/खेमराज जैन	
		45.	गलन्दर 2	श्री माडा लैम्पस	
		46.	मानातलाई	स्व. श्री कचरूलाल	
22.	विकासनगर	47.	विकासनगर 1	श्री महेन्द्र कुमार	
		48.	विकासनगर 2	श्री देवीलाल/गौतम	
		49.	राणों का बांटा	कान्तिलाल/गौतम	
23.	मह्डी पाल	50.	चकमहुडी	श्री रामालाल/लक्ष्मीचंद	
		51.	आडीकडाई	श्री प्रेमचन्द/हिरालाल	
		52.	वासुवा	श्री शिवलाल/नानाजी	
24.	काकरादरा	53.	डेडकी का वेल	श्री भोगीलाल/गोतमजी	
		54.	घाटा	श्री व्यय पट्टी उत्पा.स.स. बलवाडा	
25.	र डली मुजरेश	55.	पा. वीर सिंह	लैम्पस भीण्डा	

1	2	3	4	5	6
		56.	नरातफल	लैम्पस सांसरपुर	
		57.	पागुजरेश्वर	लेम्प सांसरपुर	
26.	सांसरपुर	58.	कंजडिया फल	लेम्प सांसरपुर (अ.) रिक्त	निरस्त (चम्पालाल आ[illegible] मैं
		59.	माण्डेला उपली	श्री शंकर लाल/हाजाजी	
27.	माल	60.	माल	श्रीमती जीज देवी	
		61.	चौकी	श्री भंवरलाल/बदाजी	
28.	सुराता	62.	सुराता 1	श्री रूपलाल/पन्नाजी	
		63.	सुराता 2	लेम्प सांसरपुर	
		64.	मोर डूंगरा	श्री गटुलाल/जीवाजी	
29.	पोहरी खातुरात	65.	लांबा सादोड	श्री शंकरलाल/अर्जुन	
		66.	नेगाला	श्री केशवलाल/माधवलाल	
30.	झोंथरी	67.	झोंथरी 1	श्री सूरजमल/रामजी	
		68.	झोंथरी 2	श्री अर्जुनलाल/नगजी	
31.	बेडा	69.	बेडा	श्री हिरालाल	
32.	वेंजा	70.	गोराद	श्री कचरा/नाथू	
		71.	वेंजा	श्री लेम्प गेंजी	
33.	चारवाडा	72.	चारवाडा	श्री लेम्बाजी/द्रोलाजी	

1	2	3	4	5	6
34.	करा[illegible] डा	73.	करा[illegible] डा	श्री लेम्प करावाडा	
		74.	[illegible] रा[illegible] डा	श्री शंकरलाल/हीराजी	
		75.	करा[illegible] डा	श्री महेशचन्द्र	[illegible] केरो[illegible] न डीलर
35.	गन्धर पाल	76.	गन्धर [illegible] 1	श्री वेलजी/किशनजी	
		77.	[illegible] न्धर [illegible] 2	[illegible] कारुलाल/कानजी	
		78.	[illegible] तफर [illegible]	लेम्प करावाडा	
		79.	[illegible] णिर [illegible] ताल [illegible]	श्री गोरीशंकर/रूपाजी	
36.	बेडसा	[illegible].	बेडर [illegible] 1	लेम्पस धम्बोला (अ.)	
		81.	बेडसा 2	लेम्पस धम्बोला	
37.	[illegible] सिया	82.	[illegible] सिर [illegible] 1	लेम्पस चाडोली	
		83.	[illegible] सिया 2	लेम्पस चाडोली	
		84.	[illegible] सिर [illegible]	श्री प्रभुलाल	[illegible] केरोसी[illegible] डीलर
38.	धुवेड	85.	धुवेड 1	लेम्पस धम्बोला	
39.	नमरि[illegible] पंचेला	86.	धुवेड 2	लेम्पस धम्बोला	
40.	धम[illegible]ला	87.	धम[illegible] [illegible] 1	लेम्पस धम्बोला	
		88.	धम[illegible] [illegible] 2	लेम्पस धम[illegible]ला	
		89.	धम[illegible]ला 3	लेम्पस धम्बोला (अ.)	
		90.	धम[illegible] [illegible]	[illegible] धनपाल	[illegible] केरो[illegible] न डीलर

1	2	3	4	5	6
		91.	धम्बोला	सुरेश पण्ड्या	नीला केरोसीन डीलर
41.	साकरसी	92.	साकरसी 1	देवचंद/राघवजी	
		93.	साकरसी 2	देवचंद/राघवजी (अ.)	रिक्त
42.	लिखीबडी	94.	लिखीबडी 1	जवानसिंह/ल[illegible]मणसिंह	
		95.	लिखीबडी 2	लक्ष्मणलाल/हकरा	
43.	रास्ता	96.	रास्ता 1	चन्दुलाल/भोगजी	
		97.	रास्ता 2	नारायणलाल/वलमजी	
		98.	रास्ता 3	लेम्पस रास्ता	
44.	माण्डली	99.	माण्डली 1	लेम्पस रास्ता	
		100.	माण्डली 2	नारायण/हेमजी	
45.	शीथल	101.	शीथल	नटवरलाल/नगजी	
46.	झलाप	102.	झलाप	अमरजी/कालूजी	
47.	सादडिया	103.	सादडिया 1	लेम्पस सीमलवाडा	
		104.	सादडिया 2	मोहनलाल	
48.	झरनी	105.	झरनी	लेम्पस पीठ	
49.	झलाई	106.	झलाई	नटवरलाल/नानजी (अ.)	
50.	सीमलवाडा	107.	सीमलवाडा 1	शैलेन्द्र कुमार/इन्द्रलाल	
		108.	सीमलवाडा 2	लेम्पस सीमलवाडा	

1	2	3	4	5	6
		109.	सीमलवाड़ा 3	लेम्पस सीमलवाड़ा	
		110.	सीमलवाड़ा	श्री सतीश शाह	नीला केरोसीन डीलर
		111.	सीमलवाड़ा	श्री युसुफ सुलेमान	नीला केरोसीन डीलर
		112.	सीमलवाड़ा	श्री कान्तिलाल	नीला केरोसीन डीलर
		113.	सीमलवाड़ा	श्री मेघराज ओटो	नीला केरोसीन डीलर
		114.	सीमलवाड़ा	श्री महावीर ओटो	नीला केरोसीन डीलर
51.	गड़ा पट्टे पीठ	115.	राजपुर	श्री अशोक/रामलाल	
52.	पीठ	116.	पीठ 1	लेम्पस पीठ	
		117.	पीठ 2	लेम्पस पीठ	
		118.	पीठ	श्री भंवरलाल	नीला केरोसीन डीलर
		119.	पीठ	श्री भुता ब्रदर्स	नीला केरोसीन डीलर
53.	घोघरा	120.	घोघरा	श्री हरजी/कचरा	
54.	बोडामली	121.	बोडामली 1	श्री मोहनलाल/फुला	
		122.	बोडामली 2	श्री रामा/खातरा (निरस्त)	रिक्त (अटेच कान्तिलाल/कनु सरपंच)
		123.	कोदरिया	श्री कान्तिलाल/कनुजी	
55.	मेवडा	124.	मेवडा	श्री भरतलाल/नाना	
56.	चाडोली	125.	चाडोली	श्री गटूलाल/मोगजी	

1	2	3	4	5	6
57.	मालाखेलडा	126.	मालाखोलडा	श्री विजयलाल	
		127.	खार	श्री भूरा/लखमा	
58.	जोरावरपुरा	128.	जोरावरपुरा 1	श्री सुग्रम कुमार (निलम्बित)	लेम्प पीठ (अ.)
		129.	जोरावरपुरा 2	श्री ताजू/विजिया	
59.	बांकडा	130.	बांकडा 1	श्री मगनलाल/पदमजी	
		131.	बांकडा 2	लेम्प पुनावड़ा	
60.	भचडिया	132.	भचडिया 1	लेम्पस पीठ	
		133.	भचडिया 2	लेम्पस पीठ	
61.	सरथुना	134.	सरथुना 1	श्री अमृतलाल/हेमचन्द	
		135.	सरथुना 2	श्री कालूराम/खातारा (निरस्त)	रिक्त (अटेच अमृतलाल/हेम सरपंच)
62.	डूंका	136.	डूंका 1	श्री मोगा/हीराजी	
		137.	डूंका 2	श्री पूंजीलाल	
63.	रामसौर जुना	138.	भाटिया	लेम्प पुनावाडा	
64.	पुनावाडा	139.	पुनावाडा	श्री अर्जुन/पूजा	

जिला कलक्टर (रसद)
डूंगरपुर (राज.)

प्रपत्र-

रिक्त उचित मूल्य दुकान की सूची विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	क्र.सं.	उ.मू.दु. का नाम		
1	2	3	4		
1.	मोदर	1.	मोदर		
2.	गेंड	2.	गेंड		
3.	सांसरपुर	3.	कंजडिया फला		
4.	साकरसी	4.	साकरसी 2		
5.	बोडामली	5.	बोडामली 2		
6.	सरथुना	6.	सरथुना 2		

जिला कलक्टर (रसद)
डूंगरपुर (राज.)

प्रपत्र-"स"

गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटित गेहूं एवं केरोसीन की कालाबाजारी की प्राप्त शिकायतें एवं की कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	दिनांक	प्रकरण	जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई	मात्रा गेहूं केरोसीन	न्यायिक कार्यवाही	6ए के अन्तर्गत कार्यवाही विवरण		विभागीय कार्यवाही	विशेष विवरण
						निर्णय दिनांक	क्या निर्णय रहा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	17-1-2002	37/2	धुलजी/बदा, ड.मू.दु., नारेली	37 क्वि. गेहूं मय बारदाना	-	10-7-2002	माल राज्यसात	DSO द्वारा 16-9-2002 को प्राधिकार निरस्त	
2.	17-4-2002	68/02	हीरालाल/मावजी.	136 क्वि. 63 किलो	-	10-7-2002	माल राज्यसात	DSO द्वारा 9-2-2002	रिवीजन एवं रिमाण्ड के उपरान्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ड.मू.दु., बैड़ा	गेहूं मय बारदाना				को प्राधिकार निरस्त	विकास अधिकारी द्वारा प्राधिकार बहाल 22-1-2004
3.	4-1-2003	4/03	नारायण लाल/, जीवण, ड.मू.दु., झरनी	93 क्वि. 40 किलो गेहूं मय बारदाना	15/03 एफ.आई.आर. सी.जे.एम. कोर्ट में चालान प्र.सं. 288/02 तारीख पेशी 19-3-2005 बहस में	30-7-2003	माल वापस	प्राधिकार निरस्त 4-8-2004	कलक्टर अपील में प्राधिकार बहाल 13-10-2004
4.	18-1-2003	5/03	नागचन्द/नाथु (निजी व्यक्ति), सासरपुर	25 क्वि. 30 किलो गेहू मय बारदाना	23/03 एफ.आई.आर. सी.जे.एम. कोर्ट में चालान	30-4-2003	माल राज्यसात	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					प्रकरण सं. 10/03 विचाराधीन				
5.	12-5-2003	43/03	जसवन्त/जीवा लेम्प चाडाली	60 क्वि. गेहूं मय बारदान	115/03 एफ.आई.आर. सी.जे.एम. कोर्ट में चालान 285/03 तारीख पेशी 11-4-2005	15-10-2003	माल वापस	विचाराधीन दिनांक 24-8-2004	सेल्समेन को नौकरी से हटाया
6.	29-9-2003	8/03	मागोलाल/ लालजी गेजी (निजी व्यक्ति)	104 क्वि. 63 किलो गेहूं मय बारदान		24-12-2003	माल वापस		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	14-12-2004	3/04	दया/मोगा गाम्डी अहाडा (नि.ी व्यक्ति)	18 क्वि. 42 किलो गेहूं मय बारदाना	3/1328 दिनांक 14-12-2004 एफ.आई.आर.	-	विचाराधीन दिनांक 7-3-2005	-	-
8.	28-8-2004	224/04	चम्पालाल/ पूजाजी, उ.मू.दु., कजडियाफला	11.36 गेहूं दूरूपयोग गबन	-	-	-	प्राधिकार निरस्त 13-9-2004	अपील में पेन्डिंग
9.	15-9-2004	285/04	सग्राम कुमार, उ.मू.दु., जोखरपुरा	395.17 गेहूं गबन	-	-	-	निलम्बित 22-7-2004	जांच जारी
10.	26-12-2003	332/02	रतनलाल, उ.मू.दु., मौदर	250 क्वि. गेहूं गबन दुरुपयोग	143/03 एफ.आई.आर. दिनांक	-	-	प्राधिकार निरस्त 24-3-2004	सी.जे.एम. में दिनांक 23-3-2005 को पेशी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					17-6-2003 एफ.आर. 15/04 दिनांक 12-7-2004				
11.	17-1-2005	4/05	बाबुलाल, (निजी व्यक्ति) सरोदा	35 क्वि. मय गेहूं मय बारदाना			विचाराधीन तारीख 5-3-2005		
12.	23-2-2005	30/05	श्री भंवरलाल, उ.मू.दु., लाम्बाभाटड़ा	916 लीटर केरोसीन मय ड्रम 4			विचाराधीन तारीख 13-4-2005	प्राधिकार पत्र निलम्बित	23-2-2005

जिला कलक्टर (रसद)
डूंगरपुर (राज.)

ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन

250. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिन पंचायतों का क्षेत्रफल अधिक है उनका पुनर्सीमांकन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। परन्तु परिसीमन आयोग की रोक होने के कारण पंचायतों के पुनर्सीमांकन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है। परिसीमन आयोग की रोक हटने पर पुनर्सीमांकन पर विचार किया जायेगा।

सहकारी बैंकों के दोषी ऋणी सदस्यों से ऋण वसूली हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन

251. श्री रघुवीर सिंह [illegible] (सराड़ा), [illegible] तराम (मालपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के नादेहन्दगान ऋणी सदस्यों (डीफाल्टर लोनी मेम्बर्स) से वसूली हेतु दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की किस धारा के तहत उक्त विज्ञापन प्रकाशित किये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन विज्ञापनों पर हो रही खर्चे की राशि को ऋणी सदस्यों के खाते में नामे (डेबिट) लिखी जा रही है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

(3) क्या वसूली खर्च (जिसमें विज्ञापन आदि की राशि भी शामिल होती है) की राशि अवधि पार राशि के तीन प्रतिशत से अधिक वसूल की जा

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

सकती है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत और यदि नहीं, तो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जा रहे विज्ञापनों पर हुए खर्च की राशि गरीब किसानों के खातों में डेबिट क्यों की जा रही है व इसके लिए कौन दो] है ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी एक मुश्त समाधान व पुनःश्चीकरण योजनाओं में पात्र ऋणी कृषकों के नाम भी इन विज्ञापनों में प्रकाशित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों एवं किन नियमों के अन्तर्गत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 108 के उपनियम 4(ड) के प्रावधानों के तहत नादेहन्दगान ऋणी सदस्यों से वसूली हेतु समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किये जाते हैं ना कि विज्ञापन।

(2) नोटिस प्रकाशन पर हुए खर्चे की राशि दोषी ऋणी सदस्यों के खातों में अनुपातिक रूप से नामे लिखी जाती है, जिससे एक ऋणी पर पूरे प्रकाशन के खर्चे का भार न पड़े। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 87 के तहत उक्त कार्यवाही की जाती है।

(3) जी, हां। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 87 के अन्तर्गत वसूली खर्च ऋणी सदस्यों से वसूल किया जा सकता है।

(4) जी नहीं।

श्रीगंगानगर जिले में किसान आन्दोलन के दौरान पुलिस फायरिंग

252. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

श्री हरिमोहन शर्मा

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में घड़साना, रावला आदि क्षेत्र में पानी के लिये किए जा रहे किसान आन्दोलन के समय पुलिस फाइरिंग की गई और उससे 5 लोगों की मृत्यु हुई ? यदि हां, तो क्या इस हेतु पुलिस को सक्षम अधिकारियों द्वारा वांछित आदेश दिए गए ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पुलिस फायरिंग में मरने वालों का सरकार द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया ? यदि हां, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में घड़साना, रावला आदि क्षेत्र में पानी के लिये किये जा रहे किसान आन्दोलन के समय पुलिस फायरिंग की गई और उससे घड़साना व रावला क्षेत्र में 4 लोगों की मृत्यु हुई। दिनांक 27-10-2004 को पुलिस थाना रावला पर उग्र भीड़ द्वारा जान लेवा हमला किया गया। थाने में आग लगा देने के कारण अन्य विकल्प नहीं होने से थानाधिकारी के आदेशानुसार आत्म-रक्षार्थ फायरिंग की गई जिससे तीन दंगाईयों क्रमशः मांगीलाल, कालूसिंह व राजकुमार की गोली लगने से मृत्यु हो गई तथा घड़साना क्षेत्र में भी दिनांक 27-10-2004 को ए.डी.एम. प्रशासन द्वारा कर्फ्यू की घोषणा के बावजूद भी दंगाइयों को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग के आदेश दिये गये जिससे एक व्यक्ति जेठाराम की मृत्यु हो गई।

(2) हां। यह सही है कि उक्त पुलिस फायरिंग में मरने वालों का सरकार द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम की प्रतियां परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

थानागाजी में खेल स्टेडियम का निर्माण

374. श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के उपखण्ड मुख्यालय पर खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत स्टेडियम निर्माण का प्रावधान जिला मुख्यालयों पर ही है। अन्य स्थानों पर खेल मैदानों के विकास की योजना है।

बारां जिले के ठेकेदार द्वारा रायल्टी की वसूली

375. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में ऐसे कितने स्थान हैं जहां पर बजरी व पत्थर के ठेके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि किसानों को सरकार गृह कार्य के लिये बजरी व पत्थर में छूट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदारों द्वारा किसानों से अधिक राशि वसूल की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि ठेकेदारों द्वारा सूचना पट्ट पर प्रति टन के हिसाब से सूचना चस्पा की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों व किस-किस जगह पर सूचना पट्ट लगाये गये हैं ?

(श्री हेमराज मीणा)

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वार रायल्टी का कलेक्शन एक जगह पर नाका लगाकर किया जाता है ? यदि हां, तो ठेकेदारों ने कहां-कहां पर नाके स्थापित कर रखे हैं व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बारां जिले में पांच स्थानों पर खनिज बजरी व पत्थर के ठेके स्वीकृत कर रखे हैं, जो निम्न प्रकार है :-

1. क्षेत्र अटरू, छबड़ा एवं छीपा बड़ौद राजस्व तहसीलों से निकलने वाले खनिज बजरी पर रायल्टी एवं परमिट फीस वसूली ठेका।

2. राजस्व सीमा तहसील अटरू, छबड़ा एवं छीपा बड़ौद क्षेत्र में स्वीकृत खननपट्टों से निकलने वाले खनिज मेसेनरीस्टोन पर अधिक अधिशुल्क वसूली ठेका।

3. तहसील बारां, मांगरोल, किशनगंज, अन्ता, शाहबाद जिला बारां से निकलने वाले खनिज बजरी पर रायल्टी एवं परमिट फीस वसूली ठेका।

4. राजस्व सीमा ग्राम बारां, बरडा तहसील व जिला बारां से निकलने वाले खनिज मेसेनरीस्टोन पर अधिक अधिशुल्क वसूली ठेका।

5. राजस्व सीमा तहसील मांगरोल, अन्ता जिला बारां में खनिज मेसेनरीस्टोन/सेण्डस्टोन पर अधिक अधिशुल्क वसूली का ठेका, उक्त ठेका कोटा जिले की दीगोद एवं पीपल्दा तहसील के साथ सम्मिलित कर स्वीकृत किया हुआ है।

(2) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के नियम 58 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में यदि छोटे किसान आवासीय मकान, चार दी..री,

(खनिज मंत्री)

पशुबाडा, कुआ, खेत की दीवार, टैंक इत्यादि का निर्माण कराता है एवं इसके लिए सम्बन्धित पटवारी अथवा पंचायत द्वारा जारी परमिट प्रस्तुत करता है तो उस बजरी व पत्थर पर कोई रायल्टी देय नहीं है।

(3) इस तरह की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी हां। ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक बोर्ड पर रायल्टी की दर प्रतिटन की सूचना चस्पा की जाती है। जहां-जहां सूचना बोर्ड लगा रखे हैं, उनकी सूचना परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(5) जी हां। वर्तमान में बारां जिले में खनिज मेसेनरी स्टोन एवं बजरी के ठेके दिये हुए हैं। ठेकेदार द्वारा रायल्टी के संग्रहण हेतु जहां-जहां नाके स्थापित कर रखे हैं उसकी सूचना परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"अ"

बारां जिले में आर.सी.सी. व ई.आर.सी.सी. ठेकों के नाकों व सूचना बोर्ड की सूची

क्र. सं.	नाका एवं सूचना बोर्ड का स्थल
आर.सी.सी.	
1.	पलायथा तहसील अन्ता जिला बारां में झण्डी पर
2.	गांव दरडपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां में नदी पर
3.	गांव रानी बडोद तहसील किशनगंज जिला बारां में कल्ला के गोदाम के बाहर
4.	सीसवाली तहसील अन्ता जिला बारां में नदी के बाहर प्याऊ पर
5.	सूरयाक तहसील मांगरोल जिला बारां में चौकी पर

1	2
ई.आर.सी.सी.	
6.	बारां बरडा में पाइप फैक्ट्री के सामने शाहबाद रोड़ पर, आशाराम आश्रम पर, आईबीपी पेट्रोल पम्प के सामने शाहबाद रोड़ पर
7.	मांगरोल व अंता तहसील में ढीबरी, पलायथा, बालदडा, पुराना पाचड व मऊ जागीर पर

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खनन पट्टों की स्वीकृति

376. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनजाति उप योजना क्षेत्र में कितनी वृहद् एवं लघु खानें कब-कब किस-किस नाम से स्वीकृत हैं ? क्या सभी स्वीकृत खानें चालू हालत में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने खनन पट्टे स्वीकृति पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार प्रतिबन्ध को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो खनन पट्टे स्वीकृति के क्या मानदण्ड होंगे एवं किन लोगों को स्वीकृत किये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति उप योजना क्षेत्र में प्रधान खनिज के 206 खनन पट्टे तथा अप्रधान खनिज के 618 खनन पट्टे स्वीकृत हैं। खनन पट्टों की विस्तृत सूची एवं खानें चालू होने के सम्बन्ध में विवरण संलग्न परिशिष्ट-"अ" पर दर्शाया गया है।

(2) जी हां। सिविल अपील संख्या 4601-02/96 द्वारा समथा बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्य में हुए निर्णय दिनांक 11-7-1997 की अनुपालना में

(खनिज मंत्री)

खनन पट्टे स्वीकृति पर प्रतिबन्ध लगा रखा है सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य के महाधिवक्ता से राय मांगी है राय प्राप्त होने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान पुलिस सेवा में पदोन्नत पुलिस निरीक्षक

377. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में राजस्थान पुलिस सेवा के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस सेवा के पदों पर पदोन्नति करते समय 50 प्रतिशत पद पुलिस निरीक्षकों के पद से भरे जाते हैं ? यदि हां, तो आर.पी.एस. पद पर पदोन्नति के नियम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पदोन्नति द्वारा भरे गये उप अधीक्षक पुलिस व अपर अधीक्षक पुलिस के पद पदोन्नति या सेवानिवृति से रिक्त होने पर उक्त पदों पर पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नति दी जाती है ? यदि हां तो वर्ष 2000 के पश्चात् अब तक इस प्रकार कितनी पदोन्नतियां दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राजस्थान पुलिस सेवा के (प्रशिक्षण, रिजर्व, लीव रिजर्व एवं प्रतिनियुक्त रिजर्व सहित) कुल 617 पद स्वीकृत हैं इनमें से वर्तमान में 78 पद रिक्त हैं।

(गृह मंत्री)

(2) राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम-7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा के 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति के माध्यम से पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर पद के अधिकारियों द्वारा भरा जाता है। राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 7 की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों की सेवानिवृत्ति या उच्च पदों पर पदोन्नत होने से रिक्त हुए पदों को पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर पद के अधिकारियों से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। वर्ष 2000 के पश्चात् अब तक कुल 108 पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर पद के अधिकारियों को राजस्थान पुलिस सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है।

परिशिष्ट-"अ"

PART III-Recr itı ent

7. Sources of recruitment.-Recruitment to the Service after the commencement of these rules shall be made-

(a) by a competitive examination;

Provided that vacancies shall be reserved for cand 1 es wl › are non-gazetted employees in accordance with sub-rule (2) of rule 4 of the Rajasthan State and subordinate Services (Direct Recruitment by combined Competitive Examinations) Rules, 1962.

(b) by promotion of Inspectors.

+(c) by special selection from among the temporary officers of the R.A.C., so appointed before 14-7-1954 to posts encadred in the service at the commencement of these rules or from among officers of the M.B.C. serving in the corresponding rank on 14-7-1954;

Provided that clause (c) of this rule shall not be operative after the 31st December, 1956.

"(d) by direct recruitment on the basis of selection of the posts included in schedule I-A"

*"Provided further that recruitment by competitive examination" and promotion shall be in the ratio of 2:3 uptill 1963 and 50% by each method thereafter."

The following cyclic order shall be followed till the year 1963:-

The first by direct recruitment;

The next two by promotion;

The next by direct recruitment;

The next by promotion;

and the following cyclic order shall be followed thereafter:-

The first by direct recruitment;

The next by promotion;

The next by direct recruitment;

The next by promotion;

@7A. "Notwithstanding anything contained in the recruitment appointment, promotion, seniority and confirmation etc. of a person

---

Inserted vide Notification No. F.5/(6)DOP/A-II/73 Date 29-12-1973.

+ Added vide even No. dated 6-12-1969 w.e.f. 1-1-1956.

Inserted vide Notification No. F.1 (49) Home/Gr.I/72 dt. 7-5-1976

* Substiuued for the work (C, by special selection from among the temporary officers of the Rajasthan Armed Constabulary, so appointed before 14th July, 1954, to posts encadred in service at the commencement of these rules, or from among officers of the Mewar Bbil Corps serving in the corresponding ranks on 14th July, 1954.

(1) Provided th t clause (c) of this rule shall not be operative after 31st December, 1955.

(2) Provided that Government may, during the year 1958, conduct, through the agency of the Commission, Emergency Recruitment to the Service and for this purpose may determine the number of vacancies to be filed by such recruitment and in consultation with the Commission, may prescribe the age limit, qualifications, procedure, less and probationary period. The seniority and initial pay of persons so appointed shall be determined ad hoc by Govt. on the advice of the Commission, subject to the conditions.-

(a) that persons in the employment of the Government of Rajasthan, Government of India or other State Governments or of local bodies, who, prior to their appointment by Emergency Recruitment, were in receipt of a basic pay of less than Rs. 250/- shall not be placed senior to persons appointed to the service prior to them.

(b) that persons who were eligible for appointment through the Competitive Examination held during one year but who did not appe: or did not succeed at that examination shall not be placed senior to, and shall not be allowed initial pay higher than those appointed to the service as a result of the same or on earlier examination, unless Government, on the advice of the Commission, consider a person as having such exceptional, qualification so as to deserve direct appointment to the selection grade of the service vide Notification No. F.10(15)Apptt/C/53 dated 21st December, 1960.

@Added vide Notification No. F.21(12)Apptts/C/55 Pt-II Date 29-8-1973. Effective fr n the date these service Rules come into force.

नांगल बोहरा ग्राम, बस्सी तहसील में खातेदारी भूमि पर मेड़-डोल लगाने हेतु पुलिस इमदाद

378. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील बस्सी के ग्राम नांगल बोहरा में खातेदारी भूमि पर मेड़-डोल लगाने में सम्भावित अशान्ति को देखते हुए जिला कलक्टर जयपुर के आदेशों की पालना में उपखण्ड अधिकारी, बस्सी एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा थाना बस्सी को पुलिस इमदाद के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार थाना बस्सी द्वारा शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु जिला कलक्टर, एस.डी.ओ., तहसीलदार बस्सी के आदेशों की अवहेलना के दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार जिला कलक्टर जयपुर के उक्त प्रकरण में पुलिस इमदाद बाबत जारी आदेश क्रमांक आर-5( )2004/142, दिनांक 6-1-2005 एवं थाना बस्सी को प्राप्त आदेश दिनांक 21-7-2004 व 8-1-2005 की पालना करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील बस्सी के ग्राम नांगल बोहरा की खातेदारी भूमि पर मेड़-डोल लगाने में सम्भावित अशान्ति को देखते हुए जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 6-1-2005 की पालना में तहसीलदार बस्सी द्वारा इमदाद मांगने पर दिनांक 10-1-2005 को पुलिस जाप्ता मौके पर नहीं भेजा गया। पुनः दिनांक 18-1-2005 को इमदाद मांगने पर अपर्याप्त पुलिस जाप्ता भिजवाया गया। अप्रार्थी परिवार के सदस्यों एवं औरतों ने जे.सी.बी. मशीन के आगे आकर मेड़-डोल कार्य को रूकवा दिया। शान्ति व्यवस्था भंग होने के अन्देशे के कारण मेड़-डोल नहीं लगाई जा सकी।

(गृह मंत्री)

(2) जिला प्रशासन द्वारा शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु पुलिस इमदाद मांगने पर निर्धारित समय पर पुलिस जाप्ता उपलब्ध नहीं कराने बाबत् जांच करवाई जा रही है और दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) जिला कलक्टर, जयपुर के आदेशों की पालना में पर्याप्त पुलिस जाप्ता इमदाद हेतु उपलब्ध कराने के लिए पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण) को निर्देश दिये जा रहे हैं।

श्रीडूंगरगढ़ में दर्ज मोटर पम्प चोरी प्रकरण

379. श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ में वर्ष 2004 में मोटर पम्प चोरी की कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट किन-किन के द्वारा व कब-कब दर्ज करवाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिपोर्टों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या पुलिस द्वारा कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो किन किन को व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकार की चोरी की वारदातों को रोकने हेतु कोई नवीन कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में वर्ष 2004 में मोटर पम्प चोरी की एक प्रथम सूचना (एफ.आई.आर.) रिपोर्ट श्री भंवर सिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत निवासी आसोप भोपालगढ़ जिला जोधपुर हाल मिस्त्री मोटर रिपेयरिंग

(गृह मंत्री)

श्री डूंगरगढ़ द्वारा दि. 20-7-2004 को धारा 379 भा.द.स. में दर्ज कराई गई है कि दुकान बाबूलाल गणपति धर्मकांटा के सामने से 15 मोटर पम्प कोई चोरी कर ले गया।

(2) उक्त रिपोर्ट पर मु.नं. 235/04 धारा-379 ताहि. में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। मगर अभियुक्त का कोई पता नहीं चलने पर एफ.आर. अदमपता माल मुल्जिम में दिनांक 3-9-2004 को दी गई है।

(3) श्री डूंगरगढ़ में पुलिस द्वारा ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। दुकानदारों को भी यह समझाया गया है कि मोटर पम्प रात्रि में दुकानों के बाहर नहीं रखें।

श्रीगंगानगर जिले में जारी शस्त्र अनुज्ञा-पत्र

380. डा. ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में हथियारों के लाइसेन्स जारी करने पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई है ? यदि नहीं, तो व: 2000-01 से 2003-04 की अवधि में कितने-कितने हथियारों के लाइसेन्स जारी किए गए ? संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) श्रीगंगानगर जिले में इन वर्षों में टोपीदार बन्दूक के कितने लाइसेन्स सम्बन्धित तहसीलदारों द्वारा जारी किये गए ? संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कितने टोपीदार बन्दूक के लाइसेन्स 12 बोर में परिवर्तित किये गये ? संख्यावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में हथियारों के लाइसेन्स बनाने पर सरकार द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है। वर्ष 2000-01 से 2003-04 की अवधि में बनाए गये लाइसेन्सों का संख्यावार/वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	संख्या
2000-01	150
2001-02	334
2002-03	171
2003-04	168

(2) श्रीगंगानगर जिले में इन वर्षों में तहसीलदारों द्वारा बनाए गए टोपीदार बन्दूक के लाइसेन्सों का संख्यावार विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	नाम तहसील	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1.	श्रीगंगानगर	11	17	26	2
2.	करनपुर	79	103	29	41
3.	पदमपुर	18	133	1	1
4.	रायसिंहनगर	65	61	41	33
5.	विजयनगर	76	57	22	15
6.	घड़साना	84	88	35	17
7.	अनूपगढ़	160	75	55	18
8.	सूरतगढ़	239	47	12	24
9.	सादुलशहर	10	40	27	10
	कुल योग	742	621	248	161

(गृह मंत्री)

(3) उक्त अवधि में अति. जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) द्वारा टोपीदार बन्दूक (एम.एल. गन) के 18 लाइसेन्स को 12 बोर में परिवर्तित किया गया है। विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"अ"

टोपीदार बन्दूक के लाइसेन्स को 12 बोर में परिवर्तन के 18 प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	दिनांक	वर्ष	नाम मय पता
1.	21-10-2003	2003	जसविन्द्रपाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी 19 एच तहसील श्रीकरनपुर
2.	15-11-2003	2003	दलजीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह निवासी 20 पीएस तहसील रायसिंहनगर
3.	9-1-2004	2004	बलजिन्द्र सिंह पुत्र इकबाल सिंह निवासी 16 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर
4.	20-1-2004	2004	बलविन्द्र सिंह पुत्र सुखचैन सिंह निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरनपुर
5.	20-1-2004	2004	हरजीत सिंह पुत्र गुरनेक सिंह निवासी 4 एफ ए तहसील श्रीकरनपुर
6.	20-1-2004	2004	सुखविन्द्र सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरनपुर
7.	23-1-2004	2004	गुरदीप सिंह पुत्र जोगा सिंह निवासी मालसर तहसील रायसिंहनगर

1	2	3	4
8.	9-2-2004	2004	बलदेव सिंह पुत्र कलवन्त सिंह निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरनपुर
9.	10-2-2004	2004	हरजिन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरनपुर
10.	17-2-2004	2004	सुखविन्द्र सिंह पुत्र वजीर सिंह निवासी रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर
11.	20-2-2004	2004	राजपाल सिंह पुत्र राम प्रकाश निवासी 7 एस तहसील श्रीकरनपुर
12.	23-2-2004	2004	प्रगट सिंह पुत्र गुरवचन सिंह निवासी 12 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर
13.	23-2-2004	2004	निशान सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी 12 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर
14.	24-2-2004	2004	बिकर सिंह पुत्र करनेल सिंह निवासी 6 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर
15.	24-2-2004	2004	भंजन सिंह पुत्र कलवन्त सिंह निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरनपुर
16.	26-2-2004	2004	जगसीर सिंह पुत्र टेक सिंह निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर
17.	28-2-2004	2004	इन्द्रजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी 24 एच ढाणी तहसील श्रीकरनपुर
18.	28-2-2004	2004	सुखचैन सिंह पुत्र गुरवचन सिंह निवासी 39 जी जी ज्वायेवाला तहसील श्रीकरनपुर

महुआ (दौसा) थाना में दुर्घटना प्रकोष्ठ हेतु उपलब्ध रोगी वाहन

381. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि महुआ थाना पर एक्सीडेन्ट यूनिट के तहत एक एम्बुलेन्स उपलब्ध करवाई गई है ? यदि हां, तो कब से ? क्या यह एम्बुलेन्स चालू हालत में है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक ठीक करा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

हां, यह सही है कि पुलिस थाना महुआ पर एक्सीडेन्ट यूनिट के तहत एक एम्बुलेन्स दिनांक 6-10-2002 को उपलब्ध करवायी गयी थी। माह नवम्बर, 2004 में यह एम्बुलेन्स खराब हो गयी थी जिसे जनवरी, 2005 में ठीक करवा दिया है, एवं वर्तमान में एम्बुलेन्स चालू हालत में है।

राज्य के पुलिस बल हेतु आवास निर्माण

382. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के किन-किन जिलों में पुलिस थानों एवं पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के निवास हेतु क्वाटर्स नहीं बने हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त थानें या लाइन में पुलिस कर्मियों हेतु आवास बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में 27 जिलों के 71 थानों तथा जोधपुर ग्रामीण की पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों हेतु क्वाटर्स नहीं बने हुये है। थानों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) राज्य में जिन थानों में आवास की सुविधा नहीं है, उनमें पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर में 1 अपर सर्बो एवं 3 लोअर सर्बो, पुलिस थाना कैलादेवी जिला करौली में 1 अपर सर्बो एवं 3 लोअर सर्बो आवासों का निर्माण कार्य पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। राज्य आयोजना मद के अन्तर्गत 160 लोअर सर्बो आवासों हेतु राशि रुपये 6.56 करोड़ का प्रावधान वर्ष 2005-06 में रखा गया है, जिसमें उन पुलिस थानों को प्राथमिकता दी जावेगी जहां वर्तमान में आवास नहीं बने हुए हैं।

पुलिस लाइन जोधपुर ग्रामीण में 100 जवानों की एक बैरिक का निर्माण की स्वीकृति पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 में जारी की गयी थी। कार्य प्रगति पर है।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना में एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पुलिस कर्मियों हेतु आवासों का निर्माण कराया जाता है।

परिशिष्ट-"अ"

थानों के नाम जिनमें आवास नहीं हैं

क्र. सं.	जिला	थानों के नाम
1.	जयपुर शहर	गलता गेट, नाहरगढ़, संजय सर्किल, भट्टाबस्ती, महिला थाना, माणक चौक, सुभाष चौक, सोडाला, महिला, गांधीनगर, लाल कोठी, सिन्धी केम्प, जालूपुरा, विधायकपुरी
2.	जयपुर ग्रामीण	सांभर, शिवदासपुरा, बगरू, रामगढ।
3.	सीकर	लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़, श्रीमाधोपुर, खण्डेला
4.	दौसा	सलेमपुर
5.	भरतपुर	कोतवाली, गढीबाजना, महिला थाना

1	2	3
6.	अलवर	महिला थाना, मालाखेडा, नाराणपुर, बानसुर, मांडण, गोविन्दगढ़, टहला
7.	धौलपुर	निहालगंज
8.	करौली	कैलादेवी
9.	अजमेर	पुलिस थाना गंज, दरगाह, सावर
10.	टोंक	पुलिस थाना दतवास
11.	भीलवाड़ा	महिला थाना
12.	नागौर	पुलिस थाना रोल
13.	कोटा शहर	किशोरपुरा, कैथूनीपोल, महिला थाना
14.	कोटा ग्रामीण	पुलिस थाना बपावर
15.	झालावाड़	पुलिस थान भालता
16.	उदयपुर	घन्टाघर, धानमण्डी, महिला थाना, गोरधनविलास, जावर, माईन्स, कुरावड
17.	चित्तौड़गढ़	कनेरा, निकूम्ब, धोलापानी, देवगढ़, रठाजना
18.	डूंगरपुर	वरदा, निठाउआ
19.	बांसवाड़ा	महीडेम
20.	रामसमन्द	पुलिस थाना खैरवाडा
21.	जोधपुर शहर	महिला थाना
22.	बाड़मेर	पुलिस थाना गिडा, कल्याणपुर
23.	जैसलमेर	पुलिस थाना शाहगढ़
24.	पाली	पुलिस थाना रोहिट, सेन्दडा

1	2	3
25.	बीकानेर	महिला थाना
26.	गंगानगर	पुलिस थाना, ट्राफिक, रजियासर
27.	चूरू	भालेरी, छापर
28.	जोधपुर ग्रामीण	पुलिस लाइन में (नई पुलिस लाइन होने के कारण)
	योग :-	71 थाने

अध्यक्ष, नगरपालिका गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) के विरुद्ध कार्यवाही

383. **श्री रामलाल (बनेड़ा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि अध्यक्ष, नगर पालिका, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो कब व सरकार द्वारा अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

हां, यह सही है कि अध्यक्ष, नगर पालिका गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) को 4000/- रुपये रिश्वत लेते हुए दिनांक 28-8-2003 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 219/03 पंजीबद्ध कर प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

पुलिस दूरसंचार सेवा में राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चयनित कर्मी का पदोन्नति प्रकरण

384. **श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

(1) राजस्थान पुलिस बल में एक बार पदोन्नत कर्मियों को किस-किस आधार पर पदोन्नत किया जाता है ? पदोन्नति एवं पदावनति के व : 1980 से 2004 तक के नियमों/निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान वायर लैस पुलिस (पुलिस दूर संचार) में वर्ष 1970, 1975, 1983 एवं 1998 में किन-किन कर्मियों को छह बार या इससे अधिक बार पदावनत (बिना सजा) किया गया ?

(3) उक्त कर्मियों को किस-किस पद से किस-किस पद पर कब-कब पदावनत किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त में से कुछ कर्मियों को राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान प्रदान करने हेतु उसके वरिष्ठ अधिकारी (उप पुलिस अधीक्षक) ने संस्तुति की ? यदि हां, तो उक्त कर्मी को सम्मान स्वरूप क्या पुरस्कार किस आधार पर दिया गया ?

(5) क्या सरकार अब उक्त कर्मियों को जो कि छह या इससे अधिक बार बिना किसी सजा या प्रतिकूल प्रविष्टि के पदावनत किये गये थे, को पदोन्नति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस बल में पुलिस कर्मियों की पदोन्नति व : 1980 से 1988 तक राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1974 के अन्तर्गत दी जाती थी। तत्पश्चात् 1989 के अन्तर्गत दी जाती है। सम्बन्धित पदोन्नति नियमों की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) पुलिस दूरसंचार में वर्ष 1970, 1975, 1983 एवं 1998 में नियमित तौर पर पदोन्नत किसी भी कर्मचारी को छह बार या इससे अधिक बार बिना सजा के पदावनत नहीं किया गया है।

(गृह मंत्री)

(3) किसी भी कर्मचारी को छह बार या इससे अधिक बार बिना सजा के पदावनत नहीं किया गया है।

(4) ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसे छह बार या इससे अधिक बार बिना सजा के पदावनत किया गया है।

(5) नियमित तौर पर पदोन्नत किसी भी कर्मचारी को छह बार या इससे अधिक बार बिना सजा के पदावनत नहीं किया गया है। अतः पदोन्नति देने का प्रश्न ही नहीं है।

(नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रख दी गई है।)

थाना भट्टा बस्ती, जयपुर में दर्ज महिला उत्पीड़न प्रकरण

385. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माह जुलाई, 1998 में पुलिस थाना भट्टा बस्ती में कितने प्रकरण महिला उत्पीड़न व छेड़छाड़ करने के किस धारा में किस-किस के विरुद्ध दर्ज किये गये ? दर्ज मुकदमों का नम्बर व वादी-प्रतिवादी के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमों की तफ्तीश कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा की गई ? किस-किस प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अनुसंधान अधिकारी को बदलने हेतु निवेदन किया गया एवं किस-किस अनुसंधान अधिकारी को बदला गया व किस-किस को किस कारण से नहीं बदला गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरणों में से कतिपय प्रकरणों में सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 29-6-2004 को निर्णय भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन प्रकरणों में ?

(4) क्या उक्त निर्णय में न्यायालय द्वारा अनुसंधान अधिकारी के

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

आचरण को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराते हुए निर्णय के पृष्ठ सं. 05 की 23, 30 व 34 नम्बर की लाइन एवं पृष्ठ सं. 06 की 01, 05, 08 व 17 नम्बर की लाइन में स्पष्ट लिखा है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवादियों से मिलकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए अनुसंधान कार्य किया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त दोष सिद्ध पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अब उक्त दोषी अधिकारी को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) माह जुलाई, वर्ष 1998 में पुलिस थाना भट्टा बस्ती में महिला उत्पीड़न व छेड़छाड़ का मात्र एक प्रकरण मुकदमा नम्बर 123/98 धारा 147, 341, 354 ता.हि. में दिनांक 5-7-1998 को दर्ज हुआ जिनमें परिवादी श्रीमती सीता पाहुजा पत्नी सुनील कुमार उम्र 32 वर्ष निवासी 5-त-4 हाउसिंग बोर्ड भट्टा बस्ती ने मुल्जिम (प्रतिवादी) शोभाचन्द बागड़ी, उसके बेटे व हनुमान सिंह मीणा, उसकी पत्नी बेटी दुर्गा व उसके छोटे बेटे के विरुद्ध दर्ज कराया गया।

(2) उक्त प्रकरण दिनांक 5-7-1998 को दर्ज हुआ जिसका श्री किशनलाल, सहायक उप निरीक्षक द्वारा अनुसंधान किया गया एवं प्रकरण की चार्जशीट दिनांक 31-8-1998 को श्री भैंरूलाल मीणा निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी द्वारा किता की गई।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादी का तफतीश के दौरान अनुसंधान अधिकारी बदलने के लिए कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिवादी श्री हनुमान प्रसाद मीणा का एक परिवाद दिनांक 10-9-1998 का प्राप्त हुआ था इससे पूर्व ही प्रकरण का सम्बन्धित न्यायालय में चालान दिनांक 9-9-1998 को पेश किया जा चुका था।

(गृह मंत्री)

(3) यह सही है कि उक्त प्रकरण में सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 29-6-2004 को निर्णय किया गया है।

(4) इस प्रकरण में हुए निर्णय दिनांक 29-6-2004 में न्यायालय द्वारा अनुसंधान अधिकारी को दोषी नहीं पाया है एवं न ही उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया है।

(5) माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी को दोषी नहीं माना है।

केलवाड़ा (बारां) वन क्षेत्र की वन भूमि पर अतिक्रमण

386. श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां के वन रेन्ज केलवाड़ा में वन विभाग की कितने रकबा भूमि दर्ज है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बारां के ग्राम केलवाड़ा में सीताबाड़ी मेला गाउण्ड के समीप की वन भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से प्लाट काटकर विक्रय कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बारां के वन रेन्ज केलवाड़ा में वन विभाग के अन्तर्गत 322.1569 वर्ग कि.मी. वन भूमि है।

(2) सीताबाड़ी मेला ग्राउण्ड के समीप कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर कच्चे मकान व टापरी तथा कुछ पक्के मकान बनाये गये हैं। जिनके वर्ष 1996 में 29 एवं वर्ष 1998 में 34 अतिक्रमण के प्रकरण अपराधियों के विरुद्ध

(वन मंत्री)

दर्ज कर न्यायालय सहायक वन संरक्षक बारां में प्रस्तुत किये गए हैं, जिसके द्वारा इनके विरुद्ध बेदखली एवं जुर्माने के आदेश किये गये हैं। विभाग द्वारा उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 387

(स्थगित)

करौली के गैर वन क्षेत्र में खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

388. श्री सुखलाल मीणा (सोपटरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खनिज विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र करौली के गैर वन क्षेत्र में खान आबंटित किए जाने हेतु गत 15 वर्ष में खान विभाग द्वारा गैर वन क्षेत्र का नक्शा प्रेषित कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है.

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खान विभाग को उक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया ? यदि हां, तो कब किया गया व किस-किस स्थान हेतु व नहीं, तो क्यों व अब उक्त क्षेत्र हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र कब तक जारी कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां.

(2) जी हां। करौली विधान सभा क्षेत्र में खान विभाग द्वारा कुल 4 बार एन.ओ.सी. हेतु 132 खनन प्रकरण प्रस्तुत किये गये थे। इसमें से 130 खनन प्लाटों हेतु एन.ओ.सी. जारी कर दी गयी है। 2 प्रकरणों में पेड़ों का घनत्व अधिक होने से एन.ओ.सी. नहीं जारी की गयी। एन.ओ.सी. प्रकरणों का तिथिवार एवं स्थानवार विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है

परिशिष्ट-"क"

क्र. सं.	खान विभाग द्वारा आवेदन का दिनांक	क्षेत्र का नाम	आबंटित प्लाटों की संख्या	एनओसी जारी किये का दिनांक	एनओसी जारी किये गये प्लाटों की संख्या	वि.वि.
1.	26-12-1997 (1997-98)	मामचारी	4	7-2-1998	4	-
		खूड़ा	2	" "	2	-
		केशपुरा	6	" "	6	-
		डांडेर	23	" "	23	-
		विचपुरी	10	" "	10	-
		योग	45		45	
2.	10-4-1998 (1998-99)	करसाइ	4	16-4-1998	4	-
		गुरदेह	3	" "	3	-
		भांकरी	3	" "	3	-
		पाराशरी	1	" "	1	-
		चौवे की ग्वाड़ी	4	" "	4	-
		मकनपुरा वाटदा	13	" "	13	-
		योग	28		28	
3.	2-9-1999 (1999-2000)	पाराशरी	6	9-12-1999	6	-

1	2	3	4	5	6	7
		मकनपुरा	2	" "	2	-
		योग	8		8	
4.	10-3-2000	खोहरी	4	1-6-2000	4	-
-		कसारा	15	" "	15	-
		दूढ़ापुरा	23	" "	23	-
		आंगरी	3	" "	3	-
		भांकरी	4	" "	4	-
		कस्बा करौली	2	" "	-	पेड़ों का घनत्व अधिक होने से एनओसी जारी नहीं की गयी।
		योग	51		49	
		महायोग	132		130	

बनीपार्क के राशन डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

389. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में उचित मूल्य की कुल कितनी दुकानें संचालित हैं ? प्रत्येक दुकान का नाम, नम्बर, संचालक का नाम, पता एवं उस दुकान से लाभान्वित होने वालों की संख्या मय क्षेत्र के नाम के सदन की मेज पर रखें।

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि उक्त उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों में से कुछ के विरूद्ध शिकायतें विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में 216 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध अनियमितताओं बाबत 26 प्रकरण दर्ज हुये। विभागीय कार्यवाही के तहत 6 उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये तथा 5 उचित मूल्य दुकानों की धरोहर राशि में से राशि जब्तराज की जा चुकी है। शेष प्रकरण सुनवाई हेतु विचाराधीन है। सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बागीदौरा में अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत वितरित सामग्री

390. श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की पंचायत समिति गढ़ी, आनन्दपुरी, बागीदौरा में अन्त्योदय अन्न योजना में कुल कितने गरीब परिवारों को वर्ष 2000 से जनवरी, 2005 तक गेहूं व चावल का वितरण किया गया ? ग्रामवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की पंचायत समिति बागीदौरा, गढ़ी एवं आनन्दपुरी में अन्त्योदय अन्न योजना में वर्षवार, ग्रामवार लाभान्वित परिवारों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही में उचित मूल्य की दुकानें

391. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? प्रत्येक दुकान का नाम, नम्बर, संचालक का नाम, पता एवं उस दुकान से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या मय क्षेत्र का नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानों द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-2004 में कितनी-कितनी सामग्री वितरित की गई ? माहवार आबंटित मात्रा एवं वितरित की गई मात्रा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों में से किसी के विरुद्ध शिकायत विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सिरोही जिले में कितनी उचित मूल्य की दुकानें रिक्त हैं व कितनी नई दुकानें खोली जाना विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में कुल 90 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। वांछित सूचना परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) माहवार आबंटित मात्रा एवं वितरित मात्रा का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) पुलिस थाना आहोर जिला जालोर द्वारा 10 ड्रम नीला केरोसीन तेल पकड़े जाने पर ग्राम सेवा सहकारी समिति मनादर के विरुद्ध प्रकरण सं. 45/04 दर्ज किया गया। विभागीय कार्यवाही में समिति का 1 सि.बर

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

निलम्बित किया गया पुलिस द्वारा कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। विभागीय प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 16-4-2000 नीयत है।

(4) सिरोही जिले में 361 दुकानें स्वीकृत हैं जिनमें से 27 दुकानें रिक्त हैं। रिक्त दुकानें हेतु साक्षात्कार लिये गये हैं। शीघ्र नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

"लक्ष्य महान् सबको सुरक्षा, सबका कल्याण" योजनान्तर्गत नये छात्रावास

392. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा "लक्ष्य महान, सबको सुरक्षा, सबका कल्याण" कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में राज्य में 100 नये छात्रावास खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो लक्ष्य की पूर्ति में दिसम्बर, 2004 तक किस-किस जिले में किस-किस संवर्ग के कितनी छात्र संख्या के नवीन छात्रावास प्रारम्भ किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 2004-05 में 45 अनुसूचित जाति, 30 अनुसूचित जनजाति के लिए राजकीय छात्रावास एवं 25 अनुदानित छात्रावास दिसम्बर, 2004 तक राज्य में प्रारम्भ किये गये हैं, जिलेवार इन छात्रावासों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"अ"

नवीन राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास व : 2004-05

[illegible] जिला	क्र. सं.	छात्रावास का नाम	स्वीकृत संख्या	छात्र/ छात्राएं
1	2	3	4	5
अजमेर	1.	अराई, प.सं. किशनगढ़	25	बालक
अलवर	2.	किशनगढ़ वास	25	बालक
	3.	मल्लान (राजगढ़)	50	बालक
	4.	मण्डावर	25	बालक
	5.	टिटपरी, तहसील कठूमर	25	बालक
भीलवाड़ा	6.	कनेछनकला, तहसील शाहपुरा	25	बालक
	7.	बरसनी, तह. आसीन्द	25	बालक
बीकानेर	8.	पांचू (नोखा)	25	बालक
बारां	9.	खेडलीगंज (अटरू)	25	बालक
	10.	समरानिया, तह. किशनगंज	25	बालक
	11.	बामला, तह. बारां	25	बालक
बून्दी	12.	लबान इन्द्रगढ़	25	बालक
बाड़मेर	13.	सणपा, पं.स. सिणधरी	25	बालक
	14.	बालोतरा	25	बालक

1	2	3	4	5
	15.	बायतू	25	बालक
बांसवाड़ा	16.	पीपलखूट, मुख्यावास	25	बालक
चुरू	17.	सड़ूबडी, पंस, सुजानगढ़	25	बालक
	18.	चुरू	25	बालक
दौसा	19.	बहरावण्डा, तह. सिकराय	25	बालक
श्रीगंगानगर	20.	केसरीसिंह पुर तहसील केसरीसिंहपुर	25	बालक
हनुमानगढ़	21.	रावतसर, तह. टिब्बी	25	बालक
	22.	पल्लू, पं.सं. रावतसर	25	बालक
झुन्झुनूं	23.	महरमपुरा	25	बालक
	24.	खेतड़ी, ग्रा.प. पपुराना तह. खेतड़ी	25	बालक
	25.	सूरजगढ़	25	बालक
झालावाड़	26.	भीलवाड़ी पिबाड़ा	25	बालक
जयपुर	27.	कोटखावदा, पं.सं. चाकसू	25	बालक
	28.	नायला, बस्सी	25	बालक
	29.	(मनोहरपुर) शाहपुरा	25	बालक
जोधपुर	30.	फलौदी	25	बालक

1	2	3	4	5
	31.	चामू, तह. शेरगढ़	25	बालक
जैसलमेर	32.	झिनझिनयाली	25	बालक
जालौर	33.	भाडाजन ढाणी, तहसील आहोर	25	बालक
कोटा	34.	नान्ता	25	कन्या
	35.	महावीर नगर-III	25	बालक
नागौर	36.	गच्छीपुरा, तह. मकराना	25	बालक
राजसमन्द	37.	पीपली आचार्यन	25	बालक
सिरोही	38.	जाबाल सिरोही	25	बालक
	39.	बरली, तह. पिण्डवाडा	25	बालक
	40.	माउण्ट आबूरोड	25	बालक
सीकर	41.	पाटन, तह. नीम का थाना	25	बालक
पाली	42.	कानूजा	25	बालक
	43.	देवली कलां	25	बालक
उदयपुर	44.	देवपुरा, पं.स. सराड़ा	25	बालक
	45.	चीरवा, पं.स. बडगांव, तह. चीरवा	25	बालक

परिशिष्ट-"अ"

नवीन राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास वर्ष 2004-05

क्र. सं.	नाम जिला	क्र.सं.	छात्रावास का नाम	स्वीकृत संख्या	छात्र/छात्राएं
1	2	3	4	5	6
1.	अलवर	1.	किशनगढ़वास	25	कन्या
		2.	मुण्डावर	25	कन्या
2.	बारां	3.	भूलौन	25	कन्या
		4.	रायथल	25	कन्या
3.	बाड़मेर	5.	रामसर	25	बालक
4.	बांसवाड़ा	6.	भूंगडा टीएडी	25	बालक
5.	झुन्झुनूं	7.	सावलोद	25	कन्या
6.	जयपुर	8.	कालाडेरा	25	बालक
7.	जोधपुर	9.	मलार	25	बालक
8.	जैसलमेर	10.	नाचना	25	बालक
9.	जालौर	11.	अरणाय	25	बालक
		12.	सियाना	25	बालक
		13.	माण्डवाला	25	बालक

1	2	3	4	5	6
10.	नागौर	14.	गच्छीपुरा	25	बालक
		15.	लूणवा	25	बालक
11.	राजसमन्द	16.	कुम्भलगढ़	25	बालक
12.	सिरोही	17.	मण्डार	25	कन्या
13.	पाली	18.	जवाई बांध	25	कन्या
		19.	गाम निमाज	25	कन्या
		20.	सादड़ी	25	कन्या
		21.	खेतरली	25	कन्या
14.	झालावाड़	22.	सारौली कलां	25	बालक
		23.	कालखेडी कलां	25	बालक
15.	चित्तौडगढ़	24.	देवगढ़ टी.ए.डी.	25	कन्य
16.	टोंक	25.	अलीगढ़	25	कन्या
		26.	पीपलू	25	कन्य
17.	उदयपुर	27.	गोगुन्दा टी.ए.डी.	25	कन्या
		28.	नीमच माल टी.ए.डी.	25	कन्या
		29.	डबोक टी.ए.डी.	25	कन्या
18.	भरतपुर	30.	सावोरा	25	कन्या
योग :- 30				750	

नवीन स्वीकृत अनुदानित अनुसूचित छात्रावासों का विवरण (प्रत्येक छात्रावास 25 की छात्र संख्या का है)

नाम जिला	क्र. सं.	छात्रावास का नाम (संस्था का नाम)	योजना अनुसूचित जाति/जन जाति	स्वीकृत संख्या	बालक/ बालिकाऐं
1	2	3	4	5	6
दौसा	1.	1. आदर्श द्रोण विद्या मंदिर बडियाकलां बसवा	अनु. जन जाति	25	बालक
	2.	2. ग्रामीण महिला विकास एवं विकलांग प्रशिक्षण संस्थान, गीजगढ़ तह. सिकराय	अनु. जन जाति	25	बालिका
	3.	3. सरस्वती ग्राम शिक्षण समिति, मण्डावरी	अनु. जन जाति	50	बालिका
	4.	4. सोसियल डवलपमेण्ट सोसायटी, भाण्डारेज	अनुसूचित जाति	25	बालक
श्रीगंगानगर	5.	1. के. के. माडर्न प्रबन्धक समिति, केसरीसिंहपुर	अनुसूचित जाति	25	बालक

1	2	3	4	5	6
	6.	2. जी.आर. मेमोरियल शिक्षा समिति	अनु. जाति	25	बालक
	7.	3. शहीद भगत सिंह मेमोरियल स्कूल समिति, पतरोडा	अनु. जाति	25	बालक
बारां	8.	1. नवभारत पब्लिक एज्युकेशन सोसाइटी, छीपाबडौद	अनु. जन जाति	25	बालिका
	9.	2. युवा विकास संस्थान किशनगंज, बारां	अनु. जन जाति	25	बालिका
बारां	10.	3. राघव पब्लिक समिति, बारां	अनुसूचित जाति	25	बालक
बीकानेर	11.	1. मण्डी दन्तौर अनुदानित छात्रावास (नशामुक्ति अस्पताल एवं पुनर्वास केन्द्र) मण्डी दन्तौर, खाजुवाल	अनु. जाति	25	बालक
	12.	2. जयभीम बाल्मिकी समाज सुधार संस्थान, बीकानेर	अनु. जाति	25	बालक

1	2	3	4	5	6
बाड़मेर	13.	1. ग्रामीण समुदाय एवं मानव रूपी संस्थान बाड़मेर	अनु. जाति	25	बालिका
चूरू	14.	1. सरस्वती विद्यालय शिक्षण संस्थान, सरादार शहर, चूरू	अनु. जाति	25	बालक
चूरू	15.	2. जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, साण्डवा, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू।	अनुसूचित जाति	25	बालक
डूंगरपुर	16.	1. तपस शैक्षणिक पुनर्वास केन्द्र, बधिर एवं मन्द बुद्धि विद्यालय, शिवाजी नगर, डूंगरपुर	अनु. जन जाति	25	बालक
	17.	2. जागरण जन सेवा मण्डल बागदरी वाया देवल, डूंगरपुर	अनु. जन जाति	25	बालक
सवाइमाधोपुर	18.	1. विनायक विकलांग सेवा समिति, हींगला, सवाइमाधोपुर	अनु. जन जाति	25	बालक

1	2	3	4	5	6
उदयपुर	19.	1. राजस्थान बाल कल्याण समिति, झाड़ौल, उदयपुर	अनु. जन जाति	25	बालिका
भीलवाड़ा	20.	1. जन कल्याण संस्थान, भीलवाड़ा	अनुसूचित जाति	25	बालक
टोंक	21.	1. प्रतिभा प्रशिक्षण निकेतन नगर फोट, टोंक	अनु. जाति	25	बालक
	22.	2. विवेक विद्या निकेतन गंगा भवन, महावीर चौक, धुआंकला, टोंक	अनु. जाति	25	बालक
	23.	3. मानवधर्म विकलांग सेवा संस्थान, डिग्गी मालपुरा, टोंक	अनु. जाति	25	बालक
बांसवाड़ा	24.	1. मूकबधिर एवं मन्दबुद्धि संस्थान, कालिका मंदिर के पीछे, बांसवाड़ा	अनु. जन जाति	25	बालक
सीकर	25.	1. ग्रामोदय विद्या समिति रींगस, खाटूश्यामजी सीकर	अनु. जाति	25	बालक

अतारांकित प्रश्नोत्तर सं. 393

(स्थगित)

हुलमाना खुर्द ग्राम (अवलर) की हरिजन बस्तियों हेतु आवासीय सुविधाएं

394. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम हुलमाना खुर्द, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर की हरिजन बस्ती में अभी तक पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा हुलमाना कलां व भोजपुरी में भी पेयजल/हैण्ड पम्प, बिजली/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन इत्यादि में से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) सरकार द्वारा उक्त तीनों ग्रामों की हरिजन बस्तियों हेतु अब तक क्या-क्या योजनाएं बनाई व क्रियान्विति की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम हुलमाना में राजीव गांधी पाठशाला के पास लगे हुए हैण्डपम्प से जो कि हरिजन बस्ती हुलमाना खुर्द से मात्र 500 मीटर दूर स्थित है, पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त हैण्डपम्प चालू अवस्था में है।

(2) जी नहीं। ग्राम हुलमाना कलां में पेयजल सैक्टर रिफार्म परियोजना से व भोजपुरी में पेयजल हैण्डपम्प से उपलब्ध कराया जा रहा है।

उक्त दोनों ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में ग्राम हुलमाना कलां में 8 कृषि कनेक्शन व एक एस.आई.पी. कनेक्शन ग्रामीण जल समिति का है तथा भोजपुरी में 8 कृषि कनेक्शन हैं।

(समाज कल्याण मंत्री)

ग्राम हुलमाना में वृद्धावस्था पेंशन 9 व्यक्तियों को तथा विधवा पेंशन 2 महिलाओं को एवं ग्राम भोजपुरी में वृद्धावस्था पेंशन 10 व्यक्तियों को तथा विधवा पेंशन 2 महिलाओं को उपलब्ध करवाई जा रही है।

(3) सरकार द्वारा उक्त तीनों ग्रामों में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाएं बनाकर कार्यान्वित की गई/संचालित हैं, का विवरण विभागवार निम्न प्रकार है :-

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग :- ग्राम हुलमाना कलां की हरिजन बस्ती में सैक्टर रिफार्म योजना के अन्तर्गत पाइप योजना से, ग्राम भोजपुरी की हरिजन बस्ती में हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित किया गया है ग्राम हुलमाना खुर्द में तीन हैण्डपम्प लगे हुए हैं, यहां की हरिजन बस्ती के लिये एक हैण्डपम्प लगाने के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी के स्वीकृति हेतु भिजवाये गये हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग :- ग्राम हुलमाना खुर्द को बी.टी. सड़क से जोडने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए गये, इस प्रस्ताव की सहमति भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है। प्रस्तावित सड़क बीजवाड़ चौहान से हुलमाना कलां होते हुए हुलमाना खुर्द को जोड़ेगी। ग्राम भोजपुरी से मिर्जापुर तक ग्रेवल सड़क एवं भोजपुरी से बीजवाड़ चौहान तक सड़क बनी हुई है।

शिक्षा विभाग :- उक्त तीनों ग्रामों में रा.उ. प्राथमिक विद्यालय संचालित है। जिनमें अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को माह जुलाई में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाती हैं। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रतिदिन पोषाहार कराया जाता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग :- ग्राम हुलमाना खुर्द एवं हुलमाना कलां जो कि दोनों पास-पास हैं, में आगंनबाडी केन्द्र एवं भोजपुरी में अलग से

(समाज कल्याण मंत्री)

एक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, जिनमें प्रति केन्द्र पर लगभग 80 बच्चे 0 से 6 वर्ष तक के एवं 20 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को निःशुल्क पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

भरतपुर जिले के छात्रावास में मृत छात्र के परिजनों को सहायता

395. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावास में एक छात्र की मृत्यु हुई थी ? यदि हां, तो किस कारण ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास की तत्कालीन अधीक्षक मुख्य गेट का ताला लगाकर अपने घर चली गई थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार तत्कालीन छात्रावास अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा छात्र के परिवार को आर्थिक सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब उक्त को आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जिला भरतपुर में संचालित छात्रावास में अनुसूचित जाति के एक आवासी छात्र श्री महेश पुत्र श्री धर्मसिंह जाटव कक्षा 6 की मृत्यु हुई थी। उक्त छात्र की मृत्यु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पेट में दर्द होने के कारण हुई है।

(2) जी हां। सुरक्षा की दृष्टि से छात्रावास के मुख्य गेट पर ताला लगा कर अधीक्षिका श्रीमती सरोज सक्सेना अपने घरेलू कार्य हेतु बिना किसी उच्च अधिकारी की अनुमति के चली गई थी। राज्य सरकार ने श्रीमती सक्सेना

(समाज कल्याण मंत्री)

के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की है।

(3) जी नहीं। नियमों में प्रावधान नहीं है।

रानीवाड़ा में छात्रावास भवन

396. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में चल रहे छात्रावासों के भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। दिनांक 9-3-1999 को विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा स्थित एक मात्र जनजाति राजकीय छात्रावास के लिए प्राप्त भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने के बाद प्राथमिकता से किया जावेगा।

श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ जिले के छात्रावासों में व्याप्त अनियमितताएं

397. श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गंगानगर/हनुमानगढ़ जिलों में कुल कितने छात्रावास किस-किस श्रेणी के संचालित किये जा रहे हैं ? सूची छात्र संख्यानुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में रह रहे छात्रों द्वारा गलत नाम दर्ज करवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा श्रीगंगानगर में अनुसूचित जाति के 14, स्वच्छकार के 4 तथा अन्य पिछड़ी जाति के 3 राजकीय छात्रावास संचालित हैं। इसी प्रकार हनुमानगढ़ में अनुसूचित जाति के 10, स्वच्छकार का 1 छात्रावास संचालित है, जिनकी छात्र संख्यावार सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त दोनों जिलों में संचालित राजकीय छात्रावासों में गलत नाम दर्ज करवाकर कोई छात्र नहीं रह रहा है। अत: कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सीकर जिले के छात्रावासों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

398. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले में कितने छात्रावास संचालित हैं ? सूची नाम, स्थान एवं छात्र एवं छात्राओं की संख्या सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में कितने छात्रावासों को अनुदान दिया जा रहा है ? सूची छात्र संख्या एवं संस्था सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में इन छात्रावासों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या व इनका किस प्रकार निस्तारण किया गया व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में कुल 17 राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) सीकर जिले में 4 छात्रावासों को अनुदान दिया जा रहा है, जिनकी सूची परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। सीकर जिले में विभाग के संचालित 17 छात्रावासों में से थोई स्थित छात्रावास को बन्द किये जाने पर छात्रों ने इस बन्द के विरुद्ध शिकायत की थी। इस शिकायत पर विचार कर छात्रावास को पुन: खोले जाने के आदेश क्रमांक एफ.7(2)(5)रा.छा./सकवि/04/48869 दिनांक 20-10-2004 को जारी किये गये।

परिशिष्ट-"अ"

सीकर जिले में संचालित छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	नाम छात्रावास	श्रेणी	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या
1	2	3	4	5
	राजकीय छात्रावास :-			
1.	राजकीय स्वच्छकार छात्रावास, दातारामगढ़	अनु. जाति	35	35
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गुहाला	अनु. जाति	35	35
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लक्ष्मणगढ़	अनु. जाति	35	35
4.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पिपराली	अनु. जाति	35	35
5.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, थोई	अनु. जाति	50	38
6.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, धोद	अनु. जाति	35	35

1	2	3	4	5
7.	राज़कीय अम्बेडकर छात्रावास, श्रीमाधोपुर	अनु. जाति	40	32
8.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अजीतगढ़	अनु. जाति	35	35
9.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सीकर	अनु. जाति	35	34
10.	सावित्रीबाई फूले स्वच्छकार छात्रावास, सीकर	अनु. जाति	35	35
11.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पाटन	अनु. जाति	25	नवीन
12.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सीकर	अनु. जन जाति	55	55
13.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खण्डेला	अनु. जन जाति	45	44
अनुदानित छात्रावास :-				
1.	ग्रामोदय विद्यापीठ रींगस, जिला सीकर	अनु. जाति	40	40
2.	श्री आत्माराम लक्ष्य रींगस जिला सीकर	अनु. जाति	25	25
3.	श्री कृष्ण, सीकर शहर	अनु. जाति	50	50
4.	ग्रामोदय विद्यापीठ समिति, खाटूश्यामजी, सीकर	अनु. जाति	25	नवीन

परिशिष्ट-"ब"

सीकर जिले में संचालित अनुदानित छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	नाम छात्रावास	श्रेणी	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या
अनुदानित छात्रावास :-				
1.	ग्रामोदय विद्यापीठ रींगस, जिला सीकर	अनु. जाति	40	40
2.	श्री आत्माराम लक्ष्य रींगस जिला सीकर	अनु. जाति	25	25
3.	श्री कृष्ण, सीकर शहर	अनु. जाति	50	50
4.	ग्रामोदय विद्यापीठ समिति, खाटूश्यामजी, सीकर	अनु. जाति	25	नवीन

जोधपुर शहर में सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित दवा बिक्री केन्द्र

399. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित मेडीकल दुकानों के आबंटन हेतु कोई नियम हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इसके लिये कोई समिति गठित की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर के चिकित्सालयों में इस तरह की दुकानों को आबंटित करने के लिये कोई समिति गठित की गई है ? यदि हां, तो सदस्यों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(3) जोधपुर शहर में कितनी दुकानें किन-किन को आबंटित की गई ? क्या इस बारे में सरकार द्वारा किसी प्रकार का सत्यापन करवाया गया है ? यदि हां, तो कब व यदि नहीं, तो ऐसा कब तक कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सहकारी भण्डार द्वारा किसी को दुकान आबंटित नहीं की जाती वरन स्वयं द्वारा आर्थिक रूप से दुकान का व्यवसाय, लाभ-हानि की स्थिति का आंकलन करने के पश्चात् ही मेडिकल की दुकानें प्रारम्भ की जाती हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। जोधपुर शहर में उपभोक्ता भण्डार द्वारा कोई दुकान आबंटित नहीं की गई है। जोधपुर होलसेल भण्डार द्वारा 22 दुकानें संचालित की जाती हैं।

जयपुर वर्ल्ड सिटी सोसायटी, बापूनगर को प्राप्त अनुदान

400. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर वर्ल्ड सिटी सोसायटी, बापू नगर, जयपुर द्वारा मोतियाबिन्द आपरेशन एवं अन्धता निवारण हेतु अन्य संस्थाओं को वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में उक्त सोसायटी द्वारा किस-किस संस्था को कितना-कितना अनुदान दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(2) उक्त सोसायटी को किन-किन स्त्रोतों से अनुदान प्राप्त होता है ? गत दो वर्षों में मिले अनुदान एवं उसके विरुद्ध कितनी-कितनी राशि का अनुदान इस सोसायटी द्वारा अन्य संस्थाओं को दिया गया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्था का अंकेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों की अंकेक्षण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संस्था द्वारा वर्ष 2002-03 व 2003-04 में विभिन्न संस्थाओं को उपलब्ध कराये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट-"1" व परिशिष्ट-"2" पर संलग्न है।

(2) इस संस्था को फाउण्डेशन लायन्स वर्क ग्रुप अगेन्स्ट ब्लाइंडनेस एवं फाउण्डेशन वाइल्ड गीज द नीदरलैण्ड्स से अनुदान मिला है। गत दो वर्षों में मिले एवं वितरित अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि रुपयों में)

वर्ष	प्राप्त अनुदान	वितरित अनुदान
2002-03	23,13,133.60	22,75,080.00
2003-04	49,96,572.00	42,83,160.00

विवरण परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

(3) जी हां। संस्था की वर्ष 2002-03 व 2003-04 की अंकेक्षण रिपोर्ट परिशिष्ट-"3 व 4" पर संलग्न है।

(विवरण आदि पुस्तकालय में रखा गया)

सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मी

401. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग के बहुत से अधिकारी व कर्मचारी राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ तथा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ में लम्बे समय से प्रतिनियुक्ति पर हैं ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर तथा कितनी अवधि के लिये ? नाम, विभाग तथा अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जो राज्य कर्मचारी/अधिकारी नियमानुसार निर्धारित अवधि से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, वह राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको अपने पैतृक विभाग में भेजने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) अब तक कितने अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कान्फेड तथा क्रय-विक्रय संघ में जाने के पश्चात् वहीं पर स्थाई रूप से समायोजित हो गये हैं ? नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि सहकारी विभाग के बहुत से अधिकारी एवं कर्मचारी कानफैड एवं राजफैड में लम्बे समय से प्रतिनियुक्ति पर हैं। सहकारी सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारी उपरोक्त संस्थाओं में वर्ष 2002 व 2004 से प्रतिनियुक्ति पर हैं। केवल एक निरीक्षक (कार्यकारी) वर्ष 1993 से कान्फैड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। विभागीय

(सहकारिता मंत्री)

परिपत्र संख्या 117/86 दिनांक 23-1-1986 में वर्णित शर्तों के आधार पर कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। परिपत्र में राजस्थान सेवा नियम 144-ए के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति हेतु कोई समयावधि सीमा निर्धारित नहीं है। (दोनों संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची संलग्न है।) परिशिष्ट-"1"

(2) जी नहीं।

(3) कोई नहीं।

परिशिष्ट-"I"

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ एवं राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी मय पद	संस्था का नाम	उपस्थिति दिनांक
1.	श्री के.एस. शेखावत, संयुक्त रजिस्ट्रार	उपभोक्ता संघ	14-7-2004
2.	श्री रामजीलाल मीणा, संयुक्त रजिस्ट्रार	उपभोक्ता संघ	2-12-2004
3.	श्री डी.डी. शर्मा, उप रजिस्ट्रार	उपभोक्ता संघ	30-6-2004
4.	श्री सुधीर बंसल, उप रजिस्ट्रार	उपभोक्ता संघ	5-7-2004
5.	श्री जितेन्द्र शर्मा, उप रजिस्ट्रार	उपभोक्ता संघ	3-7-2004
6.	श्री अजय माथुर, निरीक्षक (कार्यकारी)	उपभोक्ता संघ	29-3-1993
7.	श्री पी.एल. मीणा, निरीक्षक (कार्यकारी)	उपभोक्ता संघ	17-9-2004
8.	श्री आर.एस. जाखड़, संयुक्त रजिस्ट्रार	राजफैड	6-3-2002

संयुक्त रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.)

तीन बार निर्विरोध निर्वाचित महिला सरपंच/पंचायत को प्रोत्साहन राशि

402. श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में लगातार तीसरी बार निर्विरोध निर्वाचित महिला सरपंचों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लगातार तीन बार निर्विरोध निर्वाचित महिला सरपंच (सम्पूर्ण ग्राम पंचायत के निर्विरोध निर्वाचन के साथ) चुने जाने पर ऐसी महिला सरपंच/ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान करने व सम्मानित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में लगातार तीसरी बार पंचायत समिति, बायतू की ग्राम पंचायत भोमजी में श्रीमती भीखी देवी पत्नी श्री हेमाराम चौधरी सरपंच पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई है।

(2) जी नहीं। लगातार तीन बार निर्विरोध महिला सरपंच (सम्पूर्ण ग्राम पंचायत के निर्विरोध निर्वाचन के साथ) निर्वाचित होने पर प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान करने व सम्मानित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

अलवर जिले के सरपंचों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

403. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में वर्ष 2000 से 2004 तक कितने सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सरपंचों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(3) क्या सरकार अनियमितताओं को रोकने हेतु सरपंचों की अध्यक्षता में समिति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला अलवर में वर्ष 2000 से 2004 तक 202 सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई जिसकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उपरोक्त सरपंचों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"अ" (कालम संख्या 5) पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति स्तर पर पूर्व में सतर्कता समिति का प्रावधान किया हुआ है।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कनिष्ठ अभियन्ता, परबतसर (नागौर) के विरुद्ध जांच

404. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री किशन नोगिया, कनि. अभि. पंचायत समिति परबतसर के विरुद्ध पंचायती राज विभाग द्वारा जुलाई, 2004 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, नागौर को जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि जनवरी, 2005 तक उक्त अधिकारी ने पंचायत राज विभाग को अपनी जांच रिपोर्ट से अवगत नहीं कराया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि जनवरी, 2005 तक उक्त अधिकारी ने पंचायती राज विभाग को अपनी जांच रिपोर्ट से अवगत नहीं कराया था। जांच रिपोर्ट दिनांक 28-2-2005 को प्राप्त हो गई है।

इस विलम्ब के लिए अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि विधान सभा उप चुनाव और पंचायत आम चुनावों में व्यस्तता के कारण विलम्ब हुआ है। भविष्य में जांच प्रकरणों में जांच रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की हिदायत दी गयी है।

भीम के बेरोजगारों को आबंटित स्थान

405. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम के राजकीय विद्यालयों, थानों एवं चिकित्सालयों ने बाहर गत तीन वर्षों में बेरोजगारों को स्थान आबंटित किये गये ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को एवं किस मूल्य पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

मसवासी (अलवर) की मुख्य सड़क पर अतिक्रमण

406. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की पंचायत समिति कोटकासिम के ग्राम मसवासी उर्फ माधोपुरी में मुख्य सड़क से शिव मंदिर तक अतिक्रमण है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे हटाने हेतु क्या उपाय किए गए व नहीं, तो क्यों ?

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

(2) क्या यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को कार्यालय व कैम्पों में भी उक्त अतिक्रमण हटाने की शिकायतें की गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों ? सरकार अब उक्त अमिक्रमणों को कब तक हटाने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले की पंचायत समिति, कोटकासिम के ग्राम मसवासी उर्फ माधोपुरी में मुख्य सड़क से शिव मंदिर तक आराजी नं. 221 गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण है, जिसे हटाने के लिये तहसीलदार कोटकासिम द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के तहत प्रकरण संख्या 12/2005 दर्ज कर अतिक्रमियों के खिलाफ निर्णय पारित कर दिनांक 31-1-2005 के जरिय बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई जिसे शीघ्र हटा दिया जावेगा।

(2) जी हां। उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम को शिकायत प्राप्त होने पर भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 तहत तहसीलदार, कोटकासिम को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये हैं। अतिक्रमण शीघ्र हटा दिया जावेगा।

फतेहपुर के अभावग्रस्त ग्राम

407. **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर तहसील फतेहपुर में इस वर्ष कितनी मिलीमीटर वर्षा हुई ? यह औसत से कम है अथवा अधिक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि फतेहपुर तहसील के 185 गांव अभावग्रस्त हैं ? यदि हां, तो गिरदावरी रिपोर्ट में कितना खराबा बताया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवररू खान)

(3) जिला झुन्झूनूं में कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ? गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि चूरू जिले में भी फतेहपुर के समीपवर्ती गांव अभावग्रस्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर तहसील को अभावग्रस्त घोषित करने हेतु वहां पर कोई धरना/प्रदर्शन हुआ था तथा वहां के उपखण्ड अधिकारी ने इससे सम्बन्धित सरकार को कोई रिपोर्ट प्रेषित की है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि फतेहपुर के सीमावर्ती झुन्झुनूं एवं चूरू जिले के गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार फतेहपुर के गांवों को भी अभावग्रस्त घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस वर्ष (2004) में तहसील फतेहपुर में 204 मि.मी. वर्षा हुई है, जो औसत से कम है।

(2) जी नहीं। तहसील फतेहपुर में कुल 120 गांव हैं, जिनमें से गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार 30 गांवों में कोई खराबा नहीं है। शेष 90 गांवों के खराबे का प्रतिशत निम्न प्रकार है :-

खराबे का प्रतिशत	गांवों की संख्या
39	4
40	24
41	6
42	6
43	7

(सहायता मंत्री)

खराबे का प्रतिशत	गांवों की संख्या
44	2
45	9
46	5
47	4
48	23

किसी भी गांव में 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा नहीं होने के कारण किसी भी गांव को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

(3) जिला झुन्झुनूं में 207 गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं। सूची संलग्न है (परिशिष्ट-"1")

(4) जिला चूरू में फतेहपुर तहसील के समीपवर्ती अभावग्रस्त गांव निम्न प्रकार हैं :-

तहसील चूरू	तहसील रतननगर
1. ढाणी पन्नेसिंह	1. बीरमसर
2. हुणतपुरा	2. भूखरेही
3. थैलासर	3. बच्छराज बडा
4. रतननगर	4. जाहवा
5. मेघसर	5. सुलखनिया
6. सहनाली बड़ी	6. ठठखता
7. सहनाली छोटी	7. छाबडी खटी
8. सुरतपुरा	

(सहायता मंत्री)

(5) यह सही है कि तहसील फतेहपुर को अभावग्रस्त घोषित करने हेतु दिनांक 18-11-2004 को उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के कार्यालय के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन किया गया था। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-"II")

(6) झुन्झुनूं जिले के फतेहपुर के सीमावर्ती किसी भी गांव को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। चूरू जिले के 15 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। तहसील फ़तेहपुर के किसी भी गांव में 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा नहीं होने के कारण सरकार का अभावग्रस्त घोषित करने का विचार नहीं है।

(रिपोर्ट की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-"I"

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) झुन्झुनूं, राज.

सूची प्रस्तावित अभावग्रस्त ग्रामों की जिला झुन्झुनूं फसल खरीफ सम्वत् 2061 वर्ष 2004 जिसमें 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक फसल खराब है।

क्र.सं.	नाम तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3
1.	बुहाना	गाडाखेड़ा
2.	बुहाना	कलगांव
3.	बुहाना	घरडाना कलां
4.	बुहाना	सिलारपुरी
5.	बुहाना	रायपुर जाटान
6.	बुहाना	राजपुरा

1	2	3
7.	बुहाना	जीवन निवास
8.	बुहाना	बड़बर
9.	बुहाना	जंयसिंहपुरा
10.	बुहाना	भवानीपुरा
11.	बुहाना	ढाणी लक्ष्मण
12.	बुहाना	अमरसर
13.	बुहाना	राधु की ढाणी
14.	बुहाना	सुलताना अहीरान
15.	बुहाना	मदनसर
16.	बुहाना	भिर्र
17.	बुहाना	खान्दवा
18.	बुहाना	भोपालपुरा
19.	बुहाना	बनी बाढ काजला
20.	बुहाना	रामबास
21.	बुहाना	नुहनियां
22.	बुहाना	ढाणी सम्पसिंह
23.	बुहाना	भूरीवास
24.	बुहाना	काजला
25.	बुहाना	नरात

1	2	3
26.	बुहाना	धूलवां
27.	बुहाना	मनोहरपुरा
28.	बुहाना	ठोठी
29.	बुहाना	गादर्ली
30.	बुहाना	बुहाना
31.	बुहाना	कलवा
32.	बुहाना	झांझा
33.	बुहाना	हंसास
34.	बुहाना	ढ़ाकामाण्डी
35.	बुहाना	इस्माइलपुर
36.	बुहाना	झारोड़ा
37.	बुहाना	जैतपुर
38.	बुहाना	कलाखरी
39.	बुहाना	पृथ्वीपुरा
40.	बुहाना	सागा
41.	बुहाना	सिवनी
42.	बुहाना	मानपुरा
43.	बुहाना	लाम्बी जाट
44.	बुहाना	सहड़

1	2	3
45.	बुहाना	लाम्बी अहीर
46.	बुहाना	कुहाड़वास
47.	बुहाना	रायली
48.	बुहाना	नानवास
49.	बुहाना	निम्बास
50.	बुहाना	उदामाण्डी
51.	बुहाना	लालामाण्डी
52.	बुहाना	बृजपुरा
53.	बुहाना	बासड़ी
54.	बुहाना	पचेरी कलां
55.	बुहाना	इन्द्रसर
56.	बुहाना	भालोठ
57.	बुहाना	कुशालपुरा
58.	बुहाना	ढाणी भालोठ
59.	बुहाना	काकड़ा
60.	बुहाना	श्योपुरा
61.	बुहाना	चुरीना
62.	बुहाना	घसेड़ा
63.	बुहाना	सागवा

1	2	3
64.	बुहाना	सांतोर
65.	बुहाना	देवलावास
66.	बुहाना	रायपुर अहीरान्
67.	बुहाना	निहालोठ
68.	बुहाना	पांथरोली
69.	बुहाना	मेघपुर
70.	बुहाना	बामनवास
71.	बुहाना	गुन्ती
72.	बुहाना	पथाना
73.	बुहाना	रसुलपुर
74.	बुहाना	सोहली
75.	बुहाना	कलोठड़ा
76.	बुहाना	निहालपुर
77.	बुहाना	पचेरी खुर्द
78.	बुहाना	माजरी
79.	बुहाना	नावता
80.	झुन्झुनूं	कोदेसर
81.	झुन्झुनूं	चन्दवा
82.	झुन्झुनूं	सुरा का बास

1	2	3
83.	झुन्झुनूं	बिरमी
84.	झुन्झुनूं	पुरिया
85.	झुन्झुनूं	बास पुरिया
86.	झुन्झुनूं	नयाबास
87.	झुन्झुनूं	खिरदरसर
88.	झुन्झुनूं	पाटोदा
89.	खेतड़ी	गोठडा
90.	खेतड़ी	खरखड़ा
91.	खेतड़ी	बाकोटी
92.	खेतड़ी	बागोर
93.	खेतड़ी	जसरापुर
94.	खेतड़ी	तातीजा

जिला कलक्टर (भू.अ.)
झुन्झुनूं

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) झुन्झुनूं, राज.

सूची प्रस्तावित अभावग्रस्त ग्रामों की जिला झुन्झुनूं फसल खरीफ सम्वत् 2061 वर्ष 2004 जिसमें 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक फसल खराब है।

क्र.सं.	नाम तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3
1.	बुहाना	पिठोला
2.	बुहाना	सिंघाना
3.	बुहाना	गुजरवास
4.	बुहाना	ढ़ाणा
5.	बुहाना	माकड़ो
6.	बुहाना	बनवास
7.	बुहाना	ढ़ाणी हुक्मा
8.	बुहाना	भोदन
9.	बुहाना	थली
10.	बुहाना	हमीरवास
11.	बुहाना	टीकुपुरा
12.	बुहाना	लाडी का बास
13.	बुहाना	महराना

1	2	3
14.	बुहाना	पुहानिया
15.	बुहाना	चितौसा
16.	बुहाना	जयमल बास
17.	बुहाना	सांतडिया
18.	बुहाना	खानपुर
19.	बुहाना	मोई सद्दा
20.	बुहाना	अमरपुरा खुर्द
21.	बुहाना	गोरधनपुरा
22.	बुहाना	कुठानिया
23.	बुहाना	डुमोली खुर्द
24.	बुहाना	ढ़ाणी सिहोड़ियान
25.	बुहाना	डूमोली कला
26.	बुहाना	मुरादपुर
27.	बुहाना	ढ़ाणी दोचाना
28.	बुहाना	ईश्कपुरा
29.	बुहाना	सांवलोद
30.	बुहाना	श्यामपुरा
31.	बुहाना	मैनाना

1	2	3
32.	बुहाना	ठोठवाल
33.	बुहाना	पालोता
34.	बुहाना	जयसिंहपुरा
35.	बुहाना	शाहपुर
36.	बुहाना	सैदपुर
37.	बुहाना	बिशनपुरा
38.	बुहाना	हीरवा
39.	बुहाना	घरडाना खुर्द
40.	बुहाना	ठिचोली
41.	बुहाना	आर्यनगर
42.	बुहाना	ढाढोत कलां
43.	बुहाना	ढाढोत खुर्द
44.	बुहाना	गोठ
45.	बुहाना	भैसावता खुर्द
46.	बुहाना	भैसावत कलां
47.	बुहाना	मोई भारू
48.	झुन्झुनूं	बिसाऊ
49.	झुन्झुनूं	महनसर

1	2	3
50.	झुन्झुनूं	गांगियासर
51.	झुन्झुनूं	टांई
52.	झुन्झुनूं	पिलानी खुर्द
53.	झुन्झुनूं	कबीरसर
54.	झुन्झुनूं	धीरासर
55.	झुन्झुनूं	शेशु
56.	झुन्झुनूं	दूलचास
57.	झुन्झुनूं	पहाड़सर
58.	झुन्झुनूं	भीखनसर
59.	झुन्झुनूं	ढाणी कुल्हरियान
60.	झुन्झुनूं	निराधनू
61.	खेतड़ी	खेतड़ी
62.	खेतड़ी	नानूवाली बावड़ी
63.	खेतड़ी	राजोता
64.	खेतड़ी	चिरानी
65.	खेतड़ी	तिहाड़ा
66.	खेतड़ी	बीलवा
67.	खेतड़ी	टीलावली

1	2	3
68.	खेतड़ी	पपुरना
69.	खेतड़ी	बंधा की ढाणी
70.	खेतड़ी	मोड़की
71.	खेतड़ी	रामकुवारपुरा
72.	खेतड़ी	संजयनगर
73.	खेतड़ी	दूधवा नांगलिया
74.	खेतड़ी	शिमला
75.	खेतड़ी	गोरींर
76.	खेतड़ी	नालपुर
77.	खेतड़ी	रवां
78.	खेतड़ी	गणेशपुरा
79.	खेतड़ी	खांतीपुरा
80.	खेतड़ी	मांदरी
81.	खेतड़ी	ककराय
82.	खेतड़ी	रांजड़ा
83.	खेतड़ी	ठाठवाड़ी
84.	खेतड़ी	दलोता
85.	खेतड़ी	ढोसी

1	2	3
86.	खेतड़ी	मुकन्दपुरा
87.	खेतड़ी	मानोता कलां
88.	खेतड़ी	मानोता खुर्द
89.	खेतड़ी	ढाणी भजनावाली
90.	खेतड़ी	कुरण्ड
91.	खेतड़ी	झुझारपुर
92.	खेतड़ी	देवता
93.	खेतड़ी	मेहाड़ाजादूवास
94.	खेतड़ी	नया नगर
95.	खेतड़ी	मोड़ी
96.	खेतड़ी	बेसरड़ा
97.	खेतड़ी	नांगलिया गूजरवास
98.	खेतड़ी	बाडलवास
99.	खेतड़ी	सिहोड़
100.	खेतड़ी	त्योंदा
101.	खेतड़ी	धीरजपुरा
102.	खेतड़ी	रामपुरा
103.	खेतड़ी	डाडा फतेहपुरा

1	2	3
104.	खेतड़ी	बांसियाल
105.	खेतड़ी	बसई
106.	खेतड़ी	किशनपुरा
107.	खेतड़ी	ढ़ाणी ईलाखर
108.	खेतड़ी	टीबा
109.	खेतड़ी	जमालपुर
110.	खेतड़ी	गाडराटा
111.	खेतड़ी	प्रतापपुरा
112.	खेतड़ी	बुरका
113.	खेतड़ी	अजीतपुरा

जिला कलक्टर (भू.अ.)

झुन्झुनूं

श्री जयरामपुरी, गौशाला डूंगरीकलां, जयपुर को अनुदान

408. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर में कितनी पंजीकृत गौ-शालाएं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से कई गौशालाओं को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि श्री श्री 1008 श्री जयरामपुरी गौशाला डूंगरी कलां, पंचायत समिति सांभर लेक जिला जयपुर एक रजिस्टर्ड गौशाला है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त गौशाला को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कब-कब कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त गौशाला में करीबन 400 गायें हैं ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त गौशाला को जो अनुदान दिया जा रहा था उसका भुगतान काफी समय से रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार उक्त गौशाला को शीघ्र अनुदान प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जयपुर में 38 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनकी सूची संलग्न है (परिशिष्ट-"अ")

(2) जी हां। दिनांक 23-3-2005 तक 21 गौशालाओं को 59,15,430 रुपये के अनुदान की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। गौशालावार स्वीकृत राशि का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-"ब")

(सहायता मंत्री)

(3) जी हां।

(4) उक्त गौशाला को वर्ष 2002-03 में जून, 2003 में 40785 रुपये व जुलाई, 2003 में 13825 रुपये का अनुदान दिया गया था।

(5) उक्त गौशालाओं में वर्तमान में 275 बड़े व 60 छोटे पशुओं को रखा जा रहा है।

(6) उक्त गौशालाओं को अभाव वर्ष सं. 2059 में अनुदान राशि का भुगतान किया गया था। अकाल वर्ष समाप्ति पर राहत गतिविधियां बन्द हो जाने के पश्चात् कोई भुगतान नहीं दिया गया।

(7) सरकार द्वारा उक्त गौशाला को दिनांक 19-3-2005 को 494100/- रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

परिशिष्ट-"अ"

जयपुर जिले में पंजीकृत गौशालाओं की सूची

क्र.सं.	नाम गौशाला	तहसील
1.	श्री पिजरापोल गौशाला, सांगानेर	सांगानेर
2.	श्री प्रेम निकेतन आश्रम गौशाला, दुर्गापुरा	--"--
3.	श्री नृसिंह गौ सेवा समिति, सांगानेर	--"--
4.	श्री रामदेव गौशाला अठमोरिया, सांगानेर	--"--
5.	श्री गायत्री गौशाला समिति, वाटिका	--"--
6.	श्री राजस्थान गौ सेवा संघ दुर्गापुरा	--"--
7.	श्री पंचमुखी दरबार श्री रामानन्दचार्य परमार्थ गौशाला वाण्यावाली	--"--

1	2	3
8.	श्री पशु कुरता निवारण समिति, चाकसू	चाकसू
9.	श्री बलराम गौ सेवा सदन गौड का बास	चाकसू
10.	श्री जगदम्बा गौ सेवा समिति रामरतनपुरा	बस्सी
11.	श्री गोरी बल्लभ गौशाला गिरधारीपुरा	बस्सी
12.	श्री जे.पी. धर्मार्थ गौ रक्षा समिति बस्सी	--"--
13.	श्री पूर्णिमा गौशाला मुरलीपुरा धानोता	शाहपुरा
14.	श्री कृष्णा गौशाला संस्थान उदावाला कल्याणपुरा	शाहपुरा
15.	श्री टीला गौशाला खेलना	विराटनगर
16.	श्री कृष्ण गौशाला पावटा	--"--
17.	श्री कृष्ण गौशाला भोरी बन्धाज	विराटनगर
18.	श्री जयसिंह गौशाला कोटपूतली	कोटपूतली
19.	श्री ग्रामीण गौशाला नारेहेड़ा	कोटपूतली
20.	श्री कृष्ण गौशाला प्रागपुरा	--"--
21.	श्री कृष्ण गौशाला बडनगर	--"--
22.	श्री मोहन गौशाला भोनावास	--"--
23.	श्री गौ रक्षा सेवा समिति, विचपुडी	आमेर
24.	श्री गौ सेवा ट्रस्ट समिति, हाड़ौता	चौमूं

1	2	3
25.	श्री कृष्ण गोपाल गौशाला स्याऊ	चौमूं
26.	श्री राम गौशाला खेजरोली	--"--
27.	श्री वीर हनुमान गौ सेवा समिति सामोद पर्वत नागलभरड़ा	चौमूं
28.	श्री गोपाल गौशाला सांभर लेक	सांभर
29.	श्री गोपाल गौशाला किशनगढ़ रेनवाल	--"--
30.	श्री कृष्ण गौशाला आसलपुर रोड	--"--
31.	श्री 108 जयरामपुरी गौशाला डूंगरीवाल	सांभर
32.	श्री बजरंग गौशाला मुरलीपुरा जोबनेर	--"--
33.	श्री गौ रक्षा सेवा समिति बांधे के बालाजी	मौजमाबाद
34.	श्री सुधा सागर गौशाला दूदू	दूदू
35.	श्री माण्डे बालाजी गौशाला सेवा समिति डागरियावास	मौजमाबाद
36.	श्री गौशाला सेवा समिति बेगस	झोटवाड़ा
37.	श्री पशुपति नाथ गौशाला सरना डूंगर	जयपुर
38.	श्री आदर्श गौ पालन केन्द्र प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर	जयपुर

परिशिष्ट-"ब"

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

क्रमांक : सहायता/गौशाला/04-05/2276 दिनांक : 19-3-2005

कार्यालय आदेश

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ.2(1) (2) सआ/लेखा/बजट/04/3496-3524 दिनांक 14-2-2005 द्वारा संवत 2061 में गौशाला अनुदान में आबंटित बजट के अन्तर्गत जयपुर जिले में स्थित पंजीकृत गौशालाओं को तहसीलदारों से प्रमाणिकरण एवं उनकी अनुशंषा के आधार पर निम्नांकित राशि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्वीकृत कर भुगतान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का आहरण सम्बन्धित तहसीलदार जरिये ए.सी. बिल द्वारा किया जाकर नियमानुसार सम्बन्धित गौशालाओं को भुगतान किया जायेगा।

क्र. सं.	तहसील	पंजीकृत गौशाला का नाम	पशुओं की संख्या			स्वीकृत अनुदान (राशि रु. में) (1-1-2005 से 31-3-2005)		
			बड़े	छोटे	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चाकसू	1- जीव कल्याण परिषद शाखा चाकसू	126	27	153	204120	21870	225990
		2- श्री बलराम गौ सेवा सदन, गोड का बास	149	41	190	241380	33210	274590
						योग		500580
2.	दूदू	1- श्री सुधा सागर दयोदय गौशाला समिति दूदू	85	35	120	137700	28350	166050
3.	सांभर	1- गोपाल गौशाला पानवा	184	49	233	298080	39690	337770

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2- श्री गोपाल गौ सेवा रेनवाल	200	50	250	324000	40500	364500
		3- श्री कृष्ण गौशाला जोबनेर	150	61	211	243000	49410	292410
		4- श्री श्री 1008 जयरामपुरी गौशाला, डूंगरीकलां	275	60	335	445500	48600	494100
		5- बजरंगबली गौशाला, मुरलीपुर	190	50	240	307800	40500	348300
						योग		**1837080**
4.	बस्सी	1- जगदम्बा गौ सेवा समिति रामरतनपुरा	33	27	60	53460	21870	75330
5.	कोटपूतली	1- श्रीकृष्ण गौशाला, मोरीबन्धाज	102	48	150	165240	38880	204120
		2- श्री जयसिंह गौशाला कोटपूतली	161	19	180	260820	15390	276210
		3 - श्रीकृष्ण गौशाला पावटा	133	28	161	215460	22680	238140
		4- श्री मोहन गौशाला भोनावास	128	42	170	207360	34020	241380
		5- श्री टीला गौशाला खेलना	59	21	80	95580	17010	112590
		6- श्री कृष्ण गौशाला बड़नगर	65	15	80	105300	12150	117450
						योग		**1189890**
6.	शाहपुरा	1- बाबा नारायण दास श्रीकृष्ण गौशाला, डूंगरोड उदावाला	97	21	118	157140	17010	174150

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2- पूर्णिमा गौशाला धानोता	73	24	97	118260	19440	137700
						योग		311850
7.	चौमूं	1- श्री कृष्ण गोपाल गौशाला स्याउ	272	78	350	440640	63180	503820
		2- श्रीराम गौशाला, खेजरोली	209	58	265	338580	45360	383940
						योग		887760
8.	जयपुर	1- श्री पशुपति गौशाला सरनाडूंगर	310	215	525	502200	174150	676350
		2- गौशाला सेवा समिति, बेगस	130	74	204	210600	59940	270540
						योग		946890
		कुल योग	3131	1041	4172			5915430

(अक्षरे रुपये उनसठ लाख पन्द्रह हजार चार सौ तीस मात्र)

इस राशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में निम्न बजट शीर्षक के अन्तर्गत किया जायेगा :-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

01 - सूखा

104 - चारे की पूर्ति

06 - पुश शिविर/गौशाला

12 - सहायतार्थ अनुदान (आ. भिन्न)

<u>शर्ते</u> :-

1- गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर ही अनुदान देय होगा।

2- गौशालाओं को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 5(5)सआ/चारा/2004/15963-16013 जयपुर दिनांक 23-11-2004 में अंकित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही भुगतान किया जावे।

3- राशि का व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा आपदा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4- गौशालाओं को अनुदान का भुगतान बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा ही किया जावेगा।

5- आहरित ए.सी. बिल के समायोजन हेतु डी.सी. बिल एक माह के भीतर आवश्यक रूप भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर

जयपुर

तारानगर में अकाल राहत कार्यों के भुगतान में व्याप्त अनियमितताएं

409. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तारानगर में अकाल राहत के तहत काम करने वाले कुछ श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 2004-05 में किन-किन को व किन-किन कारणों से ?

(2) क्या सरकार शेष रहे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों के तहत वर्ष 2004-05 में अनियमितताएं पाई गई हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(2) किसी भी मजदूर को भुगतान किया जाना शेष नहीं है।

(3) जी नहीं।

सोनू लाइम स्टोन परियोजना जैसलमेर से व्याप्त वायु प्रदूषण

410. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में सोनू लाइम स्टोन परियोजना में मशीनों से निकलने वाले पत्थर पाउडर और धुएं से आस-पास के गांवों और

(श्री सांगसिंह भाटी)

ढ़ाणियों में रहने वाले लोगों में बीमारियां होने का अंदेशा बना रहता है ? यदि हां, तो सरकार इससे होने वाली हानि से जन साधारण को बचाने हेतु क्या प्रयास करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं, जैसलमेर जिले में, राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. की दो लाईम स्टोन परियोजनाएं (सोनू-I एवं सोनू-II) स्थापित हैं। इन परियोजनाओं में स्थापित मशीनों से उत्पन्न वायु प्रदूषक तत्वों से आसपास के गांवों एवं ढ़ाणियों में रहने वाले लोगों में भयंकर बीमारियां होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि वहां चल रहे लाईम स्टोन खनन कार्य एवं साईजिंग प्लान्ट से उत्पन्न वायु प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु उद्योग द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है। खनन कार्य एवं मशीनों से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित की गई हैं, साईजिंग प्लान्ट में दो डस्ट एक्स्ट्रेशन सिस्टम एवं बैग हाउस लगाये गये है, क्रश्ड लाईम स्टोन को क्रेशर से साईजिंग प्लान्ट तक ले जाने हेतु कन्वेयर बेल्ट को हुड़ लगा कर कवर किया गया है जिससे कि धूल कणों को नियन्त्रित किया जा सकें। इसके अतिरिक्त प्रदूषण की रोकथाम हेतु उद्योग द्वारा अनेक पेड़-पौधे भी लगाये गये हैं।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा उक्त उद्योग की इन परियोजनाओं का समय-समय पर निरीक्षण एवं वायु परिवीक्षण किया गया है। गत तीन वर्षों में की गई जांच में उद्योग द्वारा उत्सर्जित धूल कण निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा उद्योग को उक्त परियोजनाओं के संचालन हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सम्मति प्रदान की गई है।

टिब्बी में निगम बस सेवा

411. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी कस्बे में राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार टिब्बी कस्बे में राजस्थान पथ परिवहन निगम बस सेवा चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में निगम बस सेवा चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो रावतसर से टिब्बी वाया मसीतावाली हैड एवं रावतसर वाया मोहन मगरिया, टिब्बी से हनुमानगढ़ तक एवं हनुमानगढ़ से रामपुरिया-थालडका से नोहर एवं संगरिया से टिब्बी, रावतसर तक बस सेवा कब तक चालू कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में निगम द्वारा एक बस सेवा का अनुपगढ़ से दिल्ली वाया हनुमानगढ़-टिब्बी तलवाडा-एलनाबाद होकर संचालन किया जा रहा है।

टिब्बी क्षेत्र से जुड़े हुए मार्ग प्राय: पंचम अध्याय के मार्ग हैं जिन पर निजी वाहन संचालित हैं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से इन मार्गों पर निगम बसों का संचालन सम्भव नहीं हो सकेगा।

जयपुर शहर में टैम्पू वाहनों से प्रदूषण

412. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में पूर्व में संचालित "टैम्पो"

(श्री जीतराम)

जिन्हें अत्यधिक धुआं छोड़ने एवं पर्यावरण दूषित करने के कारण बन्द कर दिया गया था, को सरकार द्वारा पुनः चलाने की सिफारिश की गई है।

(2) यदि नहीं, तो जयपुर शहर में अवैध रूप से चल रहे एवं प्रदूषण फैला रहे "टैम्पो" वाहनों को रोकने के लिये सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में वर्ष 1996 में जयपुर शहर में संचालित टैम्पुओं को इनसे जनित प्रदूषण के कारण बन्द कर दिया था तथापि शहर के दूरदराज की आवासीय कालोनियों के लिए 11 मार्गों पर 227 टैम्पुओं का संचालन है। शहर में टैम्पुओं के पुनः संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(2) टैम्पुओं के निर्धारित मार्ग से भिन्न मार्गों पर चलाने पर तथा प्रदूषण नियन्त्रण मानकों की पालना नहीं करते पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2004-2005 (फरवरी 2005 तक) में टैम्पुओं के अनाधिकृत संचालन के 262 चालान बनाए जाकर रु. 1,48,730/- प्रशमन राशि वसूल की गई है। इसी प्रकार प्रदूषण फैलाने के सम्बन्ध में 132 टैम्पुओं के चालान बनाए जाकर रु. 45,820/- प्रशमन राशि वसूल की गई है।

निगम बस सेवाओं में विकलांगों को प्रदत्त सुविधाएं

413. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विकलांग व्यक्तियों को यात्रा में रियायत दी जाती हैं ? यदि हां, तो उनको देय सुविधा को प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

(2) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों को डीलक्स, सेमीडीलक्स व ए.सी. बस में यात्रा हेतु रियायत देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विकलांगों को देय सुविधा की प्रति परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। निगम की आर्थिक स्थिति इन सेवाओं में रियायत देने से पड़ने वाले वित्तीय भार को वहन करने की स्थिति में नहीं है।

परिशिष्ट-"1"

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक : एफ.4/मु./याता/लेखा/2002/873 जयपुर, दिनांक : 7-12-2004

कार्यालय आदेश

राजस्थान मूल के नि:शक्तजनों को परिवहन निगम की बसों में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 213 दिनांक 6-4-2002 के द्वारा निम्न रियायती यात्रा की सुविधा देय की गई हैं :-

क्र.सं.	श्रेणी	देय रियायत
1.	विकलांग (अस्थि)	75% रियायत
2.	नेत्रहीन	नि:शुल्क
3.	श्रवणबांधित	75% रियायत वांछित
4.	मानसिक विमंदित	नि:शुल्क
5.	मानसिक विमंदित का एक सहयोगी	50% रियायत

इन निःशक्तजनों को उपरोक्त सुविधा परिवहन निगम की साधारण बसों में राज्य की एवं राज्य के बाहर जहां-जहां बसे जाती हैं, उनमें सम्पूर्ण यात्रा हेतु उक्त रियायत देय की गई हैं।

पुनः इन आदेशों के सम्बन्ध में अन्य आदेश क्रमांक 443 दिनांक 4-7-2002 जारी कर राजस्थान मूल के नेत्रहीन व्यक्तियों को देय यात्रा सुविधा साधारण सेवा के साथ द्रुतगामी एवं रात्रिकालीन सेवाओं में भी देय की गई, बशर्ते कि साधारण सेवा से द्रुतगामी सेवा के किराये का आधिक्य सम्बन्धित नेत्रहीन व्यक्ति वहन करें। अर्थात साधारण सेवा के किराये एवं द्रुतगामी/रात्रि सेवा के किराये के अन्दर (जिस बस सेवा में वह यात्रा चाहता है उस राशि का भुगतान कर टिकिट प्राप्त करने पर ही नेत्रहीन व्यक्ति को उपरोक्त यात्रा की अनुमति दी जावेगी।

अब राज्य सरकार/आयुक्त निःशक्तजन की अभिशंषा दिनांक 23-11-2002 पर नेत्रहीन व्यक्ति के साथ उपरोक्त वर्णित अन्य सभी निःशक्तजन श्रेणी के व्यक्तियों को वर्तमान में निर्धारित दरों पर देय सुविधा साधारण सेवा के साथ-साथ द्रुतगामी एवं रात्रिकालीन सेवाओं में भी देय होगी, बशर्ते की साधारण सेवा से द्रुतगामी सेवा के किराये का आधिक्य सम्बन्धित निःशक्तजन व्यक्ति वहन करें। अर्थात साधारण सेवा के किराये एवं द्रुतगामी/रात्रिसेवा के किराये की अन्तर राशि का भुगतान कर अन्तर राशि का टिकिट प्राप्त करने पर ही निःशक्तजन व्यक्ति को उपरोक्त यात्रा की अनुमति दी जावेगी।

यह आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निगम मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किये जाते हैं। उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

प्रबन्धक निदेशक

सलूम्बर में निगम बस स्टैण्ड

414. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्ष 2002-03 में नया बस स्टैण्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नया बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सलूम्बर में भूमि क्रय करके उस पर बस स्टैण्ड भवनादि का निर्माण कराने का प्रस्ताव/योजना फिलहाल नहीं है, क्योंकि वर्तमान में निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है।

किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निगम बस सेवा

415. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें किस-किस मार्ग पर चलती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में सरकार द्वारा वर्तमान में निजी बस मालिकों को किन-किन शर्तों पर परमिट दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर निजी बस चालकों को परमिट नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो उक्त वाहन किस आधार पर चल रहे हैं एवं इससे सरकार को कितनी राजस्व हानि होती है ?

(श्री भागीरथ चौधरी)

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नसीराबाद-किशनगढ़ वाया श्रीनगर-टिकावड़ा, सिलोरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर निगम की ग्रामीण सेवा बस योजनान्तर्गत शटल बसें प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से एवं कितनी व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में निगम द्वारा वर्तमान में संचालित दैनिक एकल परिचक्रों की संख्या दर्शाते हुए मार्गवार विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त जयपुर से अजमेर एवं अजमेर से आगे जाने वाली सभी निगम बसें विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ होकर संचालित हो रही हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में निजी बस मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 72 एवं धारा 84 में वर्णित शर्तों पर परमिट जारी किए जाते हैं। आरोपित शर्तों का उल्लेख परिशिष्ट-"2" पर संलग्न है। यह सही नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी वाहनों को परमिट नहीं दिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राष्ट्रीयकृत मार्गों में अन्तर है। राष्ट्रीयकृत मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों को राष्ट्रीयकरण योजना में वर्णित शर्तों के अनुरूप अनुज्ञापत्र जारी किए जाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्टेज कैरिज की निजी बसों को अधिकतम 25 किलोमीटर अथवा राष्ट्रीयकृत मार्ग की दूरी 1/3 भाग जो भी कम हो तक प्रतिच्छाद की छूट दिए जाने का प्रावधान है। उक्त छूट के परिणामस्वरूप सरकार को किसी भी प्रकार की राजस्व हानि नहीं हो रही है। समय-समय पर विभागीय उड़नदस्तों द्वारा निजी वाहनों की चैकिंग की जाती है एवं अनुज्ञापत्र में वर्णित शर्तों के उल्लंघन अथवा बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त कर संचालित वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में निगम द्वारा नसीराबाद से किशनगढ़ वाया

(यातायात मंत्री)

श्रीनगर टिकावड़ा-सिलोरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दैनिक 6 एकल परिचक्र 13 अप एवं 3 डाउन संचालित किए जा रहे हैं।

परिशिष्ट-"1"

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र
1.	अजमेर-दिल्ली	10
2.	मकराना-दिल्ली	2
3.	अजमेर-भिवानी	2
4.	अजमेर-फिरोजाबाद	2
5.	अजमेर-वृन्दावन	2
6.	अजमेर-अलीगढ़	2
7.	बोरावड-दिल्ली	2
8.	अजमेर-रतनगढ़	2
9.	अजमेर-जयपुर	26
10.	रिया-जयपुर	1
11.	कडैल-जयपुर	1
12.	अजमेर-सीकर	10 (4 परिचक्र सीकर)

1	2	3
13.	अजमेर-पिलानी	2
14.	अजमेर-सालासर	6
15.	अजमेर-सुजानगढ़	4
16.	अजमेर-लाडनूं	3
17.	अजमेर-रेनवाल	2
18.	अजमेर-नावां	4
19.	अजमेर-गच्छीपुरा	2
20.	अजमेर-शम्भुपुरा	2
21.	कुचामन-अजमेर	11
22.	अजमेर-डीडवाना	6
23.	अजमेर-बोरावड	29
24.	अजमेर-मकराना	6
25.	अजमेर-मनाना	2
26.	अजमेर-सांभर	10
27.	अजमेर-परबतसर	2
28.	अजमेर-नगर	2
29.	अजमेर-गोली	2
30.	अजमेर-मण्डावरिया	2

1	2	3
31.	अजमेर-रूपनगढ़	4
32.	अजमेर-हरमाडा	10
33.	अजमेर-करकेडी	2
34.	अजमेर-बूडसू	1
35.	अजमेर-किशनगढ़	102
36.	किशनगढ-हरमाडा	4
37.	काकनियावास-किशनगढ़	2
38.	अजमेर-मालपुरा	48
39.	श्रीनगर-किशनगढ़	6
40.	सीकर-उदयपुरवाटी वाया जयपुर-किशनगढ़	2
41.	सीकर-अहमदाबाद वाया जयपुर-किशनगढ़	2
42.	भीलवाड़ा-दिल्ली वाया अजमेर-किशनगढ़	6
43.	भीलवाड़ा-सरदारशहर वाया अजमेर-सुजानगढ़	2
44.	भीलवाड़ा-अलवर वाया श्रीनगर-किशनगढ़-जयपुर	2
45.	भीलवाड़ा-जयपुर वाया अजमेर-किशनगढ़	5

1	2	3
46.	भीलवाड़ा-जयपुर वाया श्रीनगर-किशनगढ़	19
47.	भीलवाड़ा-कुचामन वाया अजमेर-किशनगढ़	2
48.	भीलवाड़ा-रूपनगढ़ वाया अजमेर-किशनगढ़	2
49.	भीलवाड़ा-किशनगढ़ वाया श्रीनगर	2
50.	नागौर-जयपुर	2
51.	नागौर-अजमेर-किशनगढ़-दिल्ली	2
52.	ब्यावर-मेरठ	2
53.	ब्यावर-दिल्ली	6
54.	जयपुर-उदयपुर	2
55.	सोजत-ब्यावर-जयपुर	2
56.	ब्यावर-किशनगढ़-जोधपुर	2
57.	ब्यावर-जयपुर	14
58.	ब्यावर-कुचामन-अहमदाबाद	2

इनके अतिरिक्त जयपुर से अजमेर एवं अजमेर से आगे जाने वाली सभी वाहनें किशनगढ़ होकर संचालित हो रही हैं।

परिशिष्ट-"2"

<u>परमिट की शर्तें</u>

(1) यानों का उपयोग विनिर्दिष्ट मार्ग पर ही किया जाएगा;

(2) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मंजिली-गाड़ी की समय-सारणी की प्रतियां यानों पर तथा मार्ग पर या उस क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट अडडों और विराम-स्थलों पर प्रदर्शित की जाएंगी;

(3) नगरपालिका की सीमाओं तथा ऐसे अन्य विहित क्षेत्रों में ही यात्रियों या माल को, विहित स्थानों के सिवाय, और कहीं चढ़ाया या उतारा नहीं जाएगा;

(4) यात्रियों को अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन जिसे मंजिली-गाड़ी में या तो साधारणया अथवा विनिर्दिष्ट अवसरों पर अथवा विनिर्दिष्ट समयों पर ऋतुओं में ले जाया जा सकेगा;

(5) यात्रियों के सामान का वह वजन और स्वरूप जो नि:शुल्क ले जाया जाएगा, सामान का वह कुल वजन जिसे हर यात्री के लिए ले जाया जा सकेगा, तथा वे इंतजाम जो यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बिना सामान ले जाने के लिए किए जाएंगे;

(6) प्रभार की वह दर जो यात्रियों के नि:शुल्क ले जाए जाने वाले सामान से अधिक सामान के लिए उदगृहीत की जा सकेगी;

(7) यानों में आराम और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तर बनाए रखे जाएंगे;

(8) किराया, अनुमोदित यात्री किराया सारणी के अनुसार प्रभारित किया जाएगा;

(9) यात्रियों को विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाली टिकटें दी जाएंगी तथा उनमें वह यात्री किराया दिखाया हुआ होगा जो वास्तव में लिया गया है और दी गई टिकटों का अभिलेख विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा;

(10) यान में ऐसी शर्तों पर, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, डाक ले जाई जाएगी (जिसके अन्तर्गत उस समय के बारे में जब डाक ले जाई जानी है तथा उस प्रभार के बारे में, जो उदगृहीत किए जा सकते हैं, शर्ते भी हैं);

(11) यान के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए विनिर्दिष्ट इंतजाम किए जाएंगे;

(12) किसी ऐसे विनिर्दिष्ट बस अड्डे या आश्रय का, जिसका अनुरक्षण सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, उपयोग किया जाएगा, और ऐसा उपयोग करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट किराया या फीस दी जाएगी;

(13) परमिट का धारक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसी कालिक विवरणियां, आंकड़े तथा अन्य जानकारी देगा जो राज्य सरकार समय-समय पर, विहित करे;

(14) परमिट से सम्बन्धित यान के पास धारा 56 के अधीन दिया गया ठीक हालत में होने का विधिमान्य प्रमाणपत्र है और उन्हें सर्वदा ऐसी हालत में बनाए रखा जाता है जिससे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति होती है;

(15) परमिट से सम्बन्धित यान को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात गति से अधिक गति पर नहीं चलाया जाता;

(16) धारा 67 के अधीन की गई अधिसूचना द्वारा लगाए गए किसी प्रतिषेध या निर्बन्धन का तथा नीयत किए गए किसी किराए या माल-भाड़े का ऐसे यान के सम्बन्ध में अनुपालन किया जाता है जिनसे परमिट सम्बन्धित है;

(17) परमिट से सम्बन्धित यान को धारा 5 या धारा 113 के उपबन्धों का उल्लंघन करके नहीं चलाया जाता;

(18) इस अधिनियम के जो उपबन्ध ड्राइवरों के काम के समय को परिसीमित करने के बारे में है, उनका ऐसे यान या यानों के सम्बन्ध में अनुपालन किया जाता है जिनसे परमिट सम्बन्धित है;

(19) अध्याय 10, अध्याय 11 और अध्याय 12 के उपबंधों का, जहां तक वे परमिट के धारक को लागू होते हैं, अनुपालन किया जाता है; और

(20) आपरेटर का नाम और पता परमिट से सम्बन्धित प्रत्येक यान की बाह्य बाड़ी पर उसके दोनों ओर यान के रंग से विषम चटकीले किसी रंग या किन्हीं रंगों में खिड़की सीमा के नीचे जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर बीच में मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा या उस यान पर अन्यथा दृढ़ता से चिपकाया जाएगा।

(21) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात्-

(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा;

(ख) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा;

(22) कोई अन्य शर्तें जो विहित की जाएं।

राज्य परिहवन निगम में नियुक्त संविदा कर्मी

416. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में ड्राइवर, परिचालक, आशुलिपिक एवं कनिष्ट लिपिकों के पद काफी समय से रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त निगम में परिचालकों एवं ड्राइवरों की नियुक्ति के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? एवं उनकी योग्यताओं के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में निगम में अनुबन्ध के आधार पर भी परिचालकों की भर्ती की गई है ? यदि हां, तो उसके क्या-क्या मानदण्ड हैं एवं उनकी क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1-3-2005 को निगम में चालक, परिचालक, आशुलिपिक एवं कनिष्ट लिपिकों के निम्न प्रकार पद रिक्त हैं :-

क्र.सं.	पद	वर्तमान में रिक्त पद
1.	चालक	कोई पद रिक्त नहीं
2.	परिचालक	219
3.	आशुलिपिक	13
4.	क.लि.	189

नोट : चालक एवं परिचालकों के पद संचालित शिड्यूल्स के आधार पर गणना करने पर कम होते रहते हैं।

(यातायात मंत्री)

(2) वर्तमान में निगम में परिचालकों एवं चालकों की नियुक्ति के लिए सेवा चयन मण्डल द्वारा विज्ञप्ति जारी कर परिचालक पद के पात्र अभ्यार्थियों के साक्षात्कार लेकर एवं चालक पद के पात्र अभ्यार्थियों के ट्रेड टैस्ट एवं साक्षात्कार के पश्चात् चयनित प्रत्याशियों की पैनल सूची तैयार कर नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाती है। निगम के भर्ती शिड्यल्स में परिचालक पद के लिए सैकण्डरी उत्तीर्ण एवं परिचालक लाईसेन्स बैज होना आवश्यक है, चालक पद के लिए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं भारी वाहन चलाने का 3 वर्ष का अनुभव एवं सैकण्डरी पास/भू.पू. सैनिक या निगम द्वारा प्रशिक्षित को प्राथमिकता निर्धारित है। हाल ही निगम मण्डल ने चालकों की भविष्य में होने वाली रिक्तियों बाबत पैनल तैयार करने हेतु पैनल से चयनित चालकों से परिचालक का भी कार्य लिए जाने के परिणामस्वरूप इनकी योग्यता परिचालक पद के समान ही सैकण्डरी उत्तीर्ण रखी गई है।

(3) वर्तमान में निगम में अनुबन्ध के आधार पर परिचालकों की भर्ती नहीं की जा रही है।

मावली में निगम बस सेवा का पुनर्संचालन

417. श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1971 से 1998 तक उदयपुर से गिलुण्ड वाया फतहनगर सनवाड निगम बसें संचालित थी ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर से फतहनगर सनवाड होकर निगम की बस कोटडी-काबरा तक वर्ष 1998 तक चल रही थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बसें बन्द कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इन मार्गों पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए पुन: निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। उक्त मार्गों पर पर्याप्त आय व यात्रीभार प्राप्त नहीं होने से संचालन अनार्थिक रहने के कारण माह सितम्बर, 2002 से निगम बसों का संचालन बन्द किया गया है।

(4) जी नहीं। आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी रहने के कारण फिलहाल इन मार्गों पर निगम बसों के संचालन का कोई विचार नहीं है।

पंचायत समिति राजगढ़ व रैणी (अलवर) हेतु आबंटित राशि

418. श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला अलवर की पंचायत समिति राजगढ़ तथा रैणी में राज्य सरकार व भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1998 से 2004 तक कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई एवं वह राशि किस-किस मद में व्यय की गई ? योजनावार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला अलवर की पंचायत समिति राजगढ़ तथा रैणी में राज्य सरकार व भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1998 से 2004 तक के दौरान आबंटित राशि एवं व्यय राशि का वर्षवार व योजनावार विवरण परिशिष्ट-"1" व परिशिष्ट-"2" पर अवलोकनीय है।

परिशिष्ट-"1"

पंचायत समिति राजगढ़ में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आबंटन व व्यय राशि की स्थिति 1998-99 से 2003-04 तक का विवरण :-

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 1998-99		वर्ष 1999-2000		वर्ष 2000-01		वर्ष 2001-02		वर्ष 2002-03		वर्ष 2003-04	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1.	JRY/JGSY/SGRY	27.51	25.51	21.50	21.50	32.95	32.95	25.08	25.08	25.88	25.88	32.51	32.51
2.	JRY PS	7.10	7.10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3.	EAS/SGRY PS	61.37	61.37	12.59	12.59	10.79	10.79	13.42	13.42	18.53	18.53	25.06	25.06
4.	MP LAD	12.00	12.00	3.37	3.37	16.61	16.61	12.52	12.52	8.18	8.18	6.45	6.45
5.	IAY	19.04	19.04	17.15	17.15	7.06	7.06	6.70	6.70	5.80	5.80	6.64	6.64
6.	PMGY	00	00	00	00	00	00	1.90	1.90	2.70	2.70	1.70	1.70
7.	MP LAD (राज्य सभा)	00	00	00	00	00	00	4.50	4.50	1.49	1.49	00	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	राजीव गांधी पेज जल	00	00	00	00	00	00	12.35	12.35	12.40	12.40	8.40	8.40
9.	MLA LAD	00	00	6.59	6.59	24.91	24.91	19.76	19.76	31.81	31.81	25.92	25.92
10.	OBB	00	00	1.85	1.85	0.93	0.93	00	00	00	00	00	00
11.	AGAK	4.81	4.81	1.05	1.05	00	00	4.16	4.16	00	00	00	00
12.	SUB CENTRA	6.60	6.60	00	00	00	00	00	00	15.36	15.36	1.54	1.54
13.	RGC	2.25	2.25	0.75	0.75	00	00	00	00	00	00	00	00
14.	BZBK	4.25	4.25	0.50	0.50	0.54	0.54	00	00	00	00	00	00
15.	जीवन धारा	11.40	11.40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
16.	माण्डा	1.19	1.19	00	00	00	00	00	00	5.00	5.00	00	00
17.	समबल	3.00	3.00	2.25	2.25	00	00	00	00	00	00	00	00
18.	निर्बन्द	3.95	3.95	2.15	2.15	00	00	00	00	00	00	00	00

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	दसवा वित्त आयोग	प्राप्त राशि	30.35	30.35	22.83	22.83	00	00	00	00	00	00	00	00
		मैचिंग शेयर	16.16	16.16	20.39	20.39	00	00	00	00	00	00	00	00
20.	ग्यारवां वित्त आयोग	प्राप्त राशि	00	00	00	00	28.97	28.97	28.97	28.97	28.97	28.97	19.40	19.40
		मैचिंग शेयर	00	00	00	00	10.12	10.12	19.85	19.85	5.18	5.18	5.21	5.21
21.	राज्य वित्त आयोग	प्राप्त राशि	00	00	00	00	23.25	23.25	25.89	25.89	26.26	26.26	26.26	26.26
		मैचिंग शेयर	00	00	00	00	00	00	9.64	6.64	00	00	00	00
22.	एससीडी अनुदान		3.63	3.63	00	5.26	7.20	6.72	12.06	8.62	11.76	4.48	17.96	14.38
23.	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना		3.27	2.84	2.15	2.80	4.15	2.70	0.40	0.30	3.00	2.55	4.20	5.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	मातृत्व लाभ	00	00	0.49	0.21	00	00	00	00	00	00	0.20	00
25.	बालिका समृद्धि	0.66	0.66	00	0.65	1.00	0.93	0.16	0.39	0.66	0.55	0.20	00
26.	सरपंच/पंच प्रशिक्षण	00	00	00	00	00	00	1.15	1.15	00	00	1.16	1.16

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद अलवर

परिशिष्ट-"2"

पंचायत समिति रैणी में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में वर्ष 1998-99 से 2003-04 तक स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण

क्र.सं.	योजना	वर्ष 1998-99		वर्ष 1999-2000		वर्ष 2000-01		वर्ष 2001-02		वर्ष 2002-03		वर्ष 2003-04	
		प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1.	आरजीसी	2.70	2.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.	जैड	3.30	3.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.	अनटाइड	1.19	1.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.	एजीएके	26.55	26.55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.	आई.ए.वाई. (न्यू)	22.40	22.40	8.64	8.64	5.80	5.80	8.80	8.80	5.20	5.20	6.80	6.80
6.	आई.ए.वाई. (अप)	--	--	--	--	13.40	13.40	--	--	--	--	--	--
7.	पीएमजीवाई (न्यू)	--	--	--	--	--	--	2.60	2.60	2.80	2.80	1.40	1.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	पीएमजीवाई (अप)	--	--	--	--	--	--	0.50	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30
9.	जेआरवाई	28.24	28.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	जेजीएसवाई	--	--	19.62	19.62	31.72	31.72	25.75	25.75	--	--	--	--
11.	ईएएस 70% P.S.	--	--	11.86	11.86	10.99	10.99	8.85	8.85	--	--	--	--
12.	ईएएस 30% DRDA	--	--	15.92	15.92	9.25	9.25	6.70	6.70	--	--	--	--
13.	जेआरवाई 15% DRDA	23.55	23.55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14.	एसजीआरवाई GP	--	--	--	--	--	--	--	--	26.58	26.58	33.38	33.38
15.	एसजीआरवाई P.S.	--	--	--	--	--	--	--	--	18.92	18.92	26.58	26.58
16.	एसजीआरवाई ZP	--	--	--	--	--	--	--	--	8.23	8.23	9.88	9.88
17.	एमले लैड	--	--	16.35	16.35	13.95	13.95	6.87	6.87	24.52	24.52	38.23	38.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	एमपी लैड	--	--	--	--	11.19	11.19	10.25	10.25	8.07	8.07	8.90	8.90
19.	टीएफसी/ईएफसी	20.73	20.73	--	--	--	--	20.45	20.45	18.51	18.51	23.17	23.17
20.	एसएफसी	15.07	15.07	--	--	--	--	--	--	21.66	21.66	21.26	21.26

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद अलवर

बांदीकुई पंचायत समिति परिसर में संचालित दुकानें

419. **श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति बांदीकुई परिसर में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के तहत कुल कितनी दुकानें बनी हुई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानों पर वर्तमान में कौन-कौन से किरायेदार काबिज हैं तथा इनका किराया क्या है ?

(3) कैंटीन के नाम से संचालित दुकान का क्षेत्रफल कितना है तथा यह किसके नाम से आबंटित है ?

(4) क्या कैंटीन के नाम से आबंटित दुकान में वर्तमान में कैंटीन चल रही है ? यदि नहीं, तो इस दुकान में क्या व्यवसाय किया जा रहा है और क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बांदीकुई परिसर में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत बीस दुकानें बनी हुई हैं।

(2) उक्त दुकानें जिनको आबंटित की गयी है उन किरायेदारों की सूची परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है तथा आवंटी ही इन दुकानों पर काबिज है। प्रति दुकान का किराया 400/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित है।

(3) कैंटीन व दुकान के नाम से संचालित दुकान का क्षेत्रफल 571.38 वर्ग फीट है जो स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत निर्मित दुकानों के निर्माण से पूर्व ही पुरानी कैंटीन के नाम से किराये पर चल रही है। यह प्रमोद कुमार के नाम से आबंटित है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(4) कैंटीन व दुकान के नाम से आबंटित दुकान में वर्तमान में एक भाग में एस.टी.डी. पी.सी.ओ. एवं फोटो स्टेट की दुकान चल रही है एवं एक भाग में जलपान की दुकान चल रही है। दिनांक 10-2-1999 को स्थायी प्रशासन समिति के प्रस्ताव के निर्णय में मात्र कैंटिन चलाने का उल्लेख नहीं था।

परिशिष्ट-"एक"

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत पंचायत समिति बांदीकुई परिसर में बनी हुई दुकानों पर काबिज किरायेदारों की सूची

क्र.सं.	दुकान पर काबिज किरायेदार का नाम	ग्राम का नाम
1.	श्री रामकिशन/मीड्या लेरजा	जागीर बांदीकुई
2.	श्री विनोद/भगवान सहाय	जागीर बांदीकुई
3.	श्री दिनेश/मनोहरलाल शर्मा	जागीर बांदीकुई
4.	श्री बनवारीलाल/हरगोविन्द	जागीर बांदीकुई
5.	श्री सेवाराम/मंगलाराम सैनी	जागीर बांदीकुई
6.	श्री श्रवण/मूलचन्द	जागीर बांदीकुई
7.	श्री भीमसिंह/अगंद गुर्जर	नांगलझामरवाडा
8.	श्री रंगलाल/रामसहाय गुर्जर	गादरवाडा गूजरान
9.	श्री राजेन्द्र प्रसाद/दीनदयाल गुप्ता	नांगलझामरवाडा

1	2	3
10.	श्री गंगाविशन/रामधन गुर्जर	चान्देरा
11.	श्रीमति धापा पत्नि अम्बालाल शर्मा	ढिगारियाभीम
12.	श्रीमती सुशीला पत्नि हरप्रसाद	पंडितपुरा
13.	श्री गिरीराज/अमरा मीणा	भांवता-भांवती
14.	श्री कृष्णगोपाल/श्रीधर	बिवाई
15.	श्री नन्दकिशोर/श्रीनारायण	प्रतापपुरा
16.	श्री गिरीराज/झूंथाराम मीणा	धनावड
17.	श्री रतनलाल/लटूरया मीणा	बालाहेड़ा
18.	श्री ख्यालीराम/गोरया मीणा	काटरवाड़ा बडियालखुर्द
19.	श्री गोपाल/राधेश्याम शर्मा	बालाहेड़ा
20.	श्री विजय सिंह/घासी गुर्जर	नूरपुर गुढाआशिकपुरा

पंचायत राज संस्थाओं द्वारा निर्मित जलाशयों की भराव क्षमता

420. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पंचायत राज संस्थाओं द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मापने के क्या नियम एवं मानदण्ड हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसर देव बाबर)

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित कराये ज ने व ले पानी के टैंक/हौज आयताकार बनाये जा रहे हैं जिनकी लागत राशि ः धिक एवं पानी की भराव क्षमता कम होती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि जन स्वास्थ्य अभि न्त्रिकी विभ . वृताकार जी.एल.आर./टैंक का ही निर्माण करता है, जिसकी ल ा.त कम एवं पानी की भराव क्षमता ः धिक होती है ? यदि हां, तो क्र सरकार पंच यत राज संस्थ ः ों द्वारा भी वृताकार टैंक ही निर्मित करवाने का वि र रख ी है ? यदि नहीं, त े क्यों ?

उत्तर

(1) पंच यत राज संस्थाओं द्वारा कराये जाने वाले वि ि न्न नि ण कार्यों की ुणवत्ता मापने हेतु नियम एवं विस्तृत तकनीकी म न्द ड संलग्न परिशिष्ट-"अ" ः नुसार है ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2004 में सम्मि लित कर सभी कार्यकारी संस्थ ः ों को इनकी पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किर हुआ है।

(2) जी नहीं। ग म पंचायतों द्वारा उपलब्ध साम ी एवं सुवि को ध्यान में रखते हुए वृ कार एवं आयताकार, दोनों प्रकार के प ी के टैंक/हौज बनाये ज रहे है। ग ा ण विकास कार्यों में सामान्यतः आय कार हौज ब े को प्राथमिकता उनकी रोज ारोन्मुखी होने के कारण दी जात है, ः पितु य ह ब त सही है कि ः यताकार पानी के टैंक/हौज की लागत राशि अधिक एवं प नी भराव क्षमता कम होती है।

(3) ज ी हां। यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभि न्त्रिकी वि भ ा. वृताकार जीएलआर/टैंक का निर्माण कराता है जिनकी लागत कम एवं प नी की भराव क्षमता अधिक होती है।

राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को यह निर्देशित किर जा रहा है कि जहां-जहां कुशल कारीगर उपलब्ध हों एवं कोई तकनीकी बाधा नहीं आती हो तथा अपरिहार्य कारणों को छोड़ते हुए सामान्यतः वृताकार प नी क टैंक ही बनाये जावें।

परिशिष्ट-3

निर्माण कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बिन्दु तथा तकनीकी मापदण्ड

ग्रामीण क्षेत्र में कराये जाने वाले करीब सभी प्रकार के निर्माण कार्यों में मानचित्रों को अधिक स्पष्ट तथा विस्तृत व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया गया है अतः उसमें दिये गये प्रत्येक निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर, उसकी पालना की जाएगी। अतः इस भाग का मुख्य उद्देश्य है कि निर्माण कार्य के प्रत्येक मद में किन बिन्दुओं पर विशेष तकनीकी ध्यान दिया जाये कि गुणवत्ता में कमी नहीं रहे

1. निर्माण का जमीन पर चित्रांकन करना (Lay out) :-

मान चित्रों में समस्त माप स्पष्ट दिये हुये हैं अतः उसी अनुसार चारों दिशाओं में पत्थर के पिलर गाड़ कर उसकी सहायता से चित्रांकन किया जाये

2. नींव का डिजाइन :-

दिये गये मानचित्रों के लिए, साधारण मिट्टी की भार क्षमता तथा नींव पर आने वाले भार को देखते हुये मानचित्र संख्या 14 में नींव के डिजाईन का आड़ी काट चित्र दिया हुआ है अतः इसी डिजाइन के अनुसार कार्य कराया जाना चाहिये परन्तु यदि मिट्टी ब्लेक काटन है या किसी परिस्थितिवश यदि भार अधिक आ रहा है तो नींव का डिजाइन पुनः कर सहायक या अधिशाषी अभियन्ता से स्वीकृति कराया जाये।

नींव ब्लेक काटन मिट्टी में :-

इस प्रकार की मिट्टी में नींव का डिजाइन करते समय निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जायेगा, देखें मानचित्र-23

1. मिट्टी पर भार की सीमा 5 टन प्रति व.मी. रखी जाएगी

2. नींव की गहराई इतनी लेनी चाहिए, जहां तक मिट्टी में दरारें न पड़ती हो यह गहराई कम से कम भूमिस्तर से 1.5 मी. होनी चाहिए

3. यदि काली मिट्टी की परत 1.5 मीटर गहराई तक ही है तो समस्त मिट्टी को निकाल कर, सख्त भूमि पर ही नींव रखनी चाहिए।

4. रेत पाइल्स, नींव के नीचे, भार लेने की क्षमता को बढ़ायेंगे।

5. भवन के चारों स्तर पर नक्शे में दिखाए अनुसार पत्थर या सीमेन्ट कांक्रीट का आवरण देना आवश्यक होगा।

6. नींव के तल को कूट कर सख्त बना कर, उस पर 15 से.मी. की परतों में, 30 से.मी. मोटी, अच्छी सख्त मूरम बिछाना चाहिये तथा हर परत को पानी डालकर अच्छी तरह कूटना चाहिये। इस मूरम परत के ऊपर पत्थर या रेत की परत डालकर, नींव की कांक्रीट डालनी चाहिये।

7. नींव बरसात की ऋतु में नहीं डालनी चाहिये।

8. नींव की डिजाइन के अनुसार चौड़ाई के अलावा अतिरिक्त चौड़ाई 40 से.मी. अधिक खोदनी चाहिये। नींव में चिनाई करने के पश्चात् दोनों ओर 20 से.मी. चौड़ा खाली स्थान मोटी रेत से भर देना चाहिये।

9. नींव तथा लिंटल स्तर पर आर.सी.सी. का चारों ओर दीवार पर बेन्ड दिया जाना आवश्यक है।

3. **खुदाई का कार्य :-**

नींव की खुदाई, सही तौर पर मानचित्र में दी गई लम्बाई-चौड़ाई तथा गहराई में की जायेगी। किनारे साहुल में होने चाहिये। अन्तिम तल को परखना चाहिये। यदि मिट्टी अभी भी ढीली है। तो कुछ और गहरी खुदाई सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से की जा सकती है। अन्तिम तल को दुरमुट से कुटना भी चाहिये। यदि कोई पेदन ढीला नजर आये तो उसमें मूरम या कांक्रीट डालकर कूटना चाहिये।

4. **कंक्रीट :-**

कंक्रीट 15 से.मी. से अधिक मोटाई में नहीं डाली जाएगी। कंक्रीट मिलाने के लिये यदि मिश्रक मशीन नहीं है तो सही मात्राओं को किसी ईंट या

सीमेंट या पक्की जगह के ऊपर सामग्री डालकर उसी के ऊपर मिलाई जाएगी। फावड़े गेती की मदद से कंक्रीट सामग्री को सुखा ही करीब तीन बार उलटा पलटा किया जाएगा, तथा फिर बाद में पानी मिलाकर इतनी ही बार उलटा-पलटा करें। कांक्रीट को नींव मे डालते समय ऊपर से न फेंकें वरन् नीचे नींव में खड़ा कारीगर कांक्रीट को धीरे से धरातल पर डालेगा। कंक्रीट की कुटाई $5^1/_2$ किलो भार के दुरमुट से हाथों-हाथ की जाएगी। कुटाई के बाद कम से कम 5 दिन तराई की जाएगी। परन्तु गारे की कंक्रीट की तराई की आवश्यकता नहीं है।

5. नींव में चिनाई :-

नींव के पत्थर की चिनाई में पत्थर 30 से.मी. से कम नहीं होना चाहिये। जहां तक हो वास्तविक सतह पर रखना चाहिये तथा दो पत्थरों के बीच में 30 से.मी. से अधिक जगह नहीं होनी चाहिये। तथा बीच में पतला मसाला भरा जाना चाहिये, ताकि कोई जगह खाली नहीं रह जाये। एक स्तर में चिनाई की ऊंचाई 25 से 30 से.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक 1 मीटर दूरी पर आर-पार होते हुये लम्बे पत्थर यानि वोन्ड स्टोन (हैदर) लगाया जाना चाहिये। यदि पूरी चौड़ाई के बराबर लम्बा पत्थर उपलब्ध न हो तो दो लम्बे पत्थरों की कैंची बनाकर लगाना चाहिये।

यदि चिनाई ईंट में की जा रही है तो नींव के रद्दे की चौड़ाई के अनुसार किसी भी वोन्ड में चिनाई करनी चाहिये। तथा एक रद्दा के ऊपर दूसरे रद्दे को ऐसे रखा जाना चाहिये कि ईंटों के जोड़ एक दूसरे के ऊपर न आये।

6. अधिरचना चिनाई :-

ग्रामीण क्षेत्र के भवनों में अधिरचना चिनाई या तो पत्थर की वे रद्दा ढोका चिनाई होती है या ईंटों की दीवार बनाई जाती है। पत्थर की ढोका चिनाई में पत्थर 15 से.मी. से छोटा नहीं होना चाहिये। यदि पत्थर के कोने आदि निकले हैं तो हथोड़े से तोड़कर इस प्रकार लगाने चाहिये कि उन दानों के जोड 30 मि.मी. से अधिक न हों। सामने की सतह में पत्थर के पच्चड़ आदि

नहीं दिखाई देने चाहिये। कम से कम 25 प्रतिशत पत्थर 2/3 गहराई में रखे जाने चाहिये। तथा प्रति 1 मीटर दूरी पर पूरी गहराई यानि हैंडर होने चाहिये। चिनाई का प्रत्येक रद्दा 60 से.मी. से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिये। तीनों ही दिशाओं में जोड़ों को तोडा जाना चाहियें। प्रत्येक रद्दे की ऊपरी सतह मसाले से भरकर समतल नहीं करनी चाहिये वरन् ऊबड़-खाबड जैसी है वैसी ही छोड़ देनी चाहिये। तराई कम से कम 7 दिन तक करनी चाहिये।

7. सिरदल :-

ग्रामीण क्षेत्र में आर.सी.सी. करने के अभाव में पत्थर के सिरदल का उपयोग किया जाता है। सिरदल का चढ़ाव कम से कम 23 से.मी. होना चाहिये। लिंटल जहां तक संभव हो 15 से.मी. मोटा डालना चाहिये। अन्यथा 10 से.मी. से कम तो नहीं डालना चाहिये। सिरदल के दोनों किनारों के नीचे बेड प्लेट पत्थर की कम से कम 5 से.मी. मोटी अवश्य लगानी चाहिये। बेड प्लेट की लम्बाई कम से कम चढ़ाव की दुगनी होनी चाहिये। सिरदल लगाने के लिये मसाला वही काम में लिया जाना चाहिये जिसमें चिनाई की गई है।

8. ईंट का कार्य :-

ग्रामीण क्षेत्र में ईंटो के वर्गीकरण को मापने के साधन के अभाव में, ईंटों की पहिचान प्रथम दर्जे तथा द्वितीय दर्जे की ईंटों से की जानी चाहिये।

प्रथम दर्जे की ईंटों की पहचान के लिये।

- दो ईंटो को बजाने से धातु जैसी आवाज आये।
- जिसके सभी किनारे साफ और सीधे हो।
- सतह साफ, चिकनी हो।
- दरारे न हो।
- नाखून से उस पर निशान न पड़े।
- यदि 16 घंटे उसे पानी में डुबाया जाये तो अपने भार का 20 प्रतिशत से अधिक पानी न सोके।

द्वितीय दर्जे की ईंटे यदि उपरोक्त बातों की कमी पाई जाये परन्तु बिना पकी, बिलकुल मुलायम नहीं होनी चाहिये।

ईंटो की चिनाई करने से पहले, इन्हें एक दिन पानी में भिगो कर ही काम में लेनी चाहिये तथा ईंट की दीवार की मोटाई के हिसाब से किस बोंड में चिनाई करनी है निश्चय कर लेना चाहिये। ईंट की चिनाई करते समय, ईंटो में खलीता वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखा जाएगा। तथा प्रत्येक रद्दे पर खड़े जोड कटने चाहिये। कार्य पर कम से कम 7 दिन तराई करनी चाहिये।

9. आर.सी.सी. छत का कार्य :-

आर.सी.सी. के कार्य को करने से पहले, उसके ऊपर प्रयुक्त भार के अनुसार डिजाइन कर लेना अति आवश्यक है। डिजाइन न कर सकने की हालात में हैन्ड बुक आफ आर.सी.सी. डिजाइन का उप`ग करना चाहिये। जो भार के आधार पर डिजाइन के साथ-साथ, सामग्री की मात्रा को भी बताती है। इससे समय की भी बचत होगी और सामग्री की आवश्यकता के अनुसार मात्रा बाजार से खरीदी जा सकेगी।

आर.सी.सी. के कार्य मे कंक्रीट डाले जाने से पहले शटरिंग को चैक कर लेना चाहिये। उसके तल का लेवल तथा शटरिंग की स्थिरता चैक करना आवश्यक है। कांक्रीट को मिश्रण मशीन से मिलाकर ही डालें। अब तक कंक्रीट 1:2:4 का मिश्रण डाला जाता रहा है। परन्तु अब नये आई.एस. कोड के हिसाब से कांक्रीट का मिश्रण 1:1 $^{1}/_{2}$:3 होना चाहिये। आर.सी.सी. आम नियमों के अलावा निम्न बातों का विशेष ध्यान रखे।

- स्टील को इस प्रकार बिछाएं कि कांक्रीट डालने के पश्चात, कांक्रीट स्टील को नीचे से कम से कम 20 मि.मी. ढक ले।
- कम्पन मशीन अच्छी तरह चलाऐ ताकि कांक्रीट पूर्ण रूप से दब जाये।
- तराई 28 दिन तक अवश्य करें।

- कांक्रीट में पानी जितना कम मिला सके मिलाए। ताकि पानी बनकर वह शटरिंग में से होकर नीचे न बह जाए। अपने साथ वह उसमें प्रयुक्त सीमेंट को भी ले जाएगा। (Water Cament Ratio)

10. पट्टी की छत :-

- पट्टीयां स्वीकृत खान की ऐसी हो जिसका एक सतह बिलकुल साफ हो। इन पट्टियों में तरेड़ तथा ढीला माल नहीं होना चाहिये। जोधपुर की पट्टियां 8 से.मी. से कम मोटाई की नहीं होनी चाहिये। तथा अन्य स्थान की 7 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिये। पटाव वाली दीवारों पर चढ़ाव 15 से.मी. का होना चाहिये तथा अन्य दो बगल की दीवारों पर 10 से.मी. का पटाव होना चाहिए। पट्टियां एक दूसरे के साथ बिलकुल भिड़ा कर नहीं रखनी चाहिए। पट्टियों की बीच की दूरी को 1:4 मसाले से भरकर ऊपर गोला बनाना चाहिए तथा इस गोले को तथा मसाले को 7 दिन तक पानी से भीगा रखना चाहिये।

आजकल सुरखी तथा पुराना चूना न मिलने के कारण या बहुत महंगा हो जाने के कारण, चूना का दड़ डालना बन्द कर दिया है, अतः छत के ऊपर आपके यहां प्रचलित प्रणाली के अनुसार किसी एक का चुनाव कर उपयोग किया जा सकता है।

11. फर्श का कार्य :-

जहां अत्यधिक सफाई की आवश्यकता हो जैसे हॉस्पिटल, किचिन तथा टॉयलेट वहां मारबल पालिश, कोटा स्टोन तथा चिप्स के फर्श लगाए जा सकते हैं। परन्तु अन्य सभी जगह पर रफ कोटा स्टोन तथा चित्तौड़-निम्बाहेड़ा स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। खास तौर पर स्कूल भवन में। सीमेंट कांक्रीट जल्दी टूटती है जबकि पत्थर की आयु बहुत अधिक होती है। नीचे की सतह पानी डालकर कूटना चाहिए तथा फिर उप सतह लगानी चाहिए।

12. प्लास्टर तथा टीप का कार्य :-

प्लास्टर तथा टीप करने से पहले सभी जोड़ों का कम से कम 1 से 2 से.मी. मसाला कुरेद लेना चाहिए तथा उसके बाद ही टीप या प्लास्टर करना

चाहिए। प्लास्टर तथा टीप पूर्ण हो जाने के 24 घंटे बाद से 7 दिन तराई करनी चाहिए।

13. खिड़की तथा दरवाजे परिशिष्ट-3 में दिए गए मानचित्र संख्या-14 में दिये डिजाइन के अनुसार स्टील के लगाए जाएंगे। स्टील के दरवाजे में एक तो दीमक लगने का भय नहीं होता है तथा लकड़ी के मुकाबले स्टील के दरवाजे सस्ते तथा मजबूत होते हैं। वैसे भी लकड़ी अब नेशनल बचत के अन्तर्गत आती है।

14. गर्डर के डिजाईन :-

पट्टियां अधिकांशतः 3 मीटर तक के पटाव की लम्बाई की उपलब्ध हो पाती हैं। 3 मीटर से अधिक पटाव वाले कमरों में बीच में गर्डर डालकर पट्टियां डाली जा सकती हैं। नीचे आम सुविधा के लिये विभिन्न पटाव लम्बाई तथा विभिन्न लम्बाई की पट्टियों के लिए गर्डर किस माप का डाला जाना चाहिये तथा उसका भार क्या होगा के लिए तालिका नीचे दी जा रही है।

क्रं. सं.	दो गर्डर के बीच की दूरी या जिस लम्बाई की पट्टियां डालनी हैं। (मीटर में)	कमरे का पाट या जिस लम्बाई का गर्डर डालना है. (मीटर में)	बीम/गर्डर की साइज (मि.मी. में)	गर्डर की प्रति मीटर लम्बाई का भार (किलो ग्राम
1.	1.5 मीटर	3.3 मीटर	175x90 I.S.L.B.	16.7 किलो ग्राम
2.	1.8 मीटर	3.3 मीटर	175x90 I.S.L.B.	16.7 किलो ग्राम
3.	2.1 मीटर	3.3 मीटर	200x100 I.S.L.B.	19.8 किलो ग्राम
4.	2.4 मीटर	3.3 मीटर	225x100 I.S.L.B.	23.5 किलो ग्राम

1	2	3	4	5
5.	2.7 मीटर	3.3 मीटर	225x100 I.S.L.B.	23.5 किलो ग्राम
6.	3.0 मीटर	3.3 मीटर	250x125 I.S.L.B.	27.9 किलो ग्राम
7.	1.5 मीटर	3.6 मीटर	200x100 I.S.L.B.	19.8 किलो ग्राम
8.	1.8 मीटर	3.6 मीटर	200x100 I.S.L.B.	19.8 किलो ग्राम
9.	2.1 मीटर	3.6 मीटर	225x100 I.S.L.B.	23.5 किलो ग्राम
10.	2.4 मीटर	3.6 मीटर	225x100 I.S.L.B.	23.5 किलो ग्राम
11.	2.7 मीटर	3.6 मीटर	250x125 I.S.L.B.	27.9 किलो ग्राम
12.	3.0 मीटर	3.6 मीटर	250x125 I.S.L.B.	27.9 किलो ग्राम
13.	1.5 मीटर	3.9 मीटर	200x100 I.S.L.B.	19.8 किलो ग्राम
14.	1.8 मीटर	3.9 मीटर	225x100 I.S.L.B.	23.5 किलो ग्राम
15.	2.1 मीटर	3.9 मीटर	250x125 I.S.L.B.	27.9 किलो ग्राम
16.	2.4 मीटर	3.9 मीटर	250x125 I.S.L.B.	27.9 किलो ग्राम
17.	2.7 मीटर	3.9 मीटर	250x125 I.S.L.B.	27.9 किलो ग्राम
18.	3.0 मीटर	3.9 मीटर	275x140 I.S.L.B.	33.0 किलो ग्राम
19.	1.5 मीटर	4.2 मीटर	225x100 I.S.L.B.	23.5 किलो ग्राम
20.	1.8 मीटर	4.2 मीटर	250x125 I.S.L.B.	27.9 किलो ग्राम
21.	2.1 मीटर	4.2 मीटर	250x125 I.S.L.B.	27.9 किलो ग्राम
22.	2.4 मीटर	4.2 मीटर	250x125 I.S.L.B.	27.9 किलो ग्राम

1	2	3	4	5
23.	2.7 मीटर	4.2 मीटर	275x140 I.S.L.B.	33.0 किलो ग्राम
24.	3.0 मीटर	4.2 मीटर	275x140 I.S.L.B.	33.0 किलो ग्राम
25.	1.5 मीटर	4.5 मीटर	225x100 I.S.L.B.	23.5 किलो ग्राम
26.	1.8 मीटर	4.5 मीटर	250x125 I.S.L.B.	27.9 किलो ग्राम
27.	2.1 मीटर	4.5 मीटर	275x140 I.S.L.B.	33.0 किलो ग्राम
28.	2.4 मीटर	4.5 मीटर	275x140 I.S.L.B.	33.0 किलो ग्राम
29.	2.7 मीटर	4.5 मीटर	275x140 I.S.L.B.	33.0 किलो ग्राम
30.	3.0 मीटर	4.5 मीटर	300x150 I.S.L.B.	37.7 किलो ग्राम
31.	1.5 मीटर	4.8 मीटर	250x125 I.S.L.B.	27.9 किलो ग्राम
32.	1.8 मीटर	4.8 मीटर	275x140 I.S.L.B.	33.0 किलो ग्राम
33.	2.1 मीटर	4.8 मीटर	275x140 I.S.L.B.	33.0 किलो ग्राम
34.	2.4 मीटर	4.8 मीटर	275x140 I.S.L.B.	33.0 किलो ग्राम
35.	2.7 मीटर	4.8 मीटर	300x150 I.S.L.B.	37.7 किलो ग्राम
36.	3.0 मीटर	4.8 मीटर	300x150 I.S.L.B.	37.7 किलो ग्राम
37.	1.5 मीटर	5.1 मीटर	250x125 I.S.L.B.	27.9 किलो ग्राम
38.	1.8 मीटर	5.1 मीटर	275x140 I.S.L.B.	33.0 किलो ग्राम
39.	2.1 मीटर	5.1 मीटर	275x140 I.S.L.B.	33.0 किलो ग्राम
40.	2.4 मीटर	5.1 मीटर	300x150 I.S.L.B.	37.7 किलो ग्राम

1	2	3	4	5
41.	2.7 मीटर	5.1 मीटर	325x165 I.S.L.B.	43.1 किलो ग्राम
42.	3.0 मीटर	5.1 मीटर	325x165 I.S.L.B.	43.1 किलो ग्राम
43.	1.5 मीटर	5.7 मीटर	275x140 I.S.L.B.	33.0 किलो ग्राम
44.	1.8 मीटर	5.7 मीटर	300x150 I.S.L.B.	37.7 किलो ग्राम
45.	2.1 मीटर	5.7 मीटर	325x165 I.S.L.B.	43.1 किलो ग्राम
46.	2.4 मीटर	5.7 मीटर	350x165 I.S.L.B.	49.5 किलो ग्राम
47.	2.7 मीटर	5.7 मीटर	350x165 I.S.L.B.	49.5 किलो ग्राम
48.	3.0 मीटर	5.7 मीटर	350x165 I.S.L.B.	49.5 किलो ग्राम
49.	1.5 मीटर	6.0 मीटर	275x140 I.S.L.B.	33.0 किलो ग्राम
50.	1.8 मीटर	6.0 मीटर	300x150 I.S.L.B.	37.7 किलो ग्राम
51.	2.1 मीटर	6.0 मीटर	325x165 I.S.L.B.	43.1 किलो ग्राम
52.	2.4 मीटर	6.0 मीटर	350x165 I.S.L.B.	49.5 किलो ग्राम
53.	2.7 मीटर	6.0 मीटर	350x165 I.S.L.B.	49.5 किलो ग्राम
54.	3.0 मीटर	6.0 मीटर	400x165 I.S.L.B.	56.9 किलो ग्राम

13. सड़क का कार्य :-

(अ) सड़क की कार्य क्षमता के लिए सड़क के साथ-साथ नालियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहां भी आवश्यक हो पानी को इकट्ठा होने से रोकने के लिए बगल में उपयुक्त नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी

को निकालने के लिए नालियां उपयुक्त मुहानों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। आबादी क्षेत्र के लिए स्वयं स्वच्छ होने वाली नाली को मानचित्र संख्या-14 में चित्रित किया गया है।

(ब) मौके की जांच के दौरान यह पाया गया है कि निर्माण के समय सड़क के उभार, दो तरफा ढलान तथा जल निकासी के पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इन कमियों से न केवल सड़क की मजबूती बल्कि उसके टिकाऊ होने पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः इन महत्वपूर्ण पहलुओं की कभी भी उपेक्षा न की जाए।

(स) पानी भरने वाले डामर (Pitch) क्षेत्रों में सीधी सड़क डालना महंगा पड़ता है। सड़क की सतह अधिकतम जल भराव स्तर से भी कम से कम 0.60 मी. से भी काफी ऊंचाई पर होनी चाहिए।

मिट्टी का काम

(अ) मिट्टी का काम ग्रामीण सड़क की कुल लागत का एक मुख्य घटक (40 से 70 प्रतिशत) है। चूंकि यह श्रम-प्रधान कार्य होता है, अतः सामग्री के चयन तथा मिट्टी का काम करने की पूरी प्रक्रिया में इसको ध्यान में रखना चाहिए।

(ब) मोटे तौर पर सड़क निर्माण में निम्नलिखित मुख्य काम शामिल होते हैं :-

(1) तटबन्ध बनाने की सामग्री के स्त्रोतों का पता लगाना।

(2) सड़क तैयार करने के लिए परत-दर-परत मिट्टी बिछाने का कार्य।

(3) परत-दर-परत कुटाई करना।

(4) जहां तक संभव हो ढुलाई का खर्च बचाने के लिए सड़कों के दोनों ओर की मिट्टी का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें मिट्टी की ढुलाई सिर पर रख कर की जा सकती है इससे रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। इसके लिए भारतीय सड़क कांग्रेस की सिफारिश के अनुसार सड़क के किनारे के क्षेत्र ही चुने जाएं।

(स) उपलब्ध मिट्टी में से बेहतर मिट्टी को सड़क की 30 से.मी. की ऊपरी सतह के लिए रख लेना चाहिए। मिट्टी के स्वरूप का पता अनुभवी इंजीनियर लगा सकते है। फिर भी मिट्टी में बहुत अधिक गच तो नहीं हैं, यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए।

(द) यदि सड़क के साथ वाली मिट्टी काली मिट्टी आदि जैसी घटिया किस्म की हो तो सड़क की ऊपरी सतह (30 से.मी.) को पास के क्षेत्रों से अच्छी किस्म की मिट्टी वाहनों द्वारा ढुलाई करवा कर ही बनवाया जाए।

(इ) कुटाई करना :- यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसी पर सड़क की सक्षमता निर्भर करती है। पर्याप्त रूप से कुटाई न करने के कारण सड़क की सतह टूट फूट जाती है, तथा कई जगह धंस जाती है। काफी ज्यादा लागत पर बनाई गई सड़कों को ऐसी दुर्गति होना काफी दुखदायी होता है। अतः इस बात पर बल दिया जाता है, कि सड़कों की कुटाई की उपेक्षा न की जाए। जहां तक संभव हो पावर रोलरों का प्रयोग किया जाए, मिट्टी को ठोस बनाने के लिए 8-10 टन रोलर के अधिकतम 6 चक्कर लगाने चाहिए। अलग-अलग और दूर-दराज के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं जहां ग्रामीण सड़क का थोड़ा सा छोटा-मोटा निर्माण करवा पड़ता है। पर वहां पावर रोलर उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। ऐसे मामलों में ट्रैक्टर/पशु/हाथ से खीचे जाने वाले रोलरों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि ऐसी स्थिति में मोटाई कम यानी 15 से.मी. (पोली) रखी जानी चाहिए तथा उपयुक्त आवश्यकता के अनुसार कुटाई करके अपेक्षित सतह बनाने हेतु रोलर के चक्करों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। रोलर के चक्करों की संख्या उसकी मिट्टी की स्थिति जांचने के बाद निर्धारित की जानी चाहिए। संयोगवश, यह एक श्रम-प्रधान काम है।

14. खंडजों की सामग्री तथा निर्माण :-

(अ) खंडजों की लागत कुल लागत का 25-40 प्रतिशत है। वास्तव में सड़क के यातायात का भार खंडजे पर ही पड़ता है अतः खंडजे की हालत एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जिससे सड़क की यातायात क्षमता पर प्रभाव पड़ता है (यात्रा की सुविधा तथा वाहन चलाने का खर्च)।

(ब) आधार तथा उप आधार की परत बिछाना।

(स) पूर्व पैरों में, खंडजों के डिजाइन के लिए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान की सिफारिश के अनुरूप एक डिजाइन का सुझाव दिया गया है। इसमें आधार बिछावन परत पर उप आधार परत बिछाई जाती है, इसमें आधार संसाधनों की कमी तथा आवश्यकता की विशालता को देखते हुए इसे अलग-अलग चरणों में किया जाना चाहिए। आरंभ में आधार बिछावन के लिए कम से कम 2 परतें बिछाई जानी चाहिए। नीचे की परत का निर्माण क्वेरी रविश, कंकड़, घांडला जैसी स्थानीय तौर पर उपलब्ध न हो तो पथरीली मिट्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए ऊपर की परत सख्त ढेलों से तैयार की जानी चाहिए। यदि वह निकट ही उचित दूरी पर उपलब्ध नहीं है, तो नरम सामग्री का उपयोग किया जा सकता है.

(द) कंकरीली सामग्री का एक उप आधार भी बनाया जाना चाहिए। इससे बजरो/रोडी/मूरम जैसी बढ़िया किस्म की सामग्री से बने किनारे को छोड़कर खंडजों की मोटाई में किफायत होगी। विभिन्न क्षेत्रों के लिए सड़कों को आड़ी काट के नमूने, मार्ग दर्शन हेतु चित्रों द्वारा मानचित्र संख्या 15 तथा 16 में दर्शाए गए हैं।

(इ) वास्तव में ग्रामीण सड़के कम लागत वाली होती है। इसलिए खंडजों के मानक जहां तक संभव हो कम खर्च वाले होने चाहिए तथा यातायात और जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों के अनुरूप हो और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने वाले होने चाहिए।

15. सिंचाई के कार्य :-

ग्रामीण रोजगार योजनाओं में, सिंचाई कार्यों हेतु लिफ्ट-सिंचाई र`जन..., नाडी नालों, एनीकट, फार्म पोन्डस (टाके), बाढ़-संरक्षण कार्य तथा कु` के निर्माण आदि के कार्य प्रस्तावित है। उपरोक्त कार्यों में से कुछ कार्य उच्च तकनीकी पर आधारित है, अतः विभाग द्वारा ही किया जाना उपयुक्त होगा परन्तु जो कार्य ग्रामीण स्तर पर किए जा सकते हैं, उन पर इस ... में कार्य किया जाना उपयुक्त होगा।

जलाशय

जलाशय की कुछ मुख्य आवश्यकताएं निम्न हो सकती हैं।

(अ) जलाशय इतना बड़ा बनाया जाना चाहिए कि उस क्षेत्र की आवश्यकता को पूरी कर सकता हो, बशर्ते कि पानी का पकड़ क्षेत्र (C... ...) इतना मिल सकें। परन्तु छोटे-छोटे क्षेत्र में अलग अलग जलाशय बनाना भी लाभदायक होगा।

(ब) जलाशय की सतह, जल प्रवेश करने योग्य नहीं होनी चाहिए, ताकि जल, आधार भूमि में न जाता रहे।

(स) यह सिंचाई वाले क्षेत्र से जितना पास हो, उतना ही लाभदायक होगा। इससे लम्बी नहर बनाने का खर्चा व जल हानि से बचा जा सकें।

(द) ऐसी कार्य स्थल जहां बांध बनाने की ऊंचाई अधिक ... हो, उसे अस्वीकृत कर देना चाहिए।

(य) जहां तक संभव हो, जल, जलाशय से, सिंचाई हेतु ... शक्ति (Gravity) से ही बहना चाहिए।

(र) जलाशय किसी कीमती भूमि क्षेत्र में नहीं बनाना चाहिए।

16. बांध तथा एनीकट :-

बांध, किसी नदी या घाटी के बीच में कोई निर्माण कर, बरसाती पानी को बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा कर सिंचाई करने के लिए ... है।

जबकि एनीकट कम ऊंचाई के बांध होते हैं, जिसका उद्देश्य पानी के स्तर को ऊंचा करना होता है, ताकि एक या दो तरफ पानी ले जाने वाली नहर में पानी सुविधा पूर्वक जा सके तथा आगे जाने वाले रास्ते की सतह तल ऊंची हो सके। एक एनीकट का मानचित्र उदाहरण के लिए एस्टीमेट सहित दिया गया है।

एनीकट ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः पत्थर की चिनाई कर या फिर मिट्टी का बांध बना कर तैयार किये जाते हैं। किसी भी स्थिति में नींव का भाग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि रेतीली मिट्टी है, (जैसा कि राजस्थान में अधिकतर भाग रेतीला है) तो जलधारा की तरफ से पानी की अधिक ऊंचाई होने के कारण नींव की तल मिट्टी में पहुंचता है, तथा क्षितिज के समान्तर धार के दुसरी तरफ निकल जाता है और इस प्रकार रिसाव का ऊंचा वे.. मिट्टी के कणों को विघ्न करता है और इस प्रकार एनीकट असफल हो जाते हैं अतः चिकनी मिट्टी में रेत तथ ग्रेवल, मिलाकर नींव बनाना बहुत उपयोगी सिद्ध हुए है। इसके साथ ही नींव की चौड़ाई बढ़ाना तथा कट आफ दीवारें बनाने से रिसाव रूक सकता है।

17. भूकम्प अवरोधी निर्माण :-

(क) भूकम्प से होने वाली सम्भावित क्षति को कम करने के लिए मान्य नियम :-

1. भवन का हल्कापन (Lighmess of Struvuure)
2. ढांचे का सुदृढ जुड़ाव एवं निर्माण की एकबद्धता (Solid Joints & Continuity in Structure)
3. भवन की धरती पर आयताकार आकृति (Rectangular Configuration)
4. चट्टानों या ठोस धरातल पर नींवे रखना।
5. छज्जों व लटकनों आदि का न होना।
6. भवन की तीन मंजिल तक सीमित रखना (केवल पत्थर ईट व ब्लाक की दीवारों के बने भवन पर लागू) एवं

प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 3 मीटर तक रखना (सामान्य चुनाई हेतु)

7. भार सहने वाली दीवारों में खिड़की दरवाजों आदि को न्यूनतम रखना तथा उन्हें सम्भवतया दीवारों के बीच में रखना।

8. दीवार पर छत का चढ़ाव न्यमनतम 3/4 मोटाई तक लेना।

9. प्लिंथ, लिंटल तथा छत के तल पर भूकम्पीय बंध लगाना।

10. कोनों तथा दीवारों के जोड़ों में उर्ध्वाधर सरियों (Verticle Re-inforcement) का प्रयोग।

11. गुणवत्ता नियंत्रण आदि (Quality Contorl in Construction)

(ब) भारतीय मानक कोड़ सं. IS : 4326 एवं IS : 13828 के अनुरूप निम्न बिन्दुओं का ध्यान निर्माण में आवश्यक रूप से रखना चाहिये।

1. कमरे की लम्बाई, ऊंचाई एवं दीवार की मोटाई पर नियंत्रण।

2. दीवारों में दरवाजे, खिड़की, वार्डरोब आदि की साईज एवं स्थान पर नियंत्रण।

3 निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की भार वहन सार्मथ्य क्षमता एवं निर्माण की गुणवत्ता पर नियंत्रण।

4. कुर्सी तल पर भूकम्पीय बंध (नींव यदि कठोर मृदा या चट्टान आदि पर हो तो इसे नहीं लगाया जावे)।

5. लिंटल तल पर भूकम्पीय बंध।

6 छत तल पर भूकम्पीय बंध यदि दो-तीन मंजिल का निर्माण या जिनमें छतें पूर्व निर्मित भवन एककों से बनी हों।

7. ढलवा छतों के ओरी स्तर (Eaves Level) पर भूकम्पीय बंध।

8. लोहे व लकड़ी के ट्रस एवं राफटर (Rafter) युक्त छतों पर ब्रेसींग (Bracing) लगाना।

पूर्व निर्मित भवन एककों से छतों के निर्माण में चारों ओर भूकम्पीय बंध एवं पूर्ण छत पर कांक्रीट की चटाई बिछाना आदि नितांत आवश्यक है।

(स) भूकम्पीय बंध (Eart' quake Resisting Band)

भारतीय मानक संस्थान (आई.एस. कोड सं. 1893) द्वारा निर्धारित भूकम्पीय जोन द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम में सभी प्रकार के भवनों के लिए आई.एस. कोड सं. 4326 (आयताकार एकाकों से निर्माण के लिये) के अनुसार निम्न पर भूकम्पीय बंध, भवन में आवश्यक रूप से लगाने चाहिए-

1. कुर्सी तल पर कठोर मृदा मिट्टी एवं चट्टानों पर नींव होने पर इसे हटाया जा सकता है।
2. लिंटल तल पर।
3. छत तल पर (अगर छत पूर्व निर्मित भवन एककों (Building Unit) से निर्मित हो।)
4. ढलवेनुमा छत के "ओरी" (Eave) तल पर आदि।

भूकम्पीय बंध भीतरी एवं अन्दरूनी दीवारों पर एक साथ आर.सी.सी. (एम.- 20 कांक्रीट) में लोहे की छड़ों से निर्मित करना होगा।

18. पेयजल के कार्य

(अ) स्थानीय आवश्यकता पर सार्वजनिक स्थानों पर हैण्ड पम्प लगाने के कार्य जिला स्तर पर नियमानुसार निविदाएं प्राप्त कर निजी संस्थाओं/ ठेकेदारों के माध्यम से भी कराये जा सकेंगे। लगाये जाने वाले हैण्ड पम्प का रख-रखाव/ अनुरक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित पंचायत/ पंचायत समिति/ स्थानीय स्वायतशाषी निकाय द्वारा की जावेगी तथा उक्त स्थापित किये जाने वाले हैण्ड पम्पों का पूर्ण भुगतान निम्नांकित कमेटी द्वारा रेण्डम चैंकिंग करने के उपरांत किया जावेगा।

1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।

2- सहायक अभियंता, जिला परिषद।

3- विकास अधिकारी, सम्बन्धित पंचायत समिति।

4- सहायक अभियंता, जनस्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग।

(ब) पेयजल से सम्बन्धित कार्य जो पी.एच.ई.डी. के नार्मस् में नहीं आते हैं उन्हें किसी पेयजल से सम्बन्धित एजेंसी, ठेकेदार से नियमानुसार निविदायें आमंत्रित कर कराये जा सकेगें बशर्ते ऐसे सृजित कार्यो का रख-रखाव सम्बन्धित पंचायत/पंचायत समिति/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय द्वारा किया जाना सुनिश्चित हो। ऐसे कार्यों की स्वीकृति/क्रियान्वयन/भुगतान आदि निम्नांकित गठित कमेटी की अभिशंषा पर किये जावेंगे :-

1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।

2- अधिशासी/सहायक अभियंता, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।

3- विकास अधिकारी, सम्बन्धित पंचायत समिति।

4- परियोजना अधिकारी (अभियांत्रिकी)/ सहायक अभियंता, जिला परि .द।

(स) विशेष परिस्थितियों में सार्वजनिक स्थान पर हैण्ड पम्प लगाने का कार्य/ पेयजल से सम्बन्धित ऐसे कार्य जो पी.एच.ई.डी. के नार्मस् में नहीं आते उन कार्यों का क्रियान्वयन ऐसी पंचायत राज संस्था से कराया जा सकेगा जो संस्था मुख्य कार्यकारी अधिकारी की दृष्टि में ऐसे कार्य कराने में सक्षम है, परन्तु ऐसे कार्यों के रख-रखाव, सम्बन्धित पंचायत/पंचायत समिति द्वारा किया जाना सुनिश्चित हो।

गरीबी रेखा में चयन हेतु प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण

421. हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या ग्रामीण विकास मं यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गरीबी रेखा में चयनित परिवारों की प्रारम्भिक सूची तैयार कर ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्र के वार्डों में प्रदर्शित कर उन पर आपत्तियां मांगी गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिन-जिन तिथियों को इनका प्रकाशन किया गया वहां पर सक्षम अधिकारी नियुक्त किये जाकर आपत्तियों की तत्काल जांचकर जिन लोगों का नाम लिखने से वंचित रह गया, उनका नाम तत्काल सम्मिलित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) (क) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बी.पी.एल. सेंसस-2002 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवारों का सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सर्वे किये गये सभी परिवारों की प्रारम्भिक सूचियां तैयार कर ली गई हैं, इनका अभी तक प्रकाशन नहीं किया गया है। इन सूचियों का ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदन एवं तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा कट आफ पाइंट के निर्धारण का कार्य शेष है। अन्तिम सूचियों का प्रकाशन भारत सरकार के निर्देशानुसार पी.यू.पी.एल. बनाम भारत सरकार की रिट याचिका संख्या 196/2001 पर अन्तिम सुनवाई तक नहीं किया जाना है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों की अस्थाई सूचियां तैयार कर शहरी क्षेत्रों के वार्डों में दिनांक 8-1-2005 से 15-1-2005 कर अवधि तक चस्पा किये जाने बाबत एवं दिनांक 16-1-2005 से 25-1-2005 की अवधि में लिखित में आक्षेप प्राप्त करने एवं 15-2-2005 से 14-3-2005 तक वार्ड सभायें आयोजित करने हेतु सभी जिला कलक्टरों को विभागीय पत्र दिनांक 30-12-2004 एवं 14-2-2005 द्वारा निर्देशित किया गया था।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वस्तुस्थिति प्रश्न के भाग सं. 1(क) के उत्तरानुसार है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

शहरी क्षेत्रों में जिला कलक्टर के स्तर से सक्षम अधिकारी नियुक्त कर प्राप्त आपत्तियों की जांच उपरांत बी.पी.एल. सेंसस के फील्ड सर्वे- 2003 में जिन व्यक्तियों का नाम दर्ज था तथा किसी कारणवश उनका नाम बी.पी.एल. की अस्थाई सूचियों में आने से रह गया, ऐसे व्यक्तियों की आपत्तियां प्राप्त होने पर इनकी जांच कर अन्तिम सूचियों में नाम दर्ज कराया गया।

सरानी खेडा-गुन्ना का पुरा ग्राम (धौलपुर) मार्ग का डामरीकरण

422. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :- क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा डांग विकास योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम सरानी खेड़ा से गुन्ना का पुरा तक डब्ल्यू. बी.एम. मैटल सड़क का निर्माण कराया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य6-7 वर्ष पूर्व करायां गया एवं डांग व पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण गिट्टी व बोल्डर उखड़ने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर के द्वारा उक्त सड़क के डामरीकरण के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये गये हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी।

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राजगढ़ (चूरू) तहसील में ओलावृष्टि एवं अंधड़ से हुए नुकसान बाबत।

महोदय,

मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सादुलपुर तहसील राजगढ़ जिला चूरू में ओलावृष्टि एवं तेज आंधी से सिद्धमुख, ढ़ाणी छोटी, ढ़ाणी बडी-सादपुरा, भीमसाना, चुबविया, धानोती बडी, धागड़ा, दुम्करी, बेवड़ किरताण भैसली, रामपुरा वीराण-बालाण आदि गांवों में ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, चने की फसल बिलकुल ही बर्बाद हो गई हैं फसल को शत प्रतिशत नुकसान हुआ है तथा तहसील के अन्य गांवों में तेज अन्धड़ से चने की फसल को काफी नुकसान हुआ हैं। चने का फूल जो आया हुआ था, नष्ट हो गया है। जिससे काश्तकारों की कमर टूट गई है।

महोदयजी, मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि सभी काश्तकारों को चाहे वे लघु एवं सीमान्त काश्तकार हो चाहे ज्यादा भूमि वाले काश्तकार हो सभी को मुआवजा दिया जावे। मुआवजे में भूमि की बंदिश नहीं होनी चाहिए। सभी छोटे बड़े काश्तकारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा जिन काश्तकारों के कुऐं के बिजली के कनेक्शन है तथा सिंचाई कर फसल पैदा करते है उन काश्तकारों के अगली फसल तक बिजली के बिल माफ किये जाये। क्योंकि उन काश्तकारों की फसल बरबाद हो चुकी है वे बिजली का बिल भरने की स्थिति में नहीं है।

अतः काश्तकारों की ओलावृष्टि एवं तेज अंधड़ से हुए फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जावे एवं अगली फसल पैदा होने तक काश्तकारों के बिजली के बिल माफ किये जावे।

श्री नन्दलाल पूनियां
सादुलपुर

बाली विधान सभा क्षेत्र के टाडा/माडा चयनित क्षेत्र में पक्के सारण निर्माण एवं ग्राम खेतरली में जनजाति बालिका छात्रावास खुलवाने बाबत

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली की ग्यारह ग्राम पंचायते माडा चयनित है। इन पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले आदीवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग के मजदूरी पेशा, मवंशी पालकों, लघु सीमान्त काश्तकारों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब रहती है कि अपनी रोटी की व्यवस्था में ये लोग सपरिवार किसी न किसी श्रम में लगे रहते है। या अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनकी बालिकायें शिक्षा विकास से वंचित रह जाती है। हालांकि आदिवासी बालिकाओं के लिए फालना में छमाही शैक्षणिक कैम्प लगाये जा रहे हैं। जिसमें लगभग 125 बालिकायें अध्यनरत हैं। लेकिन विस्तृत-दूर दराज तक फैले बाली के माडा क्षेत्र की बालिकाओं को छात्रावास के अभाव में सर्वागीण विकास से वंचित रहना पड़ रहा हैं। इस हेतु माडा चयनित क्षेत्र के मध्य में पड़ने वाले ग्राम खेतरली में नवीन छात्रावास खोलने पर ही इस समस्या का समाधान सम्भव हैं जैसा कि खेतरली में माध्यमिक विद्यालय भी संचालित हैं व बालिका छात्रावास खोले जाने के सभी मानदण्ड यहां मौजूद हैं। साथ ही माडा चयनित इन्ही ग्यारह पंचायतों के हजारों आदिवासी/जनजाति लघु सीमान्त काश्तकार व ा जल व पहाड़ों से रिसकर आने वाले पानी को सारण के माध्यम से अपने खेतों में मोड़कर कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पक्के सारण के अभाव में खेतों तक आने वाले पानी का अधिकांश भाग छीजत के रूप में इधर-उधर बह निकलता है। अतः पक्के निर्माण करवाये जाने से प्रकृतिजन्य यह सिंचाई व्यवस्था इन आदिवासी लघु सीमान्त काश्तकारों के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होगी।

अतः खेतरली में जनजाति बालिका छात्रावास एवं माडा चयनित क्षेत्र में पक्के सारण निर्माण जिनके प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं, के लिए वित्तीय व्यवस्था कर कार्य पूर्ण करवाकर अनुग्रहित करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत
बाली

डूंगरपुर जिले में अकाल राहत के कार्य पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में

महोदय,

डूंगरपुर में लगातार 4-5 साल से अकाल पड़ता आ रहा हैं डूंगरपुर में पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलने से लोग भयंकर परेशान हैं लोग भूख से तबाह हो रहे हैं। हर रोज में एक टाइम भोजन कर पाते हैं। अकाल राहत के अन्तर्गत बहुत ही कम लेबर लगी हुई हैं। काम के बदले अनाज में भी बहुत ही कम लेबर लगी हुई हैं। डूंगरपुर में आज तक 15 हजार अकाल राहत में, एवं 35 हजार काम के बदले अनाज योजना में लोग लगे हुए हैं। कुल मिलाकर 50 हजार लोग लगे हुए हैं। अभी जो लेबर लगी हुई हैं। इससे लोग आपस में झगड़ रहे हैं। मेरी सरकार से मांग हैं कि डूंगरपुर में कम से कम एक लाख मजदूर लगाने की कृपा करावें। प्रत्येक परिवार से एक मजदूर लगाने की अत्यन्त आवश्यकता ही हैं। सरकार से मांग है कि अति शीघ्र एक परिवार से एक मजदूर लगाने की व्यवस्था करावें।

श्री नाथूराम अहारी
डूंगरपुर

बछड़ों को राज्य से बाहर से जाने पर रोक लगी होने से किसानों को होने वाली आर्थिक हानि से उत्पन्न स्थिति बाबत

महोदय,

राजस्थान में बछड़ों को राज्य से बाहर ले जाने पर रोक लगी होने के कारण राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय होता है। राजस्थान में पशु मेलों का स्तर भी गिर रहा है, जिससे सरकार को होने वाली आय में भी कमी आई हैं। मुख्यता पश्चिमी राजस्थान में जहां मेले लगते है, नागौर, परबतसर, मेड़ता, बालोतरा और तिलवाड़ा ये पशुओं के विश्व प्रसिद्ध मेले हैं। इनसे लाखों रुपयों की आय होती हैं व गांवों में रहने वाले लोगों व उनके रहन सहन का मुख्य आर्थिक आधार हैं।

अतः सरकार को बछड़ों को राज्य से बाहर ले जाने पर लगी रोक को हटाना चाहिए जिससे राजस्थान के पशुपालकों व किसानों को आर्थिक फायदा होगा व इनके जीवन स्तर में सुधार होगा। उक्त रोक को हटाने से पशु मेलों में भी सुधार होगा व इससे सरकार को व किसानों को भी लाभ होगा।

अतः मेरा इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार व पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन है कि राज्य के किसानों व पशुपालकों के हित में राज्य से पशुधन (बछड़ों) को ले जाने पर लगी रोक को हटाया जावे।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा
मेड़ता

जयपुर-सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग को चारलेन बनाये जाने बाबत

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं जयपुर से सीकर नेशनल हाइवे नम्बर 11 को फोर-वे किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर-सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का बहुत अधिक दबाव बना रहता है, भारी संख्या में रोज अप-डाउन करने वाले अपने स्वयं के वाहनों से एवं जीप, टैक्सी, बस आदि से आवागमन करते हैं। दुर्घटना होने की हमेशा आशंका बनी रहती है और हर दूसरे दिन कोई न कोई दुर्घटना इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित हो जाना आम बात हो गई हैं।

मैं इस विषय में यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि जयपुर से शाहपुरा मार्ग फोर लेन हो चुका है, जयपुर से भरतपुर भी फोर-लेन डिक्लेयर किया जा चुका है तथा जयुपर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग भी छह लेन या आठ लेन का बनकर तैयार हो चुका है। केवल मात्र जयपुर से सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग ही अभी तक फोर लेन का होने से वंचित रहा हुआ है जबकि इस राष्ट्रीय राजमार्ग से सालासर, खाटूश्यामजी, जीणमाता, रैवासा धाम, लोहार्गल, शाकम्भरी आदि अनेक धार्मिक स्थल एवं हर्ष की पहाड़ीं जैसा पर्यटन स्थल भी जुड़ा हुआ है और वार्षिक मेलों एवं परिक्रमा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण इस राजमार्ग से आवागमन करते हैं तथा अन्य प्रदेशों के प्रवासीगण जब सालासर, खाटूश्यामजी के दर्शनों हेतु इस राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते हैं तो उन्हें भी मन में बहुत वेदना होती है कि इतना महत्वपूर्ण राजमार्ग होते हुए भी अभी तक यह फोर लेन का नहीं बन पाया है।

अतः मेरा राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि जयपुर से सीकर नेशनल

हाइवे को अतिशीघ्र फोर लेन का बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने हेतु आवश्यक कदम उठाने की कार्यवाही कर इस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े शहरों एवं कस्बों की आम जनता एवं इस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को राहत पहुंचाने का कष्ट करें।

जय हिन्द, जय भारत।

श्री राजकुमारी शर्मा
सीकर

भांडारेज (सिकराय) क्षेत्र में पेयजल के गंभीर संकट बाबत्

महोदय,

सिकराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भाण्डरेज जो दौसा जिले की सबसे बड़ी पंचायत है में भयंकर पेयजल का संकट हैं। मात्र 15 मिनट पानी नलों के द्वारा सप्लाई किया जाता है तथा 500 से अधिक ऐसे गांव तथा ढाणियां है जहां आधा किलोमीटर से लेकर 3-3 किलोमीटर तक पेयजल के लिए कोई साधन नहीं हैं। क्षेत्र में सारे कुए सूख गये हैं तथा आगामी गर्मियों में पानी की समस्या विकराल रूप ले सकती हैं। स्थानीय विभागीय अधिकारियों ने स्कीम बनाकर प्रस्तुत की हुई हैं लेकिन समय पर उनकी स्वीकृति नहीं मिलने से यह संकट भयंकर रूप ले सकता है।

अतः जनहित में अविलम्बनीय इस लोक महत्व के विषय पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु अनुरोध है कि इस समस्या का तुरन्त समाधान करने की कृपा करें।

श्री रामकिशोर मीणा
सिकराय

चिड़ावा तहसील के ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिलानी में गत दिनों हुई ओलावृष्टि से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ हैं। ओलावृष्टि से प्रभावित किसान धरने पर बैठे हैं। सरकार गरीब किसानों को कुछ भी नहीं दे रही हैं चिड़ावा तहसील के किसान हड़ताल पर बैठे हैं और समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो एक आग का रूप धारण करेगा, जिससे नुकसान भी होगा।

अतः इस परिणति को ध्यान में रखा जावे कि जो लोग भूख से तरस रहे हैं वो एक दिन जरूर ध्यान नहीं देने से चिड़ावा में बहुत बड़ी समस्या आ सकती हैं। सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार तत्काल किसान की समस्या पर ध्यान देने और किसान के नुकसान का मुआवजा दिलवाया जाये और बिजली का बिल माफ करवाया जाये। हो सकता है यह आन्दोलन समय पर ध्यान नहीं देने से घड़साना का रूप ले सकता है। आज किसान बिजली का बिल देने में असमर्थ हैं।

अतः तत्काल बिल माफी की छः माह की घोषणा की जावे और धरने पर बैठे चिड़ावा के किसानों की समस्याओं का समाधान करें। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देकर उन्हें न्याय प्रदान करें।

श्री श्रवण कुमार

पिलानी

कृ. उपज मण्डियों से प्राप्त आय-व्यय का अधिकार तथ कृ. उपज मण्डियों का संचालन सम्बन्धित जिल परि.द के अधीनस्थ करने बाबत

मान्यवर,

राजस्थान कृ. विपणन बोर्ड का गठन तीन दशक पूर्व 6 जून 1974 को किया गया था। बोर्ड के गठन का मुख्य लक्ष्य मण्डियों व गौण मण्डियों का विकास करवाना, ग्रामीण सड़को का मंडी की आवश्यकता अनुसार निर्माण तथा कृ. विपणन से कृ.कों के हित में अन्य विभिन्न कार्य करवाना था बोर्ड के लम्बे समय से चुनाव नहीं हुये हैं। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बोर्ड के प्रशासक हैं। बोर्ड अपने लक्ष्य से भटक गया हैं। सार्वनिर्माण विभाग के जो कार्य करवाने चाहिये उसके लिये प्रतिवर्ष कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। वर्ष 2003-04 में मंडी शुल्क से कुल आय 160.82 करोड़ रूपये हुई थी। जो कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को अपने बजट से करवाना चाहिये था उसके लिये बोर्ड ने 5093.41 लाख रुपये खर्च किये हैं। कृ. उपज मंडियों से प्राप्त आय उस क्षेत्र के विकास में खर्च नहीं कर इस राशि को खर्च करने का अधिकार बोर्ड ने अपने पास ले लिया हैं मण्डियों की आय से सीकर में 150 लाख रुपये ओवर ब्रिज के निर्माण पर खर्च किये गये। इसी प्रकार 20 लाख रुपये चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में भूमि अवाप्ति व भवन निर्माण पर खर्च किये गये। प्रदेश की अनेक मंडियों में विकास करवाने के लिये पैसा नहीं है व गोण मंडियों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई हैं। कोटा जिले की सांगोद व बपावर की गौण मंडियों इस दुर्दशा की मिसाल हैं।

दिनांक 29 जून 2004 को नई दिल्ली में पंचायती राज पर मुख्य मंत्रीयों के सम्मेलन की रिपोर्ट में जिस मुद्दे पर मुख्य रूप से बल दिया गया व यह है कि 'ऐसा कोई भी कार्य जो निचले स्तर पर किया जा सकता हो उसे उंचे स्तर पर नहीं भेजा जाना चाहिए'। प्रभावी पंचायत राज के लिये 3 वस्यक

है कि सरकारी अधिकारी निर्वाचित नेताओं के अधीन कार्य करें। अतः जो कार्य कृ. विपणन बोर्ड कर रहा है उसे पंचायत राज के माध्यम से जिला परि .द के अधीनस्थ कर कृ. उपज मंडियों की आवश्यकता अनुसार विकास किया जावे। कृ विपणन बोर्ड को भंग किया जावे।

श्री भरत सिंह
दी .ोद

अजमेर जिले में पेयजल समस्या

महोदय,

विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं आपका ध्या न अजमेर की भी .ण पेयजल समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। : ध्यक्ष महोदया गर्मी प्रारम्भ होने के साथ ही जिले के अधिकांश गांवों में एवं पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या प्रारम्भ हो गई है। स्थिति यह है कि या तो गांवों में पीने का पानी ही नहीं है और अगर थोड़ा बहुत पानी है ..तो बहुत दूर और फ्लोराइड युक्त। अध्यक्ष महोदया यह विडम्बना ही है कि .त सत्र में भी पानी की ओर ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकार थोड़ी सी धन राशि खर्च कर अजमेर के पेरा-फेरी गांवों को बीसलपुर का पेयजल उपलब्ध करा सकती है तथा इस बारे में तीन प्रस्ताव (I) पेरा फेरी गांवों का पानी देने का (II) तबीजी ग्राम को पेयजल देने का और (III) गनाहेड़ा की रीजनल स्कीम सरकार के पास विचाराधीन है पता नहीं क्यों नहीं स्वीकृति मिल रही है। अगर ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाते है तो जनता को शुद्ध पेयजल मिलेगा और सरकारी धन का पानी ट्रांसपोर्ट में जो : नावश्यक खर्च होता है वह बचेगा। अध्यक्ष महोदया सरकार अपने बजट भा .ण में विकासोन्मुख व ग्रामीण हितैषी होने का दम्भ करती है पर छोटे छोटे प्रस्ताव भी मानवीय आधार पर स्वीकृत करने में जोर आता है। वो तो जबकि विभागीय मंत्री महोदय अजमेर ही के हैं। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे

निवेदन है कि बीसलपुर का पानी जयपुर लाने से पहले अजमेर जिले के सभी गांवों को बीसलपुर का पानी दिया जाय जिस पर कि अजमेर की जनता का पहला हक है। अजमेर जिले की स्थिति यह है कि पीसांगन पंचायत जैसा समिति मुख्यालय पानी को तरस रहा है तथा यहां की जनता फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में जो पेयजल का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है उसमें पशुधन के लिये भी पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाये। गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया तो जनता में असंतोष तो होगा ही पेयजल समस्या कानून एवं व्यवस्था के लिये भी समस्या बन सकती है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती
ब्यावर

सदस्य-सूची

शुक्रवार, 1 अप्रैल, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री अध्यक्ष

समिति प्रतिवेदन : कार्य सलाहकार

-कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन में : शिक संशोधन 182

श्री अमराराम (धोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

समाज कल्याण

-सीकर जिले के छात्रावासों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें 386

श्री अरूण सिंह (डीग)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

समाज कल्याण

-हुलमाना खुर्द ग्राम (अलवर) की हरिजन बस्तियों हेतु : सीय सुविधाएं 382

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-पुलिस दूरसंचार सेवा में राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चयनित कर्मी का पदोन्नति प्रकरण 362

यातायात एवं परिवहन

-सलूम्बर में निमग बस स्टेण्ड 428

तारांकित प्रश्नोत्तर

यातायात एवं परिवहन

-भीण्डर-सलूम्बर मुम्बई अन्तरराज्यीय बस सेवा 287

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-रानीवाड़ा में छात्रावास भवन	385
श्री अशोक बैरवा (खण्डार)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-राज्य में बाघों की घटती संख्या के कारण की समीक्षा हेतु गठित कूमट समिति	38
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने सुविधा केन्द्रों का उपयोग न होने से उत्पन्न स्थिति	72
श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-मसवासी (अलवर) की मुख्य सड़क पर अतिक्रमण	397
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-ग्राम पंचायतों में चयनित परिवार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिये जा रहे वेतन/भत्ते	285
डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-श्रीगंगानगर जिले में जारी शस्त्र अनुज्ञा-पत्र	355

नाम	पृष्ठ संख्या
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	166
श्री ओम बिरला (कोटा)	
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में सरसों की खरीद में हुई कथित अनियमितता	50
श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-थानागाजी में खेल स्टेडियम का निर्माण	345
डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-बाड़मेर जिले के सूखा प्रभावित ग्रामों में अकाल राहत कार्यान्तर्गत पक्के निर्माण कार्य	3
श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-पंचायत राज संस्थाओं द्वारा निर्मित जलाशयों की भराव क्षमता	149
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	183
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-सीकर (लक्ष्मणगढ़) का भवन विहीन छात्रावास	301
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मी	392

नाम	पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्नोत्तर

वन

-राज्य में बाघों की घटती संख्या के कारण की समीक्षा हेतु गठित कूमट समिति 32

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-जाली नोट प्रकरणों की रोकथाम हेतु कार्य-योजना 27

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री

स्थगन प्रस्ताव

-शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा नहीं भरा जाना 48

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-तारानगर में अकाल राहत कार्यों के भुगतान में व्याप्त अनियमितताएं 422

सहकारिता

-जयपुर वर्ल्ड सिटी सोसायटी, बापूनगर को प्राप्त अनुदान 390

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-जाली नोट प्रकरणों की रोकथाम हेतु कार्य-योजना 27

वन

-राज्य में बाघों की घटती संख्या के कारण की समीक्षा हेतु गठित कूमट समिति 37

नाम	पृष्ठ संख्या

स्थगन प्रस्ताव

-वन भूमि पर अवैधानिक तरीके से बढ़ते निर्माण से वन्य जीव एवं पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होने के संबंध में 41

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

-बागीदौरा में अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत वितरित सामग्री 370

आय व्ययक

-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद 117

श्री जीतराम (मालपुरा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

यातायात एवं परिवहन

-जयपुर शहर में टैम्पू वाहनों से प्रदूषण 424

तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायती राज

-सहकारी बैंकों के दोषी ऋणी सदस्यों से ऋण वसूली हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन 342

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

वन

-जालौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सूअरों द्वारा फसलों को क्षति 307

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

तारांकित प्रश्नोत्तर

समाज कल्याण

-जोधपुर जिले के छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाएं 26

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-जालौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सूअरों द्वारा फसलों को क्षति	307
श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-बाड़मेर जिले के सूखा प्रभावित ग्रामों में अकाल राहत कार्यान्तर्गत पक्के निर्माण कार्य	2
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बायतू से लेकर कवास तक रेलवे समपार नहीं होने बाबत	74
श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-राज्य परिवहन निगम में नियुक्त संविदा कर्मी	437
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-अजमेर की जवाजा पंचायत समिति के सूखाग्रस्त गांवों में कराये जा रहे कार्य	314
श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-अलवर जिले के सरपंचों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें	395

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-अलवर जिले के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम बस सेवा	308
श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-टिब्बी में निगम बस सेवा	424
श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	176
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-रामगढ़ (चूरू) तहसील में ओलावृष्टि एवं अंधड़ से हुए नुकसान बाबत	471
श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-'लक्ष्य महान् सबको सुरक्षा, सबका कल्याण' योजनान्तर्गत नयें छात्रावास	372
श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2003-04	82

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)

तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-बांसवाड़ा जिले के चयनित परिवारों को आबंटित भू-खण्ड 315

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)

तारांकित प्रश्नोत्तर

खेल

-किशनगढ़ रेनवाल (जयपुर) में खेल स्टेडियम की स्थापना 326

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-नांगल बोहरा ग्राम, बस्सी तहसील में खातेदारी भूमि पर मेड-डोल लगाने हेतु पुलिस इमदाद 353

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-डूंगरपुर जिले में अकाल राहत के कार्य पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में 473

श्री निर्भय लाल (रूपवास)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

समाज कल्याण

-भरतपुर जिले के छात्रावास में मृत छात्र के परिजनों को सहायता 384

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-बाली में नवीन पुलिस थानों/चौकियों की स्थापना 304

क्रम	पृष्ठ संख्या
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बाली विधान सभा क्षेत्र के टाडा/माडा चयनित क्षेत्र में पक्के सारण निर्माण एवं ग्राम खेतरली में जनजाति बालिका छात्रावास खुलवाने बाबत	472
श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-केलवाड़ा (बारां) वन क्षेत्र की वन भूमि पर अतिक्रमण	366
श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-बारां जिले के घोषित आदतन अपराधी	323
श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-बारां जिले के तेन्दू पत्तों की तुड़ाई का ठेका प्रकरण	325
श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	112
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-जोधपुर जिले के छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाएं	23
श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	151

नाम पृष्ठ संख्या

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-सरानी खेड़ा-गुन्ना का पुरा ग्राम (धौलपुर) मार्ग का डामरीकरण 470

तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-धौलपुर के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्र के कृषकों को सहायता 288

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-बाड़मेर जिले के सूखा प्रभावित ग्रामों में अकाल राहत कार्यान्तर्गत पक्के निर्माण कार्य 11

स्थगन प्रस्ताव

-शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा नहीं भरा जाना 41

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

-बनीपार्क के राशन डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें 369

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष

स्थगन प्रस्ताव

-शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा नहीं भरा जाना 46

आय व्ययक

-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद 207

ट म	पृष्ठ संख्या
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्ृह	
-थाना भट्टा बस्ती जयपुर में दर्ज महिला उत्पीड़न प्रकरण	364
तारांकित प्रश्नोतर	
र ट र त एवं परिवहन	
-जयपुर शहर हेतु पार्किंग व्यवस्था	1
श्री भंवरू खान (फतेहपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ः काल एवं सहायता	
-फतेहपुर के अभावग्रस्त ग्राम	398
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-कृि. उपज मण्डियों से प्राप्त आय-व्यय का अधिकार तथा कृि. उपज मण्डियों का संचालन सम्बन्धित जिला परिषद के अधीनस्थ करने बाबत	478
स्थ. न प्रस्ताव	
-राज्य में सरसों की खरीद में हुई कथित अनियमितता	64
श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
र तार त एवं परिवहन	
-किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र हेतु निगम बस सेवा	±28
श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्ृह	
-श्रीडूंगरगढ़ में दर्ज मोटर पम्प चोरी प्रकरण	354

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मदन दिलावर (अटरू), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-जोधपुर जिले के छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाएं	15
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	181
श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	191
श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-बांदीकुई पंचायत समिति परिसर में संचालित दुकानें	447
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बायतू से लेकर कवास तक रेलवे समपार नहीं होने बाबत	74
मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-जाली नोट प्रकरणों की रोकथाम हेतु कार्य-योजना	31
समाज कल्याण	
-जोधपुर जिले के छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाएं	21

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खनन पट्टों की स्वीकृति	348
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-सहकारी बैंकों के दोषी ऋणी सदस्यों से ऋण वसूली हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन	342
श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन	342
श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	204
श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-कनिष्ठ अभियन्ता, परबतसर (नागौर) के विरूद्ध जांच	396
श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-राज्य के पुलिस बल हेतु आवास निर्माण	359

नाम	पृष्ठ संख्या
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जयपुर-सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग को चारलेन बनाये जाने बाबत	475
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बायतू से लेकर कवास तक रेलवे समपार नहीं होने बाबत	76
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-भांडारेज (सिकराय) क्षेत्र में पेयजल के गंभीर संकट बाबत	476
श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बछड़ों को राज्य से बाहर ले जाने पर रोक लगी होने से किसानों को होने वाली आर्थिक हानि से उत्पन्न स्थिति बाबत	474
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	159
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	97
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बूंदी जिले में अपात्र की नसबन्दी के बाद भी कार्यवाही न होना	78
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में सरसों की खरीद में हुई कथित अनियमितता	65

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ जिले के छात्रावासों में व्याप्त अनियमितताएं	385
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	172
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर जिलों में पेड़ों की अवैध कटाई	283
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में	80
श्री रामलाल (बनेड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-अध्यक्ष, नगरपालिका गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) के विरुद्ध कार्यवाही	362
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-श्री जयरामपुरी गौशाला डूंगरीकलां, जयपुर को अनुदान	414
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	105
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने सुविधा केन्द्रों का उपयोग न होने से उत्पन्न स्थिति	70

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-राज्य में बाघों की घटती संख्या के कारण की समीक्षा हेतु गठित कूमट समिति	33
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	251
श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-निगम बस सेवाओं में विकलांगों को प्रदत्त सुविधाएं	425
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-जालौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सूअरों द्वारा फसलों को क्षति	307
श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-मावली में निगम बस सेवा का पुनर्संचालन	438
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	83
श्री श्रवणकुमार (पिलानी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-चिड़ावा तहसील के ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में	477

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-अजमेर जिले में पेयजल समस्या	479
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-सिरोही में उचित मूल्य की दुकानें	371
डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-राजस्थान पुलिस सेवा में पदोन्नत पुलिस निरीक्षक	349
श्री समर्थ लाल (राजगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-राजगढ़ व रैणी (अलवर) पंचायत समिति हेतु आबंटित राशि	439
श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पर्यावरण	
-सोनू लाइम स्टोन परियोजना जैसलमेर से व्याप्त वायु प्रदूषण	422
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-बाड़मेर जिले के सूखा प्रभावित ग्रामों में अकाल राहत कार्यान्तर्गत पक्के निर्माण कार्य	10

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सुखलाल मीणा (सपोटरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-करौली के गैर वन क्षेत्र में खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र	367
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-जोधपुर जिले के छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाएं	23
श्री सुरेश मीणा (करौली)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	147
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-बाड़मेर जिले के सूखा प्रभावित ग्रामों में अकाल राहत कार्यान्तर्गत पक्के निर्माण कार्य	14
स्थगन प्रस्ताव	
-शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा नहीं भरा जाना	44
श्री सुशील कटारा (चौरासी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-चौरासी के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन सामग्री की कालाबाजारी	326
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-जोधपुर शहर में सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित दवा बिक्री केन्द्र	389

नाम	पृष्ठ संख्या
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	196
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-जोधपुर जिले के छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाएं	15
श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-महुआ (दौसा) थाना में दुर्घटना प्रकोष्ठ हेतु उपलब्ध रोगी वाहन	359
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-गरीबी रेखा में चयन हेतु प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण	468
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-श्रीगंगानगर जिले में किसान आन्दोलन के दौरान पुलिस फायरिंग	343
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में सरसों की खरीद में हुई कथित अनियमितता	58
श्री हरीसिंह रावत (भीम)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-भीम के बेरोजगारों को आबंटित स्थान	397

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु विकास निगम की स्थापना	316
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-बारां जिले के ठेकेदार द्वारा रायल्टी की वसूली	345
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-बारां जिले के भवन विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय	299
श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-तीन बार निर्विरोध निर्वाचित महिला सरपंच/पंचायत को प्रोत्साहन राशि	395
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	125
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-बाड़मेर जिले के सूखा प्रभावित ग्रामों में अकाल राहत कार्यान्तर्गत पक्के निर्माण कार्य	5
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बायतू से लेकर कवास तक रेलवे समपार नहीं होने बाबत	76